खण्ड-354, अंक-10
मंगलवार, 27 माघ, शक संवत् 1903
(16 फरवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 354 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1495–1498
प्रश्नोत्तर (जारी)	1499–1520
अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर किसी मंत्री द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति ..	1520–1521
प्रश्नोत्तर	1521–1601
लखनऊ की बाजार खाला थाने की पुलिस द्वारा पत्रकार, श्री अशोक त्रिपाठी के घर में घुस कर उनके परिवार वालों को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1602
फिरोजाबाद की पुलिस द्वारा आगरा के कन्सगेट मुहल्ले के एक मकान में घुसकर दो व्यक्तियों की हत्या तथा लूट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1602–1603
जनपद वाराणसी की तहसील चकिया के ग्राम केसारगांव में एक औरत की भूख से मृत्यु तथा आस–पास के ग्रामों में भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1603
मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में चोरियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1603–1604
पर्वतीय क्षेत्र के चिकित्सालयों में डाक्टरों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	1604
श्री भीखा लाल द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	1604
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981....(विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1605
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982.. (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1605
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982.. (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1605
उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982..(विधान परिषद् से वापसी की सूचना) ..	1605
दिनांक 19 जनवरी, 1982 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य ..	1605–1606
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982.. (पुरः स्थापित किया गया) ..	1606

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982..(पुरःस्थापित किया गया)	.. 1606–1607
प्रस्तुत बजट में राजस्व व्यय अन्य व्ययों से पृथक न दर्शाये जाने के सम्बन्ध में कल श्री हुकम सिंह द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	.. 1607–1608
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	.. 1608–1610
1981–82 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा	.. 1610–1649
1981–82 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान	
अनुदान संख्या 3––मंत्रि परिषद् (स्वीकृत)	.. 1650
अनुदान संख्या 4––न्याय विभाग (स्वीकृत)	.. 1650
अनुदान संख्या 9––स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग (स्वीकृत)	.. 1650
अनुदान संख्या 11––परिवहन विभाग (स्वीकृत)	.. 1650–1651
अनुदान संख्या 13––वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) (स्वीकृत)	.. 1651
अनुदान संख्या 17––सचिवालय (स्वीकृत)	.. 1651
अनुदान संख्या 18––कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (स्वीकृत)	.. 1651
अनुदान संख्या 20––सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग ..(स्वीकृत)	.. 1652
अनुदान संख्या 21––संस्थागत वित्त विभाग (स्वीकृत)	.. 165
अनुदान संख्या 24––वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) (स्वीकृत)	.. 1652
अनुदान संख्या 25––गृह विभाग (पुलिस) (स्वीकृत)	.. 1653
अनुदान संख्या 28––सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) (स्वीकृत)	.. 1653
अनुदान संख्या 33––शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	.. 1653
अनुदान संख्या 34––प्राविधिक शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	.. 1653–1654
अनुदान संख्या 38––चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) (स्वीकृत)	.. 1654
अनुदान संख्या 40––चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)	.. 1654
अनुदान संख्या 43––सूचना विभाग (स्वीकृत)	.. 1654

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 46--हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग (स्वीकृत)	1655
अनुदान संख्या 49---सहकारिता विभाग (स्वीकृत) ..	1655
अनुदान संख्या 50--पर्वतीय विकास विभाग (स्वीकृत) ..	1655
अनुदान संख्या 52--कृषि बिभाग (कृषि) (स्वीकृत) .	1655–1656
अनुदान संख्या 53---कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) (स्वीकृत) .	1656
अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग (स्वीकृत) ..	1656
अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग (स्वीकृत) ..	1656–1657
अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग (स्वीकृत) ..	1657
अनुदान संख्या 59---पशुधन विभाग (स्वीकृत) ..	1657
अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) (स्वीकृत) ..	1657
अनुदान संख्या 61---मत्स्य विभाग (स्वीकृत) .	1658
अनुदान संख्या 62--वन विभाग (स्वीकृत) ..	1658
अनुदान संख्या 68--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य राजस्व लेखा) (स्वीकृत) ..	1658
अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) (स्वीकृत) ..	1658–1659
अनुदान संख्या 74---पर्यटन विभाग (स्वीकृत) ..	1659
अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत) ..	1659
अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत) ..	1659–1660
अनुदान संख्या 83--सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत-परिव्यय) (स्वीकृत) ..	1660
अनुदान संख्या 91---संस्थागत वित्त विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1660
अनुदान संख्या 94--कृषि विभाग पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1660–1661
अनुदान संख्या 100--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत) ..	1661
अनुदान संख्या 104--सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत-परिव्यय) (स्वीकृत) ..	1661

विषय	पृष्ठ संख्या
अनुदान संख्या 106--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) (स्वीकृत)	.. 1661-1662
अनुदान संख्या 107--परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय (स्वीकृत)	.. 1662
अनुदान संख्या 112--स्वायत्त शासन विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	.. 1662
अनुदान संख्या 116--उद्योग विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	.. 1662-1663
अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	.. 1663
अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	.. 1663
अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	.. 1663-1664
अनुदान संख्या 126--परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	1664
अनुदान संख्या 131--गृह (कारागार) विभाग--ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	.. 1664
उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 (पारित)	.. 1664-1674
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	.. 1674
नस्थियां	.. 1675-1702

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—324

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अब्दुल रहमान खां नश्तर, श्री (कानपुर)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (कानपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराम) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुशहाल सिंह रौंतड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)

चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्दा राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पुष्पा चौहान, श्रीमती (अलीगढ़)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशोधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)

भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंगलदेव, श्री (गोंडा)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद, श्री (एटा)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा (आगरा)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अंसारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर, (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटल, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री, (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निगम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)

रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लल्लू सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह श्री (मुजफ्फरनगर)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव मंगल सिंह, श्री (मैनपुरी)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
शतीश अजमानी श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेमचन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

नोट--श्रम मंत्री, श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 16 फरवरी, 1982

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रत्येक खंड के छटनी शुदा कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची

*1—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रत्येक खंड के छटनी शुदा कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची प्रान्तीय स्तर पर बनाई गयी है और उसी के अनुसार उनको खपाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

छटनी की स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 1974 में यह निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों का विवरण खंडवार बनाया जाय तथा इन सूचियों में सम्मिलित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार उनके कार्यकाल का अवधि का ध्यान रखते हुये पुनः काम पर लगाया जाय और उसी के अनुसार उन्हें काम पर लगाया जा रहा है ।

प्रान्तीय स्तर पर कोई ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई गई ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है और जवाब माननीय मंत्री जी ने दूसरा दिया । मान्यवर, मैंने प्रश्न किया था कि छटनी शुदा कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची जो कि प्रान्तीय स्तर पर बनाई गयी है और उसी के अनुसार उन्हें खपाया जा रहा है ? मान्यवर, मंत्री जी यह कह रहे हैं कि वर्ष 1974 में यह निर्णय लिया गया था कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के छटनी शुदा कर्मचारियों का विवरण खंडवार बनाया जाय तथा इन सूचियों में सम्मिलित व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार उनके कार्यकाल की अवधि का ध्यान रखते हुए पुनः काम पर लगाया जाय ।

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि खंडवार छटनी शुदा कर्मचारियों की सूची तैयार की गयी है । माननीय मंत्री जी उनमें से किसी एक सूची के बारे में आदरणीय सदन को बता दें ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, जहां तक प्रश्न और उसके उत्तर का सवाल है, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसी का उत्तर दिया गया है । इन्होंने अपने प्रश्न में खंडवार सूची की बात की है । प्रान्तीय स्तर पर कोई ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई गयी है, लेकिन जहां तक उन्हें काम पर लगाये जाने का प्रश्न है, हमें सूचना है कि उन्हें हिसाब से लगाया जा रहा है । अगर खंडवार सूची की आवश्यकता है तो इसमें हमें सूचना की आवश्यकता होगी । आप कहेंगे तो हम खंडवार सूची तैयार करा कर आपके द्वारा सदन के समक्ष रख देंगे ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने उत्तर के अन्त में कहा है कि प्रान्तीय स्तर पर कोई ज्येष्ठता सूची नहीं बनाई गई है। मान्यवर, हमने कहीं पर ज्येष्ठता सूची का प्रश्न नहीं किया है। सवाल यह था कि छटनी शुदा कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची बनाई गयी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न में ज्येष्ठता सूची है तो।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैंने छटनी शुदा कर्मचारियों की सूची की मांग की थी कि सारे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, इन्होंने सीनियारिटी की लिस्ट की बात की है। सारे कर्मचारियों की सीनियारिटी की लिस्ट मैंने नहीं मांगी थी। माननीय मंत्री जी ने आपके माध्यम से सूची देने के लिये कह दिया है, इसलिये अब आगे हम क्या कहें ?

श्री चेतराम गंगवार--

सार्वजनिक निर्माण विभाग में अब तक कितने छटनी शुदा कर्मचारी हैं और उन्हें अब तक कहां खपाया गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

1977-78 तक 5,500 कर्मचारी थे। परन्तु यह अलग से प्रश्न है मान्यवर। इसको अलग से लिखकर भेज दें, तो सूचना दे दी जायेगी।

[मंगलवार, 16 फरवरी, 1982 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

हरी फर्टीलाइजर, साहूपुरी, वाराणसी में श्रमिकों की हड़ताल व मांगें

*2--श्री ऊदल--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरी फर्टीलाइजर, साहूपुरी, वाराणसी में अप्रैल, 1981 से श्रमिकों की हड़ताल चल रही है ? यदि हां, तो मजदूरों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं ? सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

श्रम राज्य मंत्री (श्री राम नारायण पाठक)--

मेसर्स हरी फर्टीलाइजर, वाराणसी में श्रमिकों द्वारा दिनांक 16 अप्रैल, 1981 से की गई हड़ताल दिनांक 30 जुलाई, 1981 को समाप्त हो गई थी।

श्रमिकों की मुख्य मांगें ठेके के श्रमिकों को बोनस तथा एडहाक छुट्टियों की सुविधा दिलाये जाने, कार्ड पंचिंग में प्रस्तुत कठिनाइयों को दूर किये जाने तथा वार्षिक वेतन वृद्धि आदि दिलाये जाने से सम्बन्धित थी।

मांगों पर विभिन्न स्तरों पर वार्ता कराई गई और दिनांक 27 जुलाई, 1981 को मेरे समक्ष हुई वार्ता में उभय पक्षों में समझौता हो जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 जुलाई, 1981 से हड़ताल समाप्त हो गई थी।

श्री ऊदल—

मान्यवर, यह जो उनकी मांगें थीं उसके सम्बन्ध में क्या-क्या निर्णय लिये गये ?

श्रम मंत्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)—

उनकी मांगों के सम्बन्ध में पहले समझौते से निर्णय यह हुआ कि मुख्य मंत्री को पंच बनाया गया और उनमें 52 कर्मचारियों को जिनको निकाला गया था, पंच-निर्णय से काम पर वापस भेज दिया गया है ।

श्री ऊदल—

जो यह हड़ताल थी यह कानूनी थी क्योंकि मजदूरों की जो मांगें थीं वे जायज थीं तो क्या उन मालिकों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही इस सरकार ने की है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

सरकार ने यह कभी नहीं कहा कि उनकी हड़ताल गैरकानूनी थी । श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से कहना चाहता हूं कि जब दोनों पक्ष लड़ने के बाद समझौता कर लेते हैं और पंच मान लेते हैं, कोई शिकायत नहीं है, तब इसकी कोई बात ही नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं जानना चाहता हूं कि समझौते के तहत जो कर्मचारी फिर से काम पर भेज दिये गये हैं तो जिस दिन गये हैं उसी दिन से वे माने गये हैं या उनकी कान्टीन्यूटी मेन्टेन्ड है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

अभी तक हमारे पास कोई शिकायत ऐसी नहीं आयी है यूनियन की तरफ से जिसमें यह कहा जाये कि उनके साथ ऐसा हुआ । हां, माननीय सदस्य का एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, उसके साथ एक प्रतिवेदन मिला है, उसका उत्तर आपको मिलेगा । यदि ऐसी कोई बात सामने आती है तो उसको देख लिया जायेगा ।

चार चांद वाली मस्जिद गली मझौल, मुरादाबाद का मन्दिर में परिवर्तन तथा रेस्टोरेशन तथा मरम्मत के संबंध में उचित कार्यवाही

*3—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री को चार चांद वाली मस्जिद जो गली मझोल, मुरादाबाद में स्थित है और जिसको मुरादाबाद के पिछले दंगों के दौरान मन्दिर में परिवर्तित कर दिया गया है के रेस्टोरेशन तथा मरम्मत और उस संबंध में उचित कार्यवाही किये जाने के विषय में प्रश्नकर्त्ता का पत्र गत वर्ष प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र एक संवेदनशील विषय से संबंधित होने के कारण इसमें की गई कार्यवाही का बताया जाना जनहित में न होगा ।

श्री रियासत हुसेन--

यह देखते हुए कि यह डेढ़ साल पुराना विषय है, माननीय प्रधान मन्त्री जी का भी इसमें इन्वाल्वमेन्ट है, मुख्य मन्त्री जी की भी घोषणा इस सदन में इसी संबंध में की जा चुकी है और कमिश्नर, मुरादाबाद की रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो क्या जल्द से जल्द इसका निपटारा करने का आश्वासन माननीय मंत्री देंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जो भी हम कार्यवाही कर रहे हैं, उसको बताया जाना जनहित में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि क्या इसमें जल्द से जल्द कार्यवाही हो जायेगी ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

इस विषय में शासन सुनिश्चित है और इसमें यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का सत्र समाप्त हो जाने से निर्वाचित पदाधिकारियों की कार्यविधि की समाप्ति

*4--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री को इसकी जानकारी है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति ने 22 जून, 1980 को लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ को भंग कर दिया ? यदि हां, तो क्या उल्लिखित आदेश राज्य सरकार के निर्देश पर जारी किए गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ भंग नहीं किया गया । संघ के संविधान के प्राविधानानुसार 22 जून, 1980 को सत्र समाप्त होने के कारण निर्वाचित पदाधिकारियों की कार्यविधि समाप्त हो जाने पर सीनियर लाइब्रेरियन ने इन पदों का कार्यभार ले लिया । राज्य सरकार द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि छात्र संघ यूनियन का चुनाव जो हर वर्ष होता था तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक नहीं हुआ है और तीन टर्म बीतने के बाद उसके पदाधिकारियों का चार्ज लाइब्रेरियन को दे दिया गया है ? इस वर्ष छात्र संघ का चुनाव न कराने का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के संविधान के अनुच्छेद 18 (डी) के अनुसार शैक्षिक सत्र समाप्त होने पर सीनियर लाइब्रेरियन का कर्तव्य है कि वह संघ के निर्वाचित पदाधिकारियों का कार्यभार स्वयं संभाल लें । अनुच्छेद 18 (डी) का प्राविधान इस प्रकार है :

18—सीनियर लाइब्रेरियन,

(डी) ऐट दि एण्ड आफ एवरी एकेडेमिक सेशन ही बिल रिसीव चार्ज आफ दि आफिसेज आफ दि प्रेसीडेन्ट, वाइस प्रेसीडेन्ड, सेक्रेट्री एन्ड दि जूनियर लाइब्रेरियन ।

हर शिक्षा सत्र के अन्त में यूनियन के पदाधिकारियों का चार्ज लाइब्रेरियन ले लेता है । जो प्राविधान किया गया है उसके अनुसार लाइब्रेरियन को चार्ज दे दिया गया । अलग से कोई चीज नहीं की गयी है । इसका प्राविधान पहले से मौजूद था । जहां तक दूसरा प्रश्न है चुनाव कराये जाने के सम्बन्ध में, तो जैसा कि आप स्वयं अवगत हैं और माननीय सदस्य भी अवगत होंगे कि विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है, वह छात्र संघ का चुनाव कब करावे, कैसे करावे छात्र संघ का इन्टरेस्ट किसमें है, उसकी भलाई को ध्यान में रखकर कुलपति खुद निर्णय लेता है । इसमें सरकार किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहती ।

श्री राम कुमार भार्गव—

यह सही है कि विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है लेकिन सरकार को यह भी देखना है कि सन् 80 से छात्रों से तीन रुपया प्रति छात्र यूनियन की फीस ली जा रही है और तीन साल बीतने पर भी यूनियन का चुनाव नहीं हो पाया है, इसका क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी—

यह तो उनका अपना अलग मामला है । सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती । जहां तक 3 रु0 हर छात्र फीस लेने का प्रश्न है, इस बारे में सूचना मंगवा ली जायेगी ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मन्त्री जी ने जो कहा कि टर्म समाप्त होने के बाद सीनियर लाइब्रेरियन ने चार्ज लिया रूल्स के अनुसार । तो क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि एक साल जब एलेक्शन नहीं हुआ तो 22 जून की तारीख जो बतलायी गयी है वह सन् 80 की है या एक साल पहले की तारीख है, क्या एक्जेक्ट उसी दिन इसका समापन हुआ था और ऐकेडेमिक साल पूरा होने के बाद लाइब्रेरियन ने चार्ज लिया और उसके पहले ही तारीख पर ही यूनियन को समाप्त कर दिया गया था ?

श्री अम्मार रिजवी—

उसके बाद की तारीख है । यूनिवर्सिटी का जो कलेंडर है, उसमें शैक्षिक सत्र के समापन का प्राविधान है । शैक्षिक सत्र 1978-79 की विधि संकाय की परीक्षायें 24 फरवरी, 1980 को प्रारम्भ हुई थीं तथा समस्त कक्षाओं के परीक्षाफल 22 जून, 1980 को घोषित कर दिये गये थे और उस तिथि को शैक्षिक सत्र 1978-79 समाप्त हुआ । 30 अप्रैल से 16 जुलाई तक सत्र का समापन हो जाना चाहिये 22 जून तक ला संकाय का रिजल्ट निकल चुका था तो उसी तारीख से सत्र का समापन समझा जाना चाहिए । उसके बाद 27 जून को माध्यवर,

[श्री अम्मार रिजवी—]

कुलपति ने विधि के अनुसार सीनियर लाइब्रेरियन को चार्ज दिलाने की कार्यवाही की और उन्होंने यूनियन के पदाधिकारियों का चार्ज ले लिया ।

श्री मोहन सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जो बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसी कोई शिकायत मिलने पर उसकी छानबीन करने, उसकी देखरेख करना शासन का दायित्व है जो विश्वविद्यालय यूनियन का नियम है उसके अनुसार सत्र में एक बार विद्यार्थियों से यूनियन की फीस ली जाती है और यह मान कर ली जाती है कि हर विद्यार्थी विश्वविद्यालय यूनियन का सदस्य है । एक सत्र की समाप्ति और दूसरे सत्र के आरम्भ होने के बीच के समय में छात्र संघ का नियंत्रण सीनियर लाइब्रेरियन के हाथ में रहता है लेकिन नियमानुसार 31 अगस्त तक चुनाव हो जाना चाहिये । सत्र आरम्भ होने के तुरन्त बद सारा चार्ज यूनियन का बोर्ड आफ ट्रस्टीज के हाथ में चला जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि छात्र संघ की फीस लेने के बावजूद तीन टर्म तक वहां चुनाव नहीं हुए इसके संदर्भ में पैसे का घोटाला छात्र संघ का लाइब्रेरियन और कुलपति ने मिलकर किया है, खाया है, इस मामले में जांच करायेंगे कि बिना चुनाव कराये इस पैसे को खर्च वह किस तरह से करते हैं और कहां करते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि माननीय मोहन सिंह जैसे जिम्मेदार व्यक्ति को यह घोटाला और रुपये खाने की बात नहीं करनी चाहिये थी कुलपति जैसे व्यक्ति के लिए, जो भी कुलपति रहे हों ..

श्री मोहन सिंह—

इसी को मानकर हटा दिया था....

श्री अम्मार रिजवी—

लेकिन जहां तक चुनाव न कराने का सवाल है यह बात पूरी तरह से यूनिवर्सिटी के जो पदाधिकारी हैं, वहां की जो एकेडेमिक काउन्सिल, एक्जीक्यूटिव काउन्सिल है, उसके परख्यू की है कि किस समय चुनाव कराना उपयुक्त होगा । अगर राज्य सरकार कहे कि आज चुनाव करायें और कल वहां स्थिति और हो जाती है तो सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होगी । वहां के जो अधिकारी हैं उनको अधिकार है कि वहां की स्थिति को देखते हुए, वस्तुस्थिति को देखते हुए वह कदम उठायें क्योंकि उन्हीं का कार्य क्षेत्र है और इस का निर्णय उन्हीं को लेना है । अगर कोई आरोप ऐसा आता है—किसी जगह पैसे का हो, उसकी जांच करायी जायगी ।

श्री हुकम सिंह—

माननीय मंत्री जी ने स्वायत्तशासी संस्था की आड़ लेकर यह कहने का प्रयास किया कि उनके नियंत्रण में विश्वविद्यालय का प्रतिष्ठान नहीं है । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने भी, दूसरे मंत्रीगणों ने भी आश्वासन दिये हैं कि यथाशीघ्र विश्वविद्यालय यूनियन के चुनाव कराये जायेंगे । इस बात को देखते हुये कि नियमों का उल्लंघन हो रहा है, आप अपनी ओर से कस्टोडियन होने के नाते निर्देशित करेंगे कि यथाशीघ्र चुनाव करें ?

श्री अम्मार रिजवी—

विश्वविद्यालय के अधिकारियों से अवश्य यह कहा जायगा कि जो वस्तु स्थिति है उसको देखते हुये यथाशीघ्र चुनाव कराने का प्रयास करें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि विधि व्यवस्था अपनी जगह पर है, उस विधि का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है इसके औचित्य पर भी विचार करना पड़ता है । संविधान में यह व्यवस्था है कि सत्र समाप्त होने पर सभी अधिकार सीनियर लाइब्रेरियन में निहित कर दिये जायं । यह विधिक व्यवस्था हो सकती है लेकिन औचित्य के प्रश्न पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । संविधान के अधीन जब छात्र संघ बनाने का अधिकार दिया गया है तो उसके तहत चुनाव कराये जाने चाहिए। विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 40 के अधीन, और धाराओं के तहत, शासन और कुलाधिपति को अधिकार है कि अगर स्टेट्यूट का वायलेशन हो रहा है तो शासन हस्तक्षेप कर सकता है । मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री जी से स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि इस बारे में शासन की क्या नीति है ? छात्र संघ के चुनाव यथा समय करा दिये जायेंगे इस नीति को प्रकट करते हुए क्या सरकार विश्वविद्यालय में यथाशीघ्र इसी सत्र में चुनाव करायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जहां तक चुनाव का प्रश्न है, चुनाव कराने की माननीय सदस्य की बात से शासन पूरी तरह सहमत है कि चुनाव होने चाहिए और छात्रों को भी अपनी बात कहने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जहां तक किस समय होने चाहिए, यह निर्णय लेने के लिए हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते । नीति का जहां तक सवाल है उससे हम भी सहमत हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में निवेदन है । अभी माननीय मोहन सिंह ने एक प्रश्न पूछा कि दो टर्म से चुनाव नहीं हुये, विद्यार्थियों से यूनियन की फीस ली जाती है उसमें घोटाला होता है इसका खंडन माननीय मंत्री जी ने किया । माननीय मंत्री जी तो छात्र ही रहे हैं, मैं तो वहां संघ का अध्यक्ष भी रहा हूं । मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी जब से चुनाव नहीं हुये हैं और आज तक जो पैसा जमा हुआ है उसके सही-सही आंकड़े सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे ? दूसरी बात यह है कि माननीय मंत्री जी ने नियम तो बहुत पढ़ा मगर व्यवहार में क्या होता है, उससे वे लापता हैं । मान्यवर, उसकी परम्परा यह है कि एक बार जब कोई पदाधिकारी चुना जाता है तो दूसरे चुनाव में जब दूसरा पदाधिकारी आता है तो वह उसको चार्ज देता है । यह एक सामान्य परम्परा है । मैं संघ का प्रतिनिधि भी रहा हूं, सेक्रेटरी भी रहा हूं और प्रेसीडेन्ट भी रहा हूं इसलिये मुझे उसकी सारी धारायें याद हैं । तीसरी बात यह है कि सन् 1980 से लखनऊ छात्र संघ का चुनाव न करना क्या इस चीज का प्रत्यक्ष द्योतक नहीं है कि छात्रों के प्रजातांत्रिक अधिकारों का स्पष्ट कुठाराघात है और उसके तहत माननीय मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करेंगे कि वह कौन सी तारीख है कि जब लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव करा दिये जायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय बाजपेयी जी के प्रश्न के तीन हिस्से हैं और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस जमाने में छात्र था और वे अध्यक्ष थे ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी——

अब तो आप मंत्री हैं और मैं मजीरा बजाता हूं ।

(हंसी)

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, उनके प्रश्न के तीन हिस्से हैं । पहला तो यह है कि वहां पर जो फीस ली गई है यूनियन की, क्या उस पैसे का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है ? एक भूतपूर्व अध्यक्ष होने के नाते और इस सदन के सम्मानित सदस्य होने के नाते उन्होंने जो चिन्ता व्यक्त की है उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं । इस बात को दिखवा लिया जायेगा और वाइस चांसलर से इसके बारे में कहा जायेगा कि वे इसे देखें । दूसरी बात उन्होंने सीनियर लाइब्रेरियन को चार्ज देने की कही है । जो प्राविधान इस समय है और जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया, जो प्रक्रिया हुई है वह तो मैंने आपको बता दिया । यह अवश्य है कि कोई चीज किसी समय व्यवहारिक रहती है लेकिन संविधान में जो है, उसका जिक्र किया गया । तीसरी चीज उन्होंने यह पूछी कि सरकार इस प्रकार की कोई घोषणा करेगी और निश्चित तारीख बतायेगी कि कब चुनाव हो जायेंगे तो मैं उन्हीं से यह पूछना चाहूंगा कि चूंकि वे यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेन्ट भी रहे हैं और छात्र भी रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष——

उन्होंने संघ का अध्यक्ष होना बताया है, छात्र होना नहीं बताया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी——

छात्र मैं 14 वर्ष रहा हूं ।

श्री फखरे आलम——

क्या माननीय सदस्य एक क्लास में चार-चार साल पढ़े हैं ?

श्री आनन्द मोहन श्रीवास्तव, सहायक संख्या अधिकारी की हत्या की जांच

*5——श्री हरिवंश सहाय——

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि सांख्यिकी अधिकारी, जिला देवरिया के कार्यालय में 13 मई, 1981 को 2 1/2 बजे दिन में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, श्री आनन्द मोहन श्रीवास्तव की हत्या गला काटकर कर दी गयी ? यदि हां, तो हत्या का कारण क्या है तथा मुल्जिमानों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी——

प्राप्त सूचना के अनुसार 13-5-81 को श्री आनन्द मोहन श्रीवास्तव, सहायक संख्या अधिकारी की हत्या धारदार अस्त्र से की गयी ।

विवेचना से ज्ञात हुआ कि मृतक की हत्या अभियुक्तों से रंजिश के कारण हुई थी ।

अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री हरिवंश सहाय—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित कि अभियुक्त और मृतक के बीच रंजिश के कारण हत्या हुई । तो मैं जानना चाहता हूं कि किस बात पर रंजिश हुई और हत्यारों के क्या नाम हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, हत्यारों के नाम एक सदानन्द त्रिपाठी और दूसरे हरीराम हैं । दूसरा प्रश्न इन्होंने रंजिश का कारण पूछा तो सदानन्द त्रिपाठी जिसने यह नृशंस हत्या की पहले वकील थे उसके बाद उन्होंने वेष बदला और साधु सन्यासी हो गये और स्व0 श्री आनंद मोहन श्रीवास्तव उनके शिष्य हो गये और वे अपने बीबी बच्चों के साथ उनके आश्रम में रहने लगे । अब सन्यासी जी ने कहा कि तुम अपनी नौकरी छोड़ दो और उन्होंने कहा कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा । उसके बाद इनके बच्चों और बीबी को लेकर सन्यासी जी बनारस चले गये । बनारस पुलिस की मदद से श्रीवास्तव जी के बच्चों को वापस कर दिया गया इसी बात पर उनको क्रोध आ गया और सदानन्द त्रिपाठी जो सन्यासी बने थे उन्होंने अपना नाम संत ज्ञानेश्वर रख लिया था । इसी पर उनको रंजिश थी । एक दिन जब श्री श्रीवास्तव अपने घर पर जहां वह काम करते थे बाहर सड़क पर आये तो उनको मार डाला । इस तरह से वह पकड़े गये और दूसरा अभियुक्त फरार है ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह वही महात्मा हैं जिन्होंने जनवार्ता के सम्पादक तथा दूसरे लोगों पर कातिलाना हमला किया था और जो देश के बड़े-बड़े संत महात्मा हैं उनको खुले आम गालियां देते हैं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जो माननीय सदस्य बता रहे हैं कि उन्होंने हमला किया था बनारस में यह सत्य से परे हैं लेकिन उनके शिष्यों ने हमला किया था । तो यह वही संत ज्ञानेश्वर हैं जिन महानुभाव के बारे में आपको चिन्ता है ।

श्री मोहन सिंह—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उस वक्त अभियुक्त को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में निरुद्ध किया गया था और क्या वे अभी भी निरुद्ध हैं यदि विरुद्ध नहीं है तो किन परिस्थितियों में वे रिहा हुए ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, इनके अपराध की गम्भीरता देखते हुए शासन ने उनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया था लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी अपील पर उनको मुक्त कर रखा है और आज कल मुक्त होकर पुनः भ्रमण और भाषण कर रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मन्त्री जी ने अभी उत्तर दिया तो क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय में जब अपील की गयी तो उसमें सरकार की ओर से एफिडेविट दाखिल करने में बहुत विलम्ब हुआ जिससे उच्च न्यायालय ने उन्हें इसका लाभ देकर छोड़ दिया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

शासन तो सजग रहा अभी श्रीमन्, उनको पकड़ा गया था और उनके लिए एफिडेविट और औपचारिकता पूरी की गयी । लेकिन उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधीश क्या करते हैं उस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या यह सही है कि शासन की ओर से जो शपथ-पत्र दाखिल करना था तीन तारीखों तक दाखिल नहीं किया और जब चौथी बार भी दाखिल नहीं किया तो माननीय न्यायाधीश ने एक्स-पार्टी फैसला कर दिया । सरकार द्वारा पहले उनको फंसाने की बात की और फिर बाद में जानबूझ कर दबाव में आकर उस अपराधशील व्यक्ति को छुड़ाने की साजिश की गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, कब उच्च न्यायालय में दाखिल करना था यह तारीख तो मेरे पास नहीं है । लेकिन शासन की ओर से यथोचित पैरवी की गयी थी ।

श्री हरिवंश सहाय—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आनन्द मोहन श्रीवास्तव के बच्चों को आज भी जान का खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो क्या वह उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

उसकी सुरक्षा की पूरी कार्यवाही कर दी गयी है ।

जनपद गोरखपुर के मुहल्ला गोलघर में यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन की फुटकर दुकान पर गोलमाल

*6—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के मुहल्ला गोलघर में यू0 पी0 हैण्डलूम कारपोरेशन की फुटकर दुकान पर लगभग 35,000 रु0 का गोलमाल हुआ है जिसकी रिपोर्ट स्थानीय थाने में माह मार्च, 1980 में की गयी है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नियाज हसन खां)—

जी हां ।

दोषी व्यक्ति से सम्पूर्ण धनराशि वसूल करके उनकी सेवा समाप्त की जा चुकी है । मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

श्री नन्द किशोर सिंह—

दोषी अभियुक्तों के नाम क्या हैं ?

(उत्तर के लिये मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

*7—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री देशराज सिंह, नायब तहसीलदार, पिपराइच, गोरखपुर के विरुद्ध जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री मुहम्मद कुर्बान को रिवाल्वर से आहत करने की दर्ज रिपोर्ट

*8—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गत 6 सितम्बर, 1980 को दीवान बाजार, गोरखपुर में अपने आवास पर एक नायब तहसील दार ने जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता श्री मुहम्मद कुर्बान को रिवाल्वर से आहत कर दिया जिसकी रपट राजघाट थाना (गोरखपुर) में दर्ज है ? यदि हां, तो तत्काल क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कुर्बान पुत्र श्री मुकीम शेख, ग्राम आराजी चिललिवा, थाना गुल्हरिया की इस आशय की लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 6 सितम्बर, 1980 को थाना राजघाट पर मु0 अ0 सं0 324 धारा 307 भा0 दं0 वि0, श्री देशराज सिंह नायब तहसीलदार, पिपराइच, गोरखपुर के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना की गयी तथा दिनांक 5 जनवरी, 1981 को धारा 307 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र बना परन्तु मुकदमें से सम्बन्धित गवाहों न न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल कर दिए जिसके आधार पर अंतिम आख्या दिनांक 5 अप्रैल, 1981 को प्रेषित की गयी ।

क्षेत्रीय विद्यालय इन्टर कालेज, रंजीतपुर, जिला कानपुर के विरुद्ध अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

*9—श्री भीखा लाल—

क्या शिक्षी मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्षेत्रीय विद्यालय इन्टर कालेज, रंजीतपुर, जिला कानपुर के विरुद्ध अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में एक शिकायती-पत्र, दिनांक 22 जुलाई, 1980 प्रधान, ग्राम सभा रंजीतपुर, बाराखेड़ा, प्रतापपुर खास और सिंहपुर दिवने तथा अध्यक्ष, नवयुवक मंगल दल, रंजीतपुर और अध्यक्ष, ग्राम सुधार संगठन, रंजीतपुर द्वारा हस्ताक्षरित उनको तथा माननीय मन्त्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं ? और उस पर जांच कराई गयी अथवा नहीं और यदि जांच कराई तो क्या परिणाम निकला ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

मुख्य शिकायतें निम्न हैं :—

1—अवैधानिक ढंग से बिल्डिंग शुल्क वसूल करना ।

2—अध्यापकों के चयन में अनियमितता करना ।

3—प्रबन्ध समिति में एक ही परिवार के सदस्य होना ।

4—चपरासियों को प्रबन्धक के घर में कार्य करना ।

5—अनियमित ढंग से अध्यापक को अवशेष वेतन का भुगतान करना ।

6—नियमित ढंग से साइकिल स्टैन्ड तथा कैन्टीन एवं प्रीभूत आदि का हिसाब-किताब न रखना ।

उक्त अनियमितताओं की जांच दिनांक 26 जुलाई, 1980 को करायी गई । विद्यालय के प्रबन्धतन्त्र के विरुद्ध प्राधिकृत नियन्त्रक का नियुक्ति हेतु 16-डी की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

श्री भंखा लाल—

इसमें हमारे सवाल के अन्तिम पार्ट का जवाब नहीं है, कि क्या उस पर जांच कराई गई अथवा नहीं ? और कराई गई तो उसका क्या परिणाम निकला ? यानी 16 अनियमितताये इनमें दी हुई हैं, उनकी जांच करने पर क्या परिणाम निकला, वह सही पाये गये या कैसी हालत में पाये गये ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो वहां के जिला विद्यालय निरीक्षक से रिपोर्ट मिली है, उसके अनुसार इसमें जहां तक इन्डाउमेंट का सवाल है यह सही पाया गया कि उसका दुरुपयोग हो रहा है । इसका भी प्रयास हो रहा है कि अनियमित ढंग से जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है, उनकी तनख्वाह दिलवाई जाये लेकिन वह कोई वेतन नहीं देंगे । जो जांच कराई गयी, उसके उपरान्त जो बात सही पायी गई, उसी पर साधिकार नियन्त्रक की कार्यवाही की गई है । यह उस पर कार्यवाही की जाती है, जब प्राइमाफशी चार्जेज सही पाये जाते हैं ।

श्री दामोदर शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर ऐसी गम्भीर भ्रष्टाचार की शिकायतें मिली हैं जिन पर वह स्पष्ट आश्वासन देंगे कि उस विद्यालय में साधिकार नियन्त्रक कब तक नियुक्ति किया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, साधिकार नियन्त्रक का एक प्रकरण होता है, इसमें पहले 16 डी-2 की नोटिस उनको दी जाती है, उसका जवाब आता है उस पर आडिट भी कराया जाता है । इसमें जो सख्त से सख्त कार्यवाही होगी, वह उन पर की जायेगी और जो प्राविधान है साधिकार नियन्त्रक की नियुक्ति का, उसके सम्बन्ध में जैसे ही सारी चीजें पूरी होती है जो भी आवश्यक होगा वह सब कार्यवाही की जायेगी ।

श्री पंचानन राय—

इसमें 80 में शिकायत हुई और मन्त्री जो ने कहा कि डी–2 में नोटिस होती है, तो डी–2 की नोटिस में 15 दिन और डी–3 की नोटिस में 15 दिन की आवश्यकता होती है, इसका प्राविधान है, तो इसमें किस अधिकारी ने जांच किया है ? और किस तारीख को उसने रिपोर्ट दी तथा डी–2 व डी–3 की नोटिस कब जारी की गई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

डी0 आई0 ओ0 के द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 1982 को रिपोर्ट प्राप्त हुई है । जो बाच का टाईम है डी-2 व डी–3 का वह कुल एक महीना का होता है, लेकिन उसमें समय बढ़ाया भी जा सकता है । उसको बढ़ाने की बात नहीं है, इसमें कम से कम समय में जो कार्यवाही की जा सकती है वह की जायेगी ।

प्रदेश में सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के लिए निर्धारित आयु सीमा

*10—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि भारत के अन्य प्रान्तों में प्रान्तीय सेवाओं के लिए जब अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष है तब उत्तर प्रदेश में उसे 28 वर्ष क्यों रखा गया है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

प्रदेश में सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है ।

निर्धारित इस अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 30 वर्ष किये जाने पर शासन द्वारा समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसा किया जाना जनहित में नहीं है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बतने की कृपा करेंगे कि वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से अन्य सूबों की तरह 30 वर्ष की अधिकतम प्रायु सीमा न रखकर 28 वर्ष की ही रखी गयी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

इसके कारण पहले ही बताये जा चुके हैं । इस पर पूरी प्रक्रिया होनी है । जो निर्णय अब तक हुए हैं वह बता दिये गये । मामला अभी बिचाराधीन है । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लिखा भी गया है और उनका अन्तिम उत्तर प्राप्त होने पर ही यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि विचारोपरान्त ऐसा फैसला कर लिया गया जो जनहित में था । पुनः अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि अन्तिम उत्तर लोक सेवा आयोग से प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए आगे कार्यवाही

श्री मोहन सिंह--

नहीं कर सकते हैं । अन्य सूबों में प्रान्तीय सेवाओं के लिए 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा है और जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में 25 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा थी तो अपने सूबे में 27 वर्ष की थी । आप अपने प्रदेश में पढ़े लिखे नौजवानों को, जैसा कि 3 दिन पूर्व एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि आप 3 वर्ष में केवल 3 हजार व्यक्तियों को ही रोजगार दे सके तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश में जो प्रतियोगितात्मक परीक्षायें हैं, उनमें 30 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा करने पर विचार करेगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

केन्द्रीय शासन में 25 से 27 हुयी और उत्तर प्रदेश में जो 27 वर्ष की आयु सीमा थी वह 28 हुयी है । उनका तरीका अलग है । केन्द्रीय सेवा में अवसर उपलब्ध नहीं होते लेकिन राज्य सेवा में 20 से 28 वर्ष की आयु में कोई प्रतिबन्ध नहीं है । फिर भी शासन सोचेगा और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद इस पर यथोचित विचार किया जायेगा ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जितनी प्रतियोगितात्मक परीक्षायें हैं, उनमें आपने 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा रखी है तो जो प्रतियोगितात्मक परीक्षायें नहीं हैं, डिपार्टमेंटल परीक्षायें है, उनमें अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष करने पर विचार करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री मोहन सिंह--

माननीय सदस्य का कहना यह है कि जिन सेवाओं में लोक सेवा आयोग की संस्तुति की आवश्यकता नहीं है उनको अधिकतम आयु सेवा 30 वर्ष करने पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग से प्रश्न है ।

जनपद हरदोई के थानों में निरीक्षकों की नियुक्ति

*11--श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (अनुपस्थित)--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने हरदोई जनपद के कुछ थानों में इंस्पेक्टर इंचार्ज तैनात करने के आदेश वर्ष 1977-78 में दिये थे ? अभी तक उसके पालन न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या निकट भविष्य में शासन पूर्वशासनादेश पर अमल करेगा ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

(1) जी नहीं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) हरदोई जनपद में इस समय चार थानों पर निरीक्षक नियुक्त हैं। कोतवाली व शाहाबाद थानों पर वर्ष 1976 के पूर्व से ही निरीक्षक नियुक्त हैं, जबकि थाना मल्लावां व थाना बेनीगंज में निरीक्षक का पद क्रमशः शासन ने वर्ष 1980 व वर्ष 1981 में स्वीकृत किया है।

जनपद जौनपुर, सराय मुहद्दी के अखंड नगर सड़क पर मांगर नदी पर पुल का निर्माण

*12--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को मालूम है कि जनपद जौनपुर के सुइथा कलां ब्लाक के अन्तर्गत सराय मुहद्दी से अखंड नगर सड़क पर बांध गांव में मांगर नदी पर पुल निर्मित न होने से आवागमन में घोर असुविधा हो रही है ? क्या जनता की सुविधा हेतु उक्त स्थल पर शीघ्र पुल का निर्माण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां।

पुल का निर्माण धन एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

माननीय मंत्री जी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि इस पुल के निर्माण न होने से आवागमन में घोर असुविधा हो रही है लेकिन उत्तर में कहा गया कि पुल का निर्माण धन एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। मान्यवर, आज ही मैंने एक और प्रश्न किया था जो 220 संख्या पर है जिसमें 2 महत्वपूर्ण पुलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाही थी। उसके उत्तर में भी यह कहा गया है कि धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो क्या माननीय मंत्री जी जनपद जौनपुर सराय मुहद्दी के अखंड नगर सड़क पर मांगर नदी पर पुल के साथ ही प्रश्न 220 में वर्णित पुल जिसमें वहां भी यही उत्तर आया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिये आप कौन सा सिद्धान्त अपनाते हैं आवश्यकता को देखते हैं या धन को देखते हैं, धन के आधार पर समस्या का निदान करते हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर इस पुल की आवश्यकता और गम्भीरता से हम परिचित हैं। जिस समय यह सड़क स्वीकृत हुई थी तो वह 27 किलोमीटर की थी और ढाई लाख रुपया स्वीकृत हुआ था। जब काम शुरू हुआ तो बाद में कीमत ज्यादा आंकी गयी। इस पुल की आवश्यकता है इसको हम समझ रहे हैं क्योंकि उस सड़क पर यातायात रुका हुआ है। हम लोग प्रयास करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र इस पुल का निर्माण कराया जाये।

श्री प्रभू नारायण सिंह--

जब तक पक्के पुल की व्यवस्था नहीं हो जाती, क्या मंत्री महोदय पीपे का पुल बनवाने की कृपा करेंगे ताकि काम चल सके ?

श्री अम्मार रिजवी--

वहां अगर पीपों के पुल से काम चल सकता है और वह हमारे पास उपलब्ध हैं तो इसको देख लेंगे । माननीय सदस्य मुझसे कृपया बात कर लें, कोई रास्ता निकाला जायेगा ।

जनपद फैजाबाद में आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को विभिन्न विभागों में अनियमितता व भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में दिया गया शिकायती-पत्र

*13--श्री राम गोबिन्द--(अनुपस्थित)

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो आन्दोलन की संघर्ष समिति की ओर से दिनांक 23-1-81 को आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें भ्रष्टाचार की गम्भीर शिकायतें हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त ज्ञापन पर जिलाधिकारी, फैजाबाद से आख्या मांगी गई थी ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं और दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । दिनांक 23-1-81 को जनपद फैजाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों को इंगित करो आन्दोलन की संघर्ष समिति की ओर से आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को एक शिकायती-पत्र दिया गया था ।

जी हां ।

आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को दिये गये उक्त शिकायती-पत्र में विभिन्न विभागों के विरुद्ध अनियमितता व भ्रष्टाचार आदि की सामान्य एवं कुछ विशिष्ट शिकायतें अंकित की गई हैं, जिनकी जांच की जा रही है । जांच में यदि कोई मामला प्रकाश में आयेगा तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में प्रदर्शन

*14--श्री किरनपाल सिंह--(अनुपस्थित)

क्या सरकार बतायेगी कि 27 फरवरी, 1981 को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के प्राध्यापकों ने अपनी मांगों के समर्थन में विधान सभा, लखनऊ के समक्ष कोई प्रदर्शन किया था तथा माननीय मुख्य मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या-क्या थीं और उसमें सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)--

जी हां ।

महाविद्यालयों के प्राध्यापकों की मुख्य-मुख्य मांगों का विवरण और उसमें शासन द्वारा की जा रही कार्यवाही की सूचना संलग्नक* में अंकित है ।

---

*देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1675 पर ।)

जनपद बांदा के डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज में सी0 टी0 ग्रेड के दो अध्यापकों के चयन में अनियमितता तथा उत्तरदायी व्यक्ति

*15--श्री छत्तर सिंह--(अनुपस्थित)

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद में स्थित डी0 ए0 वी0 इन्टर कालेज, बांदा में सी0 टी0 ग्रेड के दो अध्यापकों का चयन दिनांक 29-9-81 को हुआ था ? यदि हां, तो साक्षात्कार में कितने अभ्यर्थी उपस्थित थे ? क्या यह सही नहीं है कि चयन किये गये अभ्यर्थियों के गुणात्मक अंक कुछ अभ्यर्थियों से कम हैं ? यदि हां, तो इस अनियमितता के कौन जिम्मेदार हैं ? क्या इस बड़ी अनियमितता को ध्यान में रखकर गुणात्मक अंकों के आधार पर पुनः निष्पक्ष चयन होगा ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । कुल 22 अभ्यर्थियों ने आवेदन-पत्र दिये थे । चयन प्रबन्ध समिति द्वारा गुणांक के आधार पर न किये जाने तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (सेवा आयोग) कठिनाइयों को दूर करना (प्रथम द्वितीय) आदेश, 1981 के अनुरूप न होने के कारण जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा अनुमोदित कर दिया गया । अब दोनों रिक्त पदों को नियमानुसार गुणांक के आधार पर भरने की कार्यवाही हो रही है तथा शीघ्र ही यह कार्यवाही पूरी हो जायेगी । अनियमितता के लिये प्रबन्ध तंत्र उत्तरदायी था ।

पुलिस महानिरीक्षकों और उप महानिरीक्षकों के पद का सृजन करने का मापदण्ड

*16--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस महानिरीक्षकों और उप-पुलिस महानिरीक्षकों के पदों का सृजन करने का मापदण्ड क्या है ? क्या शासन प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को देखते हुए प्रत्येक थाने में कम से कम 25 सिपाही और 6 सब-इंस्पेक्टर की संख्या निश्चित करने की सोच रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

पुलिस महानिरीक्षक और उप-पुलिस महानिरीक्षक के पद आवश्यकता के आधार पर सृजित किये जाते हैं ।

प्रत्येक थाने में लिखित संख्या में सिपाहियों और उप निरीक्षकों के नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या माननीया मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि इस समय प्रदेश में कितने आई0 जी0 और कितने डी0 आई0 जी0 हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इस समय हमारे यहां प्रदेश में महानिरीक्षकों के 5 पद स्थायी हैं और 28 डी0 आई0 जी0 के स्थायी पद हैं इसके अतिरिक्त अस्थायी महानिरीक्षक 2 हैं और डी0 आई0 जी0 अस्थायी 15 हैं ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

कभी मान्यवर, इस प्रदेश में एक आई० जी० हुआ करता था और 4-5 डी० आई० जी० से सारा काम चलाया जाता था। अब 5 आई० जी० और 28 डी० आई० जी० हैं स्थायी और अस्थायी अलग हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार से नाना प्रकार के विभागों के लिए अलग-अलग आई० जी० और डी० आई० जी० बनाये जा रहे हैं, भविष्य में तम्बू और कनातों के लिए भी एक आई० जी० और डी० आई० जी० नियुक्त होंगे।

(हंसी)

मान्यवर, यह तो सदन के सामने बता दिया उन्होंने कि इतना है और निकट भविष्य में जो होने जा रहा है वह भी उन्होंने बता दिया। मान्यवर, यह सर्वमान्य बात है कि आई० जी०, डी० आई० जी० या पुलिस, अधीक्षक फील्ड में जाकर कभी अपराध को रोकने नहीं जाते। हमारे वर्तमान शासन का यह लक्ष्य है कि हम प्रदेश में बढ़ते हुए अपराध को रोकेंगे और स्वच्छ प्रशासन जनता को देंगे। इनके तहत प्रदेश के थानों में कम से कम 6 सब-इन्सपेक्टर और 25 सिपाही देने में उन्हें क्या आपत्ति है, जबकि शासन की नीयत है कि हम स्वच्छ प्रशासन देंगे और अपराध रोकेंगे। इसमें उन्हें क्या कठिनाई है? इसको वह स्पष्ट करने की कृपा करें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, यह हमने कब कहा कि हमारी यह नीति नहीं है कि शासन अस्वच्छ रखेंगे। हमारा तो यह ध्येय है कि हम प्रशासन को स्वच्छ, दृढ़ और मजबूत बनायेंगे और हमारा जो पुलिस विभाग है उसके द्वारा हम अपने प्रदेश में शांति-व्यवस्था कायम करेंगे, उसके लिये हमारा पूरा विभाग सक्रिय है और हम समझते हैं कि हमने अपने पुलिस विभाग के द्वारा प्रदेश में शांति-व्यवस्था कायम करने में और राहजनी, चोरी, डकैतियों के खिलाफ लड़ाई करने में हमारी पुलिस सक्रिय है और जोरदार काम कर रही है। दूसरा प्रश्न जो कह रहे हैं कि थाने में कम से कम 25 सिपाही और 6 सब-इन्सपेक्टर रखे जायं, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि हमारे यहां थानों का भी एक सिस्टम है कि प्रत्येक थाने में ए० बी० सी० जैसी वहां की जिले की सेचुएशन क्राइम की होती है, वैसे ही थानों में उस क्षेत्र के अनुसार वहां पर पुलिस रखी जाती है। मान्यवर, जरूरत पड़ेगी तो 25 से ज्यादा भी रख सकते हैं और मान्यवर, आपको क्या एतराज है। आपके उस जगह हैदरगढ़ में चौकी को थाना बनाकर पहले ही एक थाना दे दिया है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, यह नीति का प्रश्न है। मान्यवर, हमारी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए उनका विभाग बहुत सक्रिय है। तो उनका विभाग सक्रिय है। प्रश्न कुछ पूछा जाता है, जवाब वह कुछ देती है। आप ही की पीठ से कल एक निर्देश जारी हुआ है कि प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर दिये जायं। मैं महोदया से पूछना चाहता हूं कि जो प्रदेश में उन्होंने आई० पी० एस० पोषण का अभियान चला रखा है, क्या थाने के अन्दर भी आई० पी० एस० के पोस्ट वह रखने का प्राविधान कर रही हैं?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । क्या इसका वह उत्तर देंगी कि आई० पी० एस० थानों में नियुक्त करेंगी ? बैठ जाइये आप ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि क्या प्रदेश के अन्दर थानों में आई० पी० एस० अधिकारी की नियुक्ति माननीया मंत्री जी करेंगी ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं पुकारा गया ।)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मैं माननीया गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जो उनके उत्तर से सम्बन्धित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की जानकारी सरकार को है कि चाहे फैजाबाद जिला हो या कोई जिला हो, जितनी निश्चित तादाद कांस्टेबिल की आपने तय की है, प्रत्येक थाने में आज भी उतने सिपाहियों की तादाद पूरी नहीं है और मैं फैजाबाद जिले के अपने थाने अकबरपुर, जलालपुर आदि की बात मैं कर रहा हूं कि इन थानों में से किसी भी थाने में बराबर कहने के बाद भी थानेदार यह कहते हैं कि सिपाहियों की पूरी तादाद है नहीं । 10-12 सिपाहियों से इतने गांवों का कन्ट्रोल होना मुश्किल हो गया है । क्या माननीय गृह मंत्री जी जो निश्चित तादाद है सिपाहियों और सब इन्स्पेक्टरों को इस बात को ध्यान में रखते हुये कि सिपाही और थानेदार ही क्षेत्र में रहकर स्थिति पर नियंत्रण करते है, उनकी निश्चित तादाद को पूरा कराने तथा उनकी तादाद में बढ़ोत्तरी करने का आदेश देने का कष्ट करेंगी ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

सम्मानित सदस्य की भावना का आदर है और शासन का निश्चित मत है कि जिन थानों में जितनी आवश्यकता है पुलिस की और सब इन्स्पेक्टरों की उसको पूरा किया जाय और जहां पर निश्चित मापदण्ड के अनुसार जो संख्या पहले से निश्चित की गई है, उतने नहीं है, उसको शीघ्र पूरा किया जायेगा ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मान्यवर, मेरे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं पूरा उत्तर दिलायेंगे ।

श्री भीखालाल—

मान्यवर, आई० जी० और डी० आई० जी० की संख्या बढ़ा दी गई । शासन इस बात के लिये कटिबद्ध है कि वह स्वच्छ प्रशासन देगा इसमें भी मुझ को सन्देह नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन इस नतीजे पर पहुंचा है कि आई० जी० और डी० आई० जी० की संख्या बढ़ाकर स्वच्छ प्रशासन दिया जा सकता है या क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बढ़ाकर शान्ति व्यवस्था ठीक की जा सकती है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

शान्ति व्यवस्था कायम करने के लिये हमको जो जरूरत होगी, टीम की आवश्यकता होगी तो 20–25 और 100 कर देंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री ला ऐण्ड आर्डर के इन्टरेस्ट में आवश्यकता के अनुसार जिन आवश्यकता का संग्रह किया कि एक आई० जी० से बढ़ाकर 7 किया और डी० आई० जी० 43 हो गये । इस आवश्यकता के संग्रह में वह भी शामिल हैं कि थानों में कम से कम कितने सिपाही और थानाध्यक्ष रहने चाहिये । अगर संग्रह में वह रिकमेन्डेशन है तो क्या है और उनको पूर्ति न करने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

एक तो हम लोग जब आवश्यकता होती है, या जनसंख्या बढ़ती है या क्राइम की सिचुयेशन चिन्तनीय हो जाती है तो थाने और चौकियां बनाते हैं । मैंने सविनय निवेदन किया हमें खुशी है कि आप लोग सुरक्षा के सम्बन्ध में इतने जागरूक हैं । इसी प्रकार की भावना हमको मिलती रही तो मैं समझती हूं कि बहुत सुरक्षा की व्यवस्था हो सकती है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी जो सभी माननीय सदस्यों ने अपनी इच्छा जाहिर की है, उससे स्पष्ट प्रश्न बनता है कि क्या शान्ति व्यवस्था को स्थापित करने के लिये जिस तरह से उच्च अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के बारे में आपने निर्णय लिया क्या उस निर्णय के तहत पता चला कि नीचे के अधिकारी जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है यदि यह निर्णय आपने लिया हो तो बता दें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, ऊपर के स्तर के अधिकारी जो बढ़े हैं तो नीचे के स्तर पर भी यथोचित वृद्धि की गयी है । पहले पुलिस इन्स्पेक्टर्स में 57 की वृद्धि, सब इन्स्पेक्टर्स में 1,404 की वृद्धि, हेड कांस्टेबिल में 882 और कांस्टेबिल में 8,202 की वृद्धि की गई है, पहले थाने 1,131 थे जो 1,234 किये गये हैं । इसलिये शासन जागरूक है और उसमें नीचे के स्तर पर फील्ड स्तर पर जहां प्रभावी नियंत्रण करने की आवश्यकता है वहां सिपाही सब इन्स्पेक्टर सभी को बढ़ाया जा रहा है । इसलिये ऐसा नहीं है कि नीचे के स्तर पर हो बल्कि ऊपर भी बढ़ाया जा रहा है ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, जो भाषण मंत्री महोदय ने दिया उससे मालूम होने लगा कि इंडेपेन्डेन्स से पहले जहां थानों में सब इन्स्पेक्टर इंचार्ज हुआ करते थे वहां अब उतने डी० आई० जी० होने लगे हैं । अब यह हालत होने लगी है कि हर मंत्री का शैडो डी० आई० जी० होगा । तो क्या मंत्री जी आश्वासन देंगी और इंतजाम करेंगी चूंकि आबादी बढ़ गयी है तो हर थाने में कम से कम दो दर्जन कांस्टेबिल और आधे दर्जन सब इन्स्पेक्टर होंगे ताकि इलाके के हालात और बदमाशों को देखते हुये नियंत्रण रखा जा सके ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, मंत्री जी और राज्य मंत्री, गृह ने जो बताया तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिस समय उत्तर प्रदेश में एक आई० जी० और 4 डी० आई० जी० रहते थे तो उस समय थानों में सिपाहियों और थानेदारों की संख्या क्या थी और आज 7 आई० जी० और 43 डी० आई० जी० रहते हैं तो सिपाहियों और थानेदारों की संख्या कितनी है, मंत्री जी इसका स्पष्टीकरण दे दें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

राजकीय इण्टर कालेज, कासगंज, जनपद एटा में स्वीकृत नक्शे के अनुसार भवन निर्माण

*17—श्री मानपाल सिंह, डाक्टर (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि राजकीय इण्टर कालेज, कासगंज, जनपद एटा में मात्र चार कमरे हैं और समुचित भवन व्यवस्था के अभाव में छात्राओं को अत्यधिक परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृत नक्शे के अनुसार भवन निर्माण करा दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

स्वीकृत नक्शे के अनुसार भवन निर्माण क्षेत्रीय एवं वित्तीय प्राथमिकताओं पर निर्भर है ।

*18—श्री भाल प्रसाद पाण्डेय—

[याचिका समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

गोरखपुर जनपद में तैनात सब इन्स्पेक्टर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*19—श्री वीरेन्द्र प्रताप शाही (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गोरखपुर जनपद में तैनात सब इन्स्पेक्टर (श्री नान्हू राम) के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता द्वारा सितम्बर, 1981 में दिये गये शिकायती-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सच है कि गोरखपुर जनपद के पुरन्दरपुर थाना के थानाध्यक्ष ने तीन युवकों त्रिभुवन यादव, गयासुद्दीन और श्री किसुन को फर्जी मुठभेड़ दिखाकर हत्या कर दिया और अजगर मारकर उसके खाल को डेढ़ लाख रुपये में बेच देने की भी शिकायत की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त थानाध्यक्ष के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत शिकायती-पत्र की परगनाधिकारी, फरेन्दा द्वारा जांच की जा रही है । त्रिभुवन यादव एवं गयासुद्दीन की क्रमशः थाना पुरन्दरपुर एवं चौकी बृकमनगंज पुलिस के साथ हुयी मुठभेड़ों में मृत्यु की मजिस्टीरियल जांच हो रही है । किसुन को मुठभेड़ में हत्या की घटना का थाना पुरन्दरपुर के अभिलेखों में कोई उल्लेख नहीं है । अजगर मार कर खाल बेचने का आरोप अब तक की जांच से प्रमाणित नहीं हुआ ।

थाना हसनगंज, जनपद उन्नाव के ग्राम नेवलगंज में ग्राम सुधार समिति के सदस्यों के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमा

* 20--श्री मोती लाल देहलवी तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

विगत 9 सितम्बर, 1980 की कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संदर्भ मे क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जो ग्राम सुधार समिति (बी० डी० एस०) बताई गई थी उसमें इकबाल पुत्र अबरार व मुमताज पुत्र कादिर, मु० अ० सं० 195/77 धारा 147/148/149/323/325/307 भा० दं० वि० के मुल्जिम थे तथा राम आसरे पुत्र गुरुदयाल धारा 302 भा० द० वि० व प्रेमी पुत्र नन्हा धारा 35 आर्म्स ऐक्ट के मुलजिम थे तथा मोहन लाल पुत्र गजोधर धारा 452 भा० द० वि० के केस में सजा भोगी हैं ? यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को ग्राम सुधार समिति में रखने का क्या औचित्य है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, इकबाल पुत्र अबरार एवं मुमताज पुत्र कादिर के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ था जो इस समिति के गठन के समय न्यायालय मे विचाराधीन था। राम आसरे पुत्र गुरुदयाल को दिनांक 2-8-1977 को सत्र न्यायालय, उन्नाव द्वारा बरी कर दिया गया है। प्रेमी पुत्र नन्हा को दिनांक 9-8-1978 को जे० एस० चतुर्थ के न्यायालय से बरी कर दिया गया है।

पर्याप्त सबूत के अभाव में मोहन लाल पुत्र गजोधर के विरुद्ध अन्तिम रिपोर्ट समाप्त की गई जिसे जे० एम० चतुर्थ ने दिनांक 17-10-1980 को स्वीकार कर लिया है।

न्यायालय के निर्णय के पूर्व ग्राम सुरक्षा समिति की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने का निर्णय लेना अनिवार्य नहीं है। इन सभी सदस्यों को ग्रामवासियों द्वारा विधिवत् नामित किया गया था।

जुर्म साबित होने पर सर्वश्री इकबाल एवं मुमताज को अतिरिक्त सेशन जज, उन्नाव द्वारा 2-12-1981 को 7 वर्ष की सजा दी गई है। अतः इन्हें ग्राम सुरक्षा समिति की सदस्यता से वंचित कर दिया गया है।

(श्री मोती लाल देहलवी के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष--

अब समय समाप्त हो गया है, मोती लाल जी बैठें।

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर किसी मंत्री द्वारा न दिये जाने पर आपत्ति

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, आप दो बार आदेश दे चुके हैं, यह ज्वाइंट रिस्पांसिबिलिटी का नमूना है।

श्री मोहन सिंह--

यह निन्दनीय बात है।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री रियासत हुसैन--

कांस्टीट्यूशनल सेफगार्ड जो मिला है, उसका यह खुला दुरुपयोग है ।

श्री मोहन सिंह---

यह निन्दा की बात है, कोई मंत्री नहीं है, जवाब देने के लिये ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

डा0 अम्मार रिजवी साहब खड़े होने जा रहे हैं अभी सजीला उत्तर देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

नत्थी (ग) प्रश्न संख्या 2 के बारे में मुझे बहुत खेद है कि कोई मंत्री इसका उत्तर देने के लिये उपस्थित नहीं है । यह अत्यन्त खेद का बात है ।

(प्रश्न संख्या-2 स्थगित किया जाता है यह पुनः आयेगा ।)

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

कृषि बीज गोदाम, तमकुही विकास खंड, देवरिया में गेहूं की नीलामी

**1---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि चन्द दिन पूर्व कृषि बीज गोदाम, तमकुही विकास खंड तमकुही (देवरिया) में 632 बोरी गेहूं को 134 रुपया प्रति क्विंटल की फर्जी नीलामी दिखाकर उसे खुले बाजार में 150 रु0 की दर से बेच कर पचासों हजार रुपया उगाहने का काम बीज निरीक्षक एवं सम्बन्धित अधिकारियों ने किया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तत्काल क्या कार्यवाही की गयी ?

कृषि उप मंत्री (श्री सीताराम निषाद)---

कृषि बीज गोदाम तमकुही विकास खंड, देवरिया में भंडारित 851.90 क्विंटल गेहूं जो बीज के अयोग्य था, निर्धारित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार रु0 134.25 पै0 प्रति कुन्तल की दर से नीलाम किया गया । उस समय चूंकि बाजार का खुला भाव लगभग 155 रु0 था इस कारण उसे तथाकथित 190 रु0 की दर से बेचने का प्रश्न तो ही नहीं सकता ।

उक्त गेहूं का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के कारण कोई कार्यवाही वांछित नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, 651.90 क्विंटल गेहूं जो बीज के लिये ठीक नहीं था उसको 134 रुपये क्विंटल पर नीलाम किया गया । तो इस चीज को साबित करने के लिये कि वह बीज के लायक नहीं है और खाने के लायक नहीं है तो इसके लिये क्या कोई रिपोर्ट आयी थी जिसकी वजह से नीलाम करना पड़ा ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, उप निदेशक, गोरखपुर मंडल ने यह रिपोर्ट दी थी कि यह बीज के उपयुक्त नहीं है । इसलिये निविदा जारी करके बेचने का निर्णय लिया गया ।

श्री रियासत हुसैन--

मैंने दो बातें पूछी थीं । एक तो बीज के लायक नहीं रहा और यह भी पूछा था कि खाने के लायक नहीं रहा तो उसका जवाब नहीं आया है ।

श्री सीताराम निषाद---

वह गेहूं बीज के लायक नहीं था और खाने के लायक था । इसीलिये यह निर्णय लिया गया और बिक्री कर दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि खाने के लायक था । खुले बाजार में गेहूं उस वक्त 155 रुपये पर था लेकिन 134 पर नीलाम किया गया। क्या वह सही है कि जिसने गेहूं खरीदा उसका सम्बन्ध उस एग्रीकल्चर आफिसर से था जिसके आदेश से गेहूं नीलाम किया गया ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, इसके सम्बन्ध में निविदा जारी की गयी थीं, दो समाचार-पत्रों में इसका विज्ञापन कराया गया था, इसके सम्बन्ध में टेंडर प्राप्त किये गये थे । इसमें 6 व्यक्तियों के टेंडर प्राप्त हुये थे, जो कि 121 रु0, 123 रु0, 124 रु0 और 118 रु0 की दर से थे । इस पर खाद्य नियंत्रक, गोरखपुर ने यह बताया था कि उच्च श्रेणी के गेहूं की प्राइस 130 रु0 और द्वितीय श्रेणी के गेहूं की प्राइस 128 रु0 प्रति क्विंटल सपोर्ट प्राइस निर्धारित है । इसलिये यह टेण्डर कम था, नेगोशियेशन का मौका दिया गया और उसके बाद समिति ने नेगोशियेशन का अवसर देकर 134 रु0 निर्धारित किया था, तब वह वितरित हुआ ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मेरा प्रश्न साफ नहीं हुआ, माननीय मंत्री जी ने उत्तर को घुमा दिया है । माननीय मंत्री जी ने बताया कि टेन्डर मांगे गये और गवर्नमेन्ट की सपोर्ट प्राइस 130 रु0 प्रति क्विंटल थी, मगर उसे उस प्राइस पर न देकर ओपेन मार्केट में 134 रु0 में बेचा, जब कि मार्केट का रेट 155 रु0 प्रति क्विंटल था । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी यह बतायें कि गवर्नमेन्ट के जो परचेज सेन्टर्स होते हैं, तो जब वह गेहूं खाने योग्य था, तो उसे परचेज सेन्टर पर क्यों नहीं बेचा गया, चाहे कीमत 130 रु0 प्रति क्विंटल ही मिलती ? मेरी स्पष्ट जानकारी है, माननीय मन्त्री जी इन्क्वायरी करायें कि जो गवर्नमेन्ट का परचेजिंग सेन्टर था, उस पर गेहूं न बेचकर किसी व्यक्ति को बेंच दिया गया, जिसने 134 रु0 प्रति क्विंटल खरीदकर 155 रु0 प्रति क्विंटल ओपेन मार्केट में बेच दिया, ऐसा क्यों हुआ ?

श्री सीताराम निषाद--

मान्यवर, इसकी जांच करा लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, सामान्य व्यवस्था यह है कि जो निविदायें दी जाती हैं और जो अधिकारी उसे स्वीकार करता है, उसे यह भी देखना होता है कि क्या मार्केट रेट पर निविदा दी जा रही है या नहीं। जैसा मन्त्री जी ने बताया कि इसे 134 रु0 प्रति क्विंटल में बेच दिया गया। बाद में जिस व्यक्ति को इसे बेचा गया था, उसने ओपेन मार्केट में 155 रु0 प्रति क्विंटल में इसे बेच दिया। क्या माननीय मन्त्री जी इस पर जांच करायेंगे कि--

1--नेगोशिएशन करके गेहूं 155 रु0 प्रति क्विंटल, जो कि मार्केट रेट था, से कम दर पर क्यों बेचा गया ? और,

2--जैसा माननीय रियासत हुसैन जी ने कहा कि परचेजिंग सेन्टर पर क्यों नहीं दिया गया, मेरा कहना है कि ऐसे बहुत से मामले आते हैं कि जब कोई ऐसी चीज मिलती है तो खाद्य विभाग उसे अपने माध्यम से वितरित करा देता है, तो इसे राशन की दुकानों द्वारा क्यों नहीं वितरित कराया गया ?

श्री सीता राम निषाद--

मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में जांच करा लूंगा।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह गेहूं बीज के लिये कब खरीदा गया था और कहां से खरीदा गया था और खराब होने के कारण क्या थे ?

श्री सीताराम निषाद--

यह हमारे फार्म का गेहूं था, बीज के लिये था, खराब हो गया था, इसलिये बीज के लायक नहीं रहा था।

आजमगढ़ जनपद के घोसी कस्बे में सहकारी चीनी मिल लगाने की स्वीकृति

**2--श्री पंचानन राय--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के घोसी कस्बे में कोई सहकारी चीनी मिल लगाने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कब प्रारम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो जायगा ? इसकी क्षमता क्या होगी ?

श्री अम्मार रिजवी---

आजमगढ़ जनपद की घोसी तहसील में एक सहकारी चीनी मिल लगाये जाने हेतु भारत सरकार से लाइसेन्स प्राप्त हुआ है। इस मिल की स्थापना के सम्बन्धी प्राथमिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है और निर्माण कार्य पेराई सत्र 1984-85 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य है। इसकी पेराई क्षमता 1250 टन प्रतिदिन होगी।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके निर्माण का कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायग और क्या इसे शीघ्र पूरा कराने का प्रयास किया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

इसका निर्माण शीघ्र ही कराया जायगा । कुछ कार्य शुरू भी हो चुका है । यथासम्भव यह कोशिश की जायगी कि यह मिल शीघ्र ही पेराई प्रारम्भ कर सके ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा है कि इसकी पेराई क्षमता 1250 टन प्रति दिन होगी । भारत सरकार ने मिल बनाने से पहले गन्ना प्राप्त होने की दृष्टि से उस इलाके का सर्वे कराया होगा तो उस सर्वे के हिसाब से जहां पर मिल लगायी जा रही है, आस-पास के इलाकों से कितना गन्ना इकट्ठा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, क्षमता जो निर्धारित की जाती है वह सर्वेक्षण करा कर ही रखी जाती है । यह क्षमता जो उत्तर में घोषित की गयी है, सर्वेक्षण करने के बाद ही रखी गयी है ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि जो सर्वेक्षण आपने कराया उसके हिसाब से जो भी गन्ना आप मिल में लगायेंगे उसके दो आधार होते हैं, एक तो मिल का रिजर्व एरिया, दूसरे गन्ना की उपलब्धता । तो वहां पर मिल के लिये कितना गन्ना उपलब्ध होगा और कितना क्षेत्रफल वहां के लिये आरक्षित करने जा रहे हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह तो अलग से प्रश्न है ।

श्री मोहन सिंह--

नहीं मान्यवर, जब कोई मंत्री नहीं रहता है तो ये स्टेपनी की तरह लगा दिये जाते हैं । इनकी कोई तैयारी है ही नहीं इस उत्तर को देने के लिये ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मंत्री जी एक शुगर मिल लगाने जा रहे हैं । उसके पहले आपने सर्वेक्षण कराया कि उसकी पेराई की क्षमता 1250 टन प्रति दिन की होगी, उसकी कैपिसिटी को आपने बताया तो यह और बता दीजिये कि कितना गन्ना सर्वेक्षण के अनुसार उसके लिये वहां उपलब्ध होगा ?

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस प्रस्तावित मिल के ऊपर कितना व्यय भार आयोजनागत मद में आने वाला है और उस व्यय की आपूर्ति किन संसाधनों से ये करने वाले हैं ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 1250 टन इसकी पेराई की क्षमता प्रति दिन के लिये अनुमानित है और इसकी लागत साढ़े सात करोड़ रुपये मिनिमम है लेकिन वहां की स्थिति को देखते हुए लगता है कि दाम कुछ और बढ़ जाय तो इसमें सन्देह नहीं है ।

जहां तक गन्ने के सम्बन्ध में मिल के लिये माननीय सदस्य ने कहा तो मिल के लिये गन्ना जितना होना चाहिये, वह मौजूद है । साथ ही साथ वहां पर शारदा सहायक आ गयी है तो इस तरह से उस एरिया में और भी डेवलपमेन्ट्स होंगे और गन्ने की कमी किसी तरह से महसूस नहीं होगी ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि गन्ना मंत्री जी की अनुपस्थिति में जो वे जवाब दे रहे हैं, बिना तैयारी के दे रहे हैं ?

श्री मोहन सिंह—

माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस स्थान पर आप चीनी मिल लगाने जा रहे हैं और जिस इलाके में गन्ना मिल प्रस्तावित है, तो अभी तक उस इलाके से गन्ना कितना-कितना और किन-किन चीनी मिलों को जाता था और इस प्रस्तावित चीनी मिल को उसमें से काट कर कितना गन्ना वे देने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

देखिये मोहन सिंह जी प्रश्न यह है कि आजमगढ़ जनपद के घोसी कस्बे में कोई सहकारी चीनी मिल लगाने की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हो गयी । यदि हां, तो इसका निर्माण कब प्रारम्भ होगा तथा कब तक पूरा हो जायेगा और इसकी क्षमता क्या होगी ? इसका उत्तर उन्होंने दे दिया है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, इसी से तो प्रश्न उठता है कि जब आप मिल लगाने जा रहे हैं तो उसकी आपूर्ति का सम्बन्ध इससे है कि किस-किस चीनी मिलों का गन्ना काट कर आप उसे देने जा रहे हैं ?

श्री मित्रसेन--

यह बहुधन्धी मंत्री हैं, मान्यवर, इन्हें उत्तर दे लेने दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न तो बहुमत व्यापक है ।

नोट :—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद बुलन्दशहर में पुलिस से मुठभेड़ में मृत व्यक्तियों की संख्या

1--श्री किरन पाल सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि माह जनवरी, 1981 से 21-10-81 तक जनपद बुलन्दशहर में पुलिस द्वारा कितने लोगों को विभिन्न मुठभेड़ों में मारा गया ? क्या जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को प्रश्नकर्ता ने उक्त काल में हुई मुठभेड़ों के मिथ्या होने की शिकायत की थी ? यदि हां, तो उस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद बुलन्दशहर में पुलिस से 17 मुठभेड़ हुई जिनमें मारे गये व्यक्तियों की संख्या 24 है । माननीय विधायक द्वारा इस अवधि में प्रश्नगत मामले के सम्बन्ध में कोई शिकायत जिलाधिकारी, बुलन्दशहर को प्राप्त नहीं हुई ।

2--श्री सन्त बक्स रावत--

[15-9-81 को तारांकित प्रश्न संख्या-15 द्वारा उत्तरित।]

देवरिया जिलान्तर्गत पिच की गई हाटा से रुद्रपुर तक की सड़क

3--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत हाटा से रुद्रपुर तक की सड़क कब तक पिच हो जायेगी ? क्या यह सही है कि उस पर स्वीकृत धन 3 साल पहले से जमा है ? यदि हां, तो विलम्ब का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत मार्ग का कुछ भाग पिच किया जा चुका है तथा शेष भाग का पिच किया जाना धन एवं निर्माण सामग्री उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा । जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में ग्राम जमुका से सीतापुर रोड तक सड़क का निर्माण

4--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खंड भावल खेड़ा में ग्राम जमुका से सीतापुर रोड तक लगभग 1 1/2 कि0 मी0 सड़क के निर्माण के लिए वर्ष 1979-80 में लगभग 1 1/2 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण अभी तक क्यों नहीं कराया गया और कब तक करा लिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत मार्ग जमुका--कटिया कम्बू सराय के नाम से खाद्यान्न योजना संख्या-4 के अन्तर्गत मिट्टी, पुलिया व खडन्जे स्तर तक 4-2 कि0 मी0 लम्बाई में स्वीकृत हुआ था जिसका निर्माण पूर्ण हो चुका है । प्रश्न नहीं उठता ।

व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों पर लागू पेंशन के राशिकरण की योजना

5--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या पेंशन के राशिकरण की योजना व्यक्तिगत शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों पर लागू नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन पर भी पेंशन राशिकरण की योजना लागू करेगी ? यदि हां, तो कब से ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री रमा शंकर मिश्र, दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थौर, जौनपुर की प्राविधायी निधि तथा पेंशन की सुविधा दिलवाने पर विचार

6--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री रमाशंकर मिश्र, दयानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, थौर, जौनपुर में जुलाई, 1954 से जून, 1978 तक सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे ? क्या यह भी सत्य है कि विद्यालय के अधिकारियों ने उनका अनुमोदन नहीं लिया और अनुमोदन के अभाव में उक्त शिक्षक की प्राविधायी निधि और पेंशन मिलने में व्यवधान उपस्थित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षक को उनकी लम्बी सेवाओं को देखते हुए, प्राविधायी निधि और पेंशन की सुविधा दिलवायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद नैनीताल के नारायण स्वामी रा0 इं0 कालेज के प्रधानाचार्य, सहायक प्रधानाचार्य व कला अध्यापक के विरुद्ध अनियमितता बरतने पर छात्रों में असंतोष

7--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारायण स्वामी रा0 इं0 कालेज, तल्ला रामगढ़, जनपद नैनीताल में प्रधानाचार्य, सहायक प्रधानाचार्य व कला अध्यापक के विरुद्ध अनियमितता बरतने पर छात्रों में असंतोष है ? यदि हां, तो उपरोक्त अध्यापकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही।

जनपद मैनपुरी में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये अपराधियों का थानेवार विवरण

8--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में थानावार जुलाई, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक कितने अपराधी पुलिस मुठभेड़ों में मारे गये ? मारे गये अपराधी कौन थे ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैनपुरी जनपद में जुलाई, 1980 से अक्तूबर, 1981 तक पुलिस मुठभेड़ में मारे गये अपराधियों का थानावार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 1677 पर ।)

गत बाढ़ में सहायतार्थ बुनकरों को बांटने के लिए भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि

9--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत बाढ़ में सहायतार्थ बुनकरों को रुपया बांटने के लिए भारत सरकार से प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो कितना और कब ? क्या उक्त धन अकबरपुर व टाण्डा तहसीलों के बुनकरों को भी बांटा गया ? यदि हां, तो कितना और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

जी हां ।

50 लाख रु0 वर्ष 1980-81 में ।

जी हां ।

1,34,400 रु0 वर्ष अगस्त, 1981-82 में ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अकबरपुर स्थित राज्य कताई मिल ग्रुप नं0 1 में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

10--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर स्थित राज्य कताई मिल ग्रुप नं0-1 में व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, श्रमिकों के शोषण से सम्बन्धित जनपद के दो उप मन्त्रियों एवं विधायकों के हस्ताक्षर के साथ माह मार्च, अप्रैल, 1981 में कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वे आरोप क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

जी हां ।

आरोप निम्नवत् है :—

1—मिल की कांग्रेस समर्थित यूनियन का दमन तथा उसके श्रमिकों का निकाला जाना ।

2—मिल के तत्कालीन मुख्य अधिशासी के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप ।

3—कांग्रेस विरोधी नाटक का मंचन ।

4—श्री सुरेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सिक्योरिटी आफिसर की सेवायें समाप्त किया जाना ।

उपर्युक्त आरोपों के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि निकाले गये कुछ श्रमिकों को सेवा में वापस ले लिया गया है तथा कुछ श्रमिकों के मामले श्रमिक न्यायालय के विचाराधीन हैं । मिल के तत्कालीन मुख्य अधिशासी का स्थानान्तरण कर दिया गया है । नाटक आदि के मंचन के सम्बन्ध में तत्कालीन मुख्य अधिशासी को चेतावनी दे दी गई थी कि भविष्य में ऐसे मौके पर पूरी छानबीन करके ही मिल के श्रम कल्याण केन्द्र की साज-सज्जा के प्रयोग की अनुमति प्रदान करें । श्री सुरेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सिक्योरिटी आफिसर की सेवायें समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

अकबरपुर (फैजाबाद) उत्पादन केन्द्र को भेजा गया हैण्डलूम ले लिए पोलिएस्टर धागा

1—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के यू0 पी0 हैण्डलूम डिपो पर गत चार माह के अन्दर कितना पोलिएस्टर का धागा हैण्डलूम पर बिकने के लिए विभाग द्वारा दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त पोलिएस्टर का बाना ही केवल गया है और ताना नहीं गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

गत चार माह में निम्न पोलिएस्टर धागा हैण्डलूम के लिए अकबरपुर (फैजाबाद) उत्पादन केन्द्र को भेजा गया :—

ताना	बाना
2,372.300 किग्रा0	1,569.060 किग्रा0

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री तेज बहादुर सिंह, भूतपूर्व कैशियर, स्टेट स्पिनिंग मिल, रायबरेली द्वारा सामान की चोरी के सम्बन्ध में दर्ज रिपोर्ट

12—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तेज बहादुर सिंह, भूतपूर्व हेड कैशियर, स्टेट स्पिनिंग मिल, रायबरेली ने कोई रिपोर्ट 15-10-80 में इस

आशय को थाने में दर्ज कराई थी कि उक्त मिल के कमरा नं0 44 (लेबर कालोनी) का ताला तोड़ कर, जब वह छुट्टी पर बाहर गया था, किन्हीं लोगों ने सारा सामान निकाल लिया ? यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में कौन-कौन अभियुक्त हैं और अब तक उसमें क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

श्री तेज बहादुर सिंह, भूतपूर्व कैशियर, स्टेट स्पिनिंग मिल, रायबरेली की सेवायें आदेश दिनांक 30-7-79 के अनुसार समाप्त कर दी गई थीं तथा श्री सिंह ने कम्पनी द्वारा उन्हें प्रदत्त आवास गृह कमरा नं0 44 (लेबर कालोनी) अगस्त, 1979 में खाली कर दिया था । अतः दिनांक 15-10-80 को अवकाश पर जाने व प्रतिष्ठान के उक्त आवास में रहने का प्रश्न नहीं उठता । श्री सिंह द्वारा चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट, रायबरेली के न्यायालय में सामान की चोरी के सम्बन्ध में एक मुकदमा चलाया गया है जिसमें मिल के निम्न अधिकारी/कर्मचारी पार्टी बनाये गये हैं :

सर्व श्री

1--आर0 सी0 गुप्ता, मुख्य अधिशासी ।

2--आर0 पी0 डिमरी, श्रम अधिकारी ।

3--आर0 सी0 शरद, सुरक्षा अधिकारी ।

4--शमशेर सिंह, सुरक्षा सुपरवाइजर ।

5--आर0 सी0 वाजपेयी, भूतपूर्व वित्त नियंत्रक ।

मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है ।

13--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती'--

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया ।]

14--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जिया राम शुक्ल 'विकल साकेती'--

[स्पष्टीकरण के अभाव में हटाया गया ।]

उत्तर प्रदेश शिक्षक संघ, जनपद आजमगढ़ के मंत्री श्री राम जनम सिंह का शिक्षकों की समस्याओं से सम्बन्धित पत्र पर कृत कार्यवाही

15--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1981 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 4 (नत्थी क) के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छानबीन के उपरान्त प्रश्नगत अवधि में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या निश्चित की जा चुकी है ? यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ? क्या मंत्री यह भी बतायेंगे कि छानबीन के उपरान्त निश्चित किए गये पत्रों में कुल कितनी समस्यायें हैं और उनमें से कितने का समाधान कर दिया गया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परम हंस उ0 मा0 विद्यालय, देऊपुर, हनुमाननगर, आजमगढ़ में प्रवक्ता वेतनक्रम में आरक्षण कोटा

16--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1981 के छठे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रवक्ता वेतनक्रम में आरक्षण पूरा करने के सन्दर्भ में संस्था अधिकारियों द्वारा दिया गया आश्वासन पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जनपद में अवकाश प्राप्त शिक्षकों को प्राविधायी निधि के राजकीय अंश का भुगतान

17--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के सत्र, 1981 के 6वें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 68 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 अवकाश प्राप्त शिक्षकों में से कितनों को 6-11-81 तक प्राविधायी निधि के राजकीय अंश का भुगतान कर दिया गया है ? 20 अवकाश प्राप्त शिक्षकों में से कितने को इस तिथि तक नई दर से पेंशन देना प्रारम्भ कर दिया गया है तथा शेष 21 शिक्षकों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

आजमगढ़ जनपद में दिनांक 16-11-81 तक 13 अवकाश प्राप्त शिक्षक ऐसे हैं, जिन्हें प्राविधायी निधि के राजकीय अंश का भुगतान नहीं हुआ है । 8 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें पुरानी दर से पेंशन के स्थान पर नई दर से पेंशन का भुगतान प्रारम्भ नहीं हुआ है तथा 11 शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें नवीन राजाज्ञानुसार वेतन का आधा पेंशन के रूप में भुगतान नहीं हुआ है ।

स्व0 श्री उपेन्द्र नारायण राय के आश्रितों को देय सामान्य भविष्य निधि, ग्रेच्युटी तथा सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान

18--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1981 के 6ठें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 52 के उत्तर के सन्दभ में क्या श्रम मंत्री बतने की कृपा करेंगे कि श्री उपेन्द्र नारायण राय के आश्रितों को देय सामान्य भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी तथा सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान 6-11-81 तक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके शीघ्र भुगतान कराने के सन्दर्भ में क्या कार्यवाही करायी जा रही है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

स्व0 उपेन्द्र नारायण राय के आश्रितों को देय सामान्य भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, तथा सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का भुगतान 6 नवम्बर, 1981 तक नहीं हुआ । पारिवरिक पेंशन तथा ग्रेच्युटी की स्वीकृति के आदेश महालेखाकार द्वारा दिनांक 14-5-81 को कोषागार, आजमगढ़ को भेज दिये गये थे । आश्रितों ने इस प्रकार स्वीकृत धनराशि प्राप्त कर ली होगी पर इसकी वास्तविक सूचना उपलब्ध नहीं है । सामूहिक जीवन बीमा की धनराशि का चेक भी 25-1-82 को प्रधानाचार्य के पास आश्रितों को देने के लिए भेज दिया गया है । सामान्य भविष्य निर्वाह निधि के भुगतान की स्थिति यह है कि चूंकि मृतक ने अपने उत्तराधिकारी का नामांकन नहीं किया था इसलिए भुगतान में विलम्ब हो रहा है । भुगतान शीघ्र सुनिश्चित कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

वेस्ली इण्टर कालेज, आजमगढ़ के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच तथा कृत कार्यवाही

19---श्री पंचानन राय---

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1981 के 6ठें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 50 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय के कौन से अधिकारी ने आजमगढ़ जाकर जांच आख्या प्राप्त की ? क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि जांच के समय शिकायतकर्त्ता को भी साक्ष्य देने के लिए आमन्त्रित किया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ? जांच के परिणाम क्या निकले हैं तथा इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम लाल मिश्र, प्रधानाचार्य, ग्राम स्वावलम्बी इन्टर कालेज, रनिवा, फैजाबाद के पेंशन तथा प्राविडेन्ट फण्ड का भुगतान

20---श्री पंचानन राय---

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामलाल मिश्र, प्रधानाचार्य, ग्राम स्वावलम्बी इन्टर कालेज, रनिवा, फैजाबाद ने जून, 1976 में अवकाश ग्रहण कर लिया था किन्तु उन्हें आज तक पेंशन और प्राविडेन्ट फन्ड का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

जी हां । पद का कार्यभार न सौंपने के कारण पेंशन आदि स्वीकृत नहीं की जा सकी । प्रबन्धक को कार्यभार दिलाने तथा पेंशन आदि के प्रकरण शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु निदेशित कर दिया गया है ।

21---श्री मोतीलाल देहलवी---

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

प्रदेश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जनपदों की सूची तथा बदायूं में कार्यरत औद्योगिक इकाइयां

22—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में उद्योगों के सम्बन्ध में सबसे ज्यादा पिछड़े जनपद कौन-कौन से हैं ? क्या उनमें जनपद बदायूं भी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद बदायूं के विकास के लिए कोई योजना बना रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

उत्तर प्रदेश में 39 जनपद औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े घोषित किये गये हैं जिनमें बदायूं जनपद भी शामिल है । पिछड़े जनपदों की सूची सलग्न है । प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक बड़ा उद्योग स्थापित करने का निर्णय लिया गया है । बदायूं जनपद में तीन वृहद् औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं । 17 इकाइयां भारतीय कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और 333 लघु उद्योग इकाइयां हैं ।

[देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1682 पर ।]

बिधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों पर कृत कार्यवाही

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति 1981-82 के प्रतिवेदन (भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76) (सिविल) पर आधारित सिफारिश संख्या 7, 24 पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

रामपुर से रुद्रपुर के बीच विलास सहकारी चीनी मिल लि0 के दोनों तरफ सड़क चौड़ी करने की मांग

24—श्री बलबीर सिंह—

क्या सरकार को जानकारी है कि सा0 नि0 वि0 द्वारा बनाई जा रही सड़क रामपुर से रुद्रपुर के बीच विलास सहकारी चीनी मिल लि0 के तुरन्त आगे से 2 कि0 मी0 तक सड़क के दोनों तरफ 1 फुट से 2 फुट तक के गड्ढे हैं और पार आने जाने में ट्रक, बसें फंसी रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे तुरन्त चौड़ी कराने की कृपा करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का नियमितीकरण व स्थायीकरण

25—श्री प्रभूनारायण सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 31-10-81 को जनपद जौनपुर में सा0 निर्माण विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या यह सत्य है कि गत पांच वर्षों से भी अधिक समय से कार्य कर रहे कर्मचारियों को न तो स्थायी किया गया और न उनकी सेवायें नियमित की गयीं ? क्या सरकार इन कर्मचारियों की सेवायें नियमित कर उन्हें स्थायित्व प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद जौनपुर में दिनांक 31-10-81 को सार्वजनिक निर्माण विभाग के विभिन्न कार्यालयों में तृतीय श्रेणी के 103, चतुर्थ श्रेणी के 33 तथा कार्य प्रभारित नियमित चतुर्थ श्रेणी के 395 कर्मचारी कार्यरत थे। गत पांच वर्षों से अधिक समय से कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है परन्तु सभी को अभी स्थायी नहीं किया जा सका है। शासन इन कर्मचारियों को स्थायी करने की दिशा में प्रयत्नशील है। जैसे-जैसे स्थायी पद उपलब्ध होते जायेंगे। इन कर्मचारियों को नियमानुसार स्थायी किया जायेगा।

जनपद आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक एवं उनके कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायती पत्र पर जांच

26—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1981 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 80 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिकायती पत्र दिनांक 23 मई, 1977 की जांच के समय क्या शिकायत कर्त्ताओं को साक्ष्य का अवसर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

लेडी प्रसन्न कौर इन्टर कालेज, बसडीला, गोरखपुर से सम्बन्धित प्रत्यावेदन पर कृत कार्यवाही

27—श्री पंचानन राय—

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र, 1981 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 142 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लेडी प्रसन्न कौर इन्टर कालेज, बसडीला, गोरखपुर से सम्बन्धित प्रत्यावेदन शासन को कब प्राप्त हुआ था ? इस सम्बन्ध में 6-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां, प्रश्नगत प्रत्यावेदन शासन को दिनांक 28-12-1978 को प्राप्त हुआ ।

इस सम्बन्ध में अधीनस्थ अधिकारियों से आख्या प्राप्त करके विधिक परामर्श के आधार पर मामले का परीक्षण किया गया तथा सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया ।

राज्य की औद्योगिक इकाइयों को डीजल जेनरेटिंग सेटों के क्रय हेतु भुगतान की गई अनुदान की धनराशि में अनियमितता

28--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1981 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 113 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी धनराशि के अनियमित अथवा अधिक भुगतान के मामले प्रकाश में आए हैं ? इनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम द्वारा 6-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नियाज हसन खां--

वर्ष 1973 से 1976 तक की अवधि में राज्य की औद्योगिक इकाइयों को डीजल जेनरेटिंग सेटों के क्रय के लिये भुगतान की गई अनुदान की धनराशि के अनियमित अथवा अधिक भुगतान के 4·51 लाख रु0 के 11 मामले प्रकाश में आये हैं । इनमें से 8 इकाइयों से अनियमित रूप से वितरित 1·62 लाख रु0 की वसूली की जा चुकी हैं । शेष 3 इकाइयों के विरुद्ध वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं ।

जनपद आजमगढ़ में बरामद कारों तथा स्कूटरों के स्थानीय मालिकों का पता लगाने के सम्बन्ध में प्रयास

29--श्री पंचानन राय--

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1981 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के संदर्भ में क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरामद कारों तथा स्कूटरों के स्थानीय मालिकों का पता लगाने के सम्बन्ध में क्या प्रयास किए गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली पुलिस की पार्टी ने चार कारें तथा दो स्कूटर बरामद करके कोतवाली आजमगढ़ में दाखिल की थीं । इनमें के एक कार तथा दो स्कूटरों का सम्बन्ध दिल्ली के थानों में पंजीकृत अपराधों से पाया गया । अतः उन्हें दिल्ली पुलिस की सुपुर्दगी में दिया गया । शेष में से दो कारें सी0 जे0 एम0, आजमगढ़ के आदेशानुसार सर्वश्री बाल मुकुन्द सिंह पुत्र राम नागर सिंह तथा श्री नामवर सिंह पुत्र श्री तिलकधारी सिंह, साकिन सिधारी, थाना कोतवाली, आजमगढ़ को दी गई ।

एक कार के मालिक का अभी तक पता नहीं चला है और कार थाना कोतवाली में मौजूद है । मालिक की तलाश की जा रही है ।

जी0 एन0 के0 इन्टर कालेज, कानपुर में छात्रों से अवैध शुल्क वसूल किये जाने की शिकायत तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

30—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1981 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अधिक शुल्क वसूल किए जाने की शिकायत की जांच कराई गयी तथा जांच में शिकायतकर्ताओं को साक्ष्य के लिए बुलाया गया ? उसके क्या परिणाम निकले और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में गैर सरकारी सहायता प्राप्त उ0 मा0 विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों की अनिवार्य जमा योजना की देय धनराशि का भुगतान

31—श्री पंचानन राय—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पांचवें मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 166 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शेष 34 विद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को देय धनराशि का भुगतान 6-11-81 तक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद चमोली में बद्रीनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा विभिन्न रेन्जों का भ्रमण

32—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में बद्रीनाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी 1 जनवरी, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 तक कितने दिन जिले से बाहर रहे ? इस अवधि में उन्होंने अपने वन प्रभाग में कहां-कहां भ्रमण किया ?

वन राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)—

1 जनवरी, 1981 से 31 अक्तूबर, 1981 के मध्य प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग 43 दिन जनपद चमोली से बाहर रहे । इसी अवधि में इन्होंने, अपने वन प्रभाग में विभिन्न रेन्जों का 121 दिन दौरा किया, जिसका विवरण

निम्न प्रकार है :—

क्रम-संख्या	रेंज का नाम	भ्रमण के दिन
1	पूर्वी पिण्डर	28
2	पश्चिमी पिण्डर	9
3	नन्द प्रयाग	42
4	चमोली	24
5	जोशीमठ	18
	योग ..	121

जनपद चमोली में स्थान गोचर के मैदान में सभा मंच के निर्माण पर हुआ व्यय

33—श्री कुंवर सिंह नेगी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में स्थान गोचर के मैदान मे वर्ष 1973-74 के लगभग एक सभा मंच प्रधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री की सभा हेतु सरकारी व्यय से निर्मित किया गया था ? यदि हां, तो इस सभा मंच के निर्माण पर कितना व्यय हुआ था ? क्या यह सही है कि इस सभा मंच को सरकारी आदेशों से जून, 1981 के प्रथम सप्ताह के करीब गढ़वाल संसदीय उप चुनाव के दौरान तुड़वाया गया ? यदि हां, तो इस मंच के तुड़वाने पर क्या व्यय हुआ ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)—

इस प्रकार के सभा मंच के निर्माण आदि का कार्य प्रधान मंत्री जी की सुरक्षा के नियमों को ध्यान में रखते हुए ही किया जाता है, अतः इसका विवरण दिया जाना जनहित में न होगा ।

जिला मुरादाबाद के थानों में दर्ज कत्ल, डकैती और चोरी की घटनाएं

34—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के हर थाने में 1 जनवरी, 1981 के बाद से लेकर 23-11-81 तक कितने कत्ल, डकैती और चोरी के मामले दर्ज हुए हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार मुरादाबाद के प्रत्येक थाने में 1 जनवरी, 1981 से 23-11-81 तक की अवधि में दर्ज कत्ल, डकैती और चोरी के मामलों की थानेवार सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1684 पर ।)

थाना खोराबार के सब इन्सपेक्टर, श्री जगन्नाथ तिवारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच तथा कृत कार्यवाही

35.—श्री कुंबेर मंडारी तथा श्री श्याम नरायन तिवारी—

क्या सरकार बतायेगी की माह सितम्बर, सन् 1981 अन्तिम सप्ताह में जनपद गोरखपुर के गुन्डा दमन दल गोरखपुर में कार्यरत सब इन्सपेक्टर, जगन्नाथ तिवारी का स्थानान्तरण गोरखपुर मंडल के बाहर करके आरोपों की निष्पक्ष जांच हेतु एक पत्र विधायक, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सहित पांच विधायकों द्वारा हस्ताक्षरयुक्त माननीय गृह मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कार्यवाही शुरू कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद एवं कुछ अन्य विधायकों का संयुक्त शिकायती-पत्र दिनांक 22-9-81 सब इन्सपेक्टर, श्री जगन्नाथ तिवारी, थाना खोराबार के विरुद्ध प्राप्त हुआ था जिसे जांच एवं जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही आदि हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर को भेज दिया गया था ।

सरकिट हाउस, फैजाबाद में हुई विद्युत् दुर्घटना में निलम्बित कर्मचारी

36.—श्री माधव प्रसाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि अगस्त, 1977 में सरकिट हाउस, फैजाबाद में हुई विद्युत् दुर्घटना में निलम्बित कर्मचारियों में किन-किन को इतनी लम्बी अवधि तक आरोप-पत्र क्यों नहीं दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

उक्त दुर्घटना में एक सहायक अभियंता तथा एक अवर अभियंता को निलम्बित किया गया था । जांचोपरान्त इन दोनों कर्मचारियों को बहाल कर दिया गया । उनको निलम्बन अवधि का वेतन न दिए जाने तथा सहायक अभियंता को निन्दित करने और अवर अभियंता को एक वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोके जाने का दन्ड दिया गया । अतः अब किसी को आरोप-पत्र दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

टिकैतगंज—महमूदाबाद मार्ग की जांच

37.—श्री ऊदल —

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1981 में टिकैतगंज-महमूदाबाद मार्ग की जांच कराने के बाद 4 अधिशासी अभियन्ताओं को मुअत्तल करने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि वे अधिशासी अभियंता तथा और दूसरे लोग आज भी बाराबंकी में ही मौजूद हैं और मुअत्तली आदेश काट दिया गया, ऐसा क्यों ? क्या ता0 28-10-81 व 30-10-81 व 9-11-81, 14-11-81 को टेक्नीकल इक्जामिनर, श्री भारद्वाज मौके की जांच में गए थे ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं, किसी अधिशासी अभियंता को मुअत्तल करने का आदेश नहीं दिया गया था ।

प्रश्नगत तिथियों में प्रश्नगत मार्ग की किसी टैक्नीकल इक्जामिनर द्वारा जांच नहीं की गई हैं ।

जिला देवरिया, ग्राम रुस्तम बटिगारी में श्री रमाशंकर यादव की हत्या तथा मुल्जिमानों के खिलाफ कार्यवाही

3 8--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना बनकटा, ग्राम रुस्तम बटिगारी में गत 24 जुलाई, 1981 को श्री रमाशंकर यादव, युवा पहलवान की हत्या कर दी गयी जिसकी रपट दिनांक 25-7-81 को थाना बनकटा में लिखाई गयी ? यदि हां, तो मुल्जिमानों के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की गयी ? मुल्जिमानों के नाम व पता क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार विवेचनोपरान्त नामांकित आठों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया हैं जो विचाराधीन है । अभियुक्तों के नाम व पते निम्न प्रकार हैं--

1--धनजंय सिंह पुत्र रघुराज सिंह ।

2--ज्ञानेश्वर सिंह पुत्र रामराज सिंह, निवासीगण बहियारी बघेल, थाना बनकटा, जनपद देवरिया ।

3--उमा यादव पुत्र राजवंशी यादव ।

4--रामायण पुत्र राजबंशी ।

5--रमाशंकर पुत्र राजबंशी ।

6--ललन यादव पुत्र शिववचन यादव ।

7--राघव पुत्र दीप यादव ।

8--कृष्णा पुत्र दीप यादव, निवासीगण रुस्तमबहियारी, थाना बनकटा, जिला देवरिया ।

3 9--श्री बंशीधर--

[छठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन की सिफारिशों का क्रियान्वयन

4 0--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की लोक लेखा समिति, 1981-83 के प्रतिवेदन [भारत के महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76 (सिविल) पर आधारित] की सिफारिश संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23 पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट 1975-76(सिविल) पर आधारित लोक लेखा समिति, 1981-82 के प्रतिवेदन की सिफारिश संख्या-23 सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित न होकर सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा वित्त विभागों से सम्बन्धित है। सिफारिश संख्या 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 तथा 21 का कार्यान्वयन करने का अनुरोध सम्बन्धित अधिकारियों से किया गया है।

उप महानिरीक्षक पुलिस, फैजाबाद मंडल की संस्तुति पर उपनिरीक्षकों का स्थानान्तरण

41--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि उप महानिरीक्षक पुलिस, फैजाबाद मंडल की संस्तुति पर जिला बाराबंकी के कितने सब इंस्पेक्टर्स पुलिस को फैजाबाद मंडल के बाहर स्थानान्तरित करने के आदेश मई, 1981 और नवम्बर, 1981 के बीच हुए और उनमें क्या कोई सब इंस्पेक्टर ऐसा भी है, जिसको स्थानान्तरण आदेश तीन दफा या उससे अधिक बार हुए और उतनी ही बार रद्द किए गये ? यदि हां, तो स्थानान्तरण करने और करके रद्द करने के क्या कारण थे ? स्थानान्तरण के अन्तिम आदेश का अनुपालन 12 नवम्बर, 1981 तक क्या किया गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मई, 1981 और नवम्बर, 1981 के मध्य पुलिस उपमहानिरीक्षक, फैजाबाद परिक्षेत्र, की संस्तुति पर तीन उप निरीक्षकों को जनपद बाराबंकी से फैजाबाद परिक्षेत्र के बाहर स्थानान्तरित किया गया था। स्थानान्तरित किए गये उप निरीक्षकों में से ऐसा कोई उप निरीक्षक नहीं है जिसका स्थानान्तरण आदेश तीन दफा या उससे अधिक बार किया गया हो और उतनी ही बार रद्द किया गया हो। स्थानान्तरण के अंतिम आदेश का अनुपालन 12 नवम्बर, 1981 तक किया जा चुका है।

ग्राम जालिम पुरवा, मंजरे सहादतगंज, बाराबंकी में पुलिस-डकैतों में मुठभेड़

42--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री यह भी बतायेंगे कि क्या यह भी सही है कि क्या उपर्युक्त प्रश्न में उल्लिखित थाना मसौली का कोई ऐसा दरोगा भी है, जिसने दिनांक 4/5 सितम्बर, सन् 1981 की रात 3 लोगों की नृशंस हत्यायें कीं। जिनमें लगभग 18 वर्ष का एक युवक ऐसा भी था जिसके खिलाफ उसकी हत्या के समय तक न तो किसी थाने में कोई मुकदमा कायम किया गया था और न उसका चालान ही कभी हुआ था ? यदि हां, तो उस युवक के पिता श्री बाबू लाल, निवासी रसौली, थाना सफदरगंज, बाराबंकी को शासन व प्रशासन को दी गई दरख्वास्त दिनांक 7-9-81 पर क्या सम्बन्धित दरोगा के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम जालिम पुरवा मंजरे सहादतगंज, जिला बाराबंकी में डकैती डालने हेतु दाहराबाग में डकैतों के गिरोह के एकत्र होने की सूचना मिलने पर थानाध्यक्ष अन्य पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंचे और घेराबन्दी की । पुलिस दल ने उन्हें आत्मसमपर्ण के लिए ललकारा । इस पर पुलिस दल पर डाकुओं ने फायर किया । पुलिस ने आत्म रक्षार्थ गोली चलाई । घटनास्थल पर 3 डकैत मारे गये तथा शेष भाग गये । उक्त घटना में मृत डकैतों में एक जैसराम उम्र लगभग 30 वर्ष भी था, जिसका पुलिस रिकार्ड में कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है । इस मामले की मजिस्ट्रीयल जांच जारी है उसके परिणामों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

मैनपुरी जिले के कतिपय मार्गों पर निर्माण कार्य

43--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि मैनपुरी जिले के मैनपुरी-सिरसागंज मार्ग, मैनपुरी-कुसमरा मार्ग, मैनपुरी-संकीट मार्ग तथा छिबरामऊ-किशनी मार्गों में कुल लम्बाई में कितने पर मिट्टी का कार्य हो गया है ? कितनी पुलियां व पुल बन गये हैं ? कितना खड़ंजा हो गया है ? कितनी लम्बाई पर कंक्रीट होकर तारकोल हो चुका है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

गोरखपुर दक्षिणी वन प्रभाग में वार्षिक नीलामी

44--श्रीमती गौरी देवी--

क्या वन मंत्री यह बतायेंगे कि गोरखपुर दक्षिणी वन प्रभाग में वर्ष 1981-82 का वार्षिक नीलाम 21 सितम्बर से 26 सितम्बर तक हुआ और नीलाम अधिकारी ने नीलाम किए गये सभी लाटों की स्वीकृति की संस्तुति की परन्तु दिनांक 29-10-81 को अरण्यपाल, पूर्वी वृत्त, श्री जगत नरायन ने 24 लाटों की नीलामी को अस्वीकृत कर शेष सभी लाटों की स्वीकृति प्रदान की है । यदि हां, तो उन 24 लाटों की नीलामी अस्वीकृत करने का आधार और कारण क्या है ? क्या यह सच है कि दक्षिणी वन प्रखन्ड में लाट संख्या 301, 302, 519 और 606 की नीलामी हुई जिनकी स्वीकृति अरण्यपाल, पूर्वी वृत्त ने दिनांक 29-10-81 को ही प्रदान किया है ? अन्तिम नीलाम बोली सरकारी अनुमानित मूल्य से भी कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां । प्रश्नगत 24 लाटों की नीलामी अस्वीकृत करने का आधार और कारण यह है कि 24 में से 14 लाटों को सस्ते दामों पर बिकने की शिकायत तिलकोनिया रेंज के कुछ ठेकेदारों से प्राप्त हुई थी । इसके अतिरिक्त गोरखपुर के एक विधायक तथा भूतपूर्व वित्त मंत्री जी की शिकायत भी प्राप्त हुयी थी । अरण्यपाल, पूर्वी वृत्त जो उक्त नीलामों में पर्यवेक्षक थे, के अनुसार उक्त 14 लाटों के ठेकेदारों द्वारा नीलाम हाल में अन्य बोली बोलने वालों को धमकाया

गया था । शिकायत की जांच करने के पश्चात् यह पता लगा कि उक्त 14 लाटों के अलावा तिलकोनिया रेंज में 10 लाटें और हैं जिनमें विक्रय मूल्य उक्त 14 लाटों की भांति कम आया है । अतः उक्त प्रकार की सभी 24 लाटों को दिनांक 29-10-81 को अस्वीकृत कर दिया गया ।

यद्यपि नीलामी में लाट सं0 301, 302, 519 और 606 की अंतिम नीलामी बोली अनुमानित कीमत से कुछ कम थी परन्तु इन चारों लाटों में नीलाम हाल में किसी को धमकाया नहीं गया था तथा इन लाटों की कोई शिकायत अनुमोदन की तिथि तक नहीं आई थी । अतः अरण्यपाल, पूर्वी वृत द्वारा दिनांक 29-10-81 को इनकी स्वीकृति प्रदान की गयी ।

जनपद बरेली के ग्राम चौबारी में पुरुषों के दीक्षा विद्यालय के लिए भवन के निर्माण पर व्यय

45--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बरेली के ग्राम चौबारी के निकट लाखों रुपयों से पिछले तीन वर्ष में अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण देने हेतु कोई प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो इस केन्द्र के बनाने हेतु सरकार ने कितना रुपया व्यय किया ? क्या इस समय वह केन्द्र चल रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बताने का कष्ट करेगी कि इस केन्द्र की स्थापना हेतु योजना किन-किन अधिकारियों ने बनाई और किस कारण यह केन्द्र नहीं चलाया जा रहा है । इस योजना के गलत बनाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । जनपद बरेली के ग्राम चौबारी में पुरुषों के दीक्षा विद्यालय के लिए भवन का निर्माण कराया गया है । इस भवन के निर्माण के लिए वर्ष 1971 में 8.69 लाख रुपया की स्वीकृति दी गई थी परन्तु भवन निर्माण की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रुपया 10.35 लाख अब तक व्यय किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है ।

जी नहीं ।

बेसिक स्तर के प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं के काफी बड़ी संख्या में बेरोजगार रहने के कारण वर्ष 1978 में यह निर्णय लेना पड़ा कि प्रत्येक जनपद में पुरुषों तथा महिलाओं के लिये केवल एक-एक दीक्षा विद्यालय चलाये जायं । अतः बरेली में चल रहे पुरुषों के दो विद्यालयों में से आंवला का दीक्षा विद्यालय बन्द कर दिया गया और फरीदपुर का विद्यालय चल रहा है ।

वर्ष 1965-66 में उस समय चल रहे राजकीय दीक्षा विद्यालयों के लिये भवनों के निर्माण की एक योजना बनाई गई थी जिसमें आंवला (बरेली) स्थित विद्यालय का भवन भी सम्मिलित था । बाद में उपर्युक्त परिस्थितियों में इस दीक्षा विद्यालय के तोड़ दिये जाने के कारण नव-निर्मित भवन में इसका स्थानान्तरण सम्भव नहीं हुआ । यह योजना जनहित में बनाई गई थी तथा इससे किसी व्यक्ति विशेष का सम्बन्ध नहीं है । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

पुरानी बेना झावर श्रमिक बस्ती, कानपुर के निवासियों द्वारा अनधिकृत कब्जा रोकने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र तथा अतिरिक्त श्रमायुक्त द्वारा बाउन्ड्री पिलर्स लगाये जाने के आदेश

46—श्री दूधनाथ राजभर तथा श्री ख्वाजा हलीम—

क्या श्रम मन्त्री को जानकारी है कि पुरानी बेना झावर श्रमिक बस्ती, कानपुर के निवासियों ने अनधिकृत कब्जा रोकने के लिए ब्लाक नं0 32 के अन्त से बाउन्डरी वाल बनवाने के लिए दिनांक 28-9-80 को श्रमायुक्त, कानपुर को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां ।

श्रमिक बस्ती (पुरानी) बेना झावर में अनधिकृत कब्जा रोकने के लिये श्रम विभाग द्वारा पहले अस्थायी पिलर लगवा दिये गये थे, जिनको वहां के निवासियों ने हटा दिया था । अब इनके स्थान पर पत्थर के पिलर्स लगवा दिये हैं, जिससे अनधिकृत कब्जा न होने पाये । नगर महापालिका ने ब्लाक संख्या 32 के समीप सड़क निर्माण करा दिया है, जिससे उस स्थान पर बस्ती का सीमांकन स्वतः हो गया है । उक्त बस्ती में पक्की चहारदीवारी बनाने का कोई प्राविधान नहीं है ।

47—श्री दूधनाथ राजभर तथा श्री ख्वाजा हलीम—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त श्रमायुक्त, कानपुर ने दिनांक 13-7-1979 को पुरानी झावर श्रमिक बस्ती, कानपुर का सीमांकन करने हेतु आदेश दिए थे ? यदि हां, तो वह आदेश क्या हैं और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां । दिनांक 13-7-79 को अतिरिक्त श्रमायुक्त, कानपुर ने श्रमिक बस्ती बेना झावर (पुराना) की भूमि के सीमांकन हेतु बाउन्ड्री पिलर्स लगाये जाने के आदेश दिये थे । आदेशों का अनुपालन करके तुरन्त अस्थायी पिलर लगवा दिये गये थे । जिन्हें वहां के निवासियों ने हटा दिया था । अब इस स्थान पर पत्थर के पिलर्स लगवा दिये गये हैं, ताकि अनधिकृत कब्जा रोका जा सके । इस बस्ती के ब्लाक संख्या 32 के समीप नगर महापालिका द्वारा सड़क बना दी गई है, जिससे उस स्थान पर बस्ती का स्वतः सीमांकन हो गया है, क्योंकि सड़क के किनारे बनाई गई नाली बाउन्ड्री पिलर्स हटा कर बना दी गई है ।

48—श्री राम आसरे वर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर हटाया गया ।]

जिला वाराणसी में बड़ागांव के एस0 ओ0 श्री जीवन लाल तिवारी व श्री ताहिर खां, उप निरीक्षक का स्थानान्तरण

49—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1-7-81 को साधोगंज मठ, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी में बड़ागांव के एस0 ओ0, श्री जीवन लाल तिवारी,

स0 इ0 ताहिर खां ने 4 व्यक्तियों को डाकू बनाकर इन्काउन्टर करके लाश को लावारिस करार दिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की जांच सी0 आई0 डी0 से कराने का आदेश दिया है और दोनों थानेदारों को दूसरे रेंज में ट्रांसफर कर दिया है ? यदि हां, तो क्या दोनों थानेदार अब भी थाना बड़ागांव के सरकारी क्वार्टर में ही रह रहे हैं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराई जा रही है। श्री जीवन लाल तिवारी, थानाध्यक्ष व श्री ताहिर खां, उप निरीक्षक को वाराणसी परिक्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित किया जा चुका है। यह दोनों कर्मचारी सरकारी क्वार्टर खाली कर चुके हैं।

जनपद जौनपुर के किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रसुलहा परियल के नव-नियुक्त परिचारकों का वेतन भुगतान

50—श्री जंग बहादुर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रसुलहा परियल के तीन नव-नियुक्त परिचारकों को एक वर्ष से वेतन भुगतान नहीं हो रहा है ? क्या सरकार शीघ्र वेतन भुगतान की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर की पुलिस द्वारा पकड़ी गयी ब्लैक में शक्कर बेचने से दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही

51—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या दिनांक 11 व 12 अक्तूबर, 1981 की रात साधन सहकारी समिति, गांव जिताई का पुरवा, ब्लाक कंचवन, जनपद कानपुर की 11 कुन्टल 25 कि0 (ग्यारह कुन्टल पच्चीस किलो) शक्कर ब्लैक में बेची गयी बैलगाड़ी पर जाती हुई थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर की पुलिस द्वारा पकड़ी गयी है। यदि हां, तो इन ब्लैक कांड में कौन-कौन लोग दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना दिनांक 12/13-10-81 की रात्रि की है। इस सम्बन्ध में थाना रसूलाबाद में एक अभियोग अन्तर्गत धारा 3/7 ई0 सी0 ऐक्ट पंजीकृत कर विवेचनोपरान्त दो अभियुक्तों—भगवती प्रसाद एवं बाबूराम के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जो विचाराधीन है।

वर्तमान निदेशक, सैनिक कल्याण, उत्तर प्रदेश में माली की नियुक्ति का औचित्य

52--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या इस बात की शिकायत मुख्य मंत्री को दिनांक 17-8-81 को मिली है कि वर्तमान निदेशक, सैनिक कल्याण, उत्तर प्रदेश एक माली को निदेशालय में नियुक्त करके उसकी पूर्णतया अपने निवास पर पारिवारिक नौकर की भाँति प्रयोग करते हैं तथा यह कर्मचारी केवल वेतन लेने निदेशालय में आता है ? क्या यह भी सत्य है कि निदेशालय सैनिक कल्याण का कार्यालय प्रथम तल पर होने के कारण वहां माली की कोई आवश्यकता नहीं है एवं क्या सरकार इस माली की सेवायें अविलम्ब समाप्त करके उसकी नियुक्ति की तिथि से अनुचित रूप से लिये गये वेतन को इस अनावश्यक नियुक्ति के लिए जिम्मेदार अधिकारी से वसूल करने की कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां, इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी ।

जी नहीं ।

निदेशालय, सैनिक कल्याण एक विशाल भवन में है और उसका परिसर बहुत बड़ा है । यहां बागबानी की जाती है और भवन की शोभा हेतु गमलों में फूल उगाए जाते हैं जिसके लिए माली का होना आवश्यक है ।

53--श्री रियासत हुसैन--

[2-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित ।]

श्री राजवन्त सिंह, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, नरायनपुर, केराकत का शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

54--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित कोई पत्र श्री राजवन्ती सिंह, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी, नरायनपुर, केराकत का दिनांक 11-11-81 या उसके आस-पास मिला ? यदि हां, तो उक्त पत्र में मुख्य क्या-क्या शिकायतें थीं तथा जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आये और उस पर सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नकर्त्ता द्वारा प्रेषित श्री राजवन्त सिंह, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी का पत्र दिनांक 12-11-81 को शासन को प्राप्त हुआ, जिसमें मुख्य रूप से दिनांक 29/30 अगस्त, 1981 को रात्रि में डा0 राजेन्द्र प्रसाद पान्डे, निवासी कस्बा केराकत एवं उनके परिवार पर प्राणघातक हमले व डकैती के मामले में स्थानीय पुलिस द्वारा तत्परता एवं निष्पक्षता से कार्यवाही न करने के आरोप लगाये गये थे ।

प्राप्त सूचना के अनुसार इस घटना के सम्बन्ध में थाना केराकत, जनपद जौनपुर में धारा 395/397 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत 10–15 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसको डा0 पान्डे की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप धारा 396 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तन किया गया । अभी तक की विवेचना के दौरान गिरफ्तार किये गये 6 अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

जांच से पुलिस के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

55––श्री पंचानन राय––

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम खालिसपुर एवं माल्टारी के किसानों को प्रतिकर का भुगतान

56––श्री पंचानन राय––

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खालिसपुर एवं माल्टारी के किसानों को प्रतिकर का भुगतान 6–11–81 तक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो यह कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी––

आजमगढ़ जनपद में जियनपुर, विलरियागंज महाराजगंज मार्ग पर पड़ने वाले ग्राम खालिसपुर एवं माल्टारी ग्रामों के प्रतिकर का भुगतान 6–11–81 तक नहीं हुआ । ग्राम खालिसपुर के प्रतिकर के कागजात तैयार किये जा रहे हैं और प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कर दिया जायगा । ग्राम माल्टारी में चकबन्दी प्रक्रिया के आरम्भ हो जाने के कारण भूमि अर्जन की कार्यवाही नहीं की जा सकी है । चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान 3·602 एकड़ भूमि सावजनिक मार्ग घोषित कर दिया गया है और शेष भूमि 0·639 एकड़ पुरानी सड़क थी । अतः प्रतिकर भुगतान सम्भव नहीं है ।

57––श्री पंचानन राय––

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित ।]

कूबा महाविद्यालय, दरियापुर नेवादा, आजमगढ़ में कार्यरत अस्थायी हिन्दी प्रवक्ता श्री रमा शंकर सिंह के वेतन का भुगतान

58––श्री पंचानन राय––

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर सिंह को जून, 1976 के नियमानुसार देय वेतन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? इनके वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

कूबा महाविद्यालय, बरियापुर नेवादा, आजमगढ़ में तत्समय कार्यरत अस्थायी हिन्दी प्रवक्ता श्री रमाशंकर सिंह को जून, 1976 का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है क्योंकि श्री सिंह का सेवा सम्बन्धी कुछ तथ्यों के सम्बन्ध में प्राचार्य तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के मध्य पत्राचार होने तथा जिला विद्यालय निरीक्षक और सम्बन्धित सहायक का स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप विलम्ब हुआ है। अब श्री सिंह को वेतन भुगतान कराने की तुरन्त कार्यवाही उच्च शिक्षा निदेशक द्वारा की जा रही है।

जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत नगर क्षेत्र के अध्यापकों/कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का भुगतान

59—श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गई धनराशि का भुगतान 6-11-81 तक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो यह भुगतान कब तक दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं।

जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत नगर क्षेत्र के अध्यापकों/कर्मचारियों को अनिवार्य जमा योजना के अन्तर्गत काटी गयी धनराशि का भुगतान किया जा चुका है तथा ग्रामीण क्षेत्र के अध्यापकों/कर्मचारियों के भुगतान की कार्यवाही उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा की जा रही है।

श्री राम बक्श सिंह, चपरासी की सेवा समाप्ति अपील पर निर्णय न लिए जाने से उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

60--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि किस चपरासी की सेवा समाप्ति की अपील जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के कार्यालय में मई, 78 से विचाराधीन है ? यदि हां, तो तीन वर्ष तक निर्णय न लिए जाने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध शासन क्या कार्यवाही करेगा तथा इस अपील का निर्णय कब तक होने की संभावना है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। श्री राम बक्श सिंह, चपरासी की अपील मई, 1978 से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में विचाराधीन है। विलम्ब के लिए दायित्व निर्धारित करने तथा अपील का निर्णय शीघ्र कराने के लिए शिक्षा निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है।

श्याम कृष्ण उ0 मा0 विद्यालय थवईपार, गोरखपुर में विभिन्न वेतन क्रमों में सृजित किए गए पदों की आवश्यकता का औचित्य

61--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अता0 प्रश्न संख्या 61 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत अवधि में सृजित पदों में किन-किन पदों के सृजन की आवश्यकता नहीं थी और इस संबंध में विस्तृत जांच न कराये जाने के क्या कारण हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

स्व0 सिंहासन राय की सामूहिक बीमा योजना, जी0 पी0 एफ0 एवं सी0 टी0 डी0 की धनराशि का आश्रितों को भुगतान तथा आश्रितों को सेवा में लेने हेतु प्रार्थना-पत्र

62--श्री पंचानन राय--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सिंहासन राय जो संयुक्त निदेशक, उद्योग, रथ यात्रा, चौमुहानी, वाराणसी के अन्तर्गत कार्यरत थे, का कार्यरत रहते हुए 29 जनवरी, 1980 को आकस्मिक निधन हो गया ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि 5 जुलाई, 1981 तक उनको देय मेडिकल, ग्रेच्युटी, सामूहिक जीवन बीमा एवं जी0 पी0 एफ0 एवं सी0 टी0 डी0 की धनराशि उनके आश्रितों को भुगतान कर दी गयी ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? और अब उसके भुगतान की कब तक संभावना है ?

श्री नियाज हसन खां--

जी हां। श्री सिंहासन राय की सामूहिक बीमा योजना, जी0 पी0 एफ0 एवं सी0 टी0 डी0 के अन्तर्गत देय धनराशि का भुगतान उनके आश्रितों को 5-1-1981 को कर दिया गया है। श्री सिंहासन राय के विरुद्ध कुछ विभागीय धनराशि के समायोजन की कार्यवाही के कारण उनकी ग्रेच्युटी का भुगतान 5 जुलाई, 1981 तक नहीं किया जा सका। किन्तु इसके भुगतान का आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11-9-81 को जारी किया जा चुका है।

63--श्री पंचानन राय--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सिंहासन राय, संयुक्त निदेशक, उद्योग, रथ यात्रा, चौमुहानी, वाराणसी के अधीन सेवारत थे, और उनकी मृत्यु कार्यरत रहते हुए 29 जनवरी, 1980 को हो गई है ? क्या उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति 5 जुलाई, 1981 तक कर दी गई है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इनकी पत्नी या किसी बच्चे को सरकारी राजाज्ञा के अनुसार 5 जुलाई, 1981 तक सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां--

जी हां।

जो नहीं। श्री सिंहासन राय विभाग में जहां-जहां कार्यरत थे, वहां से अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के करण 5 जुलाई, 1981 तक उनके आश्रितों को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति नहीं दी जा सकी थी। किन्तु उनको पारिवारिक पेंशन के भुगतान का आदेश महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 11-9-81 को जारी किया जा चुका है।

इनके किसी आश्रित को सरकारी सेवा में नहीं लिया गया है क्योंकि इनके आश्रितों की ओर से सरकारी सेवा में लेने का कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न नहीं उठता।

64--श्री पंचानन राय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

आजमगढ़ जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों को बाढ़ तथा अति वृष्टि से हुई क्षतिपूर्ति अनुदान

65--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 91 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि सूची (ख) में अंकित विद्यालय से बिल प्रतिहस्ताक्षर के लिए प्राप्त करने हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि इन विद्यालयों द्वारा बिल प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किये जाने के बाद भी अनुदान का भुगतान नहीं किया गया? क्या यह भी सही है कि शिबली नेशनल इंटर कालेज, आजमगढ़ को भुगतान हेतु चेक तैयार होने के बाद भी नहीं दिया गया? क्या इस पूरे मामले की किसी उच्चाधिकारी से जांच कराई जायेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री पंचमलाल तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें

66--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि श्री पंचमलाल तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायतें किन-किन व्यक्तियों से प्राप्त हुई थीं तथा उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई? क्या जांच के समय शिकायतकर्त्ताओं को साक्ष्य का अवसर उपलब्ध कराया गया? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

आडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा मांगी गयी आख्या

37—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि आडिट आपत्तियों के सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक द्वारा कब अनुपालन आख्या मांगी गई है? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 6-11-81 तक क्या कार्यवाही की गई है?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री गंगा राय, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल की प्राविडेन्ट फन्ड की पूरी धनराशि का भुगतान

68—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मन्त्री विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि अवकाश ग्रहण करने के 11 वर्ष बाद तक प्राविडेन्ट फण्ड की पूरी धनराशि का भुगतान न किए जाने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? सम्बन्धित अध्यापक को इसका भुगतान कब तक करा दिया जायेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1981 के प्रथम मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 19 में वर्णित श्री गंगा राय, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, सिधारी, आजमगढ़ की सेवा निवृत्ति 30 जून, 1970 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के गठन के पूर्व हुयी थी। उनके प्राविडेन्ट फण्ड का लेखा-जोखा, नगरपालिका, आजमगढ़ द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद् को हस्तान्तरित नहीं किया गया। अतः शिक्षा विभाग का कोई अधिकारी भुगतान में हुये विलम्ब के लिए उत्तरदायी नहीं प्रतीत होता है। नगरपालिका, आजमगढ़ द्वारा श्री राय को 4,931·94 रु0 का भुगतान पहले ही कर दिया गया था किन्तु लेजर पूर्ण न होने के कारण 141·06 रु0 का भुगतान नहीं किया जा सका था जो नगरपालिका, आजमगढ़ द्वारा 25 अगस्त, 1981 को कर दिया गया है।

बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के सार्वजनिक नेता श्री दयाराम की हत्या तथा अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा जांच

69—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के प्रतिष्ठित सार्वजनिक नेता श्री दयाराम की दिनांक 4-5-81 को दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गयी? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में विवेचना से अब तक क्या तथ्य प्रकाश में आये हैं? कितनी गिरफ्तारियां की गयीं? क्या सरकार उक्त काण्ड की जांच केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों? श्री दयाराम के परिवार को शासन द्वारा क्या-क्या सहायता अब तक प्रदान की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

इस संबंध में थाना तेतरी बाजार पर पंजीकृत अ0 सं0 96/81 धारा 302 भा0 द0 वि0 की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । अब तक की विवेचना से अभियुक्त, जिसके द्वारा श्री दयाराम की हत्या की गई, का स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सका है । अत: अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है । जांच जारी है । केन्द्रीय गुप्तचर विभाग से जांच की कोई आवश्यकता नहीं है । चूंकि यह मामला हरिजन उत्पीड़न का नहीं है । अत: कोई आर्थिक सहायता शासन द्वारा नहीं दी गई है ।

थाना खामपार, जिला देवरिया के थानाध्यक्ष श्री उदय नारायण सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

70--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना, खामपार के इंचार्ज के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का पत्र उन्हें तथा डी0 आई0 जी0 एंटी करप्शन सेल, लखनऊ को दिनांक 9-10-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

थाना खामपार, जिला देवरिया के थानाध्यक्ष श्री उदय नारायण सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्त्ता का शिकायती पत्र गृह मंत्री को 14-10-81 व पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन को 13-10-81 को प्राप्त हुआ था । शिकायतें भ्रष्टाचार आदि से सम्बन्धित हैं, इनकी जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की जा रही है । अभी जांच प्रचलित है ।

देवरिया जिलान्तर्गत थाना खामपार में सी0 आर0 पी0 सी0 के मुकदमें, गिरफ्तारी तथा अभियुक्तों की जमानत

71--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना खामपार में दिनांक 1-7-80 से 30-10-81 के बीच दफा 107/116 (3) सी0 आर0 पी0 सी0 में कितने मुकदमें चले ? कितने मुकदमें में दोनों पक्षों को मौके पर गिरफ्तार किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत अवधि में कुल 73 मुकदमों में 790 व्यक्तियों के विरुद्ध 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट संबंधित न्यायालय भेजी गयी । कुल 17 मुकदमों में दोनों पक्षों के 113 व्यक्तियों को धारा 151 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत मौके पर गिरफ्तार करके जेल भेजा गया ।

धारा 107/116 (3) सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत एक मुकदमें में 15 व्यक्तियों को पाबन्द कराया गया है ।

72—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मन्त्री बत येंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना खामपार में 1-1-81 से 31-10-81 के बीच कितने लोगों का आर्म्स ऐक्ट में चालान किया गया तथा उनमें से कितने लोगों को जमानत थाने से की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के आधार पर प्रश्नगत अवधि में थाना खामपार से कुल 12 अभियोग अन्तर्गत धारा 25 आर्म्स ऐक्ट पंजीकृत हुए हैं जिनमें केवल 5 अभियुक्तों को जमानत थाने पर ली गयी है ।

वृन्दावन, जिला मथुरा के पुलिस निरीक्षक श्री जयपाल सिंह के विरुद्ध शिकायत

73—श्री सरदार सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वृन्दावन, जिला मथुरा के पुलिस निरीक्षक श्री जयपाल सिंह के विरुद्ध श्री देवेन्द्र पाल सिंह एडवोकेट राधा निवास, वृन्दावन (मथुरा) ने दिनांक 25-7-81 को एक प्रार्थना-पत्र आई० जी० पुलिस के नाम दिया था, जिस पर बार एसोसिएशन मथुरा के सचिव, श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल एवं श्री लोकमणि शर्मा विधायक तथा प्रश्नकर्त्ता ने भी संस्तुति जांच हेतु की थी ? यदि हां, तो उसकी जांच कब और किसने की और जांचकर्त्ता ने शिकायत के समर्थन में किस-किस के ब्यान लिए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री देवेन्द्र पाल सिंह, एडवोकेट का कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-7-81 पुलिस महानिरीक्षक को प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनका एक पत्र दिनांक 10-8-81 पुलिस महानिरीक्षक को प्राप्त हुआ था जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी, नगर मथुरा द्वारा की गई । जांच से श्री जयपाल सिंह तत्कालीन प्रभारी पुलिस निरीक्षक, वृन्दावन के विरुद्ध आरोप सत्य नहीं पाये गये ।

थाना वृन्दावन, जिला मथुरा में दर्ज अपराध संख्या 286-ए/81 में की गई जांच का परिणाम

74—श्री सरदार सिंह—

क्या सरकार बत ने की कृपा करेगी कि अपराध संख्या 286-ए/81, धारा 395 भा० द० वि०, थाना वृन्दावन (मथुरा) की प्रथम सूचना में अंकित साक्षियों के धारा 161 जा० फौ० के अन्तर्गत जांचकर्त्ता ने बयान लिए ? यदि हां, तो साक्षी भूपेन्द्र पुत्र किशन सिंह, मदन पुत्र देवकैलाश, गोपन पुत्र राधा मोहन, ज्ञानेश्वर प्रसाद जौहरी पुत्र आर० पी० जौहरी, वृन्दावन, मथुरा ने रिपोर्टकर्त्ता की घटना का समर्थन किया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार अपराध संख्या 286–ए/81 धारा 395 भा0 दं0 वि0 थाना वृन्दावन (मथुरा) की प्रथम सूचना में अंकित साक्षियों के धारा 161 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत विवेचक ने बयान लिए। साक्षी भूपेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह जो वादी का निकट सम्बन्धी है, ने घटना का साक्ष्य दिया। प्रथम सूचना में अंकित अन्य साक्षियों ने अज्ञानता प्रकट की। गोपन पुत्र राधा मोहन, ज्ञानेश्वर प्रसाद जौहरी पुत्र श्री आर0 पी0 जौहरी के बयान नहीं लिए गए क्योंकि यह दोनों गवाह न तो वादी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही अंकित कराये और न दौरान विवेचना बयान हेतु विवेचक के ही समक्ष प्रस्तुत किए गए।

75–श्री सरदार सिंह––

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना वृन्दावन (मथुरा) के अन्तर्गत अपराध संख्या 286–अ, धारा 395 भा0 दं0 वि0 के सन्दर्भ में दिनांक 31–7–81 को पुलिस अधीक्षक, मथुरा के नाम एक जांच हेतु शिकायती–पत्र जिसके साथ बार एसोसियशन, मथुरा का प्रस्ताव व जनपद के दो विधायक सर्वश्री लोकमणि शर्मा एवं मेरे स्मृति–पत्र प्राप्त हुए? यदि हां, तो उसकी जांच कब और किसने की और जांच का परिणाम क्या रहा?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी––

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना वृन्दावन (मथुरा) के अन्तर्गत अपराध संख्या–286–ए धारा 395 भा0 दं0 वि0 की जांच के संदर्भ में श्री देवेन्द्र पाल सिंह एवं उनके पिता श्री डोरीलाल का दिनांक 31–7–81 को एक प्रार्थना–पत्र पुलिस अधीक्षक, मथुरा के कार्यालय में प्राप्त हुआ था जिसके साथ प्रश्न में उल्लिखित प्रस्ताव अथवा कोई स्मृति पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। उक्त प्रार्थना–पत्र की जांच दिनांक 1–8–81 को श्री किशनलाल, क्षेत्राधिकारी, नगर को सौपी गई थी और उन्होंने दिनांक 16–8–81 को जांच आख्या प्रेषित की। जांच से धारा 395 भा0 दं0 वि0 का मामला सही नहीं पाया गया। केवल धारा 323/325 भा0 दं0 वि0 का ही मामला पाया गया।

कोटला–फरिहा मार्ग के बीच छोटी नदी पर पुल को बनाने की मांग

76––श्री लल्लू सिंह चौहान––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि घिरौर–फरिहा मार्ग बन जाने के बाद तथा फिरोजाबाद–कोटला मार्ग बन जाने के बाद तथा कोटला–फरिहा मार्ग के बीच एक छोटी नदी की चौड़ाई पर पुल न बन सकने के कारण (कोटला से नदी और फरिहा से नदी तक मार्ग बन चुका है) मैनपुरी जनपद का पिछड़ा हुआ जसराना तहसील का क्षेत्र फिरोजाबाद जैसे व्यवसायिक केन्द्र से नहीं जोड़ा जा सका है? यदि हां, तो क्या माननीय मन्त्री जी इस पुल को बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी––

जी, हां।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के मुख्यालय तथा विभिन्न खण्डों में अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता का कार्यकाल

77—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस समय लखनऊ के मुख्यालय तथा विभिन्न खण्डों में कितने अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता स्तर के अधिकारी हैं, जिन्हें यहां दस वर्ष से अधिक का समय हो गया ? क्या शासन इस प्रकार लखनऊ में हो रहने वाले अधिकारियों के तबादले करने पर विचार करेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस समय सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के मुख्यालय तथा विभिन्न खण्डों में 1 अधीक्षण-अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता तथा 5 अवर अभियन्ता ऐसे हैं, जो गत 10 वर्ष एवं उससे अधिक समय से लखनऊ में कार्यरत हैं ।

सामान्य स्थानान्तरण के समय इन्हें स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदारी समाप्त करने पर विचार

78—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री अपने विभाग में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने पर विचार कर रहे हैं ? क्या शासन प्रदेश से लेकर जिलास्तर तक सार्वजनिक निर्माण विभाग में खरीददारी के लिए प्रदेश तथा जिला समितियां बनाने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो क्या समितियों में सांसदों और विधायकों को भी रखा जायगा ? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब से होगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री ओंकार प्रसाद, विशेष सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरुद्ध सी० बी० आई० की जांच

79—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या शासन को पता है कि श्री ओंकार प्रसाद, विशेष सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश पर सी० बी० आई० की जांच चल रही है ? यदि हां, तो उन्हें प्रदेश की सार्वजनिक निर्माण विभाग सम्बन्धी शिकायतों की जांच

का दायित्व किस आधार पर सौपा गया है ? क्या शासन की ऐसी नीति है कि जो अधिकारी सतकर्ता विभाग, सी० बी० आई० आदि की जांच से सम्बन्धित होंगे उन्हें तबादला कर दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

इस विभाग को ऐसी कोई जानकारी नहीं है । प्रश्नगत अधिकारी विभाग से सम्बन्धित शिकायतों की जांच का कार्य अब नहीं देख रहे हैं । ऐसी नीति नहीं है ।

बांदा जिले के करवी क्षेत्र के आदिवासी हरिजनों द्वारा करवी सहकारी वन श्रम संविदा समिति लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन तथा कच्चे पत्थर को पूर्ति रियायती दर पर देने हेतु प्रार्थना–पत्र

80—श्री ऊदल—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के करवी क्षेत्र के आदिवासी हरिजनों ने करवी सहकारी वन श्रम संविदा समिति लिमिटेड, करवी का रजिस्ट्रेशन दिनांक 2–2–80 को कराया था और उक्त समिति के लिए कच्चे पत्थर की पूर्ति रियायती दर पर देने हेतु एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 11–3–80 को प्रभागीय वन अधिकारी, बांदा को दिया था जिसको उन्होंने अरण्यपाल, बुन्देलखन्ड वृत्त झांसी के पास मूल रूप में दिनांक 21 जुलाई, 1980 के पूर्व भेज दिया था ? यदि हां, तो अरण्यपाल, बुन्देलखण्ड वृत्त के स्तर पर कोई कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री निर्भय नारायण सिंह—

जी हां ।

भारत सरकार के दि फारेस्ट (कन्जरवेशन) ऐक्ट, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत वन भूमि का उपयोग वानिकी कार्यों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन हेतु भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है ।

बांदा जिले के करवी थाने के अन्तर्गत, श्री सुखदेव तथा कल्लू के घर आग लगाये जाने की घटना की दर्ज रिपोर्ट

81—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी थाने के अन्तर्गत गांव विनायकपुर, निवासी श्री सुखदेव पुत्र रामग्रधीन व कल्लू पुत्र टिर्रा व असनीकुमार कोरी (हरिजन) ने 6–11–81 को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, बांदा को एक प्रार्थना–पत्र भेजकर शिकायत की है कि उनके घरों में दो बार आग लगाई गयी और बेगार न करने के कारण उत्पीड़ित किया गया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? उत्पीड़ित हरिजनों को अभी तक आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत मामले में सर्वश्री सुखदेव, कल्लू तथा असनी कुमार, निवासी विनायकपुर का 6–11–81 का संयुक्त प्रार्थना–पत्र, जो पुलिस अधीक्षक, बांदा को सम्बोधित तथा जिलाधिकारी सहित अन्य को पृष्ठांकित था, प्राप्त हुआ था ।

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

श्री असनी कुमार के घर आग लगाये जाने की घटना को सिद्ध करने हेतु साक्ष्य नहीं मिला । दिनांक 11-6-81 को उनके द्वारा लिखायी गई धारा 323 भा0 दं0 वि0 की रिपोर्ट में अभियुक्त जागेश्वर के विरुद्ध आरोप पत्र भेजा जा चुका है । सुखदेव तथा कल्लू के घर दिनांक 15-10-81 को आग लगाये जाने की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत धारा 436 भा0 दं0 वि0 के अभियोग में नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया जा चुका है ।

सुखदेव तथा कल्लू को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

82--श्री पंचानन राय--

[6ठें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

गैरसरकारी माध्यमिक विद्यालयों के प्रबन्धाधिकरणों को अनुदान

83--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के कालातीत प्रबन्धाधिकरणों को अनुरक्षण तथा अन्य अनुदान यथावत् मिलते रहते हैं तथा क्या यह भी सही है कि इस प्रकार के प्रबन्धाधिकरणों को सभी अधिकार युक्त विभाग तथा शासन द्वारा माना जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार को आदर्श इण्टर कालेज, मानिकपुर, बांदा के सन्दर्भ में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गये निर्णय की जानकारी है ? यदि हां, तो इस निर्णय के आधार पर क्या शासन ने कोई नीति निर्धारित की है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम समाज इन्टर कालेज, जयनगर, आजमगढ़ के शिक्षक श्री जनार्दन सिंह पर प्राण घातक हमला

84--श्री पंचानन राय--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम समाज इण्टर कालेज, जयनगर, जिगनी आजमगढ़ के शिक्षक श्री जनार्दन सिंह पर 7-10-80 को विद्यालय से घर जाते समय प्राण घातक हमला किया गया और आक्रमणकारी उन्हें मरा हुआ जानकर छोड़ गये ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 15 नवम्बर, 1981 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री जनार्दन सिंह, शिक्षक, ग्राम समाज इण्टर कालेज, जयनगर (जिगनी) को दिनांक 7-10-80 को सायं 5-30 बजे घर जाते समय 3 लोगों ने लात घूसों एवं थप्पड़ से मारा पीटा । यह कहना सही नहीं कि श्री सिंह को अपराधी प्राणघातक हमले के बाद मरा समझकर छोड़ गये थे । घटना की सूचना पर थाना मेहनगर, जिला आजमगढ़ में मु0 अपराध सं0--168/80 धारा 307/308/323 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अंकित कर विवेचना की गई ।

विवेचना में मामला धारा 308 भा0 द0 वि0 का पाया गया । अतः कथित तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट 25-10-80 को न्यायालय भेजी गई जो विचाराधीन है ।

85-श्री पंचानन राय--

[15-9-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 35 द्वारा उत्तरित]

आजमगढ़ जिले के गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में क्रीड़ा स्थल का अभाव

86--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के कौन-कौन से गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास इस समय क्रीड़ा स्थल नहीं हैं ? इन विद्यालयों के पास क्रीड़ा स्थल न होने के कारण विद्यार्थियों के खेलकूद की क्या व्यवस्था है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री बांके सिंह, भू0 पू0 प्रबन्धक, गंगादास उ0 मा0 विद्यालय, आजमगढ़ के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट

87--श्री पंचानन राय--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बांके सिंह, भू0 पू0 प्रबन्धक, गंगादास उ0 मा0 विद्यालय, धवरियासदा, आजमगढ़ के विरुद्ध जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा थाना कोपागंज, आजमगढ़ में दिनांक 31-10-80 को धारा 409/420 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 15-11-81 तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ द्वारा भू0 पू0 प्रबन्धक, गंगादास उ0 मा0 विद्यालय, धवरिया जिला आजमगढ़ श्री बांके सिंह के विरुद्ध दी गई सूचना के आधार पर थाना कोपागंज में अपराध सं0 266/80 धारा 409/420 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ । घटना का क्षेत्र थाना कोतवाली में होने के कारण मामले को उक्त थाने में स्थानान्तरित कर दिया गया था, जिसे थाना कोतवाली में अपराध सं0--359/81 धारा 409/420 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत दिनांक 24-3-81 को पंजीकृत कर विवेचना विशेष अनुसंधान शाखा आजमगढ़ द्वारा की जा रही है ।

शिव बली लाल, शिविर सहायक, जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती-पत्र

88--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिव बली लाल, शिविर सहायक, जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 21-11-80 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसकी जांच किस स्तर के अधिकारी से कराई गयी और जांच के क्या परिणाम निकले इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर से जांच कराई गई । जांच में अधिकांश शिकायतें सिद्ध नहीं पायी गयी । रुपये आदि के भुगतान के मामले में उक्त अधिकारी द्वारा आवश्यक सत्यापन स्टेट बैंक एवं कोषागार से कराया जा रहा है ।

स्व0 श्री कुंवर राम परिचारक के स्थान पर उनकी पत्नी की नियुक्ति हेतु प्रार्थना-पत्र

89—श्री पंचानन राय—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि श्री कुंवर राम परिचारक, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र, कोतवाली गाजीपुर की 11-4-81 को मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी बतायेंग कि शासनादेश के अनुसार उसकी पत्नी को सेवा में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

जी हां । श्री कुंवर राम के स्थान पर नियुक्ति हेतु उनकी पत्नी से आवश्यक आवेदन-पत्र प्राप्त कर लिया गया है और उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रमाशंकर उपाध्याय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षक के वेतन का शीघ्र भुगतान

90—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रमाशंकर उपाध्याय, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी जो 1948 में जिला बोर्ड, आजमगढ़ में कताई शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे और जिनका वेतन बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा दिसम्बर, 1975 तक मिलता रहा, का वेतन जनवरी, 1976 से अकारण रोक दिया गया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इनके वेतन का शीघ्र भुगतान कराने के लिए कार्यवाही करेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मुरादाबाद में नये थानों की स्वीकृति

91—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद जिले में जो पांच नये थाने खोले जाने का प्रस्ताव है जिसके सम्बन्ध में स्टाफ वगैरह भी भेजा जा चुका है परन्तु अभी तक वहां थाना स्थापित नहीं किया गया है ? इसकी देरी के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद मुरादाबाद में संहृत रूप से निम्नलिखित 6 नये थानों की स्वीकृति दिनांक 2 अप्रैल, 1981 को दे दी गई है :--

1--भोजपुर

2--बनियाठेर

3--मझोली

4--गलशहीद

5--नागफनी

6--अमरोहा देहात

इन नये थानों की विधिवत् स्थापना के लिए इनके कार्यक्षेत्र की विज्ञप्ति शासकीय गजट में प्रकाशित होना आवश्यक है जो दिनांक 5 दिसम्बर, 1981 के सरकारी गजट में प्रकाशित हो चुकी है । अन्य सुसंगत प्रबन्ध पूर्ण होते ही ये थाने कार्य करने लगेंगे ।

जौनपुर-मिर्जापुर मार्ग पर ग्राम सेउर में प्रशिक्षण हेतु नार्मल स्कूल के भवन का निर्माण तथा उपयोगिता

92--श्री जंगबहादुर--

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद जौनपुर के तहसील मड़ियाहूं में जौनपुर-मिर्जापुर राजकीय मार्ग पर ग्राम सेउर में 5-6 लाख की लागत का भवन नार्मल स्कूल के प्रशिक्षण हेतु लगभग सात वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया था और इससे सम्बन्धित 50 एकड़ भूमि है और भवन किसी उपयोग में लाया नहीं जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार की इसकी उपयोगिता के लिए क्या योजना है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया को आवर्तक अनुदान के रूप में दिया गया धन

93--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बाबा राघव दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया जो सन् 1974 से जुलाई, 1981 तक प्राधिकृत नियन्त्रक के नियन्त्रण में था, उसे उत्तर प्रदेश शासन से विभिन्न मदों में कितना धन दिया गया है ? क्या उसका उपभोग प्रमाण-पत्र निर्धारित अधिकारियों के पास उपलब्ध हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या शासन इसके उपयोग के सम्बन्ध में विशेष जांच करायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रश्नगत अवधि में निम्नवत् धन कालेज को दिय गया :--

1- आवर्तक अनुरक्षण अनुदान 7,40,279 रु० ।

2--शुल्क क्षतिपूर्ति अनुदान 40,886 रु० ।

उक्त धन आवर्तक अनुदान के रूप में दिया गया था। आवर्तक अनुदान के उपयोग प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

94--श्री हरिवंश सहाय--[1]

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

जनपद देवरिया, ग्राम बरियारपुर में लोकदल कार्यकर्ता गुनराज को मारने की थाने में दर्ज रिपोर्ट

95--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत थाना कोतवाली के ग्राम बरियारपुर में गत 14 नवम्बर, 1981 को लोकदल कार्यकर्ता गुनराज को मारा-पीटा गया जिसकी रपट थाने में दर्ज हुई ? यदि हां, तो मुलजिमानों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, प्राप्त सूचना के अनुसार विवेचनोपरान्त अभियुक्त डिग्रीचन्द्र पाण्डे, रविन्द्र कोइरी, गौरी व प्रद्युम्न के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 307 भा0 दं0 वि0 व 3/5 एक्सप्लोसिव ऐक्ट न्यायालय में प्रेषित किया गया जो विचाराधीन है ।

जनपद गोरखपुर में झंगहां से राजधानी मटियरा मार्ग का निर्माण

96--श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में झगहां से राजधानी मटियरा मार्ग जो विभाग में आ गया है इसी मार्ग के बीच की दूरी कम करने के विचार से एवं कम लगात में निर्मित होने वाली बाईपास सड़क झगहां थाने से मंगलपुर होते राजधानी मार्ग को भी लेकर आगामी वित्तीय वर्ष में बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, नहीं ।

धनाभाव के कारण ।

थाना फूलपुर चौकी सिंधोरा, जिला वाराणसी के हेड कांस्टेबिल तथा सिपाहियों के खिलाफ शिकायतें

97--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि फूलपुर थाने की चौकी सिंधोरा, जिला वाराणसी के हेड कांस्टेबिल तथा सिपाहियों के खिलाफ शिकायतें सिंधोरा निवासी भगवान दास ने डी0 आई0 जी0, वाराणसी, जिलाधीश, वाराणसी तथा एस0 एस0 पी0, वाराणसी एवं मुख्य मंत्री को अगस्त, 1981 में दी हैं ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थन-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच हेतु क्षेत्राधिकारी को आदेश दिये गये हैं और जांच प्रचलित है ।

जिला गाजीपुर में डकैती, कत्ल तथा पुलिस मुठभेड़ की दर्ज घटनायें

98--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला गाजीपुर में सन् 80 एवं अगस्त, 81 तक कितनी डकैतियां, कत्ल तथा पुलिस मुठभेड़ प्रत्येक थानों में हुये हैं और उनमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी--

प्रश्न में उल्लिखित अवधि के सम्बन्ध में वांछित सूचना का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1686 पर ।)

बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा भुगतान हेतु काटे गये चेकों की जांच

99--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने अक्तूबर, 79 से जून, 81 में किन-किन मदों पर कितने-कितने रुपये का चेक काट कर भुगतान किया है ? क्या सरकार चेक बुक संख्या 3870 द्वारा किए गये भुगतान चेक संख्या 3870/069 के पहले काटी गयी चेकों की जांच करायेगी कि वह कितने-कितने रुपए की थी और उसका भुगतान कैसे हो गया ? क्या यह सत्य है कि ट्रेजरी आफिसर, वाराणसी ने चेक नं0 3870/069 को नकली (फर्जी) करार देते हुए कैन्ट थाने में मार्च, 80 में रिपोर्ट दर्ज करायी और भुगतान नहीं होने दिया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा अक्तूबर 1979 से जून, 1981 तक वेतन मद "847" में 8,32,24,204.82 रु0 तथा भविष्य निधि मद '838' में 29,76,457.46 रु0 का चेक काट कर भुगतान किया गया । इन चेकों का भुगतान उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी के माध्यम से किया जाता है । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में प्रयुक्त होने वाली चेक बुक संख्या 3870 द्वारा चेक संख्या 069 के पूर्व 31,90,190.44 रु0 का चेक काटा गया है वह सही भुगतान हुआ है जिसका मिलान ट्रेजरी से कर लिया गया है। जी हां ।

100--श्री ऊदल--

[19-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 72-73 द्वारा उत्तरित ।]

101--श्री ऊदल--

[19-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 72-73 द्वारा उत्तरित ।]

102—श्री ऊदल—

[19-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 72-73 द्वारा उत्तरित ।]

थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर में टेपरिकार्डर तथा आभूषण की बरामदगी

103—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर में सन् 75 से लेकर सन् 80 के बीच में काफी आभूषण तथा टेप रिकार्डर कई मामलों में पकड़ कर मालखाने में जमा किया गया था ? क्या यह सत्य है कि टेप रिकार्डर तथा आभूषण अब मालखाने में नहीं हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित अवधि में थाना कोतवाली गाजीपुर में 13 मामलों में आभूषण तथा एक मामले में टेप रिकार्डर बरामद किये गये थे जिनमें से दिनांक 7-10-75 को रपट नं० 36 पर आधारित मुकदमे से सम्बन्धित आभूषण तथा एक अन्य मामले में बरामद टेपरिकार्डर स्थानीय मालखाने में जमा है । शेष मामलों में माल सदर मालखाना जमा किया गया अथवा न्यायालय के आदेश से नियमानुसार वापस किया गया ।

जिला गाजीपुर के मालखाने में जमा की गई विभिन्न थानों द्वारा बिजली की मोटरें

104—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 78 तथा 79 में दफा 411 के अन्तर्गत जिला गाजीपुर के विभिन्न थानों द्वारा बिजली की 25 मोटरें थाना कोतवाली जिला गाजीपुर के मालखाने में जमा की गयी है ? क्या यह सही है कि सभी मोटरें मालखाने से गायब हैं ? यदि हां, तो बिजली की मोटरों के सम्बन्ध में कोई मुकदमा न्यायालय में चल रहा था ? इस सम्बन्ध में कौन-कौन लोग जिम्मेदार पाये गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 1979 में धारा 41/411 भा० दं० वि० के अन्तर्गत थाना कोतवाली, गाजीपुर में पंजीकृत एक अभियोग में केवल एक बिजली की मोटर बरामद की गई थी जो उक्त थाने के मालखाने में जमा है ।

श्री बल्देव इंटर कालेज, बड़ागांव, वाराणसी में छात्रावास तुड़वा कर दुकान बनाने की योजना

105—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बल्देव इंटर कालेज, बड़ागांव, वाराणसी को सन् 55 या 56 में छात्रावास हेतु 50 हजार से ऊपर रुपया दिया गया था और छात्रावास बना हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त छात्रावास को जुलाई, 81 में श्री बल्देव डिग्री कालेज को ट्रांसफर करके उसे परिवर्तित किया गया है और उसको तोड़वा कर दुकान बनाने की योजना है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय क्वींस कालेज, वाराणसी के प्रधानाचार्य के अस्वस्थ होने से रिक्त स्थान पर नई नियुक्ति तथा अध्यापकों तथा विधायकों द्वारा दिया गया ज्ञापन

106--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय क्वींस कालेज, वाराणसी, के प्रधानाचार्य अर्सा दो वर्ष से बीमार चल रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रश्न के ऊपर विचार करेगी कि उनको कहीं आराम की जगह दिया जाय और वहां एक अनुभवी स्वस्थ तथा योग्य प्रिंसिपल की नियुक्ति की जाय ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

107--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या उक्त कालेज के अध्यापकों एवं वाराणसी के कई विधायकों ने इस सम्बन्ध में 20 अगस्त, 1981 से पूर्व ज्ञापन भी भेजा है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला वाराणसी के निवासियों द्वारा थाना रोहनियां की पुलिस की शिकायत पर जांच

108--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कपर फोरवा, थाना रोहनियां, जिला वाराणसी के निवासियों ने पुलिस अधीक्षक, वाराणसी तथा जिलाधीश, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र अगस्त, 81 के तीसरे सप्ताह में देकर थाना रोहनियां की पुलिस की शिकायत की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्रश्न में उल्लिखित आशय के प्राप्त शिकायती प्रार्थन-पत्र पर क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच प्रचलित है ।

गांव कपर फोरवा, थाना रोहनियां, जिला वाराणसी के मंदिर से सोने की कलश की चोरी

109--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 1-8-31 को गांव कपर फोरवा, थाना रोहनियां, जिला वाराणसी के मंदिर से 50 हजार रु0 का सोने का कलश चोरी हो गया ? क्या यह सही है कि उक्त चोरी में जित्तूराम को पकड़ कर 6 दिन

थाने में रखा गया और उसके बाद जल भेजा गया ? क्या गांव के लोगों ने रोहनियां पुलिस से अपनी रक्षा की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 1-8-81 को थाना रोहनियां के अन्तर्गत ग्राम कपर फोरवा के एक मंदिर के ऊपरी भाग में लगे सोने का सामान, कलश व त्रिशूल का कुछ भाग दिनांक 31-7-81 की रात में चोरी होने की सूचना दी गयी जिसके आधार पर धारा 379 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की गई । चोरी गये माल व अभियुक्तों का पता न लग सकने के कारण उक्त मामले में विवेचनोपरान्त अन्तिम रिपोर्ट लगाई गई ।

उक्त घटना के सम्बन्ध में जित्तूराम नामक व्यक्ति को गिरफ्तारी नहीं की गयी थी । वास्तविकता यह है कि ग्राम कपर फोरवा निवासी जित्तूराम को दिनांक 5-8-81 को नाजायज असलहे के साथ थाना रोहनियां की पुलिस ने गिरफ्तार किया था । इस सम्बन्ध में धारा 25 आर्म्स ऐक्ट का अभियोग, थाना रोहनियां पर कायम किया गया जिसमें दिनांक 6-8-81 को आरोप पत्र भेजा गया ।

बसनी प्रा0 पाठशाला ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के श्री लल्लू राम, बुद्ध राम, समसुद्दीन, शोभ नाथ सिंह का निलम्बन

110--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ने अपने पत्रांक 409/81-82, दिनांक 25 जून, 1981 द्वारा बसनी प्रा0 पा0 ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के लल्लूराम, बुद्धूराम, समसुद्दीन, शोभनाथ सिंह को निलम्बित कर दिया है और उप जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और चार्जशीट देने को लिखा है ? यदि हां, तो क्या चार्जशीट दे दी गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

श्री बांकेलाल, उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण

111--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बांके लाल, उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने 13-5-81 को बड़ागांव, ब्लाक वाराणसी के किन-किन प्राइमरी स्कूलों का निरीक्षण किया और उनकी रिपोर्ट क्या है ? क्या यह सही है कि उन्हीं की रिपोर्ट पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तीन उपरोक्त अध्यापकों को निलम्बित कर दिया है और उक्त डी0 आई0 को ही जांच अधिकारी नियुक्त किया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

उप विद्यालय निरीक्षक, श्री बांके सिंह ने दिनांक 13-5-81 को विकास क्षेत्र, बड़ागांव के अन्तर्गत एक बेसिक प्राइमरी पाठशाला बसनी का निरीक्षण किया है । उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आकस्मिक

रीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक, सर्वश्री लल्लूराम, बुद्धराम, समसुद्दीन तथा शोभानाथ सिंह बिना किसी अवकाश आवेदन पत्र के विद्यालय से अनुपस्थित पाये गये। अध्यापकों का यह कार्य अध्यापक सेवा नियमों की अवहेलना, अनुशासनहीनता, अपने कार्यों के प्रति उदासीनता का स्पष्ट प्रमाण है एवं इस ओर इंगित करता है कि ये अध्यापक निर्भय होकर विद्यालय से अनुपस्थित रहने के आदी हैं और उक्त अध्यापकों को निलम्बित करने की संस्तुति की, जिसके आधार पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी ने अपने आदेश दिनांक 25-6-1981 के द्वारा उक्त चारों अध्यापकों को निलम्बित कर दिया है। उप विद्यालय निरीक्षक ग्रामीण इकाई के प्रशासनिक अधिकारी हैं इसलिए उन्हें जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मुजफ्फरनगर के भोपा क्षेत्र में मजदूरों का अवशेष भुगतान

112--श्री कुबर भन्डारी--

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम भोपा, जिला मुजफ्फरनगर में कार्यरत 50 मजदूरों का माह जून, 81 जुलाई, 81 अगस्त, 81, सितम्बर 81 अक्तूबर 81 का वेतन अधिकारियों द्वारा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर रेंज के भोपा क्षेत्र में जून, 1981 से सितम्बर, 1981 के मध्य जिन मजदूरों को काम पर रखा गया था, उनकी मजदूरी का पूरा-पूरा भुगतान कर दिया गया था। कोई भुगतान अवशेष नहीं हैं। माह अक्तूबर, 1981 में कोई मजदूर नहीं रखा गया था चूकि भुगतान किया जा चुका है, अतः किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कतिपय जिलों में डकैतों को संरक्षण देने से संबंधित व्यक्तियों की सूची

113--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डकैतों को संरक्षण देने आदि से सम्बन्धित व्यक्तियों की कोई सूची सरकार ने माह अक्तूबर व नवम्बर, 1981 में तैयार की है ? यदि हां, तो उस सूची में कितने व्यक्ति राजनैतिक या राजनैतिक लोगों के सम्पर्क में रहने वाले हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के कतिपय जिलों के प्रश्नगत आशय की सूचियां बनायी गई हैं। इन सूचियों के संबंध में कोई विवरण दिया जाना जनहित में नहीं होगा।

गोरखपुर जिले के हिरना नाला में कार्यरत व्यक्ति की मृत्यु तथा पत्नी को अंतरिम क्षतिपूर्ति

114---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश रा0 सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन गोरखपुर के जिले हिरना नाला (धुधली कस्बे के पास)

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--]

चन्द माह पूर्व कार्यरत एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई ? यदि हां, तो मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई ? उनके लिए दोषी कौन अधिकारी है ? क्या इस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? एवं मृतक के परिवार को कितना एवं कब मुआवजा दिया गया ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

कुंये की कांक्रीटिंग हेतु लगाये गये रैम्प की एक चादर के खिसक जाने से गिट्टी ले जा रहा प्रश्नगत व्यक्ति कुंये में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई ।

इस दुर्घटना के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मृतक की पत्नी को अंतरिम क्षतिपूर्ति के रूप में दिनांक 10-9-81 को 1000 रु० नकद दे दिये गये हैं । आयुक्त क्षतिपूर्ति, गोरखपुर को मुआवजा निर्धारण हेतु लिखा गया है ।

115--श्री राम चरण सिंह--

[6ठे मंगलवार के लिये स्थगित]

श्री मेवा राम, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं से संबंधित शिकायती पत्र

116--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 16-12-80 के साथ श्री राम शब्द राय द्वारा श्री मेवाराम, सहायक अभियन्ता द्वारा की गई गम्भीर आर्थिक अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायती-पत्र माननीय मंत्री जी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस अधिकारी से करायी गयी हैं ? जांच के क्या परिणाम निकले हैं ? क्या जांच के समय शिकायतकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये अवसर उपलब्ध किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां प्रश्नगत शिकायती पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच विभाग द्वारा कराई जा रही है । जांच आख्या अपेक्षित है ।

टाउन इन्टर कालेज, मोहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार, अराजकता से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

117--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन इंटर कालेज, मोहम्मदाबाद गोहना, आजमगढ़ में व्याप्त भ्रष्टाचार, कुव्यवस्था एवं अराजकता से सम्बन्धित श्री राम जनम सिंह का पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 22-11-80 के साथ मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उसमें शिकायतें क्या हैं और इस सम्बन्ध में 31-10-81 तक क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

विद्यालय में दो प्रधानाचार्यों एवं दोहरी व्यवस्था के कारण पठन–पाठन का कार्य ठप्प होना, वर्तमान प्रबन्ध तन्त्र अलोकतांत्रिक होने के कारण अवैधानिक होना, भूतपूर्व प्रधानाचार्य द्वारा की गई अवैधानिक नियुक्तियां, प्रबन्धक द्वारा प्रधानाचार्य को अवैधानिक नियुक्ति तथा प्रबन्धक द्वारा की गई आर्थिक अनियमितताओं आदि की प्रमुख शिकायतें हैं ।

शिक्षा निदेशक को जांच कराने तथा आख्या भेजने के निदेश दे दिये गये हैं ।

पिंडरा कठिरांव मार्ग, जिला वाराणसी के रामपुर में बाई पास का निर्माण

118––श्री ऊदल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिंडरा कठिरांव मार्ग, जिला वाराणसी के रामपुर में बाई पास अब तक नहीं बन पाया ? क्या यह सही है कि किसान जमीन देने के लिये तैयार हैं उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि बाई पास का वह हिस्सा रुका पड़ा है जो एक बन्दोबस्ती बाग में है ? इसका समाधान करने के लिये विभाग ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री अम्मार रिजवी––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बड़ागांव, कुंडी चिलबिला, कुरु मार्ग, वाराणसी पर निर्माण कार्य

119––श्री ऊदल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि बड़ागांव, कुंडी, चिलबिला, कुरु मार्ग, वाराणसी पर अभी तक कोई कार्य शुरू न करने का कारण क्या है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग को कछवां सब डिवीजन को दिया गया है जो उक्त मार्ग से बहुत ही दूर है ?

श्री अम्मार रिजवी––

कार्य का प्रारम्भ किया जाना भूमि की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जी नहीं ।

वाराणसी–जौनपुर मार्ग, स्थान फूलपुर में सड़क संरेखण पर विचार

120––श्री ऊदल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी–जौनपुर मार्ग में स्थान फूलपुर में सड़क को सीधा करने हेतु अर्सा चार वर्ष से जमीन छोड़ दी गयी है और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सीमा पत्थर भी लगाये हैं उसको अब तक न बनाने का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

सड़क के संरेखण का मामला विचाराधीन है ।

पिडरा-कठिरांव मार्ग, वाराणसी में स्थान जमापुर में पुलिया का निर्माण

121--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि पिडरा-कठिरांव मार्ग, वाराणसी में स्थान जमापुर में एक पुलिया का निर्माण अर्सा दो वर्ष से स्वीकृत होकर पड़ा है ? क्या यह सत्य है कि पुलिया न बनाने से बरसाती पानी इकट्ठा होता है ? यदि हां, तो इसका कब तक निर्माण हो जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं ।

जी हां ।

मार्च, 1982 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

थाना बिसौली, जिला बदायूं के मुल्जिमों की क्षेत्राधिकारी, दातागंज द्वारा जांच

122--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि इल्जाम नम्बर 207/81 थाना बिसौली, जिला बदायूं जो धारा 395/242 ता0 रा0 हिन्द जिसमें समस्त पुलिसजन ही मुल्जिम हैं, की जांच कौन कर रहा है ? इस मुकदमें में अब तक चार्जशीट क्यों नहीं लगाई गई है ? क्या यह सत्य है कि स्थानीय पुलिस तथ्यों को छिपाकर फाइनल रिपोर्ट लगाकर पुलिसजनों को नाजायज तरीके से बचाना चाहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार अपराध संख्या 207/81, धारा 395/342 भा0 दं0 वि0 थाना बिसौली, जनपद बदायूं की विवेचना क्षत्राधिकारी, दातागंज, बदायूं द्वारा की जा रही है ।

मुकदमें की विवेचना इस कारण पूरी नहीं की जा सकी क्योंकि गवाहों के भिन्न-भिन्न स्थान पर रहने के कारण उनके बयान नहीं लिये जा सके थे । कृत विवेचना के आधार पर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जा रही है । यह सही नहीं है कि किसी को तथ्य छुपा कर बचाने का प्रयास हो ? अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विवेचना कराने की आवश्यकता नहीं है ।

कोपागंज-सिपाट रोड, जनपद आंजमगढ़ में सम्पर्क मार्ग का निर्माण

123--श्री राज कुमार राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आंजमगढ़ जनपद के घोसी तहसील में कोपागंज-सिपाट रोड में एक सम्पर्क मार्ग अरमापुर से 1978-80 में स्वीकृत किया गया था ? क्या उक्त सम्पर्क मार्ग अब तक पूरा नहीं कराया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, झामकपुर मर्यादपुर की प्रबन्ध समिति का पुनर्गठन

124--श्री राजकुमार राय--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि आजमगढ़ के जनपद गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, झामकपुर मर्यादपुर, आजमगढ़ की प्रबन्ध समिति किन परिस्थितियों वश भंग कर दी गई है ? उक्त समिति का पुनः रजिस्ट्रेशन होने के उपरान्त भी अब तक उक्त समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में जूनियर बसिक विद्यालय में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पद

125--श्री राजकुमार राय--

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि 31 मार्च, 1981 तक आजमगढ़ जनपद में कितने जूनियर बेसिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक नहीं हैं और क्यों ? क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ ने जनवरी, 1981 में इन रिक्तियों की पूर्ति के लिए शासन से स्वीकृति मांगी थी ? यदि हां, तो उसका पूरा विवरण क्या है ? शासन उसमें क्या कर रहा है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

बेसिक शिक्षा परिषद्, आजमगढ़ के अन्तर्गत 31 मार्च, 1981 तक 67 ग्रामीण क्षेत्र के और एक नगर क्षेत्र के प्राइमरी स्कूल में प्रधान अध्यापक नहीं थे, क्योंकि पदोन्नति हेतु सहायक अध्यापकों की ज्येष्ठता सूची तैयार नहीं थी।

जी नहीं, जिला चयन समिति, रिक्तियों को भरने के लिये स्वयं सक्षम है । अद्यावधि स्थिति के अनुसार 67 प्राइमरी विद्यालयों (ग्रामीण क्षेत्र) की रिक्तियां भरी जा चुकी हैं । नगर क्षेत्र की एक रिक्ति का मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

भदोही नगरपालिका, जिला वाराणसी में बाईपास का निर्माण

126--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भदोही नगरपालिका, जिला वाराणसी में बाईपास जौनपुर चील्ह मार्ग, मिर्जापुर के लिये 5, 6 वर्षों से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो बाईपास अब तक न बनाने का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत बाई पास के निर्माण का प्रस्ताव इसी वर्ष प्राप्त हुआ है जो शासन के विचाराधीन है । केवल भूमि अध्याप्ति की स्वीकृति वर्ष 1978 में दी गयी थी ।

बाईपास की लम्बाई तथा भूमि की लागत में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण भूमि अध्याप्ति के आगणन का मामला शासन के विचाराधीन हैं ।

पिंडरा-देवराई-सरांय मार्ग, जिला वाराणसी का निर्माण

127--श्री ऊदल--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पिंडरा-देवराई-सरांय मार्ग, ब्लाक पिंडरा जिला वाराणसी कब तक बना दिया जायेगा ? क्या इस पर दो फर्लांग मिट्टी का कार्य किया जा चुका है ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण भूमि, धन एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

लगभग 300 मीटर की लम्बाई में मिट्टी का कार्य किया जा चुका है ।

128--129--श्री रामस्वरूप वर्मा--

[9-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 185-186 द्वारा उत्तरित ।]

कार्यरत सैनिक, श्री अरविंद्र कुमार का आवास सुविधा प्रदान करने हेतु प्रार्थना-पत्र

130--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सैनिक कल्याण मंत्री बतायेंगे कि शासनादेश संख्या 390/12-5/(40) रा0 अनु0-2, दिनांक 18-3-75 के सन्दर्भ में शासन ने सभी जिलाधिकारियों को पत्रांक 162 (1) से0 क0 12-5/(48)-74, दिनांक 27-2-76 के माध्यम से यह निर्देश दिए थे कि भारतीय सेवा में कार्यरत जवानों के प्रार्थना-पत्रों की समस्याओं का कड़ाई के साथ अविलम्ब निराकरण करके इसकी सूचना सम्बन्धित सैनिक को अविलम्ब दें ताकि सैनिकों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि माह सितम्बर, 1981 में आयुक्त, बरेली मंडल, बरेली एवं जिलाधिकारी व सचिव, जिला सैनिक परिषद्, शाहजहांपुर को कुछ अ0 शा0 पत्र 66 ई0 एम0 ई0 बटालियन 99 ए0 पी0 ओ0 के कमान्डिंग आफिसर की ओर से कार्यरत सैनिक अरविन्द कुमार (निवासी बिरियागंज, तिलहर, शाहजहांपुर) को विभिन्न शासनादेशों के मुताबिक आवास सुविधा प्रदान करने हेतु प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो इसके निराकरण में अभी तक शासनादेशों की अवहेलना किस स्तर से तथा क्यों की जा रही है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

जी हां ।

श्री अरविन्द्र कुमार का प्रार्थना-पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु नगरपालिका, तिलहर को भेज दिया गया था । जहां नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है । अतः शासनादेशों की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता है ।

औद्योगिक संस्थान एवं टी० ए० पी० योजनान्तर्गत सहायक अभियन्ता एवं इंजीनियर मैनेजर के पदों पर कार्यरत डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स के वेतनमान

131—श्री मोहन सिंह—

क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उद्योग निदेशालय, कानपुर के अन्तर्गत औद्योगिक संस्थान एवं टी० ए० पी० योजनान्तर्गत सहायक अभियन्ता एवं इंजीनियर मैनेजर के पदों पर कार्यरत डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स के दो वेतनमान हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से ?

श्री नियाज हसन खां—

जी हां ।

औद्योगिक आस्थान एवं टी० ए० पी० योजनान्तर्गत सहायक अभियन्ता एवं इंजीनियर मैनेजर के पदों पर कार्यरत डिग्रीधारी एवं डिप्लोमाधारी इंजीनियर्स के दो वेतनमान निम्नलिखित हैं :—

वर्तमान वेतनमान	द्वितीय वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित
रु० 550-1200	850-1,720 (डिग्रीहोल्डर्स)
रु० 450-950	690-1,420 (डिप्लोमाधारी)

प्रबन्ध (तकनीकी) जिला उद्योग योजना एवं वर्कशाप अधीक्षक, राजकीय उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला के पदों पर कार्यरत इंजीनियरों का वेतनमान तथा प्रबन्ध (टेक्नोलोजी) के पदों के वेतनमान में अन्तर

132—श्री मोहन सिंह—

क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रबन्धक (तकनीकी) जिला उद्योग योजना (आर० आई० पी० जिलों को छोड़कर) एवं अधीक्षक, राजकीय उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला के पदों पर कार्यरत डिग्रीधारी इंजीनियर्स का वेतनमान क्या है ?

श्री नियाज हसन खां—

प्रबंधक (तकनीकी) जिला उद्योग योजना (आर० आई० पी० जिलों को छोड़कर) एवं वर्कशाप अधीक्षक, राजकीय उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला के पदों पर कार्यरत इंजीनियरों का वर्तमान वेतनमान 450-950 रु० है जिसे द्वितीय वेतन आयोग ने 690-1,420 रु० में पुनरीक्षित किया है ।

133—श्री मोहन सिंह—

क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उद्योग विभाग एवं अन्य विभागों के डिग्रीधारी इंजीनियर्स की तुलना में प्रबन्धक, टेक्नालोजी एवं अधीक्षण, राजकीय उपकरण कक्ष एवं परीक्षण प्रयोगशाला के पदों पर कार्यरत अधिकारी इंजीनियर्स का वेतनमान कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

जी हां ।

प्रबन्धक (टेक्नालोजी) के पदों का वेतनमान निम्नतर होने का कारण यह मालूम होता है कि इन पदों के लिये डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी भी अर्ह हैं और तद्नुसार 450–950 रु0 का वेतनमान सामान्यतः रखा गया है । यदि कोई उच्चतर योग्यता का अभ्यर्थी अर्थात् डिग्रीधारी अभ्यर्थी आता है तो उसे भी उपर्युक्त सामान्य वेतनमान ही दिया जाता है । केवल प्रदेश के 13 महत्वपूर्ण (आर0 आई0 पी0) जिलों में 550–1200 का उच्चतर वेतनमान रखा गया है । वेतन आयोग ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया कि प्रबंधकों के सभी पद एक ही स्तर के उत्तरदायित्व वाले हैं ।

अधीक्षक, प्रयोगशाला का पद 1973 के वेतन आयोग के पूर्व रु0 250–750 के वेतनमान में था और इस वेतनमान का पुनरीक्षित वेतनमान वेतन आयोग ने सामान्यतः 450–950 रु0 ही किया था । तद्नुसार अधीक्षक प्रयोगशाला का वेतनमान 450–950 निर्धारित हुआ था जो अब द्वितीय वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित करके 690–1420 रु0 कर दिया गया है ।

प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, श्री कृष्ण बिहारी गुप्त को पेंशन/ग्रेच्युटी का भुगतान

134—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण बिहारी गुप्त, एस0 डी0 आई0 पद से जिला गोरखपुर से 31–12–77 को अवकाश प्राप्त कर लेने के चार वर्ष बाद तक आज भी उनको पेंशन/ग्रेच्युटी/उपार्जित अवकाश, नगदीकरण/बीमा की धनराशि आदि का भुगतान शिक्षा निदेशालय द्वारा नहीं किया जा सका है ? यदि हां, तो क्यों ? अब कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां, श्री कृष्ण बिहारी गुप्त पहले जिला परिषद् में शिक्षक थे । उसके पश्चात् परिषदीय विद्यालय में प्रधानाध्यापक रहे । परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक के संवर्ग से वे प्रति उप विद्यालय निरीक्षक हुये, जिस पद से वे अस्थायी रूप से सेवा निवृत्त हुये । इस प्रकार शासकीय तथा अशासकीय सेवा होने एवं अस्थायी राजकीय कर्मचारी की हैसियत से सेवा निवृत्त होने के कारण उनके पेन्शन प्रकरण आदि वर्तमान नियमों से आच्छादित नहीं होते ।

अकबरपुर, जिला फैजाबाद स्थित मालीपुर–धौरुआ सड़क का निर्माण

135—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री शेर बहादुर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के चौथे मंगलवार को निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 92 के उत्तर के संदर्भ में क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क शासन द्वारा मालीपुर नेमपुर घाट के नाम से स्वीकृत हुई थी ? यदि हां, तो कितना भाग नेमपुर घाट तक बनाने को शेष रह गया है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गांव बछांव, थाना रोहनियां, जिला वाराणसी में पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये कत्ल, लूट मारपीट की घटना सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

136—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तारीख 5-11-1981 व 6-11-81 को गांव बछांव, थाना रोहनियां, जिला वाराणसी में रोहनियां थाने के थानेदार व 12 कांस्टेबुल ने बछांव गांव में रात 1 बजे जाकर घर में घुस कर मटरू उर्फ जलालउद्दीन व खालिक को बुरी तरह मारा तथा घायल कर दिया और उसी रात थाना रोहनियां में लाकर भी पिटाई की ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि गांव के नागरिकों ने तारीख 6-11-1981 को पुलिस अधीक्षक, वाराणसी, जिलाधीश व डी0 आई0 जी0, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उस प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सदन की मेज पर रखेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का प्रार्थना-पत्र 19-11-1981 को प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच की गई और आरोप प्रमाणित नहीं हुए। वस्तुस्थिति यह है कि धारा 396 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए एक अभियोग की विवेचना के दौरान ग्राम बछांव के कतिपय व्यक्तियों को थाने पर बुलाया गया था और पूछताछ के उपरान्त छोड़ दिया गया। प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 1690 पर।)

137—श्री ऊदल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

138—श्री हरिवंश सहाय तथा श्री कुबेर भण्डारी—

[9-2-1982 को अतारांकित प्रश्न संख्या 51 द्वारा उत्तरित।]

देवरिया जिले में पुलिस-डकैत मुठभेड़ में मारे गये डकैतों के नाम व पते

139—श्री नन्द किशोर सिंह—

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिले में 1 जनवरी, 1981 से 15 नवम्बर, 1981 तक कितने डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं ? थाना वाइज डकैतों के नाम एवं पते क्या हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्रश्नगत अवधि में देवरिया जिले में 20 डकैत, पुलिस-डकैत मुठभेड़ में मारे गए हैं।

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 1693 पर।)

जिला आजमगढ़, विकास खंड फूलपुर के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल अमरेथू के भवन निर्माण में व्यय

140--श्री लालसा--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़, विकास खण्ड फूलपुर के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल अमरेथू के भवन निर्माण कितने वर्षों से और किसकी देखरेख में कराया जा रहा है और इस निर्माण कार्य में सरकार का कुल कितना धन व्यय हो रहा है ? वर्तमान समय में उक्त विद्यालय के भवन निर्माण की प्रगति रिपोर्ट क्या है और इसे पूर्ण होने में अभी कितना समय लगेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जिला आजमगढ़, विकास खंड फूलपुर के अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल अमरेथू का भवन निर्माण जून, 1979 से ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा किया जा रहा है और कार्य श्री पी0 के0 गुप्त, सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, आजमगढ़ की देखरेख में हो रहा है तथा प्राक्कलन के अनुसार इस स्कूल भवन के निर्माण पर कुल 59 150·00 रु0 के व्यय का अनुमान है । निर्माण कार्य लिंटल स्तर तक पूरा हो चुका है तथा अब तक किये गये कार्य पर 5,8 02 ₹0 का व्यय हो चुका है । ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अनुसार, कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं तथा कार्य पूरा होने में तीन चार माह का समय और लगेगा ।

उन्नाव जनपद के पुरवा बीघापुर मार्ग पर कार्य करने वाले बेलदारों की बकाया मजदूरी का भुगतान

141--श्री भगवती सिंह विशारद--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि उन्नाव जनपद के पुरवा बीघापुर मार्ग पर कार्य करने वाले बेलदारों को दिनांक 26 अप्रैल, 1981 से 25 मई, 1981 तक का वेतन मजदूरी अदा नहीं की गई है ? यदि हां, तो मजदूरी वेतन न दिए जाने के क्या कारण हैं और अब इसको अदायगी कब तक हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

वेतन का भुगतान पूर्ण रूप से कर दिया गया है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ श्री पंचम लाल के विरुद्ध शिकायती पत्र

142--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ श्री पंचम लाल के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र दिनांक 13-10-1981 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

तहसील सगड़ी, जनपद, आजमगढ़ की प्राइमरी पाठशाला की छत टूट जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

143—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री एनुलहक, प्रधान, ग्राम सभा, खलिसपुर, तहसील सगड़ी, जनपद आजमगढ़ का प्राइमरी पाठशाला के छत की बीम टूट जाने से सम्बन्धित शिकायती-पत्र प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 10-9-1980 के साथ जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

आजमगढ़ जनपद की वर्ष 1980-81 में स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु 7,50,000 रु0 का अनुदान स्वीकृत हुआ था। जिला परिषद्, आजमगढ़ की इस धनराशि से स्कूल भवनों की मरम्मत करनी थी। जिला परिषद् ने धनराशि से 52 विद्यालयों की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ किया है और उक्त स्कूल भवन की मरम्मत इस धनराशि से किया जाना सम्भव नहीं है भविष्य में धनराशि के उपलब्ध होने पर प्रश्नगत विद्यालय भवन की मरम्मत हो सकेगी परन्तु उसके लिये किसी अवधि का बताया जाना सम्भव नहीं है ।

आजमगढ़ जनपद के आग्नेयास्त्र के दुकानदारों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

144—श्री पंचानन राय—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद के आग्नेयास्त्र के दुकानदारों द्वारा मनमाने दर पर कारतूस बेचने तथा स्टाक रजिस्टर उचित तरीके से न रखने आदि की शिकायतों से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-10-80 जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, संदर्भित पत्र पर जांच करायी गई किन्तु की गई शिकायत सिद्ध नहीं हुई ।

जनता इन्टर कालेज, अम्बारी, आजमगढ़ में आर्थिक अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायती-पत्र

145—श्री पंचानन राम—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनता इन्टर कालेज अम्बारी, आजमगढ़ में भारी आर्थिक अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 13-10-80 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और उनकी जांच किस अधिकारी से कराई गयी तथा जांच के क्या परिणाम निकले और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

प्रमुख शिकायतें निम्न हैं—

1—फीस प्राप्ति के फार्म बेंच कर प्राप्त धन किसी फण्ड में जमा न करके प्रधानाचार्य अपने पास रखते हैं ।

2—विद्यालय की कृषि से हुई आय विद्यालय में जमा न करके प्रधानाचार्य के पास पड़ी है ।

3—गृह परीक्षाओं में उत्तर पुस्तिकाओं की बिक्री से प्राप्त धन विद्यालय के किसी खाते में जमा न करके प्रधानाचार्य के पास जमा होना है ।

4—प्रयोग किये गये समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की बिक्री का सारा धन कहीं नहीं जमा होता ।

5—वर्ष 1977-78 में प्रवेश के समय चन्दा अभियान चलाया गया और प्राप्त धन का हिसाब प्रधानाचार्य ने प्रबन्ध समिति को नहीं दिया ।

6—प्रधानाचार्य ने फर्जी यात्रा दिखा कर विद्यालय से धन प्राप्त किया ।

7—विद्यालय के मद में खर्च के वाउचर अधिकतर बिना छपे और फर्जी हैं ।

8—काशन मनी छात्रों को लौटाया नहीं जाता ।

शासन द्वारा दिनांक 30-1-81 को शिक्षा निदेशक, उ० प्र० को निर्देश दिये गये थे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ से जांच करा कर पूर्ण आख्या शासन को अतिशीघ्र भेजें । जांच आख्या शासन को अभी प्राप्त नहीं हो पाई है ।

146—श्री प्रियदर्शी जेतली—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

वृद्धावस्था पेन्शन योजना नियमवली में पेन्शन स्वीकृत करने की प्रक्रिया समयबद्ध करने पर विचार

147—श्री हरिवंश सहाय—

क्या श्रम मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी वृद्धावस्था पेन्शन की स्वीकृति की प्रक्रिया को समयबद्ध करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या होगी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेन्शन योजना नियमावली में पेन्शन स्वीकृत करने की प्रक्रिया को पहले से ही समयबद्ध किया जा चुका है ।

वृद्धावस्था पेन्शन नियमावली के नियम 3(1) के अनुसार पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र दो प्रतियों में तहसीलदार को दिया जायेगा, जो प्रार्थना-पत्र की जांच दो मास के भीतर पूर्ण करके प्रार्थना-पत्र की एक प्रति अपनी संस्तुति सहित जिलाधिकारी को भेज देंगे । तहसीलदार से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की जांच जिला-

धिकारी करेंगे । यदि उक्त प्रार्थना–पत्रों को जिलाधिकारी अस्वीकृत करते हैं, तो उसकी सूचना वे प्रार्थी तथा सम्बन्धित तहसीलदार को प्रार्थना–पत्र की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर देंगे ।

यदि जांच के बाद प्रार्थना–पत्र सही पाया जाता है, तो जिलाधिकारी / अतिरिक्त जिलाधिकारी उसे स्वीकृत करेंगे और प्रत्येक पेन्शन पाने वाले को एक संख्या आवंटित करेंगे तथा उसकी सूचना 15 दिनों के भीतर पेन्शन प्राप्तकर्ता तथा तहसीलदार को देंगे ।

148––श्री सत्यपाल सिंह––

[6ठें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

पश्चिमी अल्मोड़ा में ग्रामवासियों द्वारा अवैध कटान के सम्बन्ध में कार्यवाही

149––श्री जसवन्त सिंह विष्ट––

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि कम्पाट नं0 1 से 8 तक बिल्लेख बीट रेंज गनिया घौली (पश्चिमी अल्मोड़ा) में ग्रामवासियों द्वारा गत दो वर्ष से अवैध कटान के स्लीपर तथा गिल्टे रोके गये हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह––

जी नहीं ।

प्रश्नगत बीट में गत दो वर्षों में अवैध कटान का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया । प्रश्न नहीं उठता ।

सचिवालय में पी0 सी0 एस0 तथा आई0 ए0 एस0 कैडर के अधिकारियों की पदोन्नति

150––श्री राम आसरे वर्मा––

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में पी0सी0एस0 तथा आई0 ए0 एस0 कैडर के कितने अधिकारी ऐसे हैं जो 3 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही पद पर नियुक्त हैं ? उक्त संवर्गों के कितने अधिकारी ऐसे हैं जो वरिष्ठ वेतनमान में प्रोन्नत किये जाने के उपरान्त भी उन्हीं पदों पर अभी तक बने हुये हैं, जिन पर कनिष्ठ वेतनमान में वे नियुक्त किए गये थे और क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी––

उत्तर प्रदेश सचिवालय में पी0 सी0 एस0 संवर्ग के 6 अधिकारी एवं आई0 ए0 एस0 संवर्ग के दो अधिकारी 3 वर्ष से अधिक अवधि से एक ही पद पर नियुक्त हैं । पी0 सी0 एस0 संवर्ग के 5 अधिकारी एवं आई0ए0एस0 संवर्ग के दो अधिकारी ऐसे हैं जो कनिष्ठ वेतनमान से ज्येष्ठ वेतनमान में प्रोन्नत किये जाने के उपरान्त भी उन्हीं पदों पर नियुक्त हैं । यह सभी अधिकारी इन पदों पर जनहित में नियुक्त हैं ।

151––श्री पंचानन राय––

[6ठें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

थाना बेवाना के अन्तर्गत ग्राम कुरचा के प्रधान, श्री सन्तू राम के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता तथा गबन आदि का आरोप

152—श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री आजाद कुमार कर्दम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम कुर्चा, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद के प्रधान के विरुद्ध 8-5-78 को थाना बेवाना क्रम संख्या 53, धारा 406, 409 भारतीय दन्ड संहिता के अन्तर्गत कोई मुकदमा कायम हुआ था? यदि हां, तो किन आरोपों पर तथा किसके आदेश से ? अब तक उपरोक्त जांच में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां ।

थाना बेवाना के अन्तर्गत ग्राम कुरचा के प्रधान, श्री सन्तू राम के विरुद्ध गांव सभा फण्ड में वित्तीय अनियमितता तथा गबन आदि करने के विशिष्ट आरोप थे । अतः परगना मजिस्ट्रेट अकबरपुर के आदेशानुसार थाना बेवाना में दिनांक 8-5-78 को अपराध सं० 53 धारा 406/409 भा० दं० वि० का पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना की जा रही है ।

अल्मोड़ा जनपद में श्री चन्दूराम, ठेकेदार को उ० मा० विद्यालय के भवन निर्माण के पश्चात् भुगतान

153—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद में श्री चन्दूराम, ठेकेदार को बागीघट उ० मा० विद्यालय के अधूरे कार्य के बावजूद मार्च, 1980 में सम्पूर्ण धनराशि दे दी गयी थी ? यदि हां, तो शासन जांच करेगी कि किन कारणों से उपरोक्त ठेकेदार को अधूरे कार्य का पूर्ण भुगतान किया गया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

मार्च, 1980 में ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं हुआ यद्यपि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के कारण धनराशि का बैंक ड्राफ्ट ठेकेदार के नाम 31 मार्च, 1980 को बनाया गया । उक्त बैंक ड्राफ्ट ठेकेदार को भुगतान किए जाने हेतु क्षेत्रीय उप विद्यालय निरीक्षक को दिनांक 17-6-80 को दिया गया । भवन अब बन चुका है ।

उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम टेक्निकल पदों पर कार्यरत इंजीनियरों का वेतनमान

154—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम टेक्निकल पदों पर कार्यरत इंजीनियरों के वेतनमान क्या हैं ? उनमें तथा अन्य सरकारी सेवाओं में कार्यरत इंजीनियरों के वेतनमान में कोई अन्तर हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

उ० प्र० वित्तीय निगम में टेक्निकल पदों पर कार्यरत इंजीनियरों के वेतनमान निम्नवत् हैं—

1—450-25-575-द० रो०-30-725-द० रो०-35-900-50-950 रु० ।

2—550-30-700-द० रो०-40-900-द० रो०-50-1200 रु० ।

3—650-30-800-द० रो०-50-1050-द० रो०-50-1300 रु० ।

4—800-50-1050-द० रो०-50-1300-द० रो०-50-1450 रु० ।

5—1400-50-1500-60-1800 रु० ।

उ० प्र० वित्तीय निगम में न्यूनतम श्रेणी का टेक्निकल पद 450-950 रु० के वेतनमान में है जिसके लिए कम से कम द्वितीय श्रेणी में इंजीनियरिंग डिग्री के साथ एक वर्ष का अनुभव निर्धारित है । निगम में तथा सरकारी सेवाओं में प्रत्येक पद के लिए जो वेतनमान निर्धारित किया जाता है वह केवल अर्हताओं के आधार पर नहीं वरन अनुभव, कार्य की प्रकृति एवं जिम्मेदारियों को भी दृष्टि में रखते हुए निर्धारित किया जाता है । निगम में कार्यरत इंजीनियरों व शासन के अन्तर्गत कार्यरत इंजीनियरों के कार्यों की प्रकृति भिन्न होने के कारण दोनों के वेतनमानों में कोई तुलना करना कठिन है । फिर भी उपर्युक्त वेतनमानों में से अधिकांश वेतनमान शासन में भी प्रचलित हैं ।

जिला हरदोई में सांडी-हरपालपुर मार्ग पर बने गर्रा नदी के पुल का निर्माण कार्य तथा पुल पर टैक्स की वसूली

155—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला हरदोई में सांडी-हरपालपुर मार्ग पर बने गर्रा नदी के पुल का निर्माण कार्य कब समाप्त हुआ था तथा तब से अब तक पुल पर टैक्स के रूप में कितना पैसा एकत्र हुआ ? क्या सरकार उक्त पुल का कब से टैक्स की वसूली बन्द करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिला हरदोई में बिलग्राम-सांडी-अल्लागंज मार्ग के 15 कि०मी० में स्थित गर्रा नदी के पुल का निर्माण कार्य वर्ष 1969 में समाप्त हुआ । तब से अब तक (जनवरी, 1982 के मध्य तक) पथकर के रूप में उक्त पुल पर 8,72,424 रु० वसूल हुए । पुल पर टैक्स वसूली बन्द करने हेतु कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है, क्योंकि पुल निर्माण की लागत नियमानुसार वसूल नहीं हुई है ।

ग्राम केदरवापुर, थाना डोह, जिला रायबरेली में पुलिस तथा डकैतों में मुठभेड़ तथा मजिस्टीरियल जांच

156—श्री भोखालाल—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रामश्री, निवासी ग्राम रातिपुर सरोड़ा, थाना माखो, जिला उन्नाव ने पुलिस अधीक्षक, उन्नाव को अगस्त,

1981 में एक प्रार्थना-पत्र देकर यह शिकायत की है कि दिनांक 28 जुलाई, 1981 को उसके 22 वर्षीय पुत्र लालमन को थाना अजगैन, जिला उन्नाव की पुलिस अन्य तीन लोगों के साथ घर से, पकड़कर ले गई और 29 जुलाई को जिले की सरहद पर स्थित थाना डीह, जिला रायबरेली की सीमा में फर्जी मुठभेड़ दिखाकर गोली से मार दिया ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गई ? जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्रीमती रामश्री, निवासी ग्राम रावतपुर सरोहा, थाना माखी, जिला उन्नाव का माह अगस्त, 1981 का कोई प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक उन्नाव के कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया । प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 29-7-81 की रात्रि में सुन्दर अभियुक्त अपने 6 साथियों सहित ग्राम केदरवपुर, थाना डीह, जिला रायबरेली में सीताराम कोरी के घर डकैती के प्रयास में गया तथा उसके दरवाजे पर सोई हुई उसकी लड़की जसोदा के कान से आयरन खींचा जिससे उसका कान फट गया और वह चिल्ला पड़ी । उसकी चिल्लाहट से ग्रामवासी जग गए और डकैतों का पीछा किया । जब अभियुक्त डीह से सूची जाने वाली सड़क पर परसदेपुर चौराहे के निकट पहुंचे तब परसदेपुर की ओर से गश्ती पुलिस दल से उनकी मुठभेड़ हुई तथा दोनों ओर से गोलियों का आदान-प्रदान हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप 7 डकैत घटनास्थल पर मारे गए। इन डकैतों में से एक लालमन, पुत्र बाबूलाल, निवासी रावतपुर सरोहा, थाना माखी, जिला उन्नाव भी था । घटना की मजिस्टीरियल जांच की जा रही है ।

157—श्री कुबेर भंडारी—

[5वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

स्नातक एवं विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा वेतनक्रमों में कार्यरत कथित जातियों के अध्यापकों को राजपत्रित वेतनक्रम में पदोन्नति

158—श्री सन्त बक्श रावत—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) 450-950 रु0 के वेतनक्रम के पदों पर पदोन्नति द्वारा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के क्रमशः 18, 2 के आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए स्नातक वेतनक्रम (300-550) तथा विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (450-950) वेतनक्रम में अध्यापकों को स्थायीकरण के प्रतिबन्ध से छूट देने सम्बन्धी कोई प्रक्रिया इस समय चल रही है ? यदि हां, तो क्यों ? नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी नहीं । सन्दर्भगत प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त स्नातक एवं विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा वेतनक्रमों में कार्यरत कथित जातियों के अध्यापकों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) वेतनक्रम में पदोन्नति हेतु निर्धारित स्थान होने के प्रतिबन्ध से छूट न देने का फरवरी, 1981 में निर्णय लिया जा चुका है ।

बी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुर्सी खेड़ा, कानपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति

159—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या शिक्षा मंत्री बी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल, कुर्सी खेड़ा, कानपुर से सम्बन्धित 10 मार्च, 1981 की कार्यसूची के अता0 प्रश्न संख्या 160 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि प्रश्नगत स्कूल में नवम्बर, 1979 से फरवरी 1980 तक तथा मार्च, 1980 से 5 दिसम्बर, 1980 तक कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की जो संख्या 8 व 7 बतायी गयी है, उन कर्मचारियों के नाम क्या हैं तथा उनकी नियुक्ति किसके द्वारा कब की गई और क्या जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उनकी नियुक्ति अनुमोदित कर दी गई है ?

चौधरी मौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

160—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

161—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री मसरूर जाफरी—

[8वें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

श्रमिक बस्ती, तालकटोरा, नगरमहापालिका, लखनऊ में रख-रखाव व सीवर की व्यवस्था

162—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तालकटोरा, श्रम कालोनी के गत 15 वर्ष में रख-रखाव, सफाई व सीवर की व्यवस्था के लिए क्या किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

श्रमिक बस्ती तालकटोरा, नगर महापालिका, लखनऊ के क्षेत्र में स्थित है । इस श्रमिक बस्ती में सीवरेज की कोई व्यवस्था नहीं है । अतः इस श्रमिक बस्ती का रख-रखाव, सफाई व सीवर की व्यवस्था सैप्टिक टैंक एवं सोकपिट के माध्यम से गत 15 वर्षों से कराई जा रही है । इस बस्ती की सामान्य सफाई सीवर की व्यवस्था, अन्य विकास कार्यों तथा रख-रखाव कराने का उत्तरदायित्व नगर महापालिका, लखनऊ का है । अतः श्रम विभाग द्वारा इनकी व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा में छात्रों की संख्या तथा चयनित छात्र

163—श्री गया सिंह—

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जुलाई, 1981 में प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए

प्रदेश में किन-किन स्थानों में प्रवेश परीक्षा केन्द्र बनाये गये और प्रत्येक केन्द्र से (केन्द्रवार) कितने छात्र परीक्षा में सम्मिलित हुए और प्रत्येक केन्द्र से कितने छात्रों का चयन किया गया तथा क्या उन चयन किए गए छात्रों की सूची किसी समाचार-पत्र में प्रकाशित की गई ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधायकों के निवास पर विभिन्न सामानों की पूर्ति पर व्यय

164--श्री गया सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1980-81 में विधायकों के निवास पर आलमारियां, पलंग, गद्दे, बाल्टी, मग्घे, दरियों की किस-किस कीमत पर खरीद कर पूर्ति की गई ? इनकी संख्या, धन जो खर्चा आ तथा खरीदने का तरीका बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना संलग्न है ।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 1695 पर ।)

थाना भोगांव, जिला मैनपुरी में तफतीश करके लगाई गई फाइनल रिपोर्ट

165--श्री गोरे लाल शाक्य--

क्या गृह मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि अपराध संख्या 59/1980, थाना भोगांव, जिला मैनपुरी (धारा 458, 364 ता0हि0 के अन्तर्गत) में तफतीस करके फाइनल रिपोर्ट लगाई गई ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ? फाइनल रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । अपराध संख्या 59/1980 थाना भोगांव, जिला मैनपुरी (धारा 458, 364 भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत) के अभियोग की विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि वादी व मुल्जिमान एक ही जाति के लोग हैं और लड़की, कुमारी चन्द्रमुखी दिनांक 17 फरवरी, 1981 को वादी को मिल गई है । सामाजिक वातावरण के कारण वादी मुकदमा चलाना नहीं चाहता है । अतः विवेचना दिनांक 24 मार्च, 1981 को अंतिम रिपोर्ट संख्या 63 के द्वारा समाप्त की गई । उक्त अभियोग की अंतिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं की गई है । न्यायालय ने अभियुक्त व गवाहों को तलब किया है । इस प्रकार यह अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है ।

166--श्री राम कुमार भार्गव--

[अश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

देव दरबार आश्रम इन्टर कालेज, साण्डी, जिला हरदोई के स्पेशल आडिट रिपोर्ट में पाई गई अनियमिततायें

167—श्री हरीशंकर—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने क कष्ट करेंगे कि देव दरबार आश्रम इन्टर कालेज, साण्डी जिला हरदोई क स्पेशल आडिट माह अगस्त, सितम्बर, 198१ में किया गय ? यदि हां, तो स्पेशल आडिट में कौन-कौन सी अनियमिततायें पाई गईं ? उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

विद्यालय का स्पेशल आडिट माह अगस्त, 1981 में किया गया ।

स्पेशल आडिट में प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमिततायें पाई गईं ।

अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

168—श्री हरीशंकर—

[19 जनवरी, 1982 को अतारांकित प्रश्न संख्या 113-114 द्वारा उत्तरित ।]

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के ड्राफ्ट्समैनों की मांगों पर कृत कार्यवाही

169—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित दिनांक 12 अक्तूबर, 1981 का एक पत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के आलेखकों (ड्राफ्ट्समैन) के सम्बन्ध में मिला है ? यदि हां, तो उसमें क्या मांगें थीं और सरकार द्वारा अभी तक उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां । पत्र के साथ संलग्न प्रत्यावेदन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित प्रारूपकारों (ड्राफ्ट्समैन) द्वारा यह मांग की गई थी कि विभिन्न विभाग में कार्यरत आई0 टी0 आई0 प्रशिक्षित ड्राफ्ट्समैनों को, अलीगढ़ एवं बनारस विश्वविद्यालयों से प्रशिक्षित ड्राफ्ट्समैनों के समान वेतनमान दिया जाय । इसी सम्बन्ध में सिंचाई विभाग डाइंग स्टाफ एसोशियेसन, उत्तर प्रदेश द्वारा भी एक प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ था । वेतन के सम्बन्ध में अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु यह विषय सिंचाई विभाग को संदर्भित किया जा चुका है ।

170—श्री नन्दकिशोर सिंह—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

जिला फैजाबाद में सुरक्षा हेतु आयुध लाइसेन्स सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

171—श्री मित्रसेन—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राम गुलाम, पुत्र बृजलाल, राम खेलावन, पुत्र बलिकरन, सालिकराम, पुत्र भगौती तथा बरखू, पुत्र हीरालाल, श्यामलाल, पुत्र

खेदू, बाबादीन, पुत्र मनोहर, माता प्रसाद, पुत्र सुम्मू हरिजन, निवासी चमरूपुर, थाना खण्डासा, जिला फैजाबाद में आयुध लाइसेन्स सम्बन्धी कोई प्रार्थना-पत्र वर्ष 1981 में जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिये हैं जिसे पुलिस अधीक्षक फैजाबाद ने अपनी संस्तुति प्रदान कर दी है ? यदि हां, तो इन हरिजन परिवारों को सुरक्षा हेतु आयुध लाइसेन्स स्वीकृत न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद को प्राप्त हुये थे। ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सर्वश्री राम खेलावन, सालिकर म, रा गुलाब व बाबादीन के आवेदन-पत्रों पर संस्तुति की थी। किन्तु अग्रेतर परीक्षण पर उक्त गांव में व्याप्त तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुये किसी भी व्यक्ति को आयुध लाइसेन्स देना फिलहाल उचित नहीं समझा गया। ग्रामवासियों विशेषकर हरिजनों की सुरक्षा के लिये एक सशस्त्र गार्ड गांव में तैनात कर दिया गया है।

राजकीय हेलीकाप्टरों का प्रयोग तथा व्यय

172—श्री ऊदल—

क्या नागरिक उड्डयन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय हेली-काप्टरों क जून, 1981 से लेकर 1 दिसम्बर, 1981 तक कहां-कहां किन-किन लोगों ने इस्तेमाल किया, उस पर कितने रुपये का व्यय आया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह—

वांछित सूचना संलग्न है। उक्त अवधि में हेलीकाप्टरों के प्रयोग में 2,90,381.00 रु0 (दो लाख नब्बे हजार तीन सौ इक्यासी रुपया) का व्यय ईधन पर आया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 1696 पर।)

पी0 सी0 एस0 परीक्षा में भाग लेने के लिये आयु सीमा

173—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल जैसे प्रदेशों की भांति उत्तर प्रदेश में भी पी0 सी0 एस0 में बैठने की आयु सीमा शासन द्वारा 28 वर्ष के बजाय 30 वर्ष करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

पी0 सी0 एस0 सेवा संवर्ग के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों में से आयोग की संस्तुति के अनुसार की जाती है। परीक्षा में भाग लेने के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है।

निर्धारित इस अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 30 वर्ष किये जाने पर शासन द्वारा समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि ऐसा किया जाना जनहित में नहीं है।

बरुआ बसेरा रोड, जनपद मुजफ्फरनगर का निर्माण कार्य

174--श्री मेंहदी असगर--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि बरुआ बसेरा रोड, जनपद मुजफ्फरनगर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था और अब तक उसके पूरा न होने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत मार्ग का निर्माण कार्य दिसम्बर, 1971 में प्रारम्भ किया गया था। कार्य की लागत में सम्भावित अत्यधिक वृद्धि होने के कारण पुनरीक्षित स्वीकृति का मामला विचाराधीन है ।

175—श्री गोरे लाल शाक्य--

[6ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री अब्दुल अन्सारी, डिप्टी कलेक्टर, गोण्डा की पेंशन की स्वीकृति

176—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अब्दुल हई अन्सारी, डिप्टी कलेक्टर, गोण्डा, जो दिनांक 30 जून, 1981 को सेवा निवृत्त हुए हैं, के पेंशन आदि सम्बन्धी कागजात महालेखाकार, उत्तर प्रदेश को भेज दिए गये हैं ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो अब तक न भेजे जाने का क्या कारण है एवं कब तक भेज दिए जाने की सम्भावना है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

प्रश्नगत कागजात शासन की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ 15-12-81 को महालेखाकार को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जा चुके हैं। शेष प्रश्न के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद गोण्डा, थाना वजीरगंज में डकैती, नकबजनी तथा हरिजन उत्पीड़न सम्बन्धी दर्ज घटनाएं

177—श्री छेदी लाल—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज में सितम्बर, 81 से 5 दिसम्बर, 81 तक डकैती, नकबजनी तथा हरिजन उत्पीड़न सम्बन्धी कितनी घटनाएं हुई हैं ? तथा सम्बन्धित घटनाओं के बारे में क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में थाना वजीरगंज में डकैती की दो, हत्या की एक, तथा नकबजनी की 11 घटनाएं अंकित हुई। इस अवधि में हरिजन उत्पीड़न की कोई घटना अंकित नहीं हुई । डकैती के दो, हत्या के एक व नकबजनी के 6 अभियोग विवेचनाधीन हैं। माल व मुल्जिम का पता न लगने के कारण नकबजनी के 4 मामलों में विवेचनाएं अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई।

नकबजनी का एक अभियोग विवेचना से सही नहीं पाया गया । अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त की गई तथा जुर्म खारिज करने की रिपोर्ट दी गई ।

बांदा जनपद के बांदा नगर क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण

178—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि बांदा जनपद के बांदा नगर क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल भवन का निर्माण गत 3 वर्षों से नहीं हो पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन शीघ्र उक्त विद्यालय का निर्माण करायेगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

बांदा जनपद के बांदा नगर क्षेत्र को पुलिस लाइन में एक जूनियर हाई स्कूल भवन का निर्माण होना था । इस भवन के निर्माण हेतु वर्ष 1979–80 में शासन द्वारा 1,02,500 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया था । भवन निर्माण हेतु स्वीकृत अनुदान को उक्त धनराशि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बांदा को जुलाई, 1980 में हस्तान्तरित की जा चुकी है । पुलिस विभाग द्वारा अभी तक भूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो सका है । जैसे ही भवन निर्माण हेतु पुलिस विभाग द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध कर दी जायेगी, विद्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ।

बांदा जनपद में बेसिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जानकारी

179—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतानें की कृपा करगे कि बांदा जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जानकारी शासन को जुलाई, 81 में हुई ? यदि हां, तो शासन ने 15 नवम्बर, 1981 तक क्या कार्यवाही की ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

मामले की जांच झांसी मन्डल के उप शिक्षा निदेशक व सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा की गई । अनियमित नियुक्तियां समाप्त कर दी गई है ।

सकलडीहा डिग्री कालेज, वाराणसी का प्रबन्ध निवर्तमान प्रबन्धतन्त्र को सौपने के आदेश तथा अवशेष घाटे सम्बन्धी शेष अनियमितताओं के निराकरण हेतु कार्यवाही

180—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने आदेश उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अनु0–1i, संख्या 2487/15–81 (ii) (8)–82–78, दिनांक

28 अप्रैल, 1981 के द्वारा निवर्तमान प्रबन्धतन्त्र को इस शर्त पर बहाल कर दिया है कि शेष अनियमितताएं 30 जून, 81 तक दूर कर दी जायें ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कोई भी अनियमितता न तो पहले ह: दूर की गयी और न तो अब तक ही दूर की गयी है ? क्या यह भी सत्य है कि वर्तमान प्रबन्ध तन्त्र ने डिसमिस किए हुए प्राचार्य को बहाल भी कर दिया है, क्या यह भी सत्य है कि एक नई कमेटी भी बन गई है ? इस सम्बन्ध में अध्यक्ष एवं सचिव, शिक्षक संघ, सकलडीहा डिग्री कालेज, वाराणसी ने अक्तूबर, 81 में शिक्षा सचिव, कुलपति, गोरखपुर, कुलाधिपति को प्रार्थना-पत्र भेजा है और संयुक्त सचिव को 22-6-81 को भी भेजा है, उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रश्न में उल्लिखित शासनदेश द्वारा सकलडीहा डिग्री कालेज, सकलडीहा, वाराणसी से प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को समाप्त करके कालेज का प्रबन्ध निवर्तमान प्रबन्ध तन्त्र को सौपने के आदेश दिये गये थे । निवर्तमान प्रबन्धतन्त्र ने यह आश्वासन दिया था कि अवशेष घाटे सम्बन्धी शेष अनियमितता का निराकरण 30-6-81 तक कर दिया जायगा ।

इस सम्बन्ध में कालेज के शिक्षक संघ से शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिन पर सम्बन्धित अधिकारियों से जांच कराई जा रही है ।

श्री एस0 के0 गौड़, कार्य अधीक्षक, सा0 नि0 वि0, उन्नाव के विरुद्ध सम्पर्क मार्ग पर किये गये कार्यों के भुगतान न किए जाने की शिकायत

181—श्री गया सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता विधायक द्वारा दिनांक 26 अगस्त, 1981 तथा 27 अगस्त, 1981 में श्री एस0 के0 गौड़, कार्य अधीक्षक, विभागीय निर्माण इकाई सा0 नि0 वि0, उन्नाव के विरुद्ध श्री श्रवण कुमार तिवारी 31, तालाब सराय, उन्नाव के द्वारा रसूलपुर, बकिया रोड, उन्नाव किलो मी0 एक में मिट्टी का कार्य तथा वृजेन्द्र कुमार तिवारी, ग्राम हमीरपुर, पो0 मुस्तफाबाद, जिला उन्नाव व बेंदुल, ग्राम हमीरपुर, पो0 मुस्तफाबाद जिला उन्नाव के द्वारा खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सफीपुर-देवगांव-रसूलाबाद रोड तथा मऊ-मन्सूरपुर सम्पर्क मार्ग पर सन् 1980 में किये गये कार्यों के भुगतान न किए जाने की शिकायत सचिव, सार्वजनिक निर्माण को की थी ? अगर हां, तो उक्त शिकायतों के बावजूद उक्त कार्य का भुगतान श्री एस0 के0 गौड़ न क्यों नहीं किया ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । शिकायतों में 6 मामले संदर्भित थे जिनमें से 5 का भुगतान हो चुका है । एक कार्य का भुगतान अभी तक इस कारण सम्भव नहीं हो सका है क्योंकि कार्य श्री एस0 के0 गौड़ के विभागीय निर्माण इकाई, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उन्नाव में तैनाती के पूर्व का है । तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कार्य का कोई भी रिकार्ड मेजरमेन्ट अंकित नहीं किया गया है तथा ठेकेदार ने अपने क्लेम का विस्तृत विवरण बनाकर नहीं दिया है ।

182—श्री गया सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

जिला देवरिया, थाना लार, ग्राम सरकड़ा में गौरी शंकर के घर पड़ी डकैती की दर्ज रिपोर्ट

183—श्री हरिवंश सहाय—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला लार थानान्तर्गत ग्राम सरकड़ा में 1-11-81 को गौरी शंकर के घर डकैती पड़ी ? यदि हां, तो उसमें कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार वादी श्री गौरीशंकर की लिखित सूचना के आधार पर दिनांक 1-11-81 को मु0 अ0 सं0 153/81 धारा 395/397 भा0 द0 वि0 थाना लार जनपद देवरिया में पंजीकृत किया गया । वादी ने अपने गांव के चन्द्र देव भगत, रामदास तथा रामप्रसाद को प्रथम सूचना रिपोर्ट म नामजद कि था । अब तक की विवेचना से अभियुक्तों को नामजदगी दुश्मनी वश कराना पाया गया ।

इस मामले की विवेचना अभी जारी है ।

लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कार्यरत पुलिस कर्मियों की योग्यता

184—श्री हुकम सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के पदों पर पुलिस गुप्तचर विभाग के ऐसे अधिकारी कार्यरत हैं जिनके पास न तो विज्ञान की डिग्री है और न पदों के अनुरूप योग्यता प्राप्त हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

लखनऊ स्थित विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कुल 7 कार्यरत पुलिस कर्मियों में से 6 स्नातकोत्तर तथा 1 स्नातक स्तरीय विज्ञान की योग्यता रखते हैं । साथ ही उन्हें अपने विषय में प्रवीणता प्राप्त है जिसे न्यायालयों में मान्यता दी जाती रही है ।

सर शादीलाल शुगर मिल, मन्सूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के मिल मालिकों द्वारा दुर्विनियोग के अन्तर्गत कार्यवाही

185—श्री हुकम सिंह—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सर शादीलाल शुगर मिल, मन्सूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर के श्रमिकों की वर्ष 1979-80, 1980-81 की भविष्य निधि का लाखों रुपया उनकी पास बुकों में जमा न करा कर मिल मालिकों ने दुर्विनियोग कर लिया है ? क्या सरकार इस मिल मालिक के विरुद्ध आपराधिक दुर्विनियोग के अन्तर्गत कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

प्रश्नगत प्रतिष्ठान का वर्ष 1979-80 का श्रमिकों तथा नियोजकों का समस्त अंशदान तथा वर्ष 1980-81 का श्रमिकों का पूरा और नियोजकों का दिसम्बर,

1980 तक का पूरा अशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में जमा कराया जा चुका है । नियोजकों ने माह जनवरी, 1981 तथा माह फरवरी, 1981 का अंशदान कुल रुपया 1,16,684·75 अभी नहीं जमा किया है । इस बकाया धनराशि की वसूली के लिये क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिष्ठान के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7–ए के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

उल्लेखनीय है कि भविष्य निधि कार्यालय केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन है और वसूली आदि की सीधी जिम्मेदारी क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय की है, जो आवश्यक कार्यवाही कर रहा है ।

जनपद बांदा में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवन

186—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्तमान समय में कितने राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनहीन हैं ? इन विद्यालयों को भवन उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

कोई भी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनहीन नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा को घोषित किया गया डकैत प्रभावित क्षेत्र

187—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद को डकैत ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो जनपद को इस सम्बन्ध में क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

अधिसूचना संख्या 8111–पी/आठ–3–81, दिनांक 5 नवम्बर, 1981 के अन्तर्गत बांदा जनपद को भी, अन्य 11 जनपदों के साथ, डकैती प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है ।

उक्त जनपद में भी डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 में अनुसूचित अपराधों की सुनवाई के लिए, एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई है ।

188—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर हटाया गया ।]

189—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

श्री शिव बहादुर सिंह, थाना अमेठी, जिला सुल्तानपुर के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

190--श्री खैरुल बशर--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री शिव बहादुर सिंह सीतारामपुर, मजरे महमदपुर, थाना अमेठी, जिला सुल्तानपुर द्वारा जुलाई, 81 में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रार्थना-पत्र पर पुलिस कप्तान सुल्तानपुर द्वारा अपराध संख्या 70/80 के निस्तारण हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जाने सम्बन्धी सूचना प्रार्थी को पत्र संख्या एस0 टी0/सी-10-81 (जनरल), दिनांक 1-10-81 द्वारा दी गई ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा निहित स्वार्थों से प्रेरित जिस अमेठी पुलिस द्वारा उदासीनता बरती गई हो उसी को निस्तारण हेतु निर्देश दिये जाने का औचित्य क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । सूचना दी गई । मामले से सम्बन्धित अपराध सं0 70/80 धारा 419/420 भा0 दं0 वि0 की विवेचना अभी प्रचलित है । इस सम्बन्ध में अभी तक बाबी, उसके पिता तथा मृतक, चतुर बिहारी सिंह की पत्नी आदि के बयान लिये जा चुके हैं । कुछ अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों के बयान लेना शेष है । विवेचना तत्परता से करने का प्रयास जारी है । विवेचना में विलम्ब अमेठी पुलिस की उदासीनता से नहीं वरन् प्रारम्भ में प्रार्थी, श्री शिव बहादुर सिंह का सहयोग न प्राप्त होने के कारण हुआ है ।

जिला शाहजहांपुर के जूनियर हाई स्कूल में प्रधान अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

191--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायगे कि वर्तमान में जिला शाहजहांपुर के जूनियर हाई स्कूल के कितने प्रधान अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने की संस्तुति की गई है ? यदि हां, तो यह राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने में कितनी औपचारिकताएं शेष हैं तथा वे कब तक प्रदान करा दी जायेंगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार (1981) के लिये राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को संस्तुतियां भेजी जा चुकी हैं । भारत सरकार से अन्तिम रूप से चुने गये अध्यापकों की घोषणा प्रतीक्षित है । अतएव विवरण देना जनहित में न होगा ।

राज्य श्रम संघ, घुरमा (मिर्जापुर) में विद्युत् आपूर्ति में कमी से श्रमिकों की सेवा मुक्ति

192--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या श्रम मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि घुरमा (मिर्जापुर) में चलने वाला श्रमिक कैम्प 15-11-81 से तोड़ दिया गया एवं 1951 से चलने वाला गोरखपुर का भर्ती केन्द्र भी समाप्त कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

राज्य श्रम संघ, घुरमा (मिर्जापुर) तोड़ा नहीं गया है, वरन् चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री को राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा विद्युत् आपूर्ति में 25 प्रतिशत कमी करने के कारण उक्त श्रमिक कैम्प के अधीन कार्यरत श्रमिकों को दिनांक 15-11-81 से काम से हटा दिया गया है। राज्य सरकार के अधीन 1951 से चल रहा गोरखपुर में कोई भर्ती केन्द्र नहीं है, अतः उसके समाप्त होने का प्रश्न नहीं उठता। यह उल्लेखनीय है कि राज्य श्रम संघ, घुरमा के लिए मजदूरों की भर्ती गोरखपुर सेवायोजन कार्यालय द्वारा की जाती रही है।

शिव जियावन इंटर कालेज लेडियारी, इलाहाबाद की आडिट रिपोर्ट

193--श्री विश्राम दास--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माह अप्रैल, 1981 को शिव जियावन इंटर कालेज लेडियारी, इलाहाबाद की आडिट रिपोर्ट 58 पृष्ठ की शिक्षा सचिव को दी गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां।

इस सम्बन्ध में अपेक्षा एवं संस्तुति शासन को शीघ्र भेजने के लिए शिक्षा निदेशक को निर्देशित कर दिया गया है।

194--श्री श्याम नारायण तिवारी तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[6ठे मंगलवार के लिए स्थगित]

195--श्री कुंवर भंडारी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

रामपुर से बाजपुर, ढणहाल से बाजपुर जाने वाली सड़क पर सामग्री की उपलब्धता तथा प्रगति

196--श्री बलबीर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रामपुर से बाजपुर जाने वाली सड़क, ढणहाल से बाजपुर जाने वाली सड़क पर स्टोन ब्लास्टर पत्थर रोड़ी तथा सड़क बनाने का अन्य सामान काफी अर्से से पड़ा है जिसका भुगतान भी ठेकेदारों को कर दिया गया है ? उपरोक्त सड़क बनाने के सामान की उपलब्धि में सड़क न बनाने का क्या कारण है ? क्या शीघ्र सड़क बनाने की व्यवस्था प्रारम्भ करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

केवल कि0 मी0 43 में कुछ सामान उपलब्ध है। कार्य प्रगति में है। धन व सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति

197—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डाकू उन्मूलन अध्यादेश को मंत्रि मंडल द्वारा स्वीकृति कब मिली, लागू किस तारीख से किया गया तथा अब तक इसके अन्तर्गत कितने व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ?

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावित क्षेत्र अध्यादेश, 1981 को मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक 5-10-81 को मिली तथा उक्त अध्यादेश को दिनांक 22-10-81 को प्रख्यापित किया गया । उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत प्रदेश के 12 जनपदों को डकैता प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है । प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत 778 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है ।

रेशम के कीड़ों को पालने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा कृत कार्यवाही

198—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा साल के वृक्षों पर पलने वाले चीनी रेशम के कीड़ों को भारतीय रेशम के कीड़ों से संकरित कराकर जो साल के पत्तों को खाकर रेशम बनाने वाले कीड़ों की नस्ल पैदा की गयी है ? उन कीड़ों को पालने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नियाज हसन खां—

साल के वृक्षों पर पलने वाले चीनी रेशम के कीड़ों को भारतीय रेशम के कीड़ों से संकरित कराना बायलोजिकली संभव नहीं है । अतः इस दिशा में कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

होमगार्ड विभाग में कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड

199—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि होमगार्ड विभाग में कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड देने का क्या नियम है ? सेलेक्शन ग्रेड दिए जाने का प्राविधान होने के बाद से आज तक कितने अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिया गया तथा देने का आधार क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

द्वितीय वेतन आयोग (1979-80) के प्रतिवेदन पर आधारित वित्त विभाग के संकल्प दिनांक 29 सितम्बर, 1981 के अन्तर्गत पहली बार होमगार्ड्स संगठन के निम्नलिखित कर्मचारियों/अधिकारियों को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का प्राविधान किया गया है :

(1) जिला कमाण्डेन्ट सम्वर्ग	साधारण वेतनमान 850-1720 सेलेक्शन ग्रेड 1300-1900 (20 प्रतिशत पदों पर) ।	

(2) ड्राईवर--

(क) जिला/नगर स्तर — साधारण वेतनमान 330-495 सेलेक्शन ग्रेड 405-540 (30 प्रतिशत पदों पर 15 वर्ष की सेवा पर)।

(ख) ड्राईवर--

केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान होमगार्ड्स मुख्यालय — साधारण वेतनमान 330-495 सेलेक्शन ग्रेड 405-540 (केवल एक पद पर)

(3) आशुलिपिक होमगार्ड्स मुख्यालय — साधारण वेतनमान 515-860 सेलेक्शन ग्रेड 680-920 (केवल एक पद पर)।

अभी तक इस प्राविधान के अनुसार किसी कर्मचारी/अधिकारी को सेलेक्शन ग्रेड नहीं दिया गया है क्योंकि नागरिक सुरक्षा अनुभाग से तद्विषयक आदेश निर्गत नहीं हुए हैं।

जिला रामपुर में सड़कों का निर्माण

200--श्री बलबीर सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर में वर्ष 1980-81 व 82 में कुल कितनी नई सड़कों का निर्माण किया गया तथा कितनी सड़कों का निर्माण अभी अधूरा पड़ा है और अभी कितनी सड़कों का निर्माण शासन के विचाराधीन है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूची निम्नांकित है।

कोई मामला विचाराधीन नहीं है।

वर्ष 1980-81 में निर्मित पक्की सड़कों की लम्बाई 47.00 किलोमीटर वर्ष 1981-82 में 3/82 तक निर्मित पक्की सड़कों की लम्बाई 8.00 किलोमीटर 1-3-1981 तक 94.00 किलोमीटर खडंजा स्तर तक 34.00 किलोमीटर मिट्टी के कार्य के स्तर तक 3/82 के पश्चात् निर्माण के लिए शेष मार्गों की लम्बाई 13.00 किलोमीटर।

कनौरिया केमिकल्स रेणुकूट, मिर्जापुर में विषैले रसायन से रिहन्द जलाशय में पाली हुई मछलियों की मृत्यु तथा राजस्व की हानि

201--श्री विजय सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कनोरिया केमिकल्स रेणुकूट, मिर्जापुर से जो वेस्टेज निकलता है उसमें विषैले रसायन भी होते हैं जो जीव-जन्तु के लिए हानिकारक होते हैं ? क्या उसे रिहन्द जलाशय में बगैर ट्रीटमेन्ट किए छोड़ दिया जाता है जिससे जलाशय में पाली हुई मछलियां प्रति वर्ष टनों के तादाद में मर जाती हैं ? यदि हां, तो इससे कितने रुपए राजस्व की क्षति होती है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां ।

जी नहीं ।

वर्ष 1979 के पूर्व उक्त प्रदूषण के फलस्वरूप लगभग 712 कुन्तल मछलियों की मृत्यु हुई जिसके फलस्वरूप लगभग 157,000 रु0 के राजस्व की क्षति हुई । वर्ष 1979 से 1981 तक मछलियों के मृत्यु होने की कोई सूचना नहीं है ।

अतिवृष्टि एवं बाढ़ के फलस्वरूप इलाहाबाद के सभी जूनियर एवं उ0 मा0 विद्यालय को क्षतिपूर्ति अनुदान

202—श्री रमाकान्त मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977-78 एवं 1979-80 एवं 1980-81 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के फलस्वरूप शिक्षण शुल्क मुक्ति से हुई क्षति पूर्ति का अनुदान इलाहाबाद जनपद के सभी जूनियर एवं उ0 मा0 विद्यालयों को नहीं प्रदान किया गया ? यदि हां, तो किन-किन विद्यालयों को क्षतिपूर्ति अनुदान नहीं स्वीकृत किया गया ? यह कब तक स्वीकृत कर दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

सूची "क" में बेसिक स्तर के तथा सूची "ख" में माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को अनुदान नहीं स्वीकृत किया जा सका । सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में समय के भीतर इस हेतु मांग पत्र न प्राप्त होने के कारण अब उन्हें अनुदान स्वीकृत करने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'भ' आगे पृष्ठ 1698 पर ।)

श्री सिराजुद्दीन, उर्दू अध्यापक का नियमितीकरण

203—श्री मोहम्मद नबी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शान्ति निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छतहरी, जिला बस्ती में गत 1976 में अध्यापकों की चयन समिति ने कुछ अन्य अध्यापकों के साथ श्री सिराजुउद्दीन को उर्दू अध्यापक की हैसियत से नियुक्त किया था ? क्या यह सही है कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बस्ती एवं डी0 डी0 आर0, गोरखपुर ने सिराजुद्दीन का नियमितीकरण नहीं किया जबकि इन्हीं के साथ के अन्य अध्यापकों का नियमितीकरण करके वेतन भुगतान भी कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी श्री सिराजुद्दीन का नियमितीकरण करने का आदेश देने तथा उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

जी हाँ, श्री सिराजुद्दीन की जन्म तिथि 2-1-57 होने से वे सबसे कनिष्ठ थे और विनियमितीकरण वरिष्ठता के आधार पर सभी उपलब्ध पदों पर किया गया । इसके अतिरिक्त नियमानुसार उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कम होने के कारण भी इनका विनियमितीकरण सम्भव नहीं था ।

शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के अन्तर्गत संडीला मेंहदीघाट एवं खरामऊ गौरा

मार्गों पर मरम्मत का कार्य

204--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई जनपद के मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत संडीला मेंहदीघाट एवं खरामऊ गौरा मार्गों की मरम्मत गत कितने समय से नहीं हुई है, क्या यह सही है कि संडीला मेंहदीघाट के लम्बे मार्ग पर ग्राम मोहब्बतपुर ठठिया के 1 किलोमीटर पूर्व एक लकड़ी का पुल जीर्णावस्था में पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो उसके निर्माण के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

प्रश्नगत मार्गों की समय-समय पर आवश्यकतानुसार सामान्य मरम्मत का कार्य होता रहता है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इन्टर कालेजों में अध्यापकों व प्रधानाचार्यों के रिक्त पद

205--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं इन्टर कालेजों में सन् 1979 से 1981 अक्तूबर, तक किन-किन विषयों के अध्यापक व किन-किन विद्यालयों में प्रधानाचार्य नहीं हैं ? क्या छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापकों की नियुक्ति की गयी है ? यदि नहीं, तो शासन ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

किसान माध्यमिक विद्यालय कुन्दन गनेशपुर, जिला फर्रुखाबाद में हरिजन तथा पिछड़ी हुई जातियों के लिए छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता के रूप में धन का आवंटन

206--श्री भीखालाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान माध्यमिक विद्यालय कुन्दन गनेशपुर, जिला फर्रुखाबाद में वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80

में हरिजन तथा पिछड़ी जातियों से लिए कितना धन छात्रवृत्ति एवं पुस्तकीय सहायता के रूप में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से प्राप्त हुआ है और कितना धन विद्यार्थियों में बांटा गया ? क्या इस सम्बन्ध में विद्यालय के प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष द्वारा हरिजन समाज कल्याण राज्य मंत्री को सम्बोधित शिकायती पत्र की प्रतिलिपि दिनांक 19-9-81 उनको प्राप्त हुई है ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और पुस्तकीय सहायता का पैसा दिला कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जनपद गोण्डा में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की बकाया वेतन की धनराशि के नेशनल, सेविंग सर्टिफिकेट

207--श्री भीखा लाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1672 में जूनियर व प्राइमरी शिक्षकों के नये संशोधित वेतनमान वर्ष 1974 में लागू होने के उपरान्त बकाया वेतन के सम्बन्ध में शासन ने यह निश्चय किया था कि अप्रशिक्षित शिक्षकों तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के बकाया की धनराशि नशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी ? यदि हां, तो क्या जनपद गोण्डा में सभी सम्बन्धित शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सर्टीफिकेट दे दिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

जनपद गोण्डा में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को उनके बकाया वेतन की धनराशि के नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट दे दिये गये हैं, किन्तु 3 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को ये सर्टीफिकेट नहीं दिये गये हैं क्योंकि इनकी बकाया वेतन की धनराशि बाद में आहरित की गई, जिसे जांचोपरान्त उन्हें दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

मेसर्स सर'या स्टील लि0 सरदारनगर गोरखपुर के श्रमिक श्री बसन्त उपाध्याय की मृत्यु तथा उनकी पत्नी श्रीमती शान्ती देवी को प्रतिकर का भुगतान

208--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या श्रम मन्त्री बतायेंगे कि सर'या स्टील लि0, सरदारनगर गोरखपुर के श्रमिक श्री बसन्त उपाध्याय की मृत्यु कार्यरत स्थिति में वर्ष 1976 में हुई जिसके मुआवजा के सम्बन्ध में उप श्रमायुक्त, कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, गोरखपुर ने कोई फैसला किया ? यदि हां, तो निर्णय क्या है, इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

श्री हां ।

सहायक श्रमायुक्त, गोरखपुर क्षेत्र एवं प्रतिकर आयुक्त के न्यायालय द्वारा दिनांक 4 नवम्बर, 1976 को यह आदेश पारित किये गये कि मेसर्स सरय्या स्टील लि0 सरदारनगर, गोरखपुर द्वारा मृतक श्री बसंत उपाध्याय की विधवा श्रीमती शान्ती देवी को 7,000 रुपये 30 दिन के अन्दर प्रतिकर के रूप में दिए जांय । 7,000 रुपये की इस धनराशि में से 4,000 रुपये का नकद भुगतान किया जाय और शेष 3,000 रुपये में से 1500 रुपये डाकखाने के तीनवर्षीय तथा 1500 रुपये 5 वर्षीय अवधि के खाते में श्रीमती शान्ती देवी के नाम जमा किये जायें । सेवा-योजकों ने निर्धारित अवधि में प्रतिकर का भुगतान श्रीमती शान्ती देवी को नहीं किया । अतः दिनांक 4 दिसम्बर 1976 को कलेक्टर, गोरखपुर को वसूली का प्रमाण-पत्र इस निर्देश के साथ जारी किया गया कि 7,000 रुपये प्रतिकर के अतिरिक्त कर्मकार प्रतिकर अधिनियम की धारा-4 (ए)(3) की व्यवस्था के अन्तर्गत 6 प्रतिशत की दर से व्याज एवं प्रतिकर की आधी धनराशि बतौर दण्ड के वसूल की जाय, यदि सेवायोजक जानबूझकर बिलम्ब करें । कलेक्टर, गोरखपुर द्वारा मेसर्स सरय्या स्टील लि0, सरदारनगर गोरखपुर से प्रश्नगत प्रतिकर की धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 को जारी किये गये वसूली प्रमाण-पत्र के अधीन उक्त धनराशि की वसूली अभी तक नहीं की जा सकी है । इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, गोरखपुर से इस अप्रत्याशित विलम्ब के कारणों की जानकारी प्राप्त की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के कतिपय घाटों पर पुल तथा सड़कों के निर्माण सम्बन्धी कार्यवाही

209—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सम्बन्ध में विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के तृतीय मंगल-वार के अतारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर में गौरी घाट, मटियारा, इटोवा, बोहावार, सिकरीगंज, धुरियापार, गजपुर आदि घाटों पर पुल बनाने हेतु धनाभाव बताया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित व पिछड़े क्षेत्र के विकास की दृष्टि से इन कार्यों को स्वीकृत प्रदान करके प्राथमिकता के आधार पर आगामी वित्तीय वर्ष में गौरी, मटियारा, इटोवा, बोहावार व गजपुर घाटों पर पुल सम्बन्धी कार्यवाही आरम्भ कराने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, हां ।

जी, नहीं ।

धनाभाव के कारण ।

210—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1980 के पांचवें मंगलवार दिनांक 30-9-1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के क्रम में क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत सड़कों को आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा करा दिया जायगा ? यदि हां, तो कुल कितनी लम्बाई होगी ? और क्या लागत लगेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

प्रश्नगत सड़कों का पूरा कराया जाना भूमि धन एवं निर्माण सामग्री की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

211—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

[65 बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 29 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद मिर्जापुर में जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक विद्यालयों में एक ही स्थान पर कार्य कर रहे अध्यापक/अध्यापिकायें

212—श्री राम चरण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर में जूनियर बेसिक, सीनियर बेसिक विद्यालयों के कितने अध्यापक/अध्यापिका गत 19 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्य कर रहे हैं ? क्या इसी श्रेणी के अध्यापकों/अध्यापिकाओं की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित जनपद मिर्जापुर के जूनियर हाई स्कूल तथा प्राइमरी स्कूल में 10 वर्ष से अधिक कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं की कुल संख्या 1132 है जिनमें से 1053 अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र में और 79 अध्यापक नगर क्षेत्र में कार्यरत हैं । उक्त अध्यापकों/अध्यापिकाओं की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

श्री जागेश्वर प्रसाद, सहायक शिक्षक, प्राइमरी पाठ शाला, जनपद रायबरेली के बकाये वेतन का भुगतान

213—श्री गया सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जागेश्वर प्रसाद, सहायक शिक्षक, प्राइमरी पाठशाला, माही, विकास क्षेत्र खीरों, जनपद रायबरेली का 15 माह का वेतन (माह सितम्बर, 1978 से नवम्बर सन् 1979 तक) नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों तथा भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना अभी भी एकत्रित की जा रही है ।

जनपद जालौन में कालपी बाई पास के निर्माण हेतु शिक्षा संस्थाओं की ली गई भूमि

114—श्री शंकर सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जालौन जनपद के कालपी नगर में सा0 नि0 विभाग के राष्ट्रीय मार्ग खण्ड द्वारा बाईपास निर्माण में किन-किन शिक्षा संस्थाओं

की भूमि ली गयी है तथा उन संस्थाओं को किस दर से कितना मुआवजा दिया जा रहा है ? यदि मुआवजा नहीं दिया गया है तो उसके क्या कारण हैं तथा निश्चित रूप से कब तक मुआवजा दिया जायेगा ? क्या मुआवजे के सम्बन्ध में उक्त संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों द्वारा विभाग से मांग की गयी हैं ? यदि हां, तो उनकी मांग पर अब तक विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद जालौन में कालपी बाई पास के निर्माण हेतु निम्नलिखित शिक्षा संस्थाओं की भूमि ली गयी है :

1--एम0 एस0 बी0 इन्टर कालेज, कालपी ।

2--आर्य कन्या पाठशाला, कालपी ।

उपरलिखित संस्थाओं की भूमि के विषय की अधिसूचनायें जारी की जा चुकी थी परन्तु छानबीन करने पर उन अधिसूचनाओं में तकनीकी कमियां पाई गयी । फलतः संशोधित बनवाकर उनमें पुनः अधिसूचनाओं का जारी करना आवश्यक हो गया है । अतः पुनरोक्षित अधिसूचनाओं के जारी होने के बाद ही जिलाधिकारी द्वारा मुआवजे की दर बताया जाना अथवा मुआवजा दिया जाना संभव होगा । सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुझाव भी दे दिया गया है कि यदि जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित नियमित दर पर प्रतिकर प्राप्त करके उपरोक्त संस्थायें अपनी भूमि को आपसी समझौते के आधार पर हस्तान्तरित करने पर रजामन्द हो जायें तो आपसी समझौते के आधार पर उन्हें तुरन्त भुगतान कर दिया जाय ।

उक्त संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों द्वारा मुआवजे के बाबत लिखित रूप से कोई मांग नहीं की गई है ।

215--श्री ध्रुपराय--

[7वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 58 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

महन्त लालदास इन्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद के प्राधानाचार्य द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण

216--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सरकार को जानकारी है कि महन्त लालदास इन्टर कालेज, देवगांव फैजाबाद के प्रधानाचार्य द्वारा गत वर्ष 1979-80 हाई स्कूल के छात्रों को छात्र-वृत्ति की धनराशि सरकार से आहरित करके वितरित नहीं की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवा कर दोषी प्रधानाचार्य के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

217--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वर्ष 1980-81 हाई स्कूल के छात्रों को छात्र वृत्ति की धनराशि का वितरण सम्बन्धित छात्रों में कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

महन्त लाल दास इन्टर कालेज, देवगांव, फैजाबाद में वर्ष 1980-81 हाई स्कूल के छात्रों को सम्पूर्ण आहरित छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण फरवरी से अगस्त, 1981 को अवधि में छात्रों को विभिन्न तिथियों में किया गया ।

बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जौनपुर जनपद में क्षतिग्रस्त हुए माध्यमिक विद्यालयों के भवन तथा आर्थिक सहायता

218-श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष 1980 भीषण बाढ़ एवं अतिवृष्टि से जौनपुर जनपद के कितने माध्यमिक विद्यालयों के भवन पूर्ण या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे और उनमें से कितने विद्यालयों को क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई थी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम रतन इन्टर कालेज, कचौसी बाजार, जनपद कानपुर के शिक्षकों व कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान

219-श्री धनीराम वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि राम रतन इन्टर कालेज, कचौसी बाजार, जनपद कानपुर के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों का अगस्त सन् 1971 का वेतन अवशेष है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वेतन दिलाए जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जौनपुर इलाहाबाद राज मार्ग पर सई नदी पर पुल का पुनर्निर्माण

220-श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को ज्ञात है कि जौनपुर-इलाहाबाद राज मार्ग पर सई नदी पर बरगुदर नामक स्थान पर बना हुआ अति प्राचीन पुल क्षतिग्रस्त हो गया है और उस पर सवारियों का आवागमन पूर्णतया अवरुद्ध हो गया ? क्या सरकार इस स्थान पर शीघ्र नया पुल बनवाकर आवागमन को सुविधा उपलब्ध करायेगी ? क्या यह भी सत्य है कि वाराणसी-जौनपुर मार्ग पर जलालपुर नामक स्थान पर सई नदी का पुल भी इसी की भांति निर्मित एक प्राचीन पुल है ? क्या सरकार इसका भी पुनः निर्माण कराएगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, हां ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जी, हां ।

इसका निर्माण भी धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

राजा रघुवर दयाल इन्टर कालेज, सीतापुर के अध्यापक, श्री राम स्वरूप गुप्त को नवीन दर से पेंशन का भुगतान

221–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1974 में राजा रघुवर दयाल इन्टर कालेज, सीतापुर से रिटायर्ड हुए सहायक अध्यापकों के नाम क्या हैं, जिनका अभी तक नवीन दर की पेंशन मिलना नहीं प्रारम्भ हुआ है ? न मिलने का कारण क्या है और कब से मिलना प्रारम्भ हो जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

वर्ष 1974 में राजा रघुवर दयाल इन्टर कालेज, सीतापुर के केवल एक अध्यापक श्री राम स्वरूप गुप्त सेवा निवृत्त हुए । श्री गुप्त को नवीन दर से पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है तथा भुगतान भी शीघ्र ही प्रारम्भ हो जायगा ।

राजकीय शिक्षकों की मांगों पर विचार करने हेतु बैठकें

222–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राजकीय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों एवं शिक्षा निदेशक सहित शासकीय प्रतिनिधियों की जो बैठक राजकीय शिक्षकों की मांगों पर विचार करने के लिए लखनऊ में दिनांक 2–7–81 तथा 5–9–81 (बैठक शासन द्वारा आयोजित की गई थी) को हुई उसके विचारणीय बिन्दु क्या–क्या थे तथा क्या फैसला किया गया तथा फसले के कार्यान्वयन की प्रगति क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस्ती तथा गोरखपुर में धानी मेहदावल सड़क का निर्माण

223–श्री मित्रसेन––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती तथा गोरखपुर जिले में पड़ने वाली धानी–मेहदावल सड़क का बनना कब से शुरू किया जायगा और कब तक बन कर तैयार होगी ?

श्री अम्मार रिजवी––

कार्य का पुनरीक्षित आगणन अभी स्वीकृत न होने के कारण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है । पुनरीक्षित स्वीकृति के पश्चात ही कार्य आरम्भ हो सकेगा तथा कार्य पूरा होने की अवधि बताना सम्भव हो सकेगा ।

लखनऊ की बाजार खाला थाने की पुलिस द्वारा पत्रकार, श्री अशोक त्रिपाठी के घर में घुसकर उनके परिवार वालों को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(12 बजकर 15 मिनट)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन के संज्ञान में पुलिस जुल्म की एक महत्वपूर्ण घटना लाना चाहता हूं। 13 फरवरी, 1982 को रात्रि में राजधानी के एक प्रतिष्ठित पत्रकार, श्री अशोक त्रिपाठी के घर पर उनकी अनुपस्थिति में स्थानीय पुलिस ने छापा मारा। बिना किसी वारन्ट के पुलिस ने घर के भीतर रात्रि में प्रवेश किया। सामान इधर-उधर फेंक दिया। उनकी पत्नी के यह कहने पर कि, "अभी कोई जिम्मेदार व्यक्ति घर में नहीं है मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी।" पुलिस कर्मियों ने उन्हें अभद्र गालियां दीं तथा मार देने की चेतावनी दी। तब उनकी पत्नी ने दरवाजा खोल दिया। परिवार वालों के साथ पुलिस ने अत्यन्त अपमानजनक व्यवहार किया। यह काम बाजार खाला थाने की पुलिस ने किया।

श्री त्रिपाठी जो कि एक विवाह में भाग लेने बाहर गये थे, लौटने पर रात्रि 1-30 बजे जब थाने में बिना वारन्ट तलाशी का कारण पूछा तो पुलिस ने उन्हें भी गालियां दीं और कारण बताने से मना करते हुए मात्र इतना बताया कि ऊपर के आदेश से तलाशी ली गई थी।

मान्यवर, घटना का मुख्य कारण, जिसमें कि श्री त्रिपाठी के परिवार का उत्पीड़न किया गया, यह है कि वह अपने पत्र के माध्यम से स्थानीय पुलिस अधिकारियों के काले कारनामें उजागर किया करते थे। घटना स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए चुनौती तथा नौकरशाही का हमला है। इससे पत्रकारों तथा जनता में व्यापक रोष है। मान्यवर, जहां रूल आफ ला हो वहां क्या कानून से परे भी कोई 'ऊपर का आदेश' हो सकता है? यह 'ऊपर का आदेश' विधि के अनुसार शासन तथा लोकतंत्र के लिए कलंक है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट कर दोषी पुलिसजनों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।

फिरोजाबाद की पुलिस द्वारा आगरा के कन्स गेट मुहल्ले के एक मकान में घुस कर दो व्यक्तियों की हत्या तथा लूट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जटाशंकर सिंह--

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से अविलम्बनीय लोकमहत्व का यह सुनिश्चित विषय शासन तथा आदरणीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि दिनांक 4 फरवरी, 1982 को आगरा नगर में कंस गेट स्थित एक मकान में फिरोजाबाद थाने की पुलिस ने बलात् घुस कर 2 व्यक्तियों, चन्द्र प्रकाश, मनोज तथा महेश जाटव की हत्या कर दी तथा एक युवती का शीलभंग करने का प्रयास किया तथा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फरोखाबाद की पुलिस द्वारा आगरा के कन्स गेट मुहल्ले के एक मकान में घुसकर दो व्यक्तियों की हत्या तथा लूट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

लगभग 50 हजार का सामान, कपड़े, शादी का सामान, लूट कर ले गये। मान्यवर, कुछ दिन पूर्व मृतक मनोज के परिवार में 6 सदस्यों की हत्या उसके गांव में रंजिसवश कुछ व्यक्तियों ने कर दी थी। गांव में अपने को असुरक्षित समझ कर अपनी बहन का विवाह करने हेतु वह शहर में आकर कुछ दिन के लिए ठहरा था। 13 फरवरी, को बहन का विवाह था। जिस दरोगा ने हत्या की है वह मनोज के पारिवारिक दुश्मनों का निकट सम्बन्धी था। आते ही उसने मनोज को पुकारा। भयवश मनोज दीवाल से कूद कर गली में भागा कि पुलिस की गोली से उसकी टांग घायल हो गयी। मुहल्ले वालों ने मनोज को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। उसके हाथ पीछे बांध दिये गये, घायल मनोज को पुलिस घर के भीतर ले गयी और गोली से उड़ा दिया। महेश जाटव जो मनोज का नौकर था और घर से गेहूं ले कर आया था, उसे भी मार दिया।

मान्यवर, घटना को अनेक लोगों ने देखा है इससे यह प्रश्न उत्पन्न हो गया है कि पुलिस जिसे चाहे किराये पर जा कर उसकी हत्या कर देगी। परिवार वाले बिलख-बिलख कर मृतकों के शव मांगते रहे, परन्तु उन्हें नहीं दिये गये। घटना से क्षेत्र में आतंक है। विरोधस्वरूप आगरा में हड़ताल रही है। अब तक दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही न करने से धरना तथा आन्दोलन हो रहा है। मैं दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की मांग करता हूं।

जनपद वाराणसी की तहसील चकिया के ग्राम केसार गांव में एक औरत की भूख से मृत्यु तथा आसपास के ग्रामों में भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, हाल ही में जनपद वाराणसी की चकिया तहसील के केसार गांव में बुधनी नामक एक 40 वर्षीया महिला की मृत्यु भूख से हो गयी है। केसार गांव के आस-पास के 22 अन्य गांव भी भयंकर भुखमरी की लपेट में हैं। सिंचाई सुविधा के अभाव में सारी फसल नष्ट हो जाने के कारण इन ग्रामों के लगभग 15 हजार लोग अपनी भूख मिटाने के लिए अखाद्य वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकार की उदासीनता की बजह से लोगों में भयंकर असंतोष एवं निराश व्याप्त हो गयी है।

अतएव हम इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय खाद्य मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि इस क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध करायें तथा क्षेत्र के लोगों को यथासम्भव सहायता प्रदान करें।

मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ में चोरियों के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत मऊनाथ भंजन कस्बे में चोरियों की बाढ़ आई हुई है। फरवरी महीने के शुरू के 11 दिनों में लगभग डेढ़ दर्जन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री खैरुल बशर—]

चोरियां हुई हैं । इसमें चोरी गये माल की कीमत दो हजार रुपये से 25,000 तक है । 11 फरवरी को रात में चार जगह हुई चोरियों की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है । पूर्व विगत तीन महीनों में लगभग सौ चोरियां हो चुकी हैं । जनता ने दो-तीन चोरियों से सम्बन्धित मुल्जिमों को माल सहित पुलिस के हवाले किया, किन्तु पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया । जनवरी में ही मोहल्ला मुंसीपुरा, श्री राम आधार वर्मा के यहां पिस्तौल की नोक पर दस हजार रुपये की लूटपाट की गई किन्तु जनता ने अपराधियों को घेर लिया और पकड़कर पुलिस के हवाले किया किन्तु पुलिस ने उन्हें रिहा कर दिया । इससे जनसाधारण का विश्वास पुलिस से उठ गया है और लोग इन विशाल चोरियों में पुलिस की मिली भगत और खुली हुई साजिश समझ रहे हैं । इन चोरियों के विरोध में तथा पुलिस के रवैये के विरुद्ध कई विशाल सर्वदलीय सभायें भी हो चुकी हैं । जनता में इन चोरियों के विरुद्ध जन-आकोश बढ़ता जा रहा है तथा जनता आतंकित है । लोकमहत्व की इस अविलम्बनीय सूचना से सदन को अवगत कराते हुए शासन से मांग करता हूं कि उक्त कस्बे को चोरियों से मुक्त कराने के लिए ठोस कदम उठाया जाय ।

पर्वतीय क्षेत्र के चिकित्सालयों में डाक्टरों के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पर्वतीय क्षेत्र के 8 जनपदों में सन् 1979 से अभी तक 236 से अधिक के चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं । ग्रामीण जनता छोटे-छोटे उपचार हेतु दिल्ली, देहरादून, नैनीताल आदि दूरस्थ स्थानों पर जाने को मजबूर है । चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु शासन से बार-बार निवेदन करने पर भी अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं । प्रायः अनेकों स्थानों पर जहां कम्पाउन्डर भी नहीं हैं, जमादार (स्वीपर) दवाई वितरण कर रहे हैं । अनेकों महिलाओं तथा बच्चों की उचित समय पर सुचारु व्यवस्था न होने से अकाल मृत्यु हो रही है । जनता में भारी असन्तोष व्याप्त है । अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को मैं विधान-सभा के संज्ञान में लाना चाहता हूं तथा शासन का ध्यान आकर्षित कर मांग करना चाहता हूं कि अविलम्ब तदर्थ नियुक्तियां कर, विशेषकर ऐसे डाक्टरों को जो पर्वतीय क्षेत्र में कार्य करने के इच्छुक हों, ऐसे चिकित्सालयों में डाक्टरों की व्यवस्था करने का कष्ट करें ।

श्री भोखा लाल द्वारा दी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री भोखा लाल—

मैंने एक प्रश्न विशेषाधिकार का दिया था 18 जनवरी को कि सत्र 90 दिन का होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

इसका निर्णय इसी हफ्ते में दे दिया जायेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150(2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1981 को, उसमें उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधनों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं। यह विधेयक, विधान सभा द्वारा 24 फरवरी, 1981 को पारित किया गया था और 9 फरवरी, 1982 को विधान परिषद् द्वारा किए गये संशोधनों सहित वापस प्राप्त हुआ है।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1982, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 1982 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1982, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 1982 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका (संशोधन) विधेयक, 1982 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 1982 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 फरवरी, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है।

दिनांक 19 जनवरी, 1982 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 19 जनवरी, 1982 को श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 के सम्बन्ध में उन्हीं माननीय

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

सदस्य ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि, "मंत्री जी यह तो नहीं बता पाए कि कुल अनुभाग अधिकारी के कितने पद हैं, मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह करीब 365 पद हैं और इनमें केवल 22 अनुसूचित जाति के हैं। यह संख्या उससे बहुत कम है, जो 18 प्रतिशत और 2 प्रतिशत के आरक्षण के अनुसार होनी चाहिए तो वह इसको पूर्ति कब तक कर लेंगे ?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "जो मुझे जानकारी उपलब्ध है, उसके अनुसार अनुभाग अधिकारियों की संख्या 319 है। इनमें से जो संख्या कोटे की कैरी फारवर्ड की गयी है उनको जितने अभ्यर्थी अर्ह उपलब्ध होंगे, भरा जायेगा।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला।

सही उत्तर इस प्रकार है :

"जो मुझे जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार अनुभाग अधिकारियों की संख्या 316 है। इनमें से जो संख्या कोटे की कैरी फारवर्ड की गई है, उनको जितने अध्यर्थी अर्ह उपलब्ध होंगे, भरा जायेगा।" मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ 1702 पर।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बासुदेव सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982†

कृषि उप मंत्री (श्री दलजीत सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

†दिनांक 19 फरवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बलजीत सिंह—

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1982 को पुरः स्थापित करता हूं ।

प्रस्तुत बजट मे राजस्व व्यय अन्य व्ययों से पृथक न दर्शाये जाने के संबंध में कल श्री हुकम सिंह द्वारा उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री हुक सिंह जी ने कल एक औचित्य का प्रश्न उठाया था जो इस प्रकार है :—

'आज की कार्य सूची के क्रमांक 10 पर वित्तीय वर्ष 1982-83 के आय-व्ययक पर जन स्वास्थ्य मंत्री द्वारा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के अनुदानों की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करना अंकित है । अभी तक परम्परा यह रही है कि विभाग के राजस्व व्यय अन्य व्ययों से पृथक दर्शाये जाते रहे हैं एवं उसी के अनुसार माननीय सदन द्वारा अनुदानों की स्वीकृति दी गयी है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 202 व 203 में भी स्पष्ट प्राविधान है कि राजस्व व्यय अन्य व्ययों से पृथक दर्शाया जायेगा । परन्तु क्रमांक 10 (1) के (3) के अवलोकन से विदित होगा कि सभी व्यय इकट्ठे जोड़ कर दर्शाये गये हैं । माननीय सदन के समक्ष यह स्पष्ट रूप से आना आवश्यक है कि राजस्व मद में जितना व्यय एवं पूंजीगत व्ययों का अन्य मदों में कितना व्यय प्रस्तावित है । सभी मदों को इकट्ठा जोड़ कर एक अनुदान के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । यही प्राविधान अनुच्छेद 112 में दिया है जो केन्द्रीय बजट से सम्बन्धित है । वर्तमान अनुदान संविधान के अनुच्छेदों एवं भावनाओं के प्रतिकूल है ।

मेरा आग्रह है कि अनुदान प्रस्तुत करने से पूर्व औचित्य का प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाय ।"

आपने जो यह प्रश्न उठाया है, इसके पहले कि मैं इसका उत्तर दूं, मैं, माननीय वित्त मंत्री द्वारा दिये गये बजट भाषण के पैरा तीन की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । इसमें स्पष्ट रूप से है :—

"आगामी वित्तीय वर्ष के बजट अनुमानों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है । अब तक एक विभाग के राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण और अग्रिमों के लिए प्राविधानों को अलग-अलग अनुदानों में प्रदर्शित किया जाता रहा

[श्री अध्यक्ष—]

है । आगामी वर्ष के बजट अनुमानों में इनको एक विभाग के समेकित अनुदान के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है । ऐसा करने से व्यवहारिक सुविधा होगी और अनुदानों की संख्या 130 से घट कर 80 रह जायेगी ।"

इस तरह से इसमें यह अपेक्षा की गयी है कि राजस्व व्यय कितना होगा, और पूंजीगत व्यय क्या होगा, इसको अलग-अलग अनुदानों के रूप में दिखलाने के बजाय संबंधित विभाग के अनुदान में ही दिखलाया जाय । इसका संकेत उन्होंने अपने बजट भाषण में दे दिया है और हमारी प्राक्कलन समिति ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है जैसा कि वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में दिया है । उसी सुझाव के अनुरूप माननीय वित्त मंत्री जी ने भी अपने बजट भाषण में कहा—

जहां तक संविधान के आर्टिकल 202 व 203 का उद्धरण आपने किया ह, 202 (1) इस प्रकार है : "प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य के विधान मंडल को सदन अथवा सदनों के समक्ष राज्यपाल उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण रखवायेगा जिसे इस संविधान के इस भाग में वार्षिक वित्त विवरण के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ।

(2) वार्षिक वित्त विवरण में व्यय के प्राक्कलन में दिये हुये (क) जो व्यय इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित हैं, उसकी पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, तथा

(ख) राज्य की संचित निधि से किये जाने वाले अन्य प्रस्थापित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां, पृथक-पृथक दिखायी जायेंगी, तथा राजस्व लेखे पर होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जायेगा ।"

जब माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में साफ तौर से कह दिया है और अनुच्छेद 203 में भी राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय के लिए पृथक-पृथक अनुदान की व्यवस्था नहीं है, तो अब ऐसी स्थिति में मेरा निर्णय है कि ऐसा कोई कार्य संविधान के प्रतिकूल नहीं किया गया है जिससे औचित्य के प्रश्न को उठाने की अनुमति दी जाय ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम 56 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । इसमें से एक सूचना श्री मित्रसेन यादव, श्री रामहर्ष राय, श्री राम आसरे वर्मा और श्री खैरुल-बशर की है—जिलाधिकारी, फैजाबाद द्वारा जिले के प्रमुख मार्गों एवं चौराहों पर गति अवरोधक बनाने के अभियान से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में ।

दूसरी सूचना श्री मोती लाल देहलवी की, जो विगत 14/15 फरवरी, 1982 की रात को यूथ ब्लिट्ज के सम्पादक के मकान पर खालबाजार (लखनऊ) की पुलिस द्वारा छापा मारे जाने के सम्बन्ध में है ।

तीसरी सूचना श्री जसवन्त सिंह बिष्ट की है—श्रीमती शारदा अरोरा, मंडलीय निरीक्षिका, लखनऊ द्वारा भ्रष्टाचार किये जाने के संबंध में ।

चौथी सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की है—सीतापुर-हरदोई रोड के निजी मोटर चालकों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में ।

जहां तक माननीय मित्रसेन यादव एवं अन्य माननीय सदस्यों की सूचना हैं, यह मार्गों पर अवरोधक लगाने की एसी सूचना नहीं है कि जिसमें कार्य-स्थगन किया जाय ।

श्री मोती लाल देहलवी--

श्रीमन्, एक अपील सुन लें....

श्री अध्यक्ष--

पहले सुन लें,

(व्यवधान)

उसके संबंध में नियम 51 में एक प्रस्ताव आया है उस पर विचार करेंगे ।

माननीय जसवन्त सिंह बिष्ट, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की यह जो सीतापुर-हरदोई रोड के निजी मोटर चालकों द्वारा हड़ताल किये जाने के संबंध में सूचना है, यह कार्य-स्थगन के लिए उपयुक्त सूचना न मान कर अस्वीकृत की गई । इस प्रकार ये सभी सूचनायें अस्वीकृत की जा रही हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह रूट प्राइवेट है, रेल का कोई लिंक नहीं है, तीन दिन से यातायात बन्द है । आज कल विवाह-शादी का मौसम है, लोगों को आवागमन म परेशानी हो रही है । इसलिए मैंने इस पर चर्चा की बात की है । अगर सरकार बयान ही दे दे । हड़ताल खुलवाने का कोई प्रयास किया जा रहा है ? आवागमन चालू हो जाय । कोई प्रयास हो रहा है ? यह बड़ा महत्व का प्रश्न है । पूरी 52 मील की रोड है । कोई रेल लिंक नहीं है, राज्य सड़क परिवहन की बसें नहीं हैं....

(श्री मोती लाल देहलवी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

आप का नियम 51 में आया है....

श्री मोती लाल देहलवी--

अपील सुन लेते हैं, हम को भी दो मिनट दे दीजिए....

श्री अध्यक्ष--

आप भी कह लीजिए । उप नेता हैं, आप को जरूर सुनेंगे ।

श्री मोती लाल देहलवी--

आप को धन्यवाद । मान्यवर, यह घटना 14/15 की रात की हैं । ब्लिट्ज के सम्पादक, अशोक त्रिपाठी अपने मकान में मौजूद नहीं थे, अपने किसी मित्र के यहां निमंत्रण में गये थे । उस समय, मान्यवर, खाला बाजार की पुलिस उन के निवास पर पहुंची और दरवाजे खटखटाये और खोलने के लिए कहा । उन की पत्नी ने कहा कि इस समय हमारे यहां कोई मौजूद नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी । पुलिस ने धमकी दी कि अगर दरवाजा नहीं खोला जायगा तो हम दरवाजा तोड़ देंगे । उन्होंने डर से दरवाजा खोल दिया ।

[श्री मोती लाल देहलवी—]

पुलिस मकान के अन्दर घुसी । सारे सामान को बिखेर दिया । न तो इस पुलिस के पास कोई वारन्ट था तलाशी का और न कुछ था, बिना वारेन्ट । मैं आप से आग्रह करना चाहता हूं कि आये दिन यह घटनायें हो रही हैं । पुलिस कितनी अनियंत्रित हो रही है । यह अफसोस और शर्म की बात है कि जिस लखनऊ की, पुलिस मंत्री हैं उसी राजधानी में यह घटना घटित होती है । कहीं कवियों को पीटा जाता है, कहीं पत्रकारों को पीटा जाता है । कोई नियंत्रण नहीं रह गया है सरकार का...

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, जिलाधिकारी ने 20,30 अवरोधक मार्गों में लगा दिये हैं..

श्री अध्यक्ष—

आप ने जो सूचना दी है..

श्री मित्रसेन—

जिलाधिकारी को पागल कह कर घोषित कर रहे हैं, वह अपनी बुद्धि, विवेक खो चुके हैं, इतना विवेकहीन जिलाधिकारी जिस का मस्तिष्क विकृत हो गया है....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । आपने यह सूचना नियम 301 में दी थी और इस की ही सूचना आप ने नियम 56 में दी । संयोगवश न यह 301 में और न 56 में स्वीकृत हो पायी । कारण यह रहा कि इसमें अवरोधक लगाने के बारे में सूचना हैं कि सड़क पर अवरोधक लगाये जा रहे हैं । वह अधिक से अधिक गति अवरोधक लगा रहे हैं और इसके साथ ही साथ अपने कर्मचारियों को बार-बार बुलाते हैं, बैठाये रहते हैं । इन शब्दों को देखते हुये, आरोपात्मक बातें आती हैं, इसीलिए यह स्वीकार नहीं हुई । संशोधित रूप में दीजिए दूसरी तरह से तो देखेंगे कि क्या किया जा सकता है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, दो मिनट आप मेरी बात भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं , आपका नियम 51 में स्वीकार हो गया है ।

1981-82 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा

(12 बज कर 10 मिनट)

*श्री मोहन सिंह—

अध्यक्ष महोदय, जहां हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस बात का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं..

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

एक सूचना मैं पहले दे दूं । अनुपूरक अनुदान पर सामान्य चर्चा साढ़े तीन बजे तक चलेगी और उसके बाद मतदान प्रारम्भ हो जायेगा । इसलिए आप समय का ध्यान रखें ।

श्री मोहन सिंह—

श्रीमन्, जहां हमारे वित्त मंत्री जी आज इस बात का कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं कि वे 30 मार्च के पहले ही आगामी वर्ष के लिये इस आदरणीय सदन में वार्षिक बजट पास करा लेंगे वहीं इतिहास में उन्होंने इस बात का भी कीर्तिमान स्थापित किया है कि एक वर्ष में तीन बार उनको अनुपूरक बजट प्रस्तुत करना पड़ा है । यह उनकी विफलता और दृष्टिहीनता का द्योतक है । मान्यवर, अनुपूरक अनुदानों में केवल वही मदें आनी चाहिए जिसमें कोई आकस्मिक व्यय शासन के सामने आ गया हो और उस अप्रत्याशित व्यय को न करने से जनहित के महत्वपूर्ण प्रश्न उलझ जाने की स्थिति पैदा हो जाय । लेकिन मुझको यह कहते हुये अफसोस हो रहा है कि जो भी अनुपूरक अनुदानों की सूची यहां सदन के सामने प्रस्तुत की गई है उसमें करीब-करीब 17 करोड़ रुपये के अनुदान अर्द्ध कुम्भ मेले से सम्बन्धित हैं । यह बात समझने में मैं अपने को अक्षम पा रहा हूं कि क्या शासन को इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस वर्ष इलाहाबाद में अर्द्ध कुम्भ मेला हो रहा है । यदि पहले ही इन्होंने उसके बारे में अपने बजट में प्राविधान किया होता तो उसके बारे में इस आदरणीय सदन में उसके खर्च होने से पहले उसमें बहस हो सकती थी और सम्मानित सदस्यों को उसकी जानकारी हो सकती थी । लेकिन मुझे अफसोस है कि इस वर्ष के हिन्दुस्तान के इतिहास में यदि सबसे बड़ा कोई असत्य है तो वह यह है कि इलाहाबाद में होने वाले अर्द्ध कुम्भ मेले पर किये गये खर्च से सम्बन्धित है । अर्द्धकुम्भ मेले पर केवल प्रचार में अधिकारियों ने 1 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च रखा है ।

मान्यवर, अर्द्ध कुम्भ मेले पर किसानों से जो जमीन अधिग्रहीत की गई, उस पर 5 लाख 37 हजार रुपये खर्च किये गये, राज्य विद्युत् परिषद्, इलाहाबाद को 58 लाख 11 हजार 400 रुपये का अनुदान दिया गया, वाराणसी नगर महापालिका को 40 लाख का अनुदान दिया गया, यात्री पेयजल के लिये 92 लाख 79 हजार रुपये, पुलिस व्यवस्था पर 4 करोड़ 96 लाख 8 हजार रुपये, कुम्भ मेले में स्वास्थ्य पर 5 लाख 73 हजार की एलोपैथिक दवाओं तथा 1 लाख 75 हजार की होम्योपैथिक दवाओं पर खर्च किया गया । इसके साथ ही साथ सरकार की जो उपलब्धियां हैं, मेले में आने वाले जो तीर्थ यात्री हैं उनको बताने वाले जो कर्मचारी आदि हैं, उसके प्रचार में 6 लाख 80 हजार रुपया, सिंचाई विभाग द्वारा नदी की धारा में परिवर्तन करने के लिये, जिसकी कोई आवश्यकता वहां पर नहीं थी, मैं स्वयं वहां पर मौजूद था, उस पर 34 लाख 83 हजार रुपये, इलाहाबाद में पर्यटन केन्द्र खोलने पर 30 हजार रुपये, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कुम्भ मेले में तीन छोटे-छोटे पेंटून ब्रिज पर 7 करोड़ 68 लाख 9 हजार रुपये खर्च किये हैं । मैं कहता हूं कि आपने इतना रुपया लगाकर कर्जन ब्रिज के नीचे पेंटून ब्रिज बनाया, उसमें कोई आदमी नहीं गया और साढ़े चौबीस लाख रुपया सरकारी खजाने पर भार डाल दिया, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, जो आमदनी कुम्भ मेले में इलाहाबाद नगर महापालिका को हुई, उसने कितना खर्च इसमें किया है और उसको कितन,

[श्री मोहन सिंह—]

अनुदान दियां गया था ? परिवहन विभाग की ओर से कितना खर्च किया गया और उसको कितना अनुदान दिया, स्थानीय प्रशासन के ऊपर कितना खर्च किया गया और उनमें कितनी पैसा लगा ? अगर उन सब मदों को शामिल कर लिया जाय तो इस अर्द्ध कुम्भ मेले के ऊपर करीब-करीब 30 करोड़ रु० का अपव्यय किया गया । मेला अधिकारियों की ओर से प्रचार किया गया कि सवा करोड़ यात्री इस मेले में आये और उन सवा करोड़ यात्रियों ने कुम्भ के दिन स्नान किया ।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश की आबादी 13 करोड़ है तो हर 13 आदमी में एक आदमी इलाहाबाद गया था इस आपके बयान को देख कर हंसी आयेगी । मैं स्वयं वहां उपस्थित था और 6 बजे के बाद वहां सुनसान हो गया था, किसी भी हालत में वहां 10 लाख से अधिक यात्री नही पहुंचे । इतने यात्रियों के आने की बात असत्य है और एक एक्जजरेटड फीगर करके हमारे गरीब खजाने का करोड़ों रुपया मेले के नाम पर खर्च कर दिया और बड़े राजपुरुषों, इंजीनियरों ने बड़े पैमाने पर धन का अपव्यय किया है इसलिए मेरी मांग है कि कुम्भ मेले में जो अनुदान की राशि खर्च कर रहे हैं उसका जो अपव्यय हुआ है उसकी जांच करने के लिए इस आदरणीय सदन की एक समिति बना दी जाय जो इस बात की छानबीन करे कि करोड़ों रुपया क्यों बरबाद हुआ जिसकी वह कमेटी छानबीन करे । आपको इलाहाबाद जाने का तीन आदमियों का एच० ओ० आर० मिला हुआ है लेकिन उसके ऊपर भी फी टिकट तन रुपया देना पड़ रहा है । जिसको मेले में आने जाने से कुछ मतलब नहीं था, उनको भी तीन रुपया देना पड़ रहा है इसी तरह से सेकेंड क्लास के यात्रियों को एक रुपया देना पड़ा है । तीन महीने से जो सदा सर्वदा इलाहाबाद आने-जाने वाले हैं उनको भी यह भार देना पड़ा है । इसलिए मेरी मांग है कि अगर आपको हमारे गरीब खजाने का मोह है तो माघ मेले की इन्क्वायरी के लिए इस सदन की समिति बनायें और उसके जिम्मे यह काम देना चाहिये ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने एक सवाल उठाया था इसी सदन में कि एक सबसे पुराना भवन राजा साहब महमूदाबाद का बटलर पलेस जिसमें आपका बिक्री कर आयुक्त का कार्यालय था जिसका 8 हजार रुपया आप किराया देते थे उसके बदले आप एक लाख 8 हजार रु० माहवार के हिसाब से पी० सी० एफ० भवन में उस कार्यालय को ले गये जो बेमतलब का है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, मंत्री जी कहेंगे कि चूंकि चार करोड़ रुपया हमें मिलने लगा है इसलिए एक लाख 8 हजार के भवन में हम चले गये । तो यह अपव्यय क्यों किया गया है ? मैंने उस समय भी पूछा था कि आप इसके ट्रान्सपोर्ट पर कितना रुपया खर्च कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि 7 लाख रुपया । यह जो अनुपूरक मांग पेश कर रहे हैं इसमें मजबूर होकर उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि पी० सी० एफ० के भवन में जो बिक्री कर आयुक्त का कार्यालय गया है उसमें सवा सात लाख रु० पार्टीशन में खर्च करने जा रहे हैं । तो इस दृष्टि से देखा जाय तो जो वित्त मंत्री सादगी का पूरे प्रदेश को उपदेश देते हैं वही अपने विभाग की तरफ के एक-एक मद में किस तरह से अपव्यय कर रहे हैं ।

मैं उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, जो आपने बंगला नं० 10 और 11 माल एवेन्यू में लिया है जिसमें आपने कहा है कि अधिकारियों के रहने के लिए जगह नहीं है, उनके आवासीय व्यवस्था की कमी है, उसके लिए आपने साढ़

6 लाख रुपया अपव्यय किया है और उसके मालिकान को आपने दे दिया है। मेरी जानकारी के अनुसार 10 और 11 बंगले में कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है। आपने जो अनुपूरक मांग पेश की है उन मांगों में आपने बताया है कि अधिकारियों के लिए आवासीय भवनों की कमी है इसलिए इसमें साढ़े 6 लाख रु0 मकान के लिए दे रहे हैं। बस्तुस्थिति यह है कि वह भवन कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है।

(व्यवधान)

उस पर आपने खर्च करने की बात की है। इस तरह से पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं और अपनी पार्टी के हित साधन में, हमारे गरीब खजाने से पैसा लेने की चेष्टा कर रहे हैं। इसकी मैं घोर निन्दा करता हूं। आपने दूसरी मद में साढ़े 6 लाख रुपये की 'दि स्प्रिरिट आफ इंडिया' नामक किताबें खरीदी। यह किताब क्या है? श्रीमती इंदिरा गांधी, हिन्दुस्तान की प्रधान मंत्री का अभिनन्दन ग्रन्थ। चूंकि इसमें सामान्य पाठक के लिए पढ़ने को कुछ नहीं है, इस तरह से इस धन का दुरुपयोग किया गया है। जो इमरजेन्सी में लिखा गया था, वही इमरजेन्सी की यह स्तुति गाथा है। जिस इमरजेन्सी की पूरे देश ने घोर भर्त्सना की, उसे कोई खरीदने वाला नहीं है, उसको जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से खरीदा गया है। यह साढ़े 6 हजार पुस्तकें एक दम से खरीदी गई, इनका आप क्या करेंगे? एक-दो किताबें आप खरीद सकते थे, यह तो समझ में आने वाली बात होती। क्योंकि देश के अन्दर उनको उनकी करनी से कोई समझने वाला नहीं है, उनकी किताबों से ही समझेगा। एक दो किताबें खरीद कर पुस्तकालय में रखवा देते इस हेतु, बस इतना ही काफी था।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यह राष्ट्र की प्रशंसा है।

श्री मोहन सिंह--

राष्ट्र की नहीं व्यक्ति की प्रशंसा है और यही मेरा एतराज है कि जब से वह उधर गये हैं राष्ट्र और व्यक्ति को एक ही चीज समझने लगे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र--

राष्ट्र के विभिन्न स्तरों की वह गौरवगाथा है, वह श्रीमती इंदिरा गांधी की नहीं उनके साथ जुड़े हुए राष्ट्र की गाथा है।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

इनके पहले के कांग्रेस अध्यक्ष ने जो कहा था कि इंडिया इज इन्दिरा ऐन्ड इन्दिरा इज इंडिया, उसी आधार पर यह किताब बनी है और यह सही इन मिश्रा जी और दूसरे लोगों के सोचने का नजरिया है। इसलिए इनको दृष्टि दोष हो गया है, जो कि चश्मा लगाने से भी दूर होने वाला नहीं है। इस सदन में अनेक बार इस बात की तारीफ की गई कि हमारे मुख्य मंत्री सर्वोदयी और त्यागी पुरुष हैं। लेकिन जब मंगल देव कमेटी की रिपोर्ट यहां पढ़ कर सुनाई गई थी तो उस समय शास्त्री जी ने इस बात की बड़ी तारीफ की थी कि माण्डा की पूरी स्टेट की पूरी ऊसर बंजर जमीन को उन्होंनें विद्यालय को समर्पित कर दिया है। मेरा यह आरोप है, जब सारी सम्पत्ति को राष्ट्रीय सरकार ने छीन लिया था, यह लोग जब उस सम्पत्ति से च्युत हो गये, तो जो शासन की सम्पत्ति है उसको अपनी सम्पत्ति

[श्री मोहन सिंह—]

बनाने के लिए, सार्वजनिक सम्पत्ति को हथियाने के लिए यह पूरी कोशिश कर रहे हैं। सम्पत्ति को हथियाने के लिए नये-नये तरीके निकाल लिये गये हैं। माण्डा का जो इन्टर कालेज है जिसकी प्रबन्ध समिति में राजा साहब के परिवार के ही सारे लोग हैं, उसको शासन की ओर से 2 लाख 63 हजार रुपये का अनुदान दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जाने कितने जूनियर हाई स्कूल व इन्टर कालेज साज-सज्जा, मरम्मत और धन के अभाव में गिर रहे हैं, उनको किसी प्रकार का अनुदान देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन माण्डा के इन्टर कालेज के लिए 2 लाख 63 हजार रुपया दिया गया।

मैं पूछना चाहता हूं कि इसका क्या औचित्य है ? एक माण्डा के इन्टर कालेज को जो आपने इतना धन दिया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में जितने भी अशासकीय इन्टर कालेज हैं —जैसे ब्रह्मचारी जी के बहुत से हैं, मनेश्वरदत्त उपाध्याय जी की बहुत सी शिक्षण संस्थायें हैं, तो क्या इन सभी शिक्षण संस्थाओं को इसी अनुपात में वह अनुदान देने जा रहे हैं और यदि नहीं देने जा रहे हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि कुर्सी पर बैठ कर शासन और शक्ति का इस प्रकार इस्तेमाल करना घोर निन्दनीय कार्य है। साथ ही उसके लिए सदन की यहां अनुमति लेना और भी निन्दनीय है। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि आपने कहा है कि पार्क रोड पर जिन विधायकों के नाम साज-सज्जा दे दी गई है, उनको अब नहीं मिलेगी। मैं स्वयं वहां पर रहता हूं और निजी जानकारी के आधार पर कहना चाहता हूं कि जब वह जितनी बार साज-सज्जा के लिए मांग करते हैं तो वहां के विधायकों को कह दिया जाता है कि आपको विशेष स्थिति है, इसलिए आपको साज-सज्जा नहीं दी जा सकती है।

आज कह रहे हैं कि पार्क रोड पर साज-सज्जा की कमी को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि से खर्चा किया गया है। यह सूचना भी सदन को गुमराह करने वाली है। आप इसकी इन्क्वायरी करायें और देखें। वहां पर जो रहने वाले विधायक हैं, आप देखें तो पायेंगे कि उनको नियमानुसार जो साज-सज्जा मिलनी चाहिये, वह भी नहीं मिली है। इससे जो आपके एस्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी और अधिकारी हैं, उनकी कार्य अवंचना पर पर्दा डाला जा रहा है। जो खर्चा आकस्मिक नहीं है, अप्रत्याशित नहीं है उसके लिए अनुपूरक मांग पेश करके शासन की दृष्टिहीनता और दृष्टि के दिवालिएपन का द्योतक है। चूंकि आप आकस्मिकता निधि से इस धनराशि को खर्च कर चुके हैं, इसको बहुमत के बल पर पास तो करा ही लेंगे लेकिन भविष्य में आकस्मिक अप्रत्याशित न दिखाकर सदन के सामने पूरा विस्तृत बजट रखेंगे और यह भी स्पष्ट करेंगे कि जिस मद में खर्चा किया जा रहा है उसमें कितनी आमदनी का जरिया है ताकि यह सदन अपनी अनुमति देते हुये सुझाव भी दे सके।

इन शब्दों के साथ जो सदन में अनुदान रखे गये हैं, उनकी मैं निन्दा करता हूं।

* श्री चेतराम गंगवार—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांग पेश की हैं, यह कोई नयी बात नहीं है। एक ट्रेडिशन है कि जब

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खर्चे की कहीं पर कमी होती है तो उसका मूल्यांकन करके खर्च कर लिया जाता है लेकिन हमारे माननीय सदस्य मोहन सिंह जी ने पता नहीं क्या-क्या कह दिया। मैं उनको, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जैसे माननीय मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष की बात है, उसमें राशि समाप्त हो गयी है। तो जो खर्चा निर्बल, अपंग, निस्सहाय किसी के यहां लड़के या लड़की की शादी होती है तो उनकी सहायता के लिए दिया जाता है। उसके लिए 5 लाख रुपये का प्राविधान अगर किया गया तो माननीय मोहन सिंह जी कहते हैं कि गरीबों और हरिजनों को वह नहीं मिलना चाहिये।

श्री मोहन सिंह--

यह मैंने नहीं कहा है।

श्री चेतराम गंगवार--

तो फिर इन अनुपूरक अनुदानों के लिए आपत्ति क्या है ?

यह मैं अवश्य कहना चाहता हूं कि 2-2 और 3-3 बार अनुपूरक बजट लाना एक चीज का अवश्य द्योतक है कि क्या आप वाकई महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं। महंगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है जिसका नतीजा यह होता है कि जो हमारा मूल बजट होता है, उसमें जितनी धनराशि का प्राविधान किया जाता है उससे अधिक खर्चा बढ़ जाता है और फिर पहली अनुपूरक मांग, दूसरी अनुपूरक मांग और तीसरी बार भी अनुपूरक मांग आ जाती है। तो इस प्रवृत्ति को हमें रोकनी चाहिये। जो आपके अधिकारी हैं उन पर इस बात की रोक लगना चाहिये कि महंगाई की वजह से नहीं बल्कि अगर कोई नयी चीज हमारे सामने आ गयी तो उसके लिए तो अनुपूरक मांग आ सकती है। जसे हमारे स्वायत्त शासन मंत्री जी की एक ग्रान्ट है। इसमें 12 करोड़, 1 लाख, 65 हजार रुपये की डिमान्ड पेश कर दी गई है।

मैं बरेली की एक घटना का जिक्र कर देना चाहता हूं जिसकी ओर हमारे मंत्री जी ध्यान दें। हमारे यहां पर अयूब खां चौराहे पर एक फौव्वारा 3 1/2 लाख रुपये की लागत से बनाया गया और फिर स्वायत्त शासन विभाग वालों को इसको वहां से हटाने की इजाजत दी जाये। मान्यवर, पहले साढ़े तीन लाख में उसे बनाया गया, फिर लगभग डेढ़ लाख रुपया उसको गिराने में खर्च किया और उसके बाद दो ढ़ाई लाख रुपया खर्च कर के फिर उसे बनवाया गया। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह के खर्च पर माननीय वित्त मंत्री जी को अंकुश लगाना चाहिये।

इसी में एक अनुदान संख्या 60 है जिसमें दुग्धशाला विकास के लिए 6 लाख रुपया रखा गया है। आज प्रदेश में श्वेत क्रान्ति की जो बात चल रही है उसे सारे प्रदेश में पोत दिया गया है। जितनी भी दूध की डेरी प्रदेश में चल रही हैं सभी में लाखों रुपयों का घाटा है। बनारस और कानपुर की डेरी में करोड़ों का घाटा है। गोरखपुर में 8-9 करोड़ की लागत से डेरी स्थापित की गई, आज उसमें काम ठप्प पड़ा हुआ है और घाटा हो रहा है। बरेली में साढ़े 3 करोड़ का प्लान्ट लगा, वहां हालत यह है कि कर्मचारियों को दो-दो साल से वेतन नहीं मिला है और वे लोग एजीटेशन कर रहे हैं। जो मशीनें हैं उनमें जंग लग रही है। माननीय वित्त मंत्री जी पहले दुग्धशाला मंत्री जी रह चुके हैं, वे कृपया इसे देखें।

[श्री चेतराम गंगवार---]

मान्यवर, एक अरब रुपये के करीब का पहले सप्लीमेन्टरी आया, इतने क हो यह है और शायद एक फिर आगे भी सप्लीमेन्टरी आये। आपके पास एक से एक अच्छे अधिकारी हैं, आप अपनी मशीनरी से यह दिखवायें कि इतने सप्लीमेन्टरी लाने की जरूरत न पड़े। और यह भी दिखवायें कि रुपया गलत जगह न जाये और रुपये का सही उपयोग हो।

मुरादबाद में ला एण्ड आर्डर को देखते हुए आपने वहां डिवीजनल हेडक्वार्टर बनाया। एक अलग से उसके लिए कमिश्नर और एक डी० आई० जी० को नियुक्त किया। यहां तक तो ठीक था, पर डिवीजनल हेडक्वार्टर हो जाने से जो और भिन्न-भिन्न विभागों में अधिकारी और कर्मचारी रखे जा रहे हैं इसे मैं गलत समझता हूं। आपने डिवीजनल हेडक्वार्टर तो केवल इसलिए बनाया था कि वहां ला एण्ड आर्डर मेन्टेन किया जा सके, तो फिर अन्य विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की फौज रखने की क्या जरूरत है? इस तरह से ब्योरोक्रेट्स को लादना ठीक नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय मोहन सिंह जी ने इसमें कोई नई बात नहीं कही है। आवश्यकता पड़ने पर सप्लीमेन्टरी लाया ही जाता है। मैं चाहूंगा कि यह सदन इसे पास करे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, अनुपरक बजट के लिए संविधान में भी व्यवस्था है और अनुपरक का मतलब होता है अनुपूरक, अर्थात् जो काम पहले तय हो चुका है उसको पूरा करने वाला। इसमें जो अनुदान रखे गए हैं बहुत से ऐसे हैं जो बिलकुल ही नये अनुदान हैं। मान्यवर, हमारे संविधान में यह भी व्यवस्था है कि जो भी पैसा सरकार खर्च करे उसके लिए विधान मंडल की स्वीकृति ले। इस विधान मंडल की स्वीकृति से ही वह पैसा खर्च हो सकता है। और वार्षिक वित्त लेखा आने का तात्पर्य है कि हम उस पर विचार प्रकट करें। लेकिन इस समय हमें यह मौका मिला नहीं।

मान्यवर, अनुपूरक अनुदान के समय चर्चा का समय सीमित रहता है। इसमें मान्यवर, मेरी आपत्ति है कि इसमें नई मदों का समावेश नहीं किया जाना चाहिए था। मान्यवर, जैसा मैंने कल भी विधान सभा में मामला उठाया था कि हमारे प्रदेश के कई जिलों में भुखमरी की स्थिति है। वहां पर लोग घास खाकर, फल खाकर जिन्दा रह रहे हैं। अगर इसमें हम अहेतुक सहायता के नाम पर कोई ऐसा अनुपूरक अनुदान लाते तो हम उसका समर्थन करते। थाना रसड़ा के ग्राम प्रधान ने स्वयं लिखा है कि वहां पर लोग भूखों मर रहे हैं। अभी हमारे पूर्व वक्ता माननीय सदस्य, बरेली बोल रहे थे, उन्होंने अपने मन से कह दिया कि मननीय मोहन सिंह ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी के विवेकाधीन कोष में 5 लाख रुपया गरीबों और हरिजनों की सहायता के लिए रख दिया गया है जबकि माननीय मोहन सिंह जी ने यह बात नहीं कही थी। इससे साबित होता है कि यह उनके मन का पाप है। मैंने इससे पहले ही यह आरोप लगाया था कि विवेकाधीन कोष का खर्च भाई, भतीजे और अपनी कंस्टीट्युएंसी के नाम पर किया जाता है। एक मंत्री ने अपना पूरा-पूरा पैसा अपनी कंस्टीट्युएंसी के लोगों को बांट दिया।

मैं जानना चाहता हूं कि उनके जिला बरेली, रामपुर, बनारस में तीन संस्थाओं पर एक लाख 36 हजार रुपया दे दिया गया। मान्यवर, विवेकाधीन कोष जरूर होता है, लेकिन हर काम को करने के लिए कुछ न कुछ आधार होगा। मैं पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से क्या यह सही नहीं है कि 1 लाख 20 हजार रुपया जो जांच कराने के लिए खर्च करना था, क्या कोई आई० जी० पुलिस ने अपनी साज-सज्जा में नहीं खर्च कर दिया। विवेकाधीन कोष आपके पास है, इसको खर्च करने के लिए मान्यवर, आपको आवश्यकता है कि इसके लिए कोई मानक बनाया जाय। दूसरी बात मैं मान्यवर, अपव्यय की बतलाता हूं। इसमें मद संख्या 21 देखने की कृपा करें। राष्ट्रीयकृत बैंकों की रीजनल कंसल्टेटिव कमेटी को एक दिन की दावत पर 35 हजार रुपया खर्च किया गया, जो एक व्यक्ति पर 850 रुपया खर्च आता है। आपने कहा है कि हमने उनके आतिथ्य सत्कार पर 35 हजार रुपया खर्च किया है। इस प्रकार से एक-एक सदस्य पर 850 रुपया खर्च आता है। यह मान्यवर, हमारे एक्सचेकर का दुरुपयोग किया गया है। आगे देखें, पुलिस बजट में आपने पुलिस की सुविधाओं पर काफी पैसा दिया है, इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मान्यवर, इस बात को देखना होगा कि क्या आपकी पुलिस ठीक से काम कर रही है। जिस तरह से फर्जी इनकाउण्टर हो रहे हैं। इसको विदेश के लोगों ने भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट के जज अइयर ने भी कहा है कि संविधान के अन्दर किसी व्यक्ति को बिना कारण बताये सजा नहीं दी जा सकती है।

मान्यवर, कौन-कौन से लोग मारे गए हैं, कैसी परिस्थिति थी, और किस अपराध में मारे गए। इसका एक श्वेत-पत्र आप छपवायें, वरना हो सकता है कि हम प्रतिपक्ष के लोग जनता के सामने एक सूची प्रदर्शित करेंगे और हम इस बात को सामने लाना चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को बिना दोष साबित हुए उसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। मान्यवर, इनकी पुलिस निरंकुश हो गई है। मान्यवर, माननीय मोहन सिंह ने मांडा की चर्चा कर दी। मोहन सिंह जी ने स्पिरिट आफ इंडिया की भी बात कही। वह पुस्तक कैसी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में नहीं हैं, वह होते तो मैं उन्हें भी याद दिलाता। यह संयोग की बात है कि मैं किसी काम से माननीय शिक्षा मंत्री के पास गया था। एक सज्जन दिल्ली से किसी वरिष्ठ मंत्री का पत्र लेकर आये थे और उन्होंने कहा कि आप स्प्रिट आफ इण्डिया किताब खरीद लीजिए। मैं तारीफ करूंगा माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि उन्होंने उसको अपने कमरे से भगा दिया और कहा कि यह किताब खरीदने लायक नहीं है।

मैं जानना चाहता हूं कि कौन दबाव पड़ा दिल्ली दरबार का कि वह किताब जो 50-60 पेज की है 100 रुपये के हिसाब से खरीद ली गई और एक दो नहीं मान्यवर, 6 हजार किताब खरीद ली गई। मान्यवर, यह किताब लाइब्रेरी में फेंक दी जायेगी, मात्र किसी संस्था को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार की घटिया किस्म की किताबें जिसकी खरीदने की जरूरत नहीं थी खरीदी गई है और जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया गया है। एक बात की ओर मैं और आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मान्यवर, सप्लीमेन्टरी बजट के माध्यम से क्या सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया गया और अपने घर के लोगों को इसके माध्यम से किस प्रकार लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है मान्यवर, आप पृष्ठ 44 देखें। कृषि विभाग के अन्तर्गत एक कृषि सलाहकार के पद का सृजन किया गया है। और उसकी नियुक्ति की गई है श्री कौल की। मान्यवर, उनकी धर्मपत्नी केन्द्र में मंत्री हैं। मुझे ठीक जानकारी है

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

श्री कौल जब राजकीय सेवा में थे तो उनकी चरित्र पंजिका में यह इन्ट्री की गई थी कि इनको कोई जिम्मेदारी का पद न दिया जाय यह मान्यवर नेहरू जी का मत था कि जिम्मेदारी का पद न दिया जाय। मान्यवर, कृषि विभाग में सलाहकार के पद का सृजन किया गया और उस पर उनकी नियुक्ति कर दी गई।

श्री चेतराम गंगवार--

मान्यवर, श्री के0 एन0 कौल के बारे में माननीय सदस्य को जानकारी नहीं है। उन्होंने हजारों एकड़ जमीन जो ऊसर थी उसको उपजाऊ बना दिया। मान्यवर, यह मिथ्या भाषण कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या हमारे जो राजकीय सेवा में अधिकारी विभाग में काम कर रहें है उनमें योग्य व्यक्ति की कमी थी। कौल जैसा योग्य व्यक्ति नहीं थे। जिसके बारे में यह लिखा गया हो कि जिम्मेदारी का पद न दिया जाय उसको सेवा से रिटायर्ड होने पर सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया क्या यह जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं है। मान्यवर, अब मैं दूसरी बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जिला परिषद् और पंचायत राज के बारे में। आपने बहुत पैसा दिया अच्छा किया वह पैसा खर्च करें। लेकिन यह देखने की चेष्टा की आपने इस समय हमारे सीतापुर के मंत्री अम्मार साहब नही हैं मान्यवर, पिछले साल जितनी सड़कें बनाने का फैसला किया था। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 2 सड़कें बनाने का फैसला लिया गया था।

मान्यवर, वर्ष का अन्त होने वाला है वर्ष का आखिर है लेकिन अब तक कोई काम नहीं किया गया है। लेकिन अभिलेखों में दिखा दिया गया कि काम पूरा हो गया है। मैंने पत्र लिखा कि इसकी जांच कराई जानी चाहिये कि वह पैसा कहां खर्च हो गया। वर्ष समाप्त हो रहा है, काम हुआ नहीं लेकिन अभिलेखों में लिखा दिया गया कि सड़क बन गई है। मान्यवर, वहां की जनता जानती है कि वहां सड़क पर एक कंकड़ तक नहीं पड़ा। मान्यवर, परिवहन विभाग पर आपने काफी पैसा खर्च किया। क्या परिवहन के बारे में समझने की जरूरत है? आपने 5 करोड़ रुपया दिया और फिर 55 करोड़ रुपया खर्च किया गया। लेकिन क्या परिवहन विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया।

मान्यवर बरेली में एक दुर्घटना हुई उसके बारे में कहना चाहता हूं। मेरी जानकारी कि एक बस ऐसी है जिसका ब्रेक फेल था।

(1 बजकर 20 मिनट)

जिस समय डिपो से बस निकली तो ड्राइवर ने ले जाने से मना कर दिया लेकिन दबाव पड़ा कि ले जाओ। बस चली और रात में उसका एक्सीडेन्ट हो गया जिसमें 15 व्यक्ति मर गए और कई लोग घायल हो गए। इसके बावजूद बसों को पैसा दिया जा रहा है और उनकी तादाद बढ़ती जा रही है किन्तु उसकी कार्यक्षमता और जनता की सुरक्षा बढ़ाई जाय इसकी चिन्ता मंत्री जी को नहीं है।

माननीय, यहां सदन में हमने चर्चा किया जिसके परिणामस्वरूप सीतापुर में बस डिपो बना दिया गया लेकिन वह शहर से दूर बनाया गया । शहर का जो बस स्टेशन है उस पर पेट्रोल फिलिंग पहले सेन्टर था जिसको अब शहर से दूर भेज दिया गया जिससे जो बसें पेट्रोल लेने जाती हैं उनको 10 किलोमीटर का चक्कर काटना पड़ता है और दो रेलवे क्रासिंग को पार करना पड़ता है जिससे यात्रियों को घंटों बस में बैठे रहना पड़ता है और समय वेस्ट होता है, इसलिये इस समस्या की ओर ध्यान देने की जरूरत है जिससे यात्रियों का समय बरबाद न हो । माननीय, सीतापुर बस डिपो में 55 बसें हैं लेकिन उनमें से केवल 20 बसें ही सड़क पर चल रही हैं । आने जाने के साधन नहीं हैं लेकिन उसके बावजूद पैसा देते चले जा रहे हैं, इसलिए इसमें सोचने की जरूरत है

माननीय, गन्ना विभाग की चर्चा की गई है । तो मैं कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों को गन्ने का आज उचित मूल्य नहीं मिल रहा है । गन्ना किसानों से प्रति गाड़ी अनिवार्य रूप से 5 रुपये की वसूली की जा रही है और किसानों से कहा जा रहा है कि किसानों को जो सुविधा दी जा रही है उसके सम्बन्ध में 5 रुपये लेने के आदेश हैं । अतः इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और इस वसूली को बन्द किया जाना चाहिए ।

माननीय, प्रशासन के अन्दर चुस्ती और क्षमता का अभाव है । भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि 3 फरवरी को एक समाचार प्रकाशित हुआ है जिसमें प्रदेश के वन मंत्री पर आरोप लगाया गया है कि उनके कोई सुपुत्र हैं वह उनके साथ रहते हैं और फाइलों पर उनके इशारे पर काम होता है और जो अधिकारी उनके अनुसार काम नहीं करते हैं उनका ट्रान्सफर और उनको प्रताड़ित किया जाता है । श्री चतुर्वेदी वन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं जिन्होंने 30 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भेजा है कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । इसके बावजूद अनुदान मांगा जा रहा है किन्तु सरकार की तरफ से कोई प्रयास भ्रष्टाचार को दूर करने का नहीं किया जा रहा है ।

माननीय, डाकू उन्मूलन की बात है । विधान सभा के बाहर एक परचा बांटा गया है कि श्री पी० के० शर्मा, एक मंत्री सामान्य प्रशासन के हैं उनके बारे में लिखा है कि वह डाकुओं को संरक्षण देते हैं ।

माननीय, अब मैं एक संवैधानिक बात रखना चाहता हूं कि सरकार को विधान मंडल का आदर करना चाहिये । विधान मंडल के जो अधिकार हैं उसके अनुसार यहां बारबार अनुपूरक बजट पेश होते हैं और मुझे जानकारी मिली है कि कई अनुपूरक बजट पेश होने वाले हैं लेकिन जो पैसा आदरणीय सदन पास करता है उसके अनुसार कुछ काम नहीं किये जाते हैं बल्कि शासन अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उस पैसे को खर्च करता है जबकि बजट में दर्शाया कुछ और जाता है । बजट के पैसे को शासन अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों पर खर्च करत है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान इस बात की चेतावनी देता है कि सरकार जो खर्चा करे उसको बजट में पहले दिखाना चाहिये कि वह किन योजनाओं पर, कितना धन और कैसे उसको खर्च करेगी जिनका सरकार ने ध्यान नहीं दिया है । इसलिए सरकार इस दिशा में कार्यवाही करे कि हम बजट के पैसे को कैसे, कितना कहां और कब खर्च करेंगे । इन सब बातों का स्पष्टीकरण जो नहीं दिया गया है, इसलिए मैं अनुपूरक अनुदानों का विरोध करता हूं और अपनी बात पर बल देता हूं ।

*श्री प्रमोद कुमार—

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक मांगों का मैं हृदय से समर्थन करता हूं । मान्यवर, जब हमारे साथी मोहन सिंह जी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि यह सरकार तीसरी बार अनुपूरक मांग रही है । माननीय मोहन सिंह जो उस मंत्रि मंडल के सदस्य रहे हैं जो 350 के बहुमत के बावजूद इस सदन में रेंग-रेंग कर लेखानुदान के सहारे चलता रहा है । मान्यवर, ऐसी सरकार के मंत्री रह चुकने के बाद माननीय मोहन सिंह जी ने जो इलजाम लगाये हैं वह बे बुनियाद हैं, वह पश्चाताप के रूप में बोल रहे हैं ।

श्री मोहन सिंह—

केवल इनको इतना ही गुरु मंत्र मिला है ।

श्री प्रमोद कुमार—

मान्यवर, मोहन सिंह जितनी बातें बोलते हैं जरूरी नहीं है कि उसके लिए आधार हो । वह कुछ भी बोल सकते हैं । मान्यवर, एक नजर डाली जाय, अनुपूरक मागों पर, एक-एक आइटम जनता के हित से जुड़ा हुआ है । दिक्कत यह है कि जो लोग जनता का हित नहीं चाहते हैं वह ऐसे चश्में से देखते हैं कि उनको हर चीज गलत ही दिखाई देती है, उनको नहीं समझाया जा सकता है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का नैतिक दायित्व नहीं है कि प्रकृति का प्रकोप हो बढ़ आये तो सरकार उससे निपटने के लिए, देश और प्रदेश की जनता को भूख से बचाने के लिए खर्च न करे । क्या सरकार प्रतीक्षा करेगी कि अगला बजट जब आयेगा और पास हो जायगा तब सरकार जनता को रोटी देगी । मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 29 करोड़ रुपये बाढ़ सहायता के लिए हैं । जो बाढ़ आई थी उस विकराल बढ़ से निपटने के लिए 29 करोड़ रुपये रखे गये । यह इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार ने जो खर्च किया है वह स प्रदेश को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए किया है । दूसरी मद भारत सरकार द्वारा विभिन्न विकास योजनायें जो स्वीकार की गई हैं उसके लिए 19 करोड़ रुपया खर्च किया गया है ।

मान्यवर, विकास योजनाओं की बात तो इनकी समझ में नहीं आती क्योंकि विकास के नाम से यह चिढ़ते हैं, यह विकास को देखन नहीं चाहते हैं । जब इनका कार्यकाल रहा तो प्रदेश के विकास के बजाय यह प्रदेश को पीछे ले गये । मौजूदा सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य यह रहा है और सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही है कि जनता सरकार के जमाने म सरकार पर से जो जनता का विश्वास मिट चुका था तो इस सत्ता पक्ष ने और माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने यह सबसे बड़ा कार्य किया है कि जनता के अन्दर उत्तर प्रदेश शासन के प्रति विश्वास पैदा किया है ।

एक सदस्य—

छविराम से यज्ञ करा कर ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद कुमार---

आपसे छविराम का क्या सम्बन्ध है वह मैं नहीं जानता लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता समय आने पर जवाब देगी कि किन लोगों के स्वर में छविराम बोल रहा है । मान्यवर, तीसरा आइटम उर्वरक की खरीद का है इसमें 10 करोड़ रुपया हमारे प्रदेश की सरकार ने रखा है । यह लोग तो गन्ने को खेतों में जलवा सकते हैं इतनी कम कीमत गन्ने की रख सकते हैं कि किसान गन्ने को खेत में जला दे । जब माननीय मोहन सिंह जी ने इस राशि को देखा होगा तो अनदेखी कर गये होंगे । तो अगर इन तीनों मदों को जोड़ लिया जाय तो 58 करोड़ रुपया आता है । यह जनता के हित में है, मैं समझता हूं कि यह प्रदेश की प्रगति के फलस्वरूप है ।

मान्यवर, जब सरकार चलेगी जनता की तो जनता यही सोचेगी कि सरकार जनता की है और अगर सरकार कुछ करना चाहेगी तो निश्चित रूप से उसे एक धनराशि खर्च करनी पड़ेगी । इस तरह से अब जब जिक्र आया मांडा रोड पर जमीन के सम्बन्ध में । माननीय मोहन सिंह जी प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्र हैं । मांडा में जो जमीन है, उससे हजारों परिवार आज भी पल रहे हैं । अगर आप नहीं कर सकते तो किसी ने ईमानदारी का कदम उठाया है, उसकी प्रशंसा तो कीजिये । अगर प्रसंशा नहीं कर सकते तो कम से कम अपने उस चश्मे को ही थोड़ी देर के लिये उतार दीजिये, जो केवल बुराई ही बुराई देखता है । मैं चुनौती देता हूं माननीय मोहन सिंह जी को यह मांडा रोड पर उस जमीन को देख लें, जो सर्वोदय के नाम पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने दी है । अगर वह जमीन इन्हें बंजर लगती है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान की कोई जमीन उससे अधिक उर्वरक नहीं होगी ।

श्री ऊदल---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में कितने लोग ऐसे हैं, जिन्होंने सर्वोदय के नाम पर लाखों एकड़ जमीन दी है, चाहे वह राजनीति में हों या न हों । उनके नाम इनको मालूम हों तो ले दें ।

श्री प्रमोद कुमार---

इस सम्बन्ध में मैं अपना नाम ले सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

आप अपना भाषण दें ।

श्री प्रमोद कुमार---

इस बार विश्व का सबसे बड़ा मेला लगा प्रयाग में । पिछले तीन मेले मैंने भी देखे हैं । इस बार कुम्भ मेले का जो प्रबन्ध था, वह किसी भी अन्य मेले

[श्री प्रमोद कुमार---]

के प्रबन्ध से अच्छा था और सर्वोत्तम था चाहे आप सड़कों को देख लें या स्वास्थ्य विभाग पर नजर डालें । विश्व का सबसे बड़ा मेला एक बार चलने के बाद, जिसमें मौनी अमावस्या के दिन बारिश भी हुई, जिससे काफी अव्यवस्था फैल सकती थी, लेकिन यह प्रशासन की चुस्ती थी, सरकार की दूरदृष्टि थी कि उससे न तो किसी को भूख से मरने दिया और न वैसे मरने दिया । इतनी बड़ी भीड़ आये और आकर चली जाय, यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है । यह पुण्यात्माओं का संगम था, बड़े-बड़े पुण्यात्मा वहां गये थे, लेकिन सम्भवतः माननीय मोहन सिंह जी वहां नहीं गये थे, अगर वहां गये होते तो इतनी अच्छी व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ कह नहीं सकते थे ।

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, बहुत वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि निश्चित सूचना दे दीजिए । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मोहन सिंह जो मेले में स्नान करने गये तथा स्वस्थ यहां उपस्थित हैं, यही इसका प्रमाण है कि बहुत अच्छा इन्तजाम था ।

श्री प्रमोद कुमार--

एक पुस्तक के सम्बन्ध में चर्चा हुई । यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतवर्ष में सन् 1966 से लेकर जो प्रधानमंत्री, जिसने आधुनिक भारत का निर्माण किया है, मैं उस काम चलाऊ प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूं, जिसने एक दिन भी सदन का सामना नहीं किया और भाग गया, यदि पिछले 17-18 साल के इतिहास का अध्ययन किया जायगा तो भारत की राजनीति की कल्पना श्रीमती इन्दिरा गांधी के बिना नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई पुस्तक है तो उसमें इनका नाम आया होगा । ऐसे काम चलाऊ प्रधान मन्त्रियों को उनसे ईर्ष्या हो सकती है जिन्होंने सदन की परम्परा के प्रतिकूल अपने को प्रधानमंत्री कहलवाया, लेकिन सदन जैसी पवित्र स्थली का सामना करने को तैयार नहीं हुये । जब भी इस देश का इतिहास लिखा जायगा तो श्रीमती इन्दिरा गांधी गरीबों की रहनुमा के नाम से याद की जायेंगी, वहीं चौधरी चरण सिंह का नाम उन लोगों में लिया जायगा, जिन्होंने किसानों की मेहनत की पूंजी गन्ने के रूप में जलवा दी है । इन शब्दों के साथ मैं इस अनुपूरक मांगों का हृदय से समर्थन करता हूं क्योंकि इस अनुपूरक मांग की एक-एक मद प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश की जनता के हित के लिए खर्च की गयी है ।

* श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने सब मिलाकर 90,80,68 रुपयों का सप्लीमेन्टरी बजट रखा है । मेरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समझ में नहीं आता है कि इसे सप्लीमेंटरी बजट कहूं या इसे आफिसर्स की लग्जरी के लिये कम्प्लीमेन्टरी बजट कहूं । मुझे तो यह लग्जरी के लिये कम्प्लीमेन्टरी बजट लगता है इसलिए कि इसमें जितनी मदें हैं उसे इसके पहिले जो सप्ली-मेन्टरी बजट था उसमें ये शामिल की जा सकती थीं ।

मुझे बड़ा दुख है कि माननीय वित्त मंत्री जी आज ही शाम को एप्रो-प्रिएशन बिल रखेंगे । पता नहीं वह एप्रोप्रिएशन बिल है या मिसएप्रोप्रिएशन बिल है । मुझ तो वह 100 प्रतिशत मिसएप्रोप्रिएशन बिल समझ में आता है । एक मद को छोड़ कर जो कि इन्होंने फौजियों की विधवाओं से सम्बन्धित रखा है । इसके अलावा सब का सब लग्जरी के ऊपर खर्च किया गया है और सदन के सामने ला कर रख दिया गया है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की तारीफ करने के लिये सूबे का बजट है सप्ली-मेन्टरी । ज्यादा तारीफ करने की जरूरत नहीं है । श्री बरुआ ने सबसे ज्यादा उनकी तारीफ कर दी है कि इन्दिरा इज इन्डिया । अब किसी की तारीफ इससे ज्यादा नहीं हो सकती है न किसी ने इतनी तारीफ उनकी की है । लेकिन श्री बरुआ का क्या हश्र हुआ, उससे आप लोग ज्यादा परिचित हैं, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है ।

मान्यवर, यह बदकिस्मती है इस प्रदेश की कि इस प्रदेश की मूवएबिल प्रापर्टी सेन्टर में चली गयी राजभवन की तलवार के शक्ल में और नान-मूवएबिल प्रापर्टी बटलर पैलेस भी चला गया । बदले में क्या मिला ? बदले में मिली "स्प्रिट आफ इंडिया" । यह स्प्रिट आफ इंडिया क्या चीज है जो आज तक किसी पिंजड़े में न बन्द हुई है और न हो सकती है और न हवा में उड़ी है ।

मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस सप्लीमेन्टरी बजट में कारों का खर्चा भी शामिल है । श्रीमन्, वह आपकी भी गाड़ी का खर्चा है, गवर्नर साहब की गाड़ी का भी खर्चा है लेकिन इस माननीय सदन के सभापतियों की गाड़ियों के लिए माननीय वित्त मंत्री के गले से नीचे बात नहीं उतरी बावजूद इसके कि रामायण राय कमेटी की रिपोर्ट भी इसके सम्बन्ध में आ चुकी है ।

डाक्टर विनोद कुमार तिवारी--

मान्यवर, रियासत साहब का असली दुख सामने आ गया कि उनको गाड़ी नहीं दी गयी ।

श्री रियासत हुसैन--

मैं इस सम्मानित सदन के सभापतियों के सम्मान की बात कर रहा हूं । आप अपमान करना चाहते हैं और मैं सम्मान करना चाहता हूं । यही फर्क है और

[श्री रियासत हुसैन---]

इसीलिये बात गले से नहीं उतरती है । श्रीमन्, ढाई-तीन लाख रुपये यह रेस्टो-रेन्ट पर खर्च करते हैं । इसकी क्या जरूरत थी । जब दारुलशफा में और रायल होटल में रेस्टोरेन्ट चल रहे थे और दोनों किस्म के चल रहे थे । रायल होटल में नानवेजेटेरियन रेस्टोरेन्ट भी चलाया गया था । यह रेस्टोरेन्ट कुंवर महमूद अली ने चलवाया था तो उसे तोड़ कर ढाई-तीन लाख रुपये रेस्टोरेन्ट पर खर्च करने की क्या जरूरत थी ? मान्यवर, आप जांच करायें कि इन रेस्टोरेन्ट पर खर्च 50 हजार भी नहीं हुआ है, ढाई-तीन लाख की बात तो बहुत दूर की है । यह बात दूसरी है कि आपके केयर टेकर महोदय चाहे वो दारुलशफा के हों या रायल होटल के, आज पेंशन ले रहे हैं । रायल होटल में जो हम लोगों ने जो नानवेजेटेरियन हैं, खास तौर से खान गुफरान जाहिदी साहब हैं, हम लोग वहां खाना खाने नहीं जा सकते । यह सुविधा जो ढाई-तीन लाख रुपये रखे गये हैं उसके लिये दी जा रही है ।

मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में पिछली बार यह सवाल आया था कि फूड फार वर्क के तहत जो सड़कें बनी हैं, वह बेकार न जायें, चाहे जनता पार्टी को सरकार ने बनाया हो, या आपने, पैसा तो इसी प्रदेश की जनता का लगा, इसी सदन में उसे पास किया था, आखिर जनता पार्टी वाले कहीं बम्बई से लाये नहीं होंगे, इसलिए जो काम हुआ है, बार-बार सदस्यों की मांग के बावजूद उनके रिपेयर के लिए, मिट्टी डालने के लिए अगर 10 प्रतिशत भी खर्च कर दिया जाता तो वह बहती नहीं, कटती नहीं । लेकिन आप को चिन्ता है कि इसे तो जनता पार्टी नें बनवाया था, अगर ये रिपेयर कर देंगे तो उसका श्रेय जनता पार्टी पर जायेगा, इससे न जाने क्यों आप को परेशानी हो रही है । आप रुपया मांग रहे हैं लेकिन यह कहीं नहीं कहा कि जितनी सड़कें बनी हैं उनकी मरम्मत के लिए 10 प्रतिशत भी खर्च करेंगे ।

यू० पी० भवन बन गया, विधायकों को तकलीफ थी, मेरी समझ में नहीं आता कि विधायकों को थी या अफसरों को । जो यू० पी० निवास था उसमें पहले नम्बर पर शासन के लोग, दूसरे नम्बर पर विधायक और उसके बाद अफसरों को दिया जाता था लेकिन दिक्कत क्या हुई उसमें जो 30-35 कमरे हैं जिनका किराया 5 से बढ़ा कर 12 रुपया कर दिया गया है और जो यू० पी० भवन है उसका 5 रुपया है । तो अफसरों को इस बात का सवाल हुआ कि यू० पी० निवास में पहले शासन के मेम्बरों को, उसके बाद विधायकों का हक है तो अफसरों का सवाल है कि जो यहां ड्यूटी पर जाते हैं दिल्ली के अन्दर रहने, ट्रेवेल का, हर चीज का बिल बनाकर देते हैं किसी न किसी होटल का, तो उन को असुविधा

न हो, इसलिए लग्जरी तरीके से यू0 पी0 भवन कर दिया केवल वहां टेलीफोन नहीं है तो वह भी लग जायेगा क्योंकि हमारे अफसरों को कोई तकलीफ न हो ।

मुझे ताज्जुब है, रोडवेज के लिए कर्ज दिया जा रहा है । मेरी समझ में नहीं आता कि यह जो स्टेट रोड ट्रांस्पोर्ट कारपोरेशन हैं, इसका पेट कभी भरेगा या नहीं । 80-81 में 5 करोड़ और 81-82 में 3 करोड़ पर आ गये और कारपोरेशन फिर भी बराबर घाटे में चल रहा है । उन्हें कारें खरीदने के लिए आप रुपया देते जाइये और माननीय विधायकों के लिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि इस सवाल को मैंने बार-बार रेफर किया कि एक बस केवल विधायकों के लिए, जो डीलक्स टाइप हो, चारबाग रेलवे स्टेशन से दारुलशफा के बीच घूमती रहे, केवल इतनी सुविधा भी यह कारपोरेशन हम विधायकों को नहीं दे सकता । माननीय विधायकों को रिक्शा वालों से झगड़ा कि ढाई रुपये लेंगे, तीन रुपये लेंगे, करना पड़ता है । आपको टी0 ए0, डी0 ए0 मिलता नहीं लेकिन देना है । वह सुविधा भी कारपोरेशन नहीं दे सकी कि केवल एक बस केवल विधायकों के लिए दारुलशफा से चारबाग तक केवल घूमती रहे । ताकि माननीय विधायकों को जिस समय भी जाना हो चारबाग स्टेशन तक, वह उस बस से चल जाय । लेकिन यह एक इतनी सी सुविधा आप विधायकों के लिए नहीं दे सकते हैं । कर्जा लेने के लिए तो तीन करोड़ का आ गया और अगले बजट में और आ जायेगा । इसी तरह से डेरी फेडरेशन की बात है ।

मेरे क्षेत्र में दलपतपुर बस फैक्ट्री 55 लाख रु0 के घाटे में है । 60 हजार लीटर उसकी कैपेसिटी है । 20 हजार लीटर से ज्यादा वह काम चला नहीं सकती है । उसको एक करोड़ रु0 दिया जाता है 69 लाख रु0 पिछले साल दिया गया । वह किसलिए दिया गया । वह दिया गया एक काम के लिए और खर्चा हो गया दूसरे काम में । अब आपके आफिसर्स ने एक नाम दिया है क्रिमिनल रिसोप्रिएशन का कि अगर क्रिमिनल रिसोप्रिएशन होगा तब तो ऐक्शन लिया जाय वरना कोई बात नहीं है । यह एक नया वर्ड निकाला है आपके आई0 ए0 एस0 अफिसर्स ने । अभी सुनने में आया था कि 6-7 सीनियर कमिश्नर्स को सस्पेंड करने जा रहे हैं लेकिन अब सुनने में आया है कि सबको प्रमोट करने जा रहे हैं । तो यह आपका ढांचा है आपके आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 में । इसी तरह से एक बात यह कही गई कि जो डाकू प्रभावी क्षेत्र हैं उसके अन्दर कुछ मेस खोले जायेंगे और कुछ बावर्ची आयेंगे । ऐसे 10-12 थाने हैं डाकू प्रभावित जिनमें मेस खोले जायेंगे तो वह डाकुओं को खाना खिलाने के लिए खोले जायेंगे जैसे कि जो छविराम वगैरह के गैंग के लोग हैं

[श्री रियासत हुसैन---]

उनके लिए खोले जायेंगे या वहां के सिपाहियों के लिए । पिछले बजट में तो मा0 कल्पनाथ राय जी ने आपके खिलाफ आवाज उठाई थी । उसके बाद केदार पांडेय ने कहा कि यू0 पी0 में सबसे ज्यादा गाड़ियां लूटी जाती हैं और आज ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि---वह उत्तर प्रदेश के ला ऐन्ड आर्डर से डिससेटिसफाइड हैं । उन्होंने कहा---

दैट ही बाज नाट फुली सेटिसफायड विथ दि उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट्स परफामेन्स विथ रिगार्ड टू ला एण्ड आर्डर

इस तरह से ज्ञानी जैलसिंह ने कहा कि यू0 पी0 में ला ऐण्ड आर्डर किस तरह का है । इसी तरह से मुख्य मंत्री जी ने जो ऐनेक्सी के लिए कहा है उससे यह बात महसूस होती है कि जिस तरह से इस्लामिक हिस्ट्री में हजरत उमर खलीफा फटे हुए पैबन्द लगे हुए कपड़े पहनते थे और शायद हमारे खान गुफरान जाहिदी साहब भी इस बात से इन्कार नहीं करेंगे कि जब अब्दुल खलीफा बिस्तर पर थे और लोग उनका हाल लेने गए तो लोगों ने जो घर में थीं उनसे कहा कि इनके कपड़े बदलवा दीजिए तो उन्होंने कहा कि कपड़े कहां से बदलवा दें, इनके पास दूसरा जोड़ा कपड़ा ही नहीं है । इस तरीके से शायद मुख्य मंत्री ने इस्लामिक हिस्टरी से सबक लेकर ही कौंसिल हाउस की एनेक्सी में अधिक खर्चा करने से रोक दिया है । अगर ऐसी बात है तो माननीय मुख्य मन्त्री जी काफी प्रोग्रेस करेंगे और उनको इस्लामिक हिस्टरी से ऐसे बहुत से सबक मिलेंगे और जिन्दगी में आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे । फिर शायद मोहन सिंह जी को भी उनके खिलाफ कुछ कहने की नौबत न आवे और वे भी उनकी तारीफ करने के लिये मजबूर हो जायेंगे कि इस प्रदेश को यही एक मुख्य मंत्री ऐसा मिला है जिसने इस्लामिक हिस्टरी से कुछ सबक सीखा है ।

अब मैं माननीय गृह मंत्री जी की तरफ आता हूं । उनसे मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं । दो मुद्दे हैं । छबिराम की बाबत अखबारों में बराबर आता रहा है और आप सब ने भी पढ़ा होगा कि छबिराम अपने गांव हरनामपुर में 4 दिन तक रुका रहा जहां उसने हवन किया और सारे फंक्शन वहां हुए जिसे हजारों आदमियों ने देखा । आज ही गृह मंत्री का स्टेटमेन्ट आया है कि लीगल प्रोसिज्योर चल रहा है, छानबीन कर रहे हैं, तो यह सब ड्रामा जो चल रहा है शायद आपके ही दल के लोगों द्वारा, वे अपोजीशन के नहीं हैं, उनके खिलाफ क्यों ऐक्शन अब तक नहीं लिया गया । इसके लिये आपने कहा कि लीगल ओपीनियन सीक की जा रही है । क्या बात सही है या क्या बात गलत है, मैं नहीं कह सकता लेकिन या तो आप डिक्लेयर कीजिये कि आई0 जी0 से लेकर कांस्टेबिल तक सब कायर हैं बुजदिल हैं जिसकी वजह से वे 4 दिनों तक छविराम के हरनामपुर में रहते हुए भी उस पर गोली नहीं मार सके या उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं कर सके । या आप यह कहें कि हमारे ही आदेश से उन दिनों 10 या 20 किलोमीटर के अन्दर यू0 पी0 पुलिस का मूवमेंट वहां नहीं हुआ । आप कहें कि हमने आदेश दे रखा था कि उसे हवन करने दिया जाय । इन दो बातों में से एक बात की घोषणा आप स्पष्ट रूप से करें ।

मैं नहीं समझता कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिये क्या लीगल ओपीनियन ली जा रही है । जो सत्य है उसकी बुनियाद यह है कि छबिराम 4 दिनों तक अपने गांव हरनामपुर में था और यह आपके आई0 जी0 व अन्य पुलिस अधिकारियों के नोटिस में था । फिर भी आई0 जी0 से लेकर कांस्टेबिल स्तर

तक का कोई पुलिस कर्मचारी वहां नहीं गया । जैसा कि अमर उजाला में निकला है, एक सिपाही से किसी ने पूछा कि भाई तुम लोग छविराम के खिलाफ ऐक्शन क्यों नहीं ले रहे हो, तो उसने जवाब दिया कि छबिराम पुलिस को तो सताता नहीं है, ऊपर से जो आदेश होता है उसी के अनुसार हम काम करते हैं । तो आप इस बात का स्पष्टीकरण दीजिये कि क्या आपने आई० जी० से लेकर कांस्टेबिल्स तक को यह हुक्म दे रखा था कि छबिराम को गोली मार दो या उसके खिलाफ और कोई ऐक्शन लो ? या अगर आपके अधिकारी बुजदिल थे, तो आपने मिलिटरी आपरेशन के लिये मिलिटरी को क्यों नहीं बुलवाया ? आप मुरादाबाद के लिये मिलिटरी बुला सकते हैं, आप आगरा के लिये मिलिटरी बुला सकते हैं या अन्य जगहों के लिये मिलिटरी बुला सकते हैं । तो जब आपकी पुलिस इतनी नाकाबिल रही, बुजदिल रही कि छबिराम के अपने गांव हरनामपुर में 4 दिनों तक रुकने पर भी कोई ऐक्शन नहीं ले सकी तो आपने छविराम को मारने या उसे पकड़ने के लिये मिलिटरी को काल क्यों नहीं किया ? जबकि उसके सर पर एक लाख रुपये का इनाम है ।

माननीया गृह मंत्री बड़ी भी आ गयी हैं इसलिये मैं अपनी बात को फिर रिपीट कर देना चाहता हूं आधे मिनट में ही । माननीया गृह मंत्री जी, इस कनयूजन को आप दूर करने की कोशिश करें । क्या यह सत्य है कि छबिराम 4 दिनों तक अपने गांव हरनामपुर में रहा ? यह सत्य है कि आपकी पुलिस वहां थी, फिर यह सत्य है कि एक लाख रुपये इनाम की घोषणा आपकी थी, न वह मारा गया और न उसको गिरफ्तार किया गया और यह कनफ्यूजन जो हो रहा है कि पुलिस वाले कहते हैं यह गवर्नमेंट की पालिसी थी, आप कहते हैं नहीं साहब हम ला की ओपीनियन सीक कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए, यह कनफ्यूजन समाप्त होना चाहिए । जैल सिंह ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुये आपके खिलाफ ला एन्ड आर्डर के मुद्दे पर स्ट्रक्चर दे दिया । यह आपके बूते में नहीं है । यह बजट 90 करोड़ रुपये का जिस तरीके से आपने रखा है माननीय वित्त मंत्री जी इसको आप आसानी से मूल बजट में, पिछला सप्लीमेंट्री था, उसके अन्दर ला सकते थे ।

मैं फिर एक बार कहता हूं कि जो यह सप्लीमेंट्री बजट आया है यह अधिकारियों ने लग्जरीज के लिए खर्च किया । बिल्कुल कम्पलीमेन्ट्री बजट है । सिर्फ ये करना चाहते हैं । जो कुछ अधिकारियों ने बना दिया है उसमें आप अपनी कलम नहीं चला सकते हैं । मुरादाबाद के अन्दर बिलारी तहसील में 160 लेखपाल हैं एक तहसील में । 34 मुस्लिम हैं । 34 में से 20 को हैरेस किया जा रहा है । दूसरे तहसील में तबादला और फिर सौदा--पांच सौ रुपये दो तो तबादला वापस और हजार रुपये दो तो सस्पेन्शन वापस । चौदह रह गये हैं । यह अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है । हरिजन उत्पीड़न एक तरफ और दूसरी तरफ अल्पसंख्यकों का । आखिर आप क्या करना चाहते हैं ? आप इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते हैं । झूठे वायदों से काम चलने वाला नहीं है । यह क्या तमाशा है । मुस्लिम लेखपालों को हैरेस किया जाता है तहसीलदार के द्वारा। उसके खिलाफ इनक्वायरी करने का वायदा डी० एम० ने कर दिया था कि उस तहसीलदार के खिलाफ मैं ऐक्शन लूंगा इस तरह का हैरेसमेंट हुआ है । सब मंत्रियों को मालूम हो गया होगा । मगर ऐक्शन अभी तक कुछ नहीं हुआ । मैं कहना चाहता हूं कि पैसा जितना चाहिए लीजिए लेकिन उनको खर्च कीजिए । एप्रोप्रिएशन बिल बनाइये, मिस एप्रोप्रिएशन बिल मत बनाइये ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस दूसरे सप्लीमेंट्री बजट का विरोध करता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने रियासत साहब के भाषण को बहुत ही गौर से सुना और बराबर जब वह बोलते हैं मैं बड़े गौर से सुनता हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे फायर वर्क्स होता है, छिड़-छिड़ जाता है और उसके बाद खामोश हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से वह बहुत तेजी से कुछ कह रहे थे। मैंने सोचा कि कोई बात होगी लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। एक शब्द आपने कम्प्लीमेंटर। कहा। एक होता है कम्प्लीमेंटरी जिसमें एल0 आई0, एम0 टी0 होता है और एक होता है जिसमें एल0 आई0 होता है''''

श्री रियासत हुसैन—

अधिकारियों को कम्प्लीमेन्ट पे किया है इस सप्लीमेंट्री बजट के द्वारा''''

श्री लाल प्रताप सिंह—

वह तो ठीक ही बात है।

मान्यवर, अभी-अभी विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने इंदिरा जी का जिक्र किया। उनकी किताब का जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इंदिरा जी हमारे मुल्क की प्रधान मंत्री हैं। एक बात मैं नम्रतापूर्वक आपसे कहता हूं कि इस मुल्क का शासन एक सूत्र में बांध कर ले चलना कोई आसान काम नहीं है। एक व्यक्ति इस मुल्क की नाव खे रहा है, इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए, इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए बजाय इसके कि रिमार्क्स पास करें, बजाय इसके कि हम डिरोगेटरी रिमार्क पास करें, इसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। आलोचना करने का सब को हक है, कोई परसनल कल्ट की बात नहीं है, रीति और नीति की आलोचना की जा सकती है। एक चीज आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बड़प्पन उसमें है जो नफरत से दूर हो जाय और यदि आप अपने विपक्षी को भी नफरत से ऊब गये हैं तो उसे दोस्त बना सकते हैं और यही बड़प्पन है। जनता या लोक दल की सरकार इसीलिये फेल हुई है कि उसने जनता को नफरत भरी निगाह से और नफरत भरे दिल से देखा और इंदिरा जी ने नफरत को त्याग दिया इसीलिये वह सफल हुईं।

यही भेद आप में और इंदिरा जी में है। बड़प्पन उसी को कहते हैं जो नफरत से दूर रहे। इसलिये मैं सारे सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे नफरत की भावना को अपने दिलों से सदा-सर्वदा के लिये परित्याग कर लें। क्योंकि कभी यह भी वक्त आ सकता है कि आप शासन में आ जायं। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप शासन में तभी आ सकते हैं जब आप रचनात्मक कार्य करें और एक उच्च स्टैंडर्ड का कार्य करें। मैं चन्द बातों पर आपसे निवेदन करूंगा। पहले तो मैं सामान्य प्रशासन के बारे में आपसे निवेदन करूंगा। एक वक्त था जब मुझे भी बहुत सारे अफसरों के सामने कार्य करने का मौका मिला और बहुत ही नजदीक से आई0 ए0 एस0 और पी0 सी0 एस0 अधिकारियों के बीच मुझे काम करने का अवसर मिला। एक वक्त था कि जब अगर किसी अधिकारी को कोई उच्च स्थान नहीं मिला, उसका ड्यू स्थान जो था उसको वह नहीं मिला, प्रमोशन उसका ड्यू था वह भी उसको नहीं मिला फिर भी उसको तसल्ली रहती थी और अपना काम वह पूरी नेक-नीयती से करता था, उसी निष्ठा, ध्यान और लगन के साथ काम करता था। किन्तु आज एक अजीब सा वक्त आ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है कि काम करने के तरीके में परिवर्तन आ गया है, कमी आ गई है । वह निष्ठा, वह भावना, वह विचार और लगन अब नहीं दिखाई देता जो पहले था, वह बात समझ में नहीं आती है । इतनी लम्बी फौज अफसरों की हो गई है जिसको अफसरशाही, लालफीताशाही और ब्यूरोक्रेसी कहें, वह एक समस्या हो गई है, जिससे निपटना बड़ा मुश्किल हो गया । पांच साल तक तो आप इस समस्या से हो नहीं निपट सकते ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस समस्या को देखना पड़ेगा । मैं तो डेढ़ साल से ही यहां पर आया हूं और पहली बार आया हूं । हम देखते हैं कि अ.ये दिन हमारे सामने कुछ न कुछ शिकायतें आती रहती हैं । कभी नहर विभाग के सम्बन्ध में आती हैं तो कभी पुलिस विभाग के सम्बन्ध में आती हैं । ज्यादातर पुलिस विभाग की आती हैं जिनको हल करने में हम अक्षम हो जाते हैं और अपने को मजबूर पाते हैं । हम क्या मदद कर सकते हैं । कभी हो गया तो सम्बन्धित अधिकारियों को टेलीफोन कर दिया या वक्त मिला तो आपके पास आ गये या पत्र लिख दिया। फिर 15 दिन बाद वह सम्बन्धित व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है और कहता है कि अभी भी कुछ नहीं हुआ ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेम-वर्क होना चाहिए जिससे इस तरह की रोज-ब-रोज की दिक्कतों का निराकरण हो सके । यह एक अजीब सी सीचुयेशन है जिसका कि हमारे पास कोई जवाब नहीं मिलता है । हम हर अफसर के पास जायं और कहें तो वह भी उचित नहीं लगता है । हर विधायक को एक डिगनिटी बनाये रखने की बात भी होनी चाहिए । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बात पर डिबेट करने की जरूरत नहीं है बल्कि सोचने और ध्यान देने की जरूरत है । कभी-कभी हम सोचते थे कि जिला परिषद् एक माध्यम होगा कि हम अफसरों के करीब आ जायेंगे, तो वह भी मैटिरियलाइज नहीं हुआ । कभी यह कहा गया कि 1/3 ब्यूरोक्रेसी गांवों की तरफ चली जायेगी, वह भी आज नहीं हो पा रहा है । तो यह गैप बराबर बना हुआ है । हम लोग मजबूर हो जाते हैं । सुपरवाइजरी पावर हमको है कि हम यह देखें कि अमुक काम हो रहा है या नहीं, किसी के ऊपर ज्यादती नहीं हो रही है । इसको देखने का काम हम करते हैं । हमारा एक्जीक्यूटिव का कोई काम नहीं है, हमें आदेश देने के अधिकार नहीं हैं लेकिन सुपरवाइजरी पावर है और वह किस तरह से सुदृढ़ हो जिससे समस्या हल हो सके, इस पर विचार करने की आवश्यकता है ।

दूसरी बात आपसे निवेदन करूंगा जनता में एक भावना फैली हुई है चाहे वह हम लोगों के प्रति हो या अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति हो कि वह जो पुरानी निष्ठा या कर्तव्य परायणता थी अब नहीं है और सब जगह भ्रष्टाचार मचा हुआ है आदि आदि । यह हकीकत भी है, ब्यूरोक्रेसी के अन्दर कुछ ऐसी बातें आ गयी हैं, सभी में ऐसा है यह मैं नहीं कहता क्योंकि हमारे बड़े-बड़े कल-कारखाने, बिजली घर और दूसरे बड़े-बड़े काम उनके द्वारा ही होते हैं लेकिन एक जनरल राग आम जनता में यह आ गया है । तो इस पर भी देखने की जरूरत है और यह चिंता की बात है । आज भी जनता महसूस करती है कि मेरा काम बिना बख्शीश के नहीं हो सकता है, बिना सिफारिश के नहीं हो सकता है । ऐसी धारणा चारों तरफ फैली हुई है । मेरा निवेदन है कि इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि यह धारणा सदा के लिये खतम हो जाय कि बिना बख्शीश और सिफारिश के नहीं होगा । एक दफा सख्त कदम इसके लिए उठा लिया जाय तो इसमें सफलता मिल सकती है । एक व्यक्ति जो मामूली

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

नौकरी करत हैं, मुश्किल से ट्यूबवेल में काम करने पर 4 सौ रुपया मिलता है उनका मकान देखिये तो प्रतापगढ़ में भी है, लखनऊ में भी है और एक मकान घर पर भी है तो जब जनता यह सब देखती है तो यह बात सोचना स्वाभाविक है । मैं निवेदन करूंगा कि यह जो क्राइम है इसे रोकिये । इसमें अधिकारी, कर्मचारी, बिजनेस मैन, पुलिस मैन, कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता, कुछ लेजिस्लेटर, टीचर्स, लाइयर्स सभी इनवाल्व हैं, ऐसा नहीं है कि एक तरफ की बात है । तो जो काम करने वाले हैं उनका यह हाल हो जायगा तो काम कैसे चलेगा ।

तीसरी चीज सामान्य प्रशासन की आपके सामने रखना चाहता हूं । जिलों में बराबर शिकायतें मिलती हैं कि कोई आफिसर सीट पर बैठता नहीं, लोग कहते हैं कि हमने उसकी शकल नहीं देखी, कभी अदालत में बैठता नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा काम करते हैं इसमें कोई सन्देह नहीं, लेकिन यह एक जनरल वातावरण हो गया है उपर से नीचे तक एक अजीब माहौल पैदा हो गया है । कुछ ऐसे चकबन्दी आफिसरों की शिकायत आई कि रहने वाले मथुरा के हैं काम प्रतापगढ़ में करते हैं और वहां अपने नाम जमीन ले ली या मकान बना लिया तो इसका असर ग्रामीण वातावरण में पड़ता है इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है । मैं एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि इम्पलायर और इम्पलाई में आर्टिकिल 311 की जो पाबन्दी है यह नहीं रहनी चाहिए । इस आर्टिकिल में अगर कोई ऐक्शन लेना चाहे तो वह ले नहीं सकता है । तो हमें अधिकार होना चाहिए कि जब जरूरत है रखें जब जरूरत न हो कहें कि अपने घर बैठो, इसमें ज्यादा से ज्यादा यह कर सकते हैं कि फिर रिव्यू कर सकते हैं ।

एक चीज आखिर में कहूंगा वह न्याय के सम्बन्ध में है । यह प्रसन्नता की बात है कि उत्तरकाशी में जस्टिस का प्राविधान किया गया है । मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं कि जुडिशियरी बहुत हद तक करप्शन से फ्री है सिविल जुडिशियरी इज फ्री फ्राम करप्शन । लेकिन पहले वाला ग्रेस इसमें नहीं है । मैं एक बात का ध्यान दिलाऊंगा कि एक्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को अलग-अलग कर दें । आप डी० सी० से जुडिशियरी का काम भी लेते हैं उसके पास वैसे ही काम बहुत रहते हैं आप जेड० ए० ऐक्ट में सिविल ऐक्ट की पावर दे दीजिये जो पुराने केसेज पड़े हैं उनको निपटायें वह इन्हीं को कह दिया जाय, वह एक्सक्लूसिवली जूडिशियल वर्क देखें । ऐसे ऐसे मुकदमें पड़े हैं, जिसमें 100-100 पेशियां हो गई हैं । एक साधारण सी धारा 145 मे भी पचास पचास पेशियां हो जाती हैं । तो इस कुव्यवस्था में रिफार्म लाने की आवश्यकता है । अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि सप्लीमेन्ट्री बजट का एक प्राविधान हो, जहां इंग्लैंड में नहीं है वहां भी एक परम्परा है, जरूरत पर हम सप्लीमेन्टरी बजट पेश करते हैं । तरह तरह की अकस्मात आवश्यकताएं आ जाती हैं । बहुत ही काम्प्लीकेटेड मशीन हो गई है इस लिए यह लाना पड़ता है और लाया गया है । जो धन दिय गया है वह खर्च किया जाय । एक्सचेकर का एक-एक पैसा हमारे हाथ में ट्रस्ट है, उसे हमें बहुत सोच समझ कर खर्च करना चाहिये, जिससे दौलत बढ़े और सबका लाभ हो । इसी के साथ में सप्लीमेन्टरी बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

माननीय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने आज मुझे बोलने का अवसर दिया । अर्द्धकुम्भ मेले में, मौनी अमावस्या के समस्त कुप्रभावों से बची हुई सरकार की तरफ से अर्द्धकुम्भ के तुरन्त बाद यह बजट प्रस्तुत किया गया है ।

मैं मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में गणित और ज्योतिष पर बहुत काम सैकड़ों, हजारों वर्ष पहले हुआ है । विद्वानों ने बता दिया है कि किस दिन आमावस्या आएगी और किस दिन अर्द्धकुम्भ लगेगा । लेकिन मन्त्री जी की सरकार ने उसके लिए इस तरह से सप्लीमेन्टरी में प्राविजन किया है, जैसे मानो एक बाढ़ आ गई हो आकस्मात, जिसका उन्हें पहले से कोई पता ही न हो । तो अपरिहार्य और अनिवार्य अर्द्धकुम्भ के लिए दो निश्चित बजटों के बीच में यह अनुपूरक बजट दिया गया है जिसके खर्च अपरिहार्य और अनिवार्य हैं ऐसा कहा जा रहा है । यह एक बजट आया है, जिसमें केवल कुम्भ के अतिरिक्त व्यय की 21 मदें हैं और इसका कुल प्राविधान 3 करोड़ 90 लाख 26 हजार रुपया है । इस 3 करोड़ 90 लाख के खर्च का इनको पता नहीं था, अचानक बाढ़ आ गई ।

सूचना विभाग के मन्त्री जी इस समय नहीं हैं, सूचना विभाग में पहले जो मन्त्री जी थे, वह कभी-कभी विरोध पक्ष की बातों को समझ लिया करते थे, लेकिन अब जो नये मन्त्री आये हैं उनको समझाना मुश्किल हो गया है । उन्होंने अर्द्धकुम्भ में अच्छा खासा खर्च किया है, लेकिन पेज जो पेज 33 पर है । सूचना मन्त्री ने उत्तर प्रदेश पाक्षिक के कवर के चौथे पृष्ठ पर छापे एक तीन पक्षियों के चित्र पर घोर आपत्ति की है । यह पक्षी एक साथ बैठे हैं और उगने वाले सूरज की प्रतीक्षा में हैं । मन्त्री जी ने बड़े गुस्से में अपने अधिकारी को पत्र लिखा है कि पाक्षिक के सम्पादक और निदेशक से स्पष्टीकरण मांगा जाए कि ये तीन उल्लू कौन हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैज्ञानिक कहते हैं कि उल्लू काश्तकार का दोस्त है । इसमें यह तीन गौरैय्या बैठी है । क्यों बैठ गई यह सवाल नहीं है, यह पूछते हैं कि यह तीन उल्लू क्यों बैठ गये और यह कौन हैं ? तो आप इसे अ इडेन्टीफाई क्यों करना चाहते हैं । हमारे देश में आदमी के बच्चे का नामकरण किया जाता है उल्लू के बच्चे का तो नामकरण होता नहीं है । तो कैसे बताया जाय कि ये तीन उल्लू कौन हैं । मन्त्री जी ने 22 जनवरी को बहुत गुस्से में लिखा है कि इनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय और साथ में यह भी लिखा है कि क्या वह यह चाहते हैं कि जनता के मन में यह भावना बैठे कि हर शाख पर उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा ।

मान्यवर, अनुपूरक मांगों के स्मृति-पत्र के पृष्ठ 2 पर माननीय राज्यपाल के उपयोग के लिए कारें खरीदने के लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था की बात कही गयी है । मैं जानना चाहता हूं कि अचानक कौन सी कार खराब हो गयी कि बीच में ही कार खरीदने की आवश्यकता पड़ गयी ।

उत्तर प्रदेश निवास के लिए जो दिल्ली में स्थित है अभी तक यह व्यवस्था थी कि यू0 पी0 निवास में विधायक रह सकते थे । अब इस सरकार ने एक नया भवन बनाया है जो अभी निर्माणाधीन है । बजट से अच्छा कोई और डाक्युमेन्ट नहीं हो सकता है । इसमें लिखा है कि तैयार हो जायेगा, अभी तक तैयार नहीं हुआ है । उत्तर प्रदेश निवास और भवन में जाने वाले विधायकों के लिए नयी पाबन्दी यह लगा दी गयी कि विधायकों को केवल यू0 पी0 भवन में स्थान मिलेगा और यू0 पी0 निवास में अधिकारीगण और मन्त्री लोग ही रहेंगे । वहां पर एक देश राज सिंह नाम के रेजिडेन्ट कमिश्नर को रखा गया है । हमारी संयुक्त समिति दोनों सदनों की है, उनके दिल्ली जाने पर उनका जो माननीय सभापति के साथ व्यवहार रहता है वह व्यवहार किसी माननीय सदस्य के साथ भी नहीं होना चाहिए, माननीय सभापति की बात तो अलग ही है । यह है विधायकों की गरिमा और सदन की गरिमा जिसे यह सरकार पूरी तरह से समाप्त कर रही है ।

[श्री विद्या सागर नौटियाल—]

इस स्मृति-पत्र के पृष्ठ 41 पर पन्त नगर कृषि विश्वविद्यालय के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपये अलग से सरकार ने मांगा है। विश्वविद्यालय की बात है, इसलिए मैं इसका विरोध नहीं कर सकता हूं लेकिन मैं सादर माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि पन्त नगर विश्वविद्यालय की दिन प्रति दिन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 1 करोड़ 44 लाख रुपये की क्या आवश्यकता पड़ गयी यह तो जेब खर्चा है, वे पान खिलायेंगे और मन्त्रीगण को चाय पिलायेंगे और अन्य पीने की चीजों को पिलायेंगे। तो दो बजटों के बीच में कौन-सी अनिवार्यता पड़ गयी कि पंतनगर विश्वविद्यालय में इस खर्चे की जरूरत पड़ गयी।

मार्गीय सुविधाओं की बात है। इसके लिए 5 करोड़ रुपए की ऋण राशि को अंशपूंजी में परिणित किया गया है। उसके बाद 3 करोड़ रुपए का ऋण भी जारी किया गया है। मैं जब घर से आता हूं तो मुझे रोडवेज की बस नहीं मिलती है। एक बार एक मीटिंग को अटेन्ड करने के लिए मैं 8 बजे टिहरी से नरेन्द्रनगर के लिए चला लेकिन चूंकि कोई रोडवेज की बस नहीं थी तो मुझे 40 मील पहुंचने में 5 घंटे लग गए तब तक वह मीटिंग भी समाप्त हो चुकी थी। मैंने बार-बार अपने सिंचाई और ट्रान्सपोर्ट मंत्री जी से टिहरी में एक डिपो खोलने के लिए और नयी गाड़ियां देने के लिए कहा लेकिन उनके मौखिक आश्वासनों के बावजूद न तो नयी गाड़ियां ही दीं और न डिपो ही खोले। टिहरी और उत्तरकाशी के 500 मील के बीच में एक भी स्थल ऐसा नहीं है जहां पर कोई रोडवेज का टिकट घर हो या कोई ऐसा स्थल हो जहां धूप और वर्षा से खड़े होकर लोग बच सकें और न ही इस मार्ग पर कोई टेलीफोन केबिन ही है। दूसरे यह भी देखने में आया है कि हमारे यहां टिहरी और उत्तरकाशी में एक नया पैसा भी खर्च नहीं होता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह पूरा पैसा किस पर खर्च होता है? इनका एक सेन्ट्रल स्टोर परचेज सेक्शन है जिसमें गाड़ियों के पुर्जे ही गायब हो जाते हैं। जो इन्डेन्ट आज दिया जाता है उसका सामान 6 महीने बाद दिया जाता है जिससे उस गाड़ी का भट्टा ही बैठ जाता है जिसका नतीजा यह होता है कि अगर 50 रुपए का पुर्जा समय से लगा दिया जाय तो न लगाने के कारण 5000 रुपया उसकी मरम्मत पर खर्च करना पड़ जाता है।

एक हमारे यहां पर कीर्तिनगर अस्पताल के भवन के निर्माण के लिए 35 लाख रुपया सन् 1980 में मंजूर हुआ था लेकिन उसको माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी ने ही रुकवा दिया क्योंकि वह मेरे क्षेत्र में बन रहा था। उनकी बदकिस्मती से उस क्षेत्र से मैं जीतकर आ गया तो उसका निर्माण ही रुकवा दिया गया। उसके लिए मैंने माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी तथा माननीय पर्वतीय विकास मंत्री जी को अनेकों बार पत्र लिखे कि इस अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू कराया जाये, पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इनका गुस्सा अब तक मेरे ऊपर रहेगा, वह काम शुरू नहीं किया जायेगा और जब तक गुस्सा उतरेगा और उसे शुरू किया जायेगा तब तक जो काम 35 लाख में होना था उसकी लागत एक करोड़ तक पहुंच जायेगी।

टिहरी में मान्यवर, सहकारी बैंक के 13 कर्मचारियों को जो 5-5 साल से काम कर रहे थे उनको निकाल दिया गया। उन लोगों से 3-3 माह तक नौकरी करवायी गयी, फिर निकाल दिया, फिर रख लिया और इस तरह से 5-5 साल नौकरी करते हुए अब वे ओवर एज हो जाने के कारण अन्य किसी सर्विस के लायक

नहीं रह गए हैं । माननीय वित्त मन्त्री जब माननीय सहकारिता मन्त्री भी थे तो उन्होंने उन कर्मचारियों को सेवा में लिए जाने के लिए आदेश भी दे दिए थे जिसको कि लगभग डेढ़ साल हो चुका है, पर उन आदेशों के बाद भी उन कर्मचारियों को वापस सेवा में नहीं लिया गया । माननीय प्रोफेसर साहब सहकारिता मन्त्री थे तो उन्होंने बताया कि सरकार ने यह आदेश दे दिए हैं कि जो लोग 3–3 साल तक सेवा में रह चुके ह उनको स्थायी कर दिया जाए ।

(इस समय 2 बजकर 17 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, जब माननीय सहकारिता मन्त्री बच्चा पाठक जी हैं ये जब पैदा हुए होंगे तो बड़ी ही खुशी मनायी गयी होगी और माता–पिता ने प्यार में नाम बच्चा रख दिया । आश्चर्य यह है कि वे बूढ़े हो रहें हैं पर आज भी अपने को बच्चा ही समझते हैं । जब कभी उनसे मिलने जाओ मिलते ही नहीं, मालूम होता हैं कहीं गए हैं । गुल्ली–डंडा खेलने गये है । एक बार उन्होंने मुझे उनसे मिलने के लिए टाइम दिया, जब मैं गया वे नहीं मिले । न मालूम वे कहां रहते हैं ।

मान्यवर, जब सरकार के आदेशों का पालन नहीं होगा तो इसका क्या असर होगा ? कसे यह सरकार चल पायेगी ? सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा कि रेवेन्यू वाले मामले आयुक्त, जिलाधीश, और एस0 डी0 एम0 आदि से हटा लिए जाएं । बड़ी अच्छी बात कही । फौजदारी केस में अगर किसी व्यक्ति को सजा हो जाती हैं तो वह सजा काटने के बाद जब वापस आता है तो अपनी पुश्तैनी जमीन पर काम करने लगता ह । पर अगर आयुक्त ने किसी न समझी के कारण किसी की जमीन के लिये लिख दिया कि यह उसकी नहीं हैं, तो वह व्यक्ति जिन्दगी भर रोता रहता हैं, उसके बच्चे भूखों मरने लगते हैं । हमारे यहां एक आयुक्त गये हैं सुधीर कुमार विश्वास वे कभी कोर्ट लगाते ही नहीं हैं । हमेशा दौरा ही करते रहते हैं क्योंकि दौरे पर जाने पर उनकी आवभगत अच्छी होती है, मुफ्त में खाने–पीने को मिलता है और तमाम सुविधायें मिलती हैं । वादीकारी लोग उत्तरकाशी और टेहरी से अपने केस के लिए वकीलों को लेकर जाते हैं, पर बाद में मालूम होता है कि आज कोर्ट लगेगी ही नहीं । यह कमिश्नर घुमन्तू कमिश्नर बन कर रह गए हैं और कोई काम नहीं करते । जब कोई मिलने जाता है तो कहला देते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है । अगर आप चाहते हैं कि इस प्रदेश में गरीबों की रक्षा हो, प्रदेश में सुधार हो, तो इन आयुक्तों को अलग कर दीजिए । पर्वतीय क्षेत्र में रेवेन्यू के केसेज की सुनवायी के लिए एक अलग से जुडिशियल आयुक्त की नियुक्ति कीजिए । आज इन जिलाधिकारियों का काम मंत्रियों के आगे पीछे फिरना तक ही रह गया है । जनता को इनसे कोई लाभ नहीं पहुंच पाता ।

मेरे क्षेत्र में, तिलवाड़ा में, एक पावर हाउस 12 साल पहले बना था जिसमें तमाम काश्तकारों की जमीन ली गयी थी । जिन काश्तकारों की जमीन ली गयी उनको बिजली आज तक नहीं दी गयी । वह विजली सारी चमोली में चली जाती है । वहां काश्तकारों को नहीं विद्युत् कनेक्शन दिए जा रहे हैं । उनकी भूमि का मुआवजा नहीं मिला । उसके लिए लखनऊ, चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी कहां–कहां मैं घूमता रहा और बाद में कह दिया गया कि इसको हमने नहीं बनाया, सिंचाई विभाग ने बनाया है । तो श्रीमन्, माननीय मंत्री जी बता दें कि उसके लिए हम कहां जायं । मैंने माननीय ब्रह्म दत्त जी से भी निवेदन किया था । उन्होंने इस बारे में आश्वासन दिया था । अब वे ऊर्जा मंत्री नहीं रहे । इन शब्दों के साथ मै आपका आभारी हूं ।

श्री इयाम लाल बाजपेयी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस अनुपूरक अनुदान पर बोलने का सुअवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने लगभग 91 करोड़ रुपए का जो अनुपूरक अनुदानों का बजट इस माननीय सदन में रखा है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में मैंने कुछ माननीय सदस्यों का विचार सुना। मान्यवर, इस सदन में अपनी बात को कहने का तो सब को हक है और कहना चाहिए। इससे मेरा उनसे कोई मतभेद नहीं है, परन्तु कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो मैं भी अपनी बात इस माननीय सदन में रखना चाहता हूं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने मान्यवर, आपके आने से पहले कहा कि माननीय सूचना राज्य मंत्री जी ने तीन उल्लुओं की तस्वीर पर बड़ा रोष प्रकट किया। मान्यवर, उन्होंने इसको समझा ही नहीं, गौरैया का चित्र उल्टा बना हुआ था, उसको उन्होंने उल्लू समझा। मान्यवर, तीन उल्लू की उपमा हमारे माननीय सदस्य ने दिया। मान्यवर, मैं बड़ी देर से सोच रहा था, बड़ी देर से चिन्तन कर रहा था कि तीन उल्लुओं के बारे में उन्होंने बड़ी चिन्ता दिखाई। तो मैंने सोचा कि चौथा उल्लू छूट गया था, इसी के लिए उनको पीड़ा थी। मैं अपने माननीय सूचना राज्य मंत्री जी से कहूंगा कि उस चित्र में संशोधन करके चौथी तस्वीर और छपवा दें।

(मेजें थपथपाई गयीं)

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि हमारे सम्मानित सदन के उत्साही साथी माननीय मोहन सिंह जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में कुछ आक्षेप किया और उसे माननीय रियासत साहब ने एक उपमा के द्वारा कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में एक देवकांत बरुआ नामक व्यक्ति हुआ करते थे, जो श्रीमती इंदिरा गांधी की बड़ी बन्दना और पूजा करते थे। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं अपने उन सम्मानित सदस्यों के बारे में पूर्ण सम्मान व्यक्त करते हुए, माननीय रियासत हुसैन साहब और माननीय मोहन सिंह जी से कहना चाहता हूं कि जब किसी के पास कोई पद होता है, तो उनका जो गुणगान करते हैं, वह कौव्वाली कही जाती है, और मुझ जैसे फटेहाल की वन्दना भक्ति ही कही जायेगी।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

और कौव्वाली पर ताली बजाई जाती है :

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आप दोनों की बात नहीं सुन रहा हूं।

श्री इयाम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, क्या दुबारा कहूं। मान्यवर, इंदिरा गांधी को माइनस करके इस भारत की कल्पना करना भी मुश्किल हो जायगा। मेरे सामने वह तथ्य भी हैं जब इस हिन्दुस्तान के सारे नेताओं ने एक स्वर से लोकनायक जगत बन्धु के नेतृत्व में बिगुल बजाया था, तो संसार में हाहाकार मच गया था, नई क्रांन्ति पैदा हो गयी थी। लेकिन मान्यवर, लोकनायक को मैं स्वयं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वह महान व्यक्ति थे। मान्यवर, वह समय आया कि जितने नेता

और जितने सूरमा थे वह किन कन्दराओं में चले गये वह कन्दरायें भी मान्यवर, हमें नहीं दिखाई दे रही हैं और इन्दिरा गांधी भारत के राजनीति क्षितिज में दिल्ली में सूर्य की तरह से चमक रही हैं। मित्रों से विनम्र निवेदन करूंगा कि मेरी नीतियों से नाइत्तफाकी करिये और दिल खोल कर करिये लेकिन मान्यवर इन्दिरा गांधी के बारे में उन्होंने तो इन्दिरा को भारत और भारत को इन्दिरा कहा था वह बरुआ साहब थे बहुत बड़े आदमी थे। उस समय इन्दिरा गांधी के बड़े लाडले थे। लेकिन हम जैसे छोटे लोग आज भी इन्दू इन्दिरा इन्डुस्तान कहने में अपना सौभाग्य समझते हैं यह कोई कौव्वाली नहीं है बल्कि राष्ट्रभक्ति है। मान्यवर हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दों की तरफ सदन का ध्यान दिलाया मैं भी उससे इत्तफाक करता हूं। अभी चर्चा चली उत्तर प्रदेश निवास और उत्तर प्रदेश भवन की।

मान्यवर, मुझे भी बहुत तलख तजुर्बा हुआ है वहां पर साक्षात पिचाशनी स्वरूप उत्तर प्रदेश निवास की प्रबन्ध अधिकारी है जिसकी आंखों में दया, मोह कुछ है ही नहीं। दूसरी ओर मान्यवर इस प्रदेश का सबसे बड़ा भोगी और कामी रेजीडेन्ट आयुक्त दिल्ली में नियुक्त है। भारत की राजधानी में इतने महान प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है और वह रेजीडेन्ट कमिश्नर दिल्ली के अन्दर शुद्ध अय्याशी कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को इससे आग्रह करता हूं कि जो बजट आपने रखा है उस पर सहमति देना हमारी नतिकता है। इसका समर्थन करना नैतिकता है मैं रोम-रोम से उसका समर्थन करता हूं लेकिन समर्थन के साथ जो विसंगतियां है उनकी ओर अंगुल निर्देशन करना भी हमारा नैतिक धर्म है। अगर आप उस ओर ध्यान नहीं देते हैं और अनदेखा करने की बात करते हैं तो आप मूलभूत नीतियों और समस्याओं से मुंह मोड़ रहे हैं। भाई रियासत साहब ने कहा यह जो विधायक निवास में मान्यवर, न जाने कितने लोग अपने परिवार चलाते थे। ऐसे बुजुर्ग लोग थे जिनको देखकर आज भी हम खड़े हो जाते हैं। एक व्यवस्था के तहत उनको तोड़ दिया लाखों रुपया खर्च करके उनके चमचमाते भवन बनाये गये, तमाम तरह की कराकरी लाखों रुपये की खरीदी गयी और मूल्य उनका नो प्राफिट और नो लास के आधार रखा गया साढ़े तीन रुपया भोजन का दाम।

मान्यवर, आपके इस महान सदन के सामने लोग आज भी साढ़े तीन रुपया का भोजन देते हैं। आप मंत्री जी गौर करें लाखों रुपये की साज-सज्जा में लगाया, सारे बरतन सरकारी, नौकर सरकारी, टूट-फूट सरकारी, बिजली सरकारी और सारे साधन सरकारी और आप अभी साढ़े तीन रुपये का रेट लगाये हैं। इसलिये यदि इसमें प्राफिट हुआ तो वह किस को गया और हानि हुई तो किसको गयी, इसका उत्तर मंत्री जी नहीं दे पाये। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह केवल प्रबन्ध अधिकारियों को लाभ पहुंचाने की एक साजिश है। आपके अधिकारी और कर्मचारी अय्याशी में डूबे हुए हैं जिसके सामने आदमी की कोई कीमत नहीं है, उसके सामने इंसानी समस्याओं की कोई वक्त नहीं। तो यह शासन कैसे चलेगा, लेकिन आप चलाने के लिये बिठाये गये हैं, इसलिये शासन चल रहा है और हम लोग समर्थन करने के लिये बिठाये गये हैं, इसलिये चल रहा है और चलेगा, हंस बोल के चलेगा।

मान्यवर, यहां अभी माननीय गृह मंत्राणी बैठी थीं, उनके खर्चों का इसमें जिक्र है लेकिन आज प्रश्नोत्तर काल में, यद्यपि आप नहीं थे बड़ा मूलभूत और

[श्री श्याम लाल वाजपेयी--]

नीति विषयक प्रश्न था कि कब तक आई0 पी0 एस0 का पोषण होगा और जिसका बीड़ा उठाया गया गया है कि हम कानून व्यवस्था को सही करेंगे और स्वच्छ प्रशासन देंगे जिसके लिये मान्यवर, एक आई0 जी0 की जगह 7 आई0 जी0 और 4 डी0 आई0 जी0 की जगह पर 44-45 डी0 आई0 जी0 हो गये हैं। अब तो मान्यवर, तम्बू और नालियों के लिये आई0 पी0 एस0 होंगे क्योंकि जब यह शैतान की आंत की तरह बढ़ रहे हैं तो आखिर कहां जायेंगे। लेकिन आप कांस्टेबिल और सब इंस्पेक्टर को बढ़ाने के लिये तैयार नहीं हैं, इसलिये कम से कम थानों में 25 सिपाही और 6 सब इंस्पेक्टर्स रखे जायं, तो क्या बेहतर व्यवस्था होगी। तो आप उससे कह सकते हैं कि तुम में यह गलती और कमी है। लेकिन आई0 पी0 एस0 को बिठाकर थाना को बेचना है और जो काम करते हैं उनकी तरफ आपकी नजर नहीं जाती है और न आप चाहते हैं कि काम करने वाले आगे बढ़ें।

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि यह अफसरों के पोषण के लिये बजट है, मैं नहीं कह सकता हूं कि वह क्या कहना चाहते थे लेकिन मान्यवर, आपके माध्यम से मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह अपने कार्यकाल में जिन गुनाहों को जन्म दिया था एक की जगह पर 4 भेजे गये थे, वह आज अलला रहे हैं और विल्ला रहे हैं, उनको रोटी देने का इंतजाम किया जा रहा है। उनको रोटी दी जा रही है तो आपको चिन्ता न होनी चाहिये। और श्री भोखा लाल का नारा है कि रोटी कपड़ा और मकान, नारे के तहत मैं उनका पोषण कर रहा हूं। मान्यवर, आप तो उन बुद्धिजीवी और महान लोगों में से हैं। जिसका मैं विद्यार्थी जीवन से सम्मान करता रहा हूं। एक बार मैंने टैगौर लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ी थी। उस किताब में ब्यूरोक्रेसी के बारे में था कि "डेमोक्रेसी मीन्स ब्यूरोक्रेसी।" लेकिन मैं सोचता रहा, मेरी बुद्धि भी शायद उतनी परिपक्व नहीं थी। लौंडहल का शिकार रहा, क्योंकि 14 साल यूनीवर्सिटी में रहा। मैंने सोचा कि यह विदेशी लेखक कहीं शराब के नशे में या अफीम की पीनक में तो नहीं लिख गया। दल की नीतियों के नाम पर हमने सरकार नायी मगर खुली आंख और खुले दिल से देखा तो प्रजातंत्र के पिता गौरांग महाप्रभूओं की विलासिता और उनके चरणों में हमने सारी शक्ति अर्पित कर दी और हम उनके मोहताज बन गये वह हमारे स्वामी और हम उनके सेवक हो गये।

मैं इसीलिये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि लगभग 91 करोड़ रुपये का बजट जो माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है उसको समर्थन देने के लिये मैंने पहले ही कह दिया कि यह मेरी नैतिकता है और पुनीत कर्तव्य है। उसे तो पास होना ही है, वह पास होगा और जो माननीय विरोधी पक्ष के लोग कहते हैं, अपनी औपचारिकता निभाते हैं, वह जानते हैं कि यह पास होगा मगर उसके बावजूद भी वह बहुत सी बातें कहते हैं। प्रजातंत्र की यह पावन गंगा है, मान्यवर, इसके बीच में खड़े होकर अगर मिथ्या भाषण करेंगे, मिथ्या बोलेंगे तो मान्यवर, क्षमा कर देंगे शक्ति और समर्थन के नाम पर हम आपकी बात झुठला लें लेकिन परम पिता जो ऊपर देख रहा है वह माफ नहीं करेगा। जनता का मतलब है ईश्वर। मान्यवर, यह मेरा परम सौभाग्य है कि माननीय मुख्य मंत्री जो आज हमारे बीच में आ गये हैं। हमारे नेता, हमारी ज्योति, हमारे जीवन, हमारे सब कुछ आज हमारे बीच में आ गये हैं। तो मुझ उनके बीच में कुछ बातें कहनी ही हैं।

मान्यवर, नजर भी मेरी तरफ करते रहिये मुझे बड़ी प्रेरणा मिलती है। आज आपके माध्यम से मुझे कहने में संकोच नहीं है कि आज सियासी जीवन में जो जन प्रतिनिधियों का अवमूल्यन हुआ है, आजादी के बाद से भारतीय मुद्रा का उतना अवमूल्यन नहीं हुआ है जितना इस जन प्रतिनिधि का अवमूल्यन हो गया है।

(मेजों की थपथपाहट।)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, दोबारा बोलने दें या न दें। आज हमारी हैसियत, एक कांस्टेबिल के सामने और नायब तहसीलदार के सामने चींटी से ज्यादा नहीं है। मैं सम्पूर्ण विधायकों की बात कर रहा हूं और इस कुप्रथा के लिए मैं वर्तमान शासन को भी दोषी नहीं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि यह निर्दोष हैं, निरीह हैं, क्योंकि एक थोड़े समय में जो इंटरवल हुआ था उसमें कुछ घुसपैठियों ने सत्ता को दबोचा और दबोचते ही, मैं समझता हूं कि वह इतने नाकाबिल लोग थे पत्रावली पढ़ने और लिखने का ज्ञान नहीं था। मनचाहा

(2 बजकर 40 मिनट)

लिखकर मनचाहा आदेश कराया। उसके बाद हमें बिरासत में वह टूटा फूटा भवन मिला था, जिसे हमारे नेता अपने सदप्रयासों से अपनी वाणी से उसे सुधार रहे हैं। इसमें काफी सुधार भी हो रहा है परन्तु यह अधिकार जो मचल चुका है, बे–लगाम हो चुका है, अब वह काबू में आने को तैयार नहीं है, वह काबू में नही आ रहा है। मेरे पास इसका ज्वलंत प्रमाण है, जब हमारे मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यों के आदेश जाते हैं तो वे कहते हैं "तुगलकी फरमान आया है" जब अगल–बगल देखते है तो "हीं हीं" करके हाथ मसलने लगते हैं कि यह हम क्या कह गये। लेकिन कहने–सुनने से कोई बात होती नहीं, यह जो बजट हमारे माननीय वित्त मंत्री ने रखा यह उनकी सूझ–बूझ और आर्थिक विषयों पर उनकी मर्मज्ञता का परिचायक है। जिस कर्मठता के तहत उन्होंने यह बजट रखा, वह काबिले तारीफ है।

जिस तरह आपने प्रयाग राज, वेदों में जिसका गान हो, उस तीरथ राज प्रयाग, जहां बाबू मोहन सिंह जी जैसे लोग पढ़कर निकले हों, उसकी आलोचना अगर कोई हो तो बड़ी लज्जा की बात है, मैं तो पीड़ा से कराह रहा हूं। जहां हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी का जन्म हुआ हो, जहां से एक से एक प्रतापी मंत्री आये हों। यह इस सरकार के लिए बड़े गौरव की बात है कि इनके काल में वहां एक अर्द्धकुम्भ पड़ा और उसमें देश के हर कोने से जो भी यात्री आये, सबने मुक्त कंठ से उसकी सराहना की है। सड़कों का इन्तजाम अच्छा खासा था, लोगों ने सराहना की, अगर शासन की सराहना की गयी तो आप सभी भागीदार हो। इसमें हाथ–हाथ में नहीं पड़ी, मुक्त कंठ से इसे तो पास करो, यह बहुत आवश्यक है जैसा हमारे भाई ने कहा यह अपरिहार्य है इसे तो पास करना ही है, इसलिए करना है कि जिस संविधान के तहत मुझे बोलने का सौभाग्य मिला है, उसी भारतीय संविधान के तहत वित्त मंत्री जी को इसे रखने का गौरव प्राप्त हुआ है, यह उनका दायित्व है, उनकी रुचि का सवाल नहीं है, उनकी रुचि तो घर पर है। यहां पर नहीं है। सदन की बात सदन के सामने रखनी है। मैं प्रतिपक्ष के अपने सभी सम्मानित लोगों से कहूंगा कि औपचारिकता के तहत जो टीका–टिप्पणी कर सकते हैं, करें लेकिन इसे पास करें। जैसे रियासत साहब ने भाई मोहन सिंह ने कहा मुझे पीड़ा हुई, मैं फिर कहता हूं सब कुछ कह लो सिद्धान्तों का पर्वत मेरे ऊपर लाद दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इन्दिरा गांधी

[श्री श्याम लाल वाजपेयी—]

के ऊपर आप कुछ कहते हैं तो मेरा रोम-रोम कराहने लगता है। जो कुछ बरुआ ने कहा, वह कह कर चले गये और कहीं बिलबिला रहे हैं मगर आज आजादी के दीवाने तिरंगे का कफन बांध कर सर पर निकले हैं कि "इन्दू, इन्दिरा, इन्दोस्तान, " तो मान्यवर, यही देश की मांग है। इसे सब समझ चुके हैं और आप कहीं नहीं रहे। आप पता नहीं किस बिल में चले गये। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वित्त मंत्री जी द्वारा रखे गये सप्लीमेन्टरी बजट का हृदय से समर्थन करता हूं, मेरा हृदय इसका समर्थन करता है, मेरा रोम-रोम इसका समर्थन करता है और यदि मेरी मृत्यु हो गयी तो अगले जन्म में मैं इस सप्लीमेन्टरी बजट का समर्थन करता रहूंगा।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, श्री श्याम लाल वाजपेयी जी ने अपने भाषण में जो कुछ कहा है उसमें से स्तुति इंदिरा जी की और तारीफ को निकाल कर बाकी बातों का सबका मैं समर्थन करता हूं।

श्री श्याम लाल वाजपेयी—

हमारी स्तुति की बात को भी समर्थन दे दीजिये।

श्री मोती लाल देहलवी—

स्तुति के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जो किताब उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए खरीदी है बजाय इसके एक-एक ताबीज सोने में मढ़ा कर उनके भक्तों में वितरित कर दी गयी होती और उसे वे अपने गले में बांधते। जिस प्रकार विश्वनाथ क्रिकेट में शतक बनाने की इच्छा पर स्ट्रोक लेने के पहले अपनी तावीज को जो कि उसके गले में सांई बाबा की पड़ी हुई है, वह स्ट्रोक लेने के पहले उसे चूम लेते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

बड़ा सूक्ष्म आब्जरवेशन है आपका।

श्री मोती लाल देहलवी—

ऐसे ही जो लोग कहते हैं कि हिन्दुस्तान माने इन्दिरा और इन्दिरा माने हिन्दुस्तान, मैं उनको सलाह दूंगा कि वह इन्दिरा जी की तस्वीर को सोने की तावीज में मढ़ा कर पहन लें और जब कभी कभी वह मंत्री बनने के लिए परेशान होते, वह उस तावीज को चूमें तो सम्भव है कि उन्हें उससे कुछ लाभ मिल जाय। अरे यह क्या? यह कोई भाषण करने का तरीका है? यह आप लोगों के भाषण करने का यह कौन सा तौर-तरीका है?

मान्यवर, आप दे, खेंसारी दुनिया की सरकारों व पार्टी की मुझे जानकारी है, लेकिन कहीं भी ऐसा सुनने को नहीं मिला होगा कि आप की तरह किसी एक व्यक्ति के नाम से पार्टी चलती हो। कहीं पर भूख और नंगेपन का इलाज, शिक्षा का इलाज, दवा दारु का इलाज केवल एक मात्र वहां के प्रधान मंत्री को कहा जाय। दुनियां के किसी मुल्क में यह नहीं मिलेगा लेकिन यहां कहा जाता है।

मैं आप लोगों को मना नहीं करूंगा लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसका नतीजा क्या होगा ? अगर सोच ही पाते तो जैसे अभी वाजपेयी जी कह रहे थे कि भगवान या ईश्वर देखने वाला है । ईश्वर को साक्षी रखकर यदि रात में सोचते तो विचार करते कि अंग्रेज किस हालत में देश को छोड़कर गये थे । देश की क्या दशा थी तब ? अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हालत हुई है देश की अब क्या आज यह दुर्दशा की हालत नहीं है ? क्या आप देश की हालत की तुलना अंग्रेजों के समय से करने से घबड़ाते हैं ?

आज हालत यह है कि लोग 10 बार सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं पर लूट लिये जायें कहीं पर कतल हो जायें, कहीं पर मार दिये जायें । रेलों से व बसों से सफर में लोग कतराते हैं, गांवों में जन–जीवन सुरक्षित नहीं रह गया है । रोजाना हर क्षण गांवों में यह खतरा बना हुआ है कि किस समय बदमाश आयें, डकैत आयें और हमारे ऊपर क्या गुजरे । क्या जिस अनुपात में बेकारी बढ़ी है, अंग्रेजों के जाने के बाद, कभी अपने दिल पर हाथ रख कर टटोला ? जिस हालत में भुखमरी बढ़ी है, कभी अपने मन पर हाथ रख कर टटोला ? नहीं, जरूरत ही नहीं समझी क्योंकि आपने केवल एक सबक सीखा है, भूख का इलाज इंदिरा गांधी, अशिक्षा का इलाज इंदिरा गांधी । इसके आगे कुछ जानते नहीं । और मैं पूंछना चाहूंगा कि जो कुछ आज दुर्दशा हो गई है क्या इससे आप ऊंचे हुए हैं । क्या इलाज है क्या विकल्प है ? इस पर आप बिचार करना ही नहीं चाहते ।

आज यह स्थिति हो गई है, आप कभी जाइये कानपुर शहर में देखें, नलों में जब पीतल की टोटी चोरी जाने लगी तो लोहे की टोंटी लगायी गयी और लोहे की चोरी होने लगी तो प्लास्टिक की लगायी गयी । मेन–होल, जो लोहे के होते हैं क्या उनके ढक्कन, आपको मिलेंगे ? नहीं मिलेंगे, कितने गायब मिलेंगे । उसकी भी चोरी होने लगी वह भी बिकने लगे । और मान्यवर, सबसे बड़ा ह्रास इस देश के अन्दर हुआ है–नैतिक साहस–का । आपके सामने उदाहरण है । इस प्रदेश की गृह मंत्री जो का । मुआवजा मिलना चाहिए राजा साहब क उनके पति को जमीन का ..

एक सदस्य—

ये हमेशा यही दोहराते रहते हैं

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

आपको जब तक शर्म नहीं आयेगी कहना पड़ेगा । आपने शर्म को बेंच खाया है, गैरत रह ही नहीं गयी है । मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि जिस गृह मंत्री ने पति के जीवित रहते पति को मृत बता कर मुआवजा लिया, अपनी सौत का भी मुआवजा ले लिया, कुल मिलना चाहिए 9 हजार और लिया कितना 8 लाख रुपया । आप ऐसे गृह मंत्री से शांति व्यवस्था स्थापित कराना चाहे, सम्भव नहीं, पूर्णतया असम्भव है । चोरी, डकैती और कतल रोकना सम्भव नहीं है । जब कोई चोर पकड़ा जाये, उसको गृह मंत्री हिफाजत करें, उसको बचायें, कहीं पर चोरी और डकैती रुक सकेगी ? सम्भव नहीं है । जब गृह मन्त्री उत्तर प्रदेश के चोरों की हिफाजत करे और बचाये तो जरायम रुकना सम्भव नहीं है ।

मैं कहना चाहूंगा कि नैतिक साहस की कमी है, आपके मुख्य मंत्री की हिम्मत नहीं है । आप जिनकी दुहाई देते हैं दिल्ली में इंदिरा जी की, उनकी भी

[श्री मोती लाल देहलवी--]

हिम्मत नहीं हो रही है । क्या यह गलत काम नहीं है ? लाल प्रताप सिंह का भाषण था मैं उनका आदर करता हूं, बहुत सन्तुलित बोलते हैं, पढ़े-लिखे हैं, विद्वान हैं, पढ़ते-लिखते रहते हैं ।

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि क्या इंदिरा जी को पता नहीं है और अगर उन्हें पता नहीं है तो क्या यहां के मुख्यमन्त्री जी का यह कर्तव्य नहीं है कि यहां का गृह मंत्री जो गलत बना दिया है, उनकी आलोचना होती है उसका जवाब भी नहीं दे पा रही है, वह इन्दिरा जी को बतायें । क्या इन्दिरा जी का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वे उनको हटा दें । मान्यवर, इनमें नैतिकता की कमी है । क्या मुख्य मन्त्री जी को प्रधान मंत्री से कहना नहीं चाहिए कि अन्तुले साहब को तरह इनको भी बिदा होना चाहिए लेकिन यह नहीं कह सकते क्योंकि कमी है । आप ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही की आलोचना करते हैं । आप आज नतीजा भोग रहे हैं 34 साल में अपने किये हुये कामों का जो आज आप नौकरशाही को इस हालत में देख रहे हैं । जब इस प्रदेश की सरकारी पक्ष के विधायक और मन्त्री लोग नौकरशाही से गलत काम करायेंगे तो उनकी भी हिम्मत पड़ेगी गलत काम करने की ।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि गोपालपुर फार्म का क्या हुआ ?

श्री मोतीलाल देहलवी--

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने कह दिया कि 24 दिसम्बर तब अगर शान्ति व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो हम इस्तीफा दे देंगे और उसके बाद धड़ाधड़ शुरू हो गया कत्ले आम । जिसको चाहा उसको मुठभेड़ दिखाकर मार दिया गया । और तो जाने दीजिए इस राजधानी में मुख्यमन्त्री जी और गृह मंत्री जी के नाक के नीचे अच्छे भले लोगों को थाने के अन्दर लाया जाता रहा और उनसे पैसा वसूला जाता रहा । यहां के अखबारों ने इसका प्रकाशन किया है लेकिन आपकी तरफ से कोई खंडन नहीं आया । बेगुनाह लोग थानों पर लाये जाते रहे और पुलिस यह कह कर कि अगर गिरोह दन्दी से बचना चाहो तो पांच हजार रुपये और अगर एनकाउन्टर से बचना चाहो तो 10 हजार रु० दो ।

श्री हरदेव--

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं । हमारे विरोध पक्ष के भाई और देहलवी जी से मैं बहुत बार यह सुन चुका कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस्तीफा देने को कहे थे तो ऐसा मुझे मालूम होता है कि यह जो हरिजन भाइयों की हत्या हुई है, यह इन लोगो ने षडयंत्र करके कि माननीय मुख्य मंत्री जी बाध्य होकर ऐसा करें इसलिए इन लोगों ने क्या ऐसा करवाया ? यह मैं जानना चाहता हूं देहलवी जी से ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप व्यवस्था क्या चाहते हैं ? इसमें मैं क्या व्यवस्था दूं आपको । आपके लिए मेरी व्यवस्था यह है कि आप व्यवस्थित हो जायें ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, इस सदन की शोभा हैं माननीय बाजपेयी जी और ये माननीय सदस्य। तो मान्यवर, इस प्रदेश की राजधानी में यहां यह पैदा हो गया और न मालूम कितने अनगिनत लोग झूठे फर्जी मठभेड़ दिखाकर मार दिये गए। कभी आपको कुछ दर्द हुआ। यह मैं माननीय लाल प्रताप सिंह जी से जानना चाहता हूं कि कभी आपके कुछ दर्द पैदा हुआ।

ऐसा नहीं है कि आपके नेता इन्दिरा जी के पास इसकी जानकारी नहीं है। अगर जानकारी न होती तो श्री ज्ञानी जैल सिंह, गृहमंत्री भारत सरकार, इस तरह का बयान न दिये होते। जानकारी है लेकिन एक नेता, एक प्राइम मिनिस्टर को जो लोगों की जानमाल से हमदर्दी होनी चाहिये वह हमदर्दी कतई दिखलायी नहीं देती। न मालूम कितने लोग झूठे गिरोहबन्दी में दिखलाकर जेल भेज दिये गये अगर इस माननीय सदन के विरोधी पक्ष की तरफ से हल्ला न मचा होता तो मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से इमर्जेंसी में कुंवारे लोगों, बूढ़े लोगों, साधुओं, और अन्य लोगों को बुला बुला कर उनकी नसें काट दी गयी, ठीक वही हालत आज भी होती।

एक सदस्य--

आपकी कटी या नहीं ?

(हंसी)

श्री मोती लाल देहलवी--

यह तो अपने नेता से पूछें कि कटी कि नहीं। तो आज जो यह स्थिति वैसा हो गयी है, क्या कभी भी आपने इस पर विचार किया ?

(व्यवधान)

तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि क्या उद्देश्य था आजादी का और कहां हम पहुंच रहे हैं, कभी आपने विचार किया ? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि क्या आज यह स्थिति नहीं है आप कोई ऐसी जगह बतला दें जहां बगैर रिश्वत काम चल रहा हो। अभी तक फौज का मुहकमा बाकी था। आप किसी को भेज दीजिये सिपाही में भर्ती होने के लिये, देखिये वहां भी पैसा मांगा जाता है। कोई विभाग ऐसा उहीं मिलेगा केन्द्र का, प्रदेश का जहां पर बिना रिश्वत के आज काम चल रहा हो। मान्यवर, आजादी के बाद की अब यह स्थिति है ..

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, बाजपेयी जी को आपने अपार समय दिया। मुझे भी कुछ और समय दे दें।

इसी तरह से मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या आपकी नजर में कोई ऐसी चीज है खाने-पीने की जो शुद्ध मिल रही हो ? यह कब हुआ ? आपके नेता के जमाने में। और आगे के लिये जिस आधार पर आपकी नींव पड़ी है, आप उस पर जो महल बना रहे हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जो कहते हैं किसी तरह से भी बगैर इन्दिरा जी के भारत की कल्पना नहीं हो सकती। मैं उतना ही जोर देकर, उतने ही विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि इस बात के लिये, हिन्दुस्तान की दुर्दशा के लिये

[श्री मोती लाल देहलवी—]

हिन्दुस्तान की बरबादी के लिये अगर किसी को याद किया जायेगा तो वह श्रीमती इन्दिरा गांधी को याद किया जायेगा । और कोई दूसरा याद नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय देहलवी जी, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, दो मिनट और दे दें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं आपके संरक्षण में यह चीज कहना चाहता हूं कि उपनेता विरोधी दल बहुत ही समझदार हैं और प्रयास अपने प्रमोशन का कर रहे हैं । इनके साथ मेरी पूरी सहानुभूति है । लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर पूरे हिन्दुस्तान के लिये वे किसी एक को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं तो क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि इसकी जो दुर्दशा आज है उसके लिये चौधरी चरण सिंह जिम्मेदार हैं ?

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न उठा कर आपकी व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, बहुत कुछ जानकारी हम लोगों को देते रहते हैं, खुद अपने प्रमोशन में लगे हुये हैं । मैं कह रहा था कि अनुपूरक अनुदान आप पास करा रहे हैं, कभी भी आपने सोचा माननीय लाल प्रताप सिंह जी की जनता पार्टी की सरकार ने जो मार्ग बनवाये, मिट्टी डलवाई थी, क्या वह जनता का धन नहीं, क्या उस पर जनता का धन खर्च नहीं हुआ । कितनी बार आप से कहा गया कि कम से कम जिन मार्गों पर मिट्टी पड़ गयी है कम से कम उन पर खड़ंजे का काम करा दें ताकि मिट्टी की हिफाजत हो जाय । वह नहीं किया गया...

एक सदस्य—

हम तो आप के पापों पर मिट्टी डाल रहे हैं...

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, जिन गांवों में पानी भरा रहने की वजह से फसल बरबाद होती ,आपका ध्यान क्या उस ओर गया ? कम से कम एक भला काम आप कर ,कि पानी निकासी की व्यवस्था कर देते । पैदावार बढ़ेगी, खाद्यान्न बढ़ेंगे ।

नहीं गया आप का ध्यान । जाने दीजिए । पिछली बार मैंने कहा था कि विधान सभा से जब हम दारुलशफा को जायें या वहां से विधान भवन को आयें तो किसी भी समय वहां भयंकर दुर्घटना हो सकती है और हुई है । हमने पिछली बार माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से कहा था कि कम से कम एक ओवर ब्रिज यहां पर बनवा दें ताकि कोई दुर्घटना न हो । मान्यवर आप विधान सभा के बाहर निकल कर देख लीजिए क्या व्यवस्था है ।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

उपाध्यक्ष जी, आप के मारफत एक बात जानना चाहूंगा । देहलवी जी, जब आप सत्ता में थे आप ही एक पुलिया बना कर अपना पत्थर लगा देते..

श्री मोती लाल देहलवी—

एक मिनट, मान्यवर । मेरे जिला कानपुर जिले में मिलें बन्द हैं । वहां के श्रमिक भूखे मर रहे हैं । एक श्रमिक ने सरकार को नोटिस दे कर आत्महत्या कर ली । आपने उस श्रमिक की पत्नी को कुछ दिया ? मेरी जानकारी है उसने बहुत प्रार्थना की है । आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है । उसकी विधवा पत्नी ने कई बार माननीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना की कि हमारे पति ने बेकारी की वजह से आत्मदाह किया । मान्यवर, जो अच्छे काम हैं उस तरफ इनका ध्यान नहीं है । इनको अच्छे काम क्या लगाते हैं । एक डनलोप की बड.. जो विधायकों को दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ..

श्री मोती लाल देहलवी—

एक मिनट..

श्री उपाध्यक्ष—

आप का एक मिनट बहुत लम्बा होता है..

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, दारुलशफा में आप के राज्य सम्पत्ति अधिकारी रोजाना हजारों रुपये की आमदनी कर रहे हैं । दारुलसफा में जाइये । विधायक नहीं है लेकिन कमरे में लोग रह रहे हैं । विधायक के नाम कहीं एलाट नहीं है । इसी तरह से आप ने देखा होगा बल्ब जलते थे । मैं वहां 67 से रह रहा हूं । पहले बल्ब जलते थे पांच-पांच, छः-छः महीने चलते थे आज दूसरे तीसरे दिन समाप्त हो जाते हैं । कभी आप ने सोचा, कोई खोज बीन की । यह ऐसे स्टेट आफीसर हैं जो माननीय मुख्य मंत्री जी के आदेश को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं ।

यह माननीय मुख्य मंत्री जी जानते होंगे । मैंने लिखा है कि आप यह कह दीजिये कि गलती से ऐसे आदेश हो गये हैं और हमने निरस्त कर दिया या तो फिर कम से कम इस बात पर दुखी होइये कि नौकरशाही आज इस हालत में हो गई है कि मुख्य मंत्री के आदेश भी रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय देहलवी जी, अब आप मुझे दुखी कर रहे हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी--

अच्छा मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस अनुपूरक बजट का घोर विरोध करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय खैरुल बशर, आपको केवल 5 मिनट का समय देता हूं ।

*श्री खैरुल बशर--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे इस अनुपूरक बजट पर बोलने का अवसर दिया है । मैं इस अनुपूरक बजट का विरोध करता हूं और यह समझता हूं कि यह उत्तर प्रदेश सरकार एक दिवालिया सरकार जैसी है जो कि तीन बार अनुपूरक बजट यहां पर ला चुकी है । यह सरकार अपना विवेक और अपनी बुद्धि खो चुकी है और दिशाहीन हो चुकी है मेरी समझ में नहीं आता है कि चाहे वह खाद्य विभाग हो, परिवहन विभाग हो या चिकित्सा विभाग हो, हर विभाग को अनुपूरक डिमान्ड की कैसे आवश्यकता पड़ गई । यह परिवहन विभाग तो दिवालिया हो गया है और चिकित्सा विभाग में दवाओं का कितना घोटाला है, यह किसी से छिपा नहीं है । परिवहन विभाग की बसें चलती ही नहीं हैं, उनके सारे पुरजे बेच दिये जाते हैं और इस तरह से उनकी आमदनी 1/4 रह गई है । अनधिकृत गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं । पूरा परिवहन विभाग लूटा जा रहा है ।

आज यही दिखाई देता है कि यह जन-विरोधी सरकार है, बड़े पूंजीपतियों की सरकार है और हमारे मंत्रीगण उसके नौकर-चाकर हैं । प्रदेश का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, भ्रष्टाचार दिन-दूने रात-चौगुने बढ़ रहा है । इसलिये आज जिस पार्टी का शासन है वह तीन साल के जनता शासन को दोष देता है । लेकिन यह कोढ़ एक दिन का नहीं है, 34 साल का है जो आज भ्रष्टाचार फैलाये हुये हैं और जनता को लूट रहा है । इसके लिए जिम्मेदार कौन हैं ? इसकी जिम्मेदार सरकार है । इनकी पार्टी का हर एक आदमी इन्दिरा गांधी पर निर्भर करता है । उनके ऊपर 'स्पिरिट आफ इंडिया' किताब लिखी है, उन्हीं का गुणगान किया गया है । मैं कहना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार ऐसी सरकार है जो हमारे देश और प्रदेश की धरती पर एक मनहूसियत और तानाशाही का साया डाले हुये है...

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह उत्तर प्रदेश सरकार के अनुपूरक बजट पर बहस हो रही है, इन्दिरा सरकार या भारत सरकार के बारे में बहस हो रही है । मैं आपसे व्यवस्था यह चाहता हूं कि इन्दिरा सरकार या भारत सरकार की आलोचना इस सदन में हो सकती है ? इस पर आपसे व्यवस्था चाहता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री खैरुल बशर—

तारीफ हो सकती है तो आलोचना भी हो सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया । उसके बारे में तो व्यवस्था देने दें । किसी की प्रशंसा या किसी की शिकायत किसी प्रसंग मे अगर आ जाय तो आ जाय लेकिन जिस चीज का ताल्लुक इस सदन की कार्यवाही से न हो उसके विषय में कुछ नहीं कहना चाहिए ।

श्री खैरुल बशर—

मान्यवर, उस किताब के सिलसिले में जो यह कहा गया कि एकमात्र इन्दिरा गांधी हैं जैसा देहलवी जी ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में तानाशाही का वजूद न कभी रहा है और न रहेगा ।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा जर्मनी में हिटलर के जमाने की बात है ..

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

यह कौन सा प्रसंग है, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री वासुदेव सिंह—

एक भ्रम पैदा हुआ है तानाशाही क्या है उस पर मैं कहना चाहता हूं । तानाशाह वह होता है जो बोलने नहीं देता ।

श्री हुकुम सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्याय—

जब आपको मौका मिलेगा तब भ्रम का निवारण कर दें । यहां पर यह अप्रासांगिक होगा । (व्यवधान)

श्री हुकम सिंह—

यह फ्री फार आल बात हो रही है क्या ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्याय—

जब चार-चार आदमी एक साथ व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो मैं व्यवस्था निर्णय दूंगा ?

श्री फखरे आलम—

तानाशाह तो बहुत बड़ा बादशाह था जिसके साथ औरंगजेब ने बहुत बड़ी ज्यादती की ।

श्री खंडल बशर—

दो रोज पहले यहां पर चर्चा हुई थी काशीनाथ जी के साथबलिया से हजारों हरिजन पैदल आये उनकी बात तक नहीं सुनी गयी, उनको एक पैसा तक इस कंगाल सरकार ने नहीं दिया । (व्यवधान)

श्री हरदेव—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय हरदेव ने बिना मेरी आज्ञा के कहा है, वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री खंडल बशर—

यहां पर पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर बैठे हुये हैं हमारे जिले आजमगढ़ में एक ऐसी सड़क है जो ऐतिहासिक सड़क है जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाय था उसमें एक पुल बना हुआ था उसको तोड़ने के लिये 80 लाख रु० का ठेका दिया था, डायनामाइट से उसे उड़ा दिया गया । आज भी उसका मामला अदालत में पड़े हैं । आज हमारे देश का पैसा नौकरशाही के सहारे तबाह हो रहा है । हमारे बजट का जो धन है वह जनता की भलाई में खर्च नहीं होता है चाहे वह बिजली विभाग हो, चाहे दूसरे विभाग हों, सब में लूट मची हुई है और उसी लूट के लिये यह अनुपूरक बजट है । इसका मैं घोर विरोध करता हूं और सदन से मांग करता हूं कि वह इसको अस्वीकार कर दे ।

श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मेरी पार्टी को बोलने का मौका नहीं मिला ।

* वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)—

मान्यवर, यह दूसरा अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करने का मुझे इस सदन में मौका मिला । विपक्ष के माननीय सदस्यों ने खासतौर से इसके बारे में एतराज किया और कहा कि यह सरकार की दूरंदेशी न होने का प्रमाण है क्योंकि बजट के समय सरकार यह कल्पना नहीं कर सकी कि इस साल क्या खर्च करना पड़ेगा। तो मेरा नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की बात तो उस समाज में हो सकती है जो गतिशील न हो, डायनैमिक न हो, जो स्टैटिक सोसायटी हो तो उसमें ऐसा हो सकता है । नहीं तो हर समय आवश्यकता से अनुसार नयी चीजें आती हैं और उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है । देखना यह है कि जो चीज इसमें शामिल की गयी है और जिनके कारण इसमें अनुदान मांगा जा रहा है, वह जरूरी है या नहीं ।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, कुछ चीजों के ऊपर यहां ध्यान दिलाया गया तो मैं भी कुछ चीजों के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें जो सबसे बड़ी रकम है वह 29 करोड़ 60 लाख की है जो बाढ़ सहायता के लिये है। यह भारत सरकार से 75 फीसदी के आधार पर मिला है। अब मान्यवर, बाढ़ कहीं पर आयेगी और उससे कितना नुकसान होगा यह कहीं से मालूम नहीं हो सकता है। इसका अनुमान जिन्होंने एतराज किया है वे लगा सकते हैं लेकिन मैं इसमें असमर्थ हूं। मैं समझता हूं कि जब बाढ़ आती है तो उसके बाद केन्द्र से एक टीम आती है अनुमान लगाने के लिये उसमें हमारा प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले। तो पहले तो इसमें 29 करोड़ 60 लाख की यह रकम है और फिर दूसरी 18 करोड़ 67 लाख की उन योजनाओं की है जो भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी जिनके लिये शत प्रतिशत पैसा भारत सरकार देती है। तो जब भारत सरकार निश्चय करेगी तब हमको पता चलेगा कि हमें कितना रुपया इसमें चाहिये और कितना खर्च करना है, उसके बाद ही हम बजट में प्रस्तुत कर सकते हैं और अगर हम यह कसम खा कर बैठ जायं कि अनुपूरक अनुदान नहीं पेश करेंगे, तो इस प्रकार की रकम हम शामिल नहीं कर सकते हैं। दूसरी 10 करोड़ की बड़ी मद है वह खाद खरीदने के लिये है जो हमें उधार देना पड़ा है। कृषि विभाग को खाद खरीदने के लिये यह उधार दिया गया। जरूरत किस वक्त पड़ेगी, यह अनुमान बाद में लगाया जा सकता था और समय पर खाद देने के लिये यह हमने बहुत बड़ा काम किया है। यह ऋण राशि भी हमें भारत सरकार से मिल जाती है, यह थोड़े समय के लिये होता है।

इसके अलावा कुछ ऐसी मदें हैं जो केवल हिसाब-किताब के लिये हैं, जैसा राज्य परिवहन निगम को दिया था, जिसे अब हमने अंश पूंजी में बदल दिया है ... (व्यवधान) बहुत एतराज किया गया कुम्भ मेले पर और कुम्भ मेले के सिलसिले में जो कार्य किए गए वह इस अनुमान के ऊपर किये गये कि इस बार कुम्भ मेले में इतने लोग वहां आयेंगे और जहां तक मुझे जानकारी है समाचार-पत्रों द्वारा और पहुंचे हुए यात्रियों द्वारा कि अबकी कुम्भ मेले में बहुत अच्छा प्रबन्ध रहा। वहां कोई बहुत बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, रहने की और रोशनी की अच्छी व्यवस्था थी, सफाई और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था थी तथा खाने की भी ठीक व्यवस्था रही और सबसे बड़ी बात कोई दुर्घटना नहीं हुई जैसी कि आमतौर पर हो सकती थी, इससे प्रमाणित होता है कि जो रुपया वहां खर्च किया गया वह ठीक ही खर्च किया गया। फिर भी हम महसूस करते हैं कि जो भी वहां व्यय हो, निर्माण हो स्थायी महत्व का और स्थायी किस्म का होना चाहिये। इसके बाद इसमें हमने 2 करोड़ रुपये की एक निधि बनाई है, जो युवक कल्याण कोष स्थापित किया गया है, इस निधि के द्वारा युवक कल्याण कार्यक्रमों को चलाया जायेगा। कुल मिलाकर जो अनुपूरक अनुदान के द्वारा इसका भार आता है वह 10 करोड़ है, बाकी कहीं बाहर से आना है। तो इसमें यह आशंका बिलकुल नहीं है कि सरकार अनुमान बिलकुल नहीं लगा सकती है ...

श्री रियासत हुसैन—

यह जो दो करोड़ रुपये के निधि के बारे में आपने अभी बताया है, इसके बारे में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं जो आपने आने वाले बजट के बारे में कहा है, तो 1982-83 के बजट में भी इसको रेफर किया है और पिछले समय की जो सप्लीमेन्टरी मांग रहे हैं इसमें भी आप कह रहे हैं कि निधि बनाई है। तो क्या यह दो करोड़ अलग और वह दो करोड़ रुपये अलग हैं।

श्री ब्रह्मदत्त—

दो करोड़ रुपये चार जगह आ नहीं सकते हैं, लेकिन यह जमा कर दिया गया है । इसको बाद में बताऊंगा ।

(एक सदस्य द्वारा खड़े होकर मुख्य मंत्री जी से बात करने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप अपना आसन ग्रहण करें, सुनने में कठिनाई हो रही है ।

श्री कुबेर भण्डारी—

राज्यपाल की गाड़ी के लिए लेने की क्या आवश्यकता थी ?

श्री ब्रह्म दत्त—

राज्यपाल का सम्मान, यह हमारे महसूस करने की बात है । यह एतराज करना कि इसकी कल्पना पहले से हो जाती, तो समय से पहले कल्पना नहीं होनी चाहिये, यह केवल स्टैटिक सोसाइटी में हो सकता है । बटलर–पैलेस की चर्चा की गई । इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं और मेरे लोकदल के एक माननीय सदस्य ने यह आशंका जाहिर की कि शायद हम माल एवेन्यू के 10 नम्बर बंगला को, जहां कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, खरीदने की योजना बना रहे हैं । तो उसे यदि हम खरीदना भी चाहें तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसे बेचने वाली नहीं है । इनकी सूचना के लिये बताना चाहता हूं कि 10 नम्बर बंगला वह है, जिसमें ए0 पी0 सी0, शमशाद साहब रहते हैं और 11 नम्बर का वह है, जिसमें राम रतन सिंह जी रहते हैं । वहां पर का यह दुर्भाग्य है कि एक ही नम्बर के कई बंगले हैं, जैसे चौधरी साहब के बंगले का नम्बर है जिसे 8 और 14 भी कहते हैं । इसलिए आपको यह भ्रम हो रहा है । एक बात यहां पर कही गयी कि हमने "स्प्रिट आफ इंडिया" किताब की खरीदारी की है ।

मान्यवर, यह साहित्य का सवाल है, मूल्यांकन का सवाल है, वह हमने किया और जिस व्यक्ति का चित्र उसमें है वह संसार के महान व्यक्तित्व में है । अगर किसी बड़े व्यक्ति के बारे में कोई किताब छपे तो हम अवश्य ही खरीदेंगे । हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री की स्मृति में मांडा में एक भवन बनाया गया लेकिन हमने छपरौली में भी अनुदान दिया है । जब अनुदान का सवाल है तो मांडा, छपरौली और बागपत में भी दिया है । हम राजनीतिक पक्षपात का सहारा नहीं लेते हैं, संस्था को देख कर ही देते हैं, उसके उपयोग को ही देखकर देते हैं । वह स्थान हमारे पक्ष के माननीय सदस्यों की कांस्टीट्युएन्सी में है या विपक्ष के लोगों की कान्सटीट्युएन्सी में । तो यह हमारी न्याय प्रियता का एक उदाहरण है ।

हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि प्रभावशाली लोगों के क्षेत्रों में ही काम होता है । इस बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और बार–बार कह भी चुका हूं कि हमने सारी योजनाओं के, जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर, कुछ नौर्म्स बनाये हैं । हम तो चाहते हैं कि ब्लाक स्तर तक इन सिद्धान्तों के आधार पर हमारी योजनायें बनें । सिफारिशों के आधार पर नहीं । यह हमारे जन प्रतिनिधियों के ऊपर निर्भर करेगा कि वे इन सिद्धान्तों के आधार पर कितना आवंटन कर सकते हैं ।

तिलवाड़ा में जिन लोगों की जमीन गयी, उनको बिजली अवश्य मिलनी चाहिये और उनको उनकी जमीन का मुआविजा भी मिलना चाहिये । मैं इस बात को फिर से देखूंगा ।

कुछ बातें ला एंड आर्डर के सम्बन्ध में भी कही गयी हैं । चूंकि सामान्य बजट पर चर्चा हो रही है इसलिये मैं आवश्यक नहीं समझता हूं कि उनका इस समय कुछ जिक्र करूं । जब इस सरकार के कार्यकलापों की चर्चा होती है तो यह देखना चाहिये कि हम क्या-क्या कार्य कर रहे हैं । जिस पृष्ठभूमि के बाद यह सरकार बनी उसका भी कुछ कहने के पूर्व खयाल रखा जाना चाहिए । हमें इस बात को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि वर्ष 1979-80 में क्या अर्थ व्यवस्था हमने विरासत में पायी थी और उसके बाद हम कहां जा रहे हैं । उस समय प्रदेश की आमदनी 18 प्रतिशत नीचे चली गयी थी लेकिन एक साल के प्रयास के बाद वह 20-22 प्रतिशत ऊपर ले गये । इसी प्रकार से ला एंड आर्डर की स्थिति है । तमाम समाज में, जहां ला एंड आर्डर बहुत बिगड़ गया था, साम्प्रदायिकता बहुत बढ़ गयी थी उसका कारण एक ऐसा है कि जो एक पक्ष, एक विचारधारा, एक नेतृत्व में काम करने वाली सरकार नहीं, कोई नीति निर्धारण नहीं हो सकी थी और सब तरह की अनियमितताये और अनुशासनहीनता प्रवेश कर गयी थी । उसको सुधारने में हमें बहुत देर लगी लेकिन हमारा प्रयास जारी है । 36 अरब के बजट में एक अनुपूरक बजट मैं ला चुका हूं, दूसरा यह है और तीसरा अनुदान भी लाने वाला हूं क्योंकि बहुत सी चीजें हमको भारत सरकार से मिलने वाली हैं, उनको हम व्यय कर सकें । इसलिए इस वर्ष के लिए और अनुपूरक अनुदान हमें लाना पड़ेगा ।

इसलिए माननीय सदस्यों को एप्रिशियेट करना चाहिए, हमारी सराहना करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समर्थ हों और ज्यादा से ज्यादा सहायता प्राप्त करें । इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने अपने विचार यहां रखे हैं, आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि यह जो मांगे यहां रखी गयी हैं इन्हें यह सम्मानित सदन स्वीकृति प्रदान करे ।

श्री रियासत हुसैन---

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । छविराम वाले मामले में बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा । उसको लेकर पूरे मुल्क में और हो सकता है बी० बी० सी० से भी, मैं तो उसे सुनत नहीं हूं, उसकी चर्चा आती हो, उसके सरेन्डर में आप कुछ क्लियर कर दें कि आपकी पुलिस कावर्ड साबित हुई या आपने कोई डायरेक्शन दे रखे थे ?

श्री ब्रह्मदत्त---

इस सम्बन्ध में तो वक्तव्य आयेगा । मैं इतना बतला दूं कि हमारी पुलिस न तो कावर्ड है और न ही हमने कोई डायरेक्शन दिये कि उसको छेड़ा न जाये । न ही हमने किसी को अधिकृत किया कि वह किसी भी असामाजिक तत्वों से वार्ता करे । न ही हम इसमें विश्वास करते हैं । लेकिन अगर कोई अपराधी अपने को कानून के हवाले करना चाहता है तो उसके लिये वह स्वतंत्र है, कानून अपनी जगह पर है । जो लोग हृदय परिवर्तन में विश्वास करते हैं, वे इस बात के लिये चेष्टा करते हैं ।

1981–82 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों के लिए मांगों पर

मतदान–अनुदान संख्या 3––मंत्रि–परिषद्

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)––

मैं आप की आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 3–मंत्रि परिषद् के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाये ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 3––मंत्रिपरिषद् के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 4––न्याय विभाग

न्याय मंत्री (श्री जगदीश प्रसाद)––

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4––न्याय विभाग के अन्तर्गत 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 4––न्याय विभाग के अन्तर्गत 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 9––स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग

राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)––

मान्यवर, मैं आप की आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9––स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 12,01,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9––स्वायत्त शासन एवं नगरपालिका विभाग के अन्तर्गत 12,01,65,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या––11––परिवहन विभाग

परिवहन मंत्री (श्री वीरबहादुर सिंह)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 11––परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 11—परिवहन विभाग के अन्तर्गत 1,14,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 1,41,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13—वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत 141,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 17—सचिवालय

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 17—सचिवालय के अन्तर्गत 3,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 17—सचिवालय के अन्तर्गत 3,95,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से और राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 1,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 18—कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत 1,27,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 32,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 20—सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग के अन्तर्गत 32,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 21—संस्थागत वित्त विभाग के अन्तर्गत 35,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 3,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 24—वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत 3,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस)

(3 बजकर 40 मिनट)

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 25--गृह विभाग(पुलिस) के अन्तर्गत 88,64,000रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 25--गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत 87,64,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 72,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 28--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन) के अन्तर्गत 72,000 रुपये की अनुपूरक मांग स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,58,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,58,50,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 34--प्राविधिक शिक्षा विभाग

जेल मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34—प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,04 000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 38—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत 12,04.000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

जन स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्री हरि सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत 50,,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

श्रीमन् आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग के अन्तर्गत 6,95,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 43—सूचना विभाग के अन्तर्गत 6,95,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री बासुदेव सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या—46 हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 30,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 46—हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत 30,10,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 6, 53,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 49—सहकारिता विभाग के अन्तर्गत 6,53,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्र मोहन सिंह नेगी)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 42,13,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 50—पर्वतीय विकास विभाग के अन्तर्गत 42,13,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि)

कृषि उप मंत्री (श्री दलजीत सिंह)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 52—कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत

[श्री दलजीत सिंह]

6,03,85,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 52--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत 6,03,85,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)

कृषि उप मंत्री (श्री दलजीत सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 4,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 53--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत 4,00,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 3,93,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55--ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत 3,93,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 50,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56--पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत 50,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

माननीय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 58--खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 1,70,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 58—खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत 1,70,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 59—पशुधन विभाग

कृषि उप मंत्री (श्री दलजीत सिंह)—

माननीय, आपकी आज्ञा और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 35,01,000 रुपए की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 59--पशुधन विभाग के अन्तर्गत 35,01,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)

कृषि उप मंत्री (श्री दलजीत सिंह)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 60--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 4,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 60—पशुधन विकास (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत 4,39,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 61—मत्स्य विभाग

कृषि उप मंत्री (श्री दलजीत सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 61—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 61—मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 62—वन विभाग

वन राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 62—वन विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 62 वन विभाग के अन्तर्गत 5,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 68 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य—राजस्व लेखा)

सिंचाई मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य—राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 4,04,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 68—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य—राजस्व लेखा) के अन्तर्गत 4,04,83,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 70—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 12,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 70--सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन) के अन्तर्गत 12,05,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 74--पर्यटन विभाग

पर्यटन मन्त्री (श्री विद्या भूषण)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 74--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 30,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 74--पर्यटन विभाग के अन्तर्गत 30,000 रुपये की मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनवासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 93,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 75--सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 93,51,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालयिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 76--सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यालयिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 68,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 76—सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 68,70,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 83—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 83—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 2,18,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 83—सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 2,18,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 91—संस्थागत वित्त विभाग—पूंजीगत परिव्यय

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 91—संस्थागत वित्त विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 14,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 91—संस्थागत वित्त विभाग-पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 14,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 94—कृषि विभाग—पूंजीगत परिव्यय

कृषि उप मन्त्री (श्री बलजीत सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 94—कृषि विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 10,25,000,00 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 94—कृषि विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 10,25,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 100—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय

कृषि उप मन्त्री (श्री बलजीत सिंह)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 100—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिए स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 100—पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 79,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 104—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)

सूचना राज्य मन्त्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 104—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 104—सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 1,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 106—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 106—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 76,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 106—सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय) के अन्तर्गत 76,89,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 107—परिवहन विभाग—पूंजीगत परिव्यय

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 107—परिवहन विभाग पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 107—परिवहन विभाग पूंजीनत परिव्यय के अन्तर्गत 5,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 112—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 112—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 7,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 112—स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम) के अन्तर्गत 7,48,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 116—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 116—उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981–82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 116--उद्योग विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 1,50,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 121--सहकारिता विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 20,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम

कृषि उप मंत्री (श्री दलजीत सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 122—कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 49,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 122--कृषि विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 49,99,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम

कृषि उप मंत्री (श्री दलजीत सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल जी की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 1,40,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 124--पशुधन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 1,40,88,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 126--परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 126--परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 126--परिवहन विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 3,00,00,000 रुपय की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

अनुदान संख्या 131--गृह (कारागार) विभाग--ऋण और अग्रिम

जेल मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 131--गृह (कारागार) विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 27,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 131--गृह (कारागार) विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत 27,00,000 रुपये की अनुपूरक मांग वित्तीय वर्ष 1981-82 के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[4 बजकर 8 मिनट]

उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

कापियां बांट दी जाय ।

(विधेयक की प्रतियां वितरित की गईं ।)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

श्री हुकम सिंह—

मान्यवर, एक ही वित्तीय वर्ष में दूसरा विनियोग विधयक आया और कुछ ही समय बाद तीसरा पेश करने वाले हैं । यह सारी आकस्मिक निधि, जो इन्होंने विवेकाधीन कोष समझ लिया है, और सारे कोष को खर्च करने के बाद आते हैं विधान मण्डल में, हमारी स्वीकृति के लिये, तो यह तमाम संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन करने का प्रयास हो रहा है।

मैं इसको आगाह करना चाहता हूं कि अगर विधान मन्डल की मर्यादा न रख कर आकस्मिक निधि को समाप्त कर यहां आयेंगे तो साफ जाहिर है कि दिन प्रति-दिन जो प्रक्रिया है वह इनकी असफलताओं का, नाकामयाबी का द्योतक है । इस विधेयक में जो विभाग शामिल किये गये हैं उनमें काफी ऐसे भी हैं कि जो पहले आवंटित धन को भी खर्च नहीं कर पाये हैं । लेकिन फिर भी अनुपूरक अनुदानों के माध्यम से धन मांगने आ गए । दिसम्बर के महीने में, एक मंत्री हैं समाज कल्याण विभाग के मंत्री उन्होंने अपने विभाग के बारे में स्वयं कहा था कि हम अपने विभाग का 10 प्रतिशत रुपया खर्च नहीं कर पाये और वह विभाग भी इसमें शामिल है तो जो विभाग पहले का ही रुपया खर्च न कर पाये फिर अनुपूरक के रूप में धन मांगने हमारे सामने आये तो उससे साफ जाहिर है कि इस तरह से आप नई-नई मदों में पैसा ले लेते हैं तो इस तरह की प्रक्रिया और परम्पराओं की मैं भर्त्सना करता हूं । इसके लिए मैं यह कहूंगा कि पहले आप सही आंकलनों और अपने प्राक्कलनों का परीक्षण कर लिया करें और उसके बाद विधान मन्डल के सामने स्वीकृति के लिए आया करें ।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, अगर वित्त मंत्री जी ने नियम 14 का पालन कर लिया होता और उसके आधार पर शीतकालीन सेशन बुला लिया होता और उसमें उन अनुपूरक अनुदानों को ग्रान्ट करा लिया होता तो ज्यादा उचित होता और आज इस बजट के साथ इनको अनुपूरक मांगों को न लाना पड़ता । यह आप एक गलत परम्परा डाल रहे हैं कि जब जरूरत के मुताबिक कोई काम होता है तो फिर उसके बाद उसको दुबारा रिपीट करते हैं और फिर तिबारा रिपीट करते हैं तो यह अच्छी कन्वेन्शन, अच्छी ट्रेडीशन नहीं है । जो अपने लग्जरी सप्लीमेंटरी रखा है जब तक वह डिस्एप्रोप्रिएट न हो जाय, 80 परसेंट खर्च न हो जाय तब तक उससे कोई खास लाभ होने वाला नहीं है इसलिए जो एप्रोप्रिएशन बिल रखा है माननीय मंत्री जी ने, मैं उसका विरोध करता हूं ।

श्री ऊदल—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अभी विधेयक पेश किया है सप्लीमेंटरी बजट के बारे में मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसके कई कारण हैं । अगर जायज खर्चा करना हो और सरकार का अगर वित्तीय नियंत्रण लागू हो तो विरोध की कोई आवश्यकता नहीं है लेकिन चूंकि वित्तीय नियंत्रण नहीं है इसलिए विरोध की आवश्यकता है । आज ही एक सवाल का उत्तर था मुख्य मंत्री जी का कि हेलीकाप्टर पर कई लाख रुपये खर्च किए गए और कौन-कौन लोग उस पर चढ़े, उपमंत्री, कलेक्टर, मेरे ही सवाल का उत्तर है । लाखों रुपये खर्च किए गए । मैं इस पर आपत्ति करता हूं हेलीकाप्टर का जो प्रयोग होता है और भी आपने सप्लीमेंटरी की मांग किया है । हेलीकाप्टर का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी में होना चाहिये । कितना रुपया खर्च होता है । लाखों रुपया अपने खर्च किया और पचासों लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है और कुछ लोगों का तो 20-20 जगहों का है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी माननीय जाहिदी साहब कह रहे थे कि आखिर इस रुपये का कहां इस्तेमाल होगा । आप जो प्लान बनाते हैं उसको बदलते हैं । नतीजा यह होता है कि जो महंगाई बढ़ती है उसके हिसाब से उसकी कास्ट भी बढ़ जाती है । इसके ऊपर नियंत्रण करने की जरूरत है । भदोही में विकास कालोनी के लिए जमीन ली गई जिसका उत्तर ब्रह्म दत्त जी ने दिया था कि मैं जांच कराऊंगा और जब मैं स्वयं देखने गया तो वह जमीन ऐसे-ऐसे पूंजीपतियों और करोड़पतियों की है उनके दबाव में आकर आपने उनको बदला । अब भदोही नगरपालिका से एक किलो मीटर की दूरी पर जहां गरीब हरिजनों की जमीन है, उनको लेने की बात की जा रही है । मुझे इस बात का दुख है कि मंत्री लोग धन्ना सेठों के यहां जाकर ठहरते हैं ।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में कह सकता हूं कि आधा किलोमीटर जमीन बाई पास के लिए प्रस्तावित होने के बाद, लैंड एक्वीजिशन की कार्यवाही शुरू होने के बाद इन्हीं धन्ना सेठों ने उस जमीन को खरीद कर अपनी चहारदीवारी बना ली अब उसको बदल कर 4 किलोमीटर का बाई पास बनाना प्रस्तावित किया गया और अब उसी के बगल में नहर के किनारे 40 फीट जमीन लेना प्रस्तावित है । किसानों की शारदा सहायक के लिए 120 फीट जमीन ली गई थी लेकिन उनका मुआवजा आज तक नहीं मिला । नहर की खुदाई के समय किसान उसे खोदने नहीं दे रहे थे तो मैं खुद वहां खड़ा हो गया और किसानों को समझा-बुझा कर राजी किया कि नहर खोदने दो, इससे तुम्हारा ही फायदा है । लेकिन उनको मुआविजा आज तक नहीं मिला । हो क्या रहा है ? नियम कानून को ताक पर रख कर सारे काम किये

जा रहे हैं । मिर्जापुर में 7-8 हजार एकड़ का एक गोपालपुर फार्म है जिसका लगान ओलापीड़ित के आधार पर 31 दिसम्बर, 1981 से सस्पेंडेड है । यह फार्म सहकारी ह स्वास्थ्य मंत्री श्री लोकपति त्रिपाठी ने सत्ता का दुरुपयोग करके सारा का सारा फार्म फर्जी नीलाम 15 अप्रैल, 1981 को करा दिया है । उसमें 160 सहकारी सदस्य हैं जिनकी जमीन उस फार्म में है । नियम कानून को ताक पर रख कर यह नीलाम किया गया है । नीलामी के बाद ही उसके एक सदस्य श्री ईश्वर शरण सिंह जो भूतपूर्व विधायक हैं, उन्होंने कमिश्नर के यहां दावा दायर कर दिया है इसके खिलाफ । इस मामले की जांच होनी जरूरी है । माल मंत्री जी से भी मैंने कहा था । श्री ईश्वर शरण सिंह ने मुख्य मंत्री, माल मंत्री को प्रार्थना-पत्र भी दिये हैं ।

सूचना राज्य मंत्री (श्री काशी नाथ मिश्र)--

माननीय, ऊदल जी तो बहुत ही पुराने सदस्य हैं । इसे तो न्याय विभाग ने स्टे किया है । माल का मुकदमा दर्ज है । इतना गुस्सा करने की बात नहीं है । अगर नीलामी फर्जी होगी तो उसका फैसला वहां से हो जायेगा ।

श्री ऊदल--

फर्जी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से जो यह नीलामी करा दी गई है उसका स्टे कमिश्नर के यहां से मिल गया है । इसकी जांच होनी चाहिये । स्वास्थ्य मंत्री के खानदान वालों ने, मलकानियों ने और जो दूसरे लोग कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली के हैं, इन 247 लोगों ने फर्जी नीलाम ले लिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ऊदल जी, आप अनुपूरक अनुदानों पर बोल रहे हैं या गोपालपुर फार्म के ऊपर बोल रहे हैं । इससे उसका क्या ताल्लुक है ?

श्री ऊदल--

जब जनरल डिस्कशन हो रहा था तो सत्ता का दु,पयोग किस तरह से होता है, कैसे असर पड़ता है, इसलिए मेरा कहना यह है कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । सरकार के कायदे कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । जो बजट हमलोग यहां से मंजूर करते हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिये । इसलिन में माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं, मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि जब तक वित्तीय अनुशासन लागू नहीं होगा तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता । वह क्यों नहीं लागू है । हर विभाग में वित्त विभाग ने लेखा अधिकारी नियुक्त कर रखा है सीनियर लेखा अधिकारी नियुक्त किया है लेकिन उनका कैरेक्टर रोल कौन लिखता है । जो उस विभाग का हेड है वह उनका कैरेक्टर रोल में एंट्री करता है । आपके सीनियर लेखाधिकारी का करेक्टर रोल वही लिखता है । कैरेक्टर रिपोर्ट में एंट्री के डर की वजह से अनुशासन में रहते हुए वह काम नहीं कर सकता है ।

किसी भी विभाग को आप ले लीजिये । कृपया कृषि विभाग को ले लें, सिंचाई विभाग को ले लें, जो आपके विभाग का सीनियर मोस्ट लेखा अधिकारी हैं उनकी क्या दुर्दशा हो रही है । इसलिए में चाहता हूं कि लेखा विभाग को, वित्त विभाग को और अधिक मजबूत बनाने के लिए उसे और अधिकार दें । वित्तीय अनुशासन बनाने के लिए लेखा विभाग को मजबूत बनाने की आवश्यकता है वरना आधा धन भ्रष्टाचार में, गबन में, घूसखोरी में इधर-उधर चला जाता है । मैं इस बात की हमेशा मांग करत रहा हूं । वित्तीय नियम का पालन होना चाहिये । वित्तीय अनुशासन कायम होन

[श्री ऊदल---]

चाहिए। लेखा परीक्षा विभाग को मजबूत होना चाहिये। आपने तथा पहले की सरकारों ने भी आश्वासन दिया है लेकिन इस तरफ कोई कदम नहीं उठाये जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री ब्रह्मदत्त---

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं इनकी तरफ सरकार का ध्यान है। वित्तीय अनुशासन को कायम रखने के लिए समय से बजट प्रस्तुत किया गया और जो खर्च हो गया था उसको इस सदन के सामने पहली अपार-चुनिटी में लाया गया। जहां तक लेखा विभाग को दृढ़ करने का सवाल है, यह ठीक है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वित्तीय अनुशासन कायम हो, दृढ़ता लाई जा सके, लाई जायेगी। एक दिन का काम नहीं है। सारे विभाग की पुनर्गठन की आवश्यकता है, जो मैं कर रहा हूं।

मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982

31 मार्च, 1982 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त शीर्ष नाम

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (1981-82 का द्वितीय अनुपूरक) अधिनियम, 1982 कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1981-82 के लिए 90,80,68,000 रुपये का दिया जाना

2---ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिए, जो 31 मार्च, 1982 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ 2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से इतना रुपया निकाला और काम में लाया जा सकता है जो अनसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 90,80,68,000 रु0 (नब्बे करोड़ अस्सी लाख अड़सठ हजार रुपये केवल) होता है, अधिक न हो।

विनियोग

3---इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से, जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया जाता है, उनका विनियोग 31 मार्च, 1982 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायेगा जो अनुसूची में दिये हुये हैं।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान/ क्रमसंख्या	सेवायें और प्रयोजन	निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक		
		विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
1	राज्य विधान मण्डल	..	1,50,000	1,50,000
*2	राज्यपाल तथा उनका सचिवालय	..	2,60,000	2,60,000
3	मंत्रि परिषद्	5,00,000	..	5,00,000
4	न्याय विभाग*	35,000	..	35,000
9	स्वायत शासन एवं नगरपालिका विभाग	12,01,65,000	5,37,000	12,07,02,000
11	परिवहन विभाग	1,14,000	..	1,14,000

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रमसंख्या

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
13	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत तथा अन्य व्यय)	1,41,000	1,000	1,42,000
*16	लोक सेवा आयोग	..	36,00,000	36,00,000
17	सचिवालय	3,95,000	..	3,95,000
18	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग	1,27,000	..	1,27,000
20	सामान्य प्रशासन तथा अन्य विभाग	32,50,000	..	32,50,000
21	संस्थागत वित्त विभाग	35,000	..	35,000
23	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	..	38,000	38,000
24	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	3,89,000	..	3,89,000
25	गृह विभाग (पुलिस)	87,64,000	..	87,64,000
28	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	72,000	..	72,000
33	शिक्षा विभाग	1,58,50,000	..	1,58,50,000
34	प्राविधिक शिक्षा विभाग	1,000	..	1,000
38	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	12,04,000	..	12,04,000

उत्तर प्रदेश विधान सभा

40	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	50,00,000	..	50,00,000
43	सूचना विभाग	6,95,000	..	6,95,000
46	हरिजन सहायक एवं समाज कल्याण विभाग	30,10,000	..	30,10,000
49	सहकारिता विभाग	6,53,000	52,000	7,05,000
50	पर्वतीय विकास विभाग	42,13,000	..	42,13,000
52	कृषि विभाग (कृषि)	6,03,85,000	..	6,03,85,000
53	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	4,00,000	..	4,00,000
55	ग्राम्य विकास विभाग	3,93,01,000	31,000	3,93,32,000
56	पंचायती राज विभाग	50,01,000	..	50,01,000
58	खाद्य तथा रसद विभाग	1,70,000	..	1,70,000
59	पशुधन विभाग	35,01,000	..	35,01,000
60	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	4,39,000	..	4,39,000
61	मत्स्य विभाग	1,000	..	1,000
62	वन विभाग	5,00,000	..	5,00,000

*भारितविनियोग से सम्बन्धित क्रम संख्या।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
68	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य–राजस्व लेखा)	4,04,83,000	..	4,04,83,000
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	12,05,00,000	..	12,05,00,000
74	पर्यटन विभाग	30,000	..	30,000
75	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	93,51,000	..	93,51,000
76	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	68,70,000	..	68,70,000
83	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवनों पर पूंजीगत परिव्यय)	2,18,00,000	..	2,18,00,000
91	संस्थागत वित्त विभाग––पूंजीगत परिव्यय	14,00,000	..	14,00,000
94	कृषि विभाग––पूंजीगत परिव्यय	10,25,00,000	..	10,25,00,000
100	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) पूंजीगत परिव्यय	79,000	..	79,000
104	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय)	1,000	8,14,000	8,15,000

105	सिंचाई विभाग (बहु प्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय)	..	36,000	36,000
106	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधनों पर पूंजीगत परिव्यय)	76,89,000	..	76,89,000
107	परिवहन विभाग-पूंजीगत परिव्यय	5,00,00,000	..	5,00,00,000
112	स्वायत्त शासन विभाग—ऋण और अग्रिम	7,48,000	..	7,48,000
116	उद्योग विभाग—ऋण और अग्रिम	1,50,00,000	..	1,50,00,000
121	सहकारिता विभाग—ऋण और अग्रिम	20,00,00,000	..	20,00,00,000
122	कृषि विभाग—ऋण और अग्रिम	49,99,000	..	49,99,000
124	पशुधन विभाग—ऋण और अग्रिम	1,40,88,000	..	1,40,88,000
126	परिवहन विभाग—ऋण और अग्रिम	3,00,00,000	..	3,00,00,000
131	गृह (कारागार) विभाग—ऋण और अग्रिम	27,00,000	..	27,00,000
	योग ..	90,25,49,000	55,19,000	90,80,68,000

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्म दत्त—

माननीय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है उत्तर प्रदेश विनियोग (1981–82 का द्वितीय अनुपूरक) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें एक सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकार की गई है जो माननीय सदस्य सर्वश्री रियासत हुसैन, अकबर हुसैन, गौरी शंकर भैय्या द्वारा दी गई दिनांक 11–2–82 को 539 अप गोरखपुर–लखनऊ पैसेंजर के लूटे जाने के संबंध में है ।

माननीय गृह मंत्री इस पर कब वक्तव्य देंगी ?

संसदीय कार्य राज्य मन्त्री (श्री राम रतन सिंह)—

24 को रख लीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

24–2–82 को इस पर वक्तव्य होगा ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 26 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
दिनांक 16 फरवरी, 1982 ई0

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–14 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1514 पर ।)

मांग	यथास्थिति पर टिप्पणी
1—मकान किराया भत्ता	1—इन शिक्षकों को मकान किराया भत्ता शासनादेश संख्या 6169/15–81–11–3(108)78, दिनांक 13 अक्तूबर, 1981 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है ।
2—वर्तमान वेतनमानों में संशोधन या जब तक संशोधन न हो तदर्थ सहायता दी जाय ।	2—अभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान पुनरीक्षण करने हेतु कोई वेतन आयोग गठित नहीं किया है । वेतन आयोग गठित होने पर ही अन्तरिम सहायता दिए जाने पर विचार हो सकेगा ।
3—समन्वित वेतनमान में समयबद्ध प्रोन्नति की व्यवस्था की जाय ।	3—शिक्षकों को यू0 जी0 सी0 द्वारा संस्तुत वेतनमान दिए गए हैं और यू0 जी0 सी0 ने समयबद्ध वेतनमान का प्राविधान नहीं किया है ।
4—त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स सभी कालेजों में समान रूप से एक साथ लागू किया जाय ।	4—इस प्रकरण पर विचार हेतु शासन ने कुलपतियों की एक उप समिति गठित की थी । इस उप समिति की रिपोर्ट पर आगामी कुलपति सम्मेलन में विचार किया जायेगा ।
5—पूर्व में दिए गये आश्वासनों को अविलम्ब लागू किया जाय ।	
(क) सभी प्रकार के परीक्षा कार्यों का पारिश्रमिक बढ़ी हुई दरों पर सभी विश्वविद्यालयों में समान रूप से दिया जाय ।	(क) आवश्यक आदेश शासनादेश, दिनांक 3 जुलाई, 1981 द्वारा जारी किए जा चुके हैं ।
(ख) शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों कार्टोग्राफर्स तथा डिमान्सट्रेटर्स को यू0 जी0सी0 स्केल दिया जाय ।	(ख) शारीरिक शिक्षा अधीक्षकों को यू0 जी0 सी0 का 700–1600 वेतनमान दिए जाने का शासन ने निर्णय ले लिया है । इस सम्बन्ध में औपचारिक आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी करने की कार्यवाही की जा रही है ।

मांग	यथास्थिति पर टिप्पणी
	कार्टोग्राफर्स तथा डिमोन्सट्रेटर्स को यू० जी० सी० स्केल दिए जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।
(ग) प्रबन्ध समितियों को वैधानिक संगठन बनाया जाय	(ग) इस प्रकरण पर यह निर्णय लिया गया कि इसे उ० प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम में व्यापक संशोधन करते समय सम्मिलित कर कार्यवाही की जाय ।
(घ) वर्तमान वेतनमान में 1,300 के स्तर पर अवरोध समाप्त किया जाय	(घ) शासनादेश संख्या 1839/15-81 (11)-4 (14)/77, दिनांक 14 मई, 1981 द्वारा 700-1,600 वेतनमान में 1,300 के स्तर पर मूल्यांकन समाप्त कर दिया गया है ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1538 पर ।)

दिनांक 1–7–80 से 31–10–81 तक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए अपराधियों का थानेवार विवरण

थाना—किशनी

1—अजब सिंह पुत्र हरीराम यादव, निवासी रहचन्दा, थाना किशनी ।

2—रामदास पुत्र खुशीराम यादव, साकिन समन, थाना किशनी ।

3—दर्शन सिंह पुत्र जंगी सिंह, साकिन गुवरिया नगला समन, थाना किशनी ।

4—महेश, निवासी महोसी, जिला इटावा ।

5—बाबूराम जादव, साकिन ज्योति मनौना, थाना कुरावली ।

थाना—शिकोहाबाद

1—नेम सिंह पुत्र गंगा सिंह, साकिन रहचन्दा, थाना किशनी ।

2—आशा राम पुत्र महराज सिंह, निवासी जहांगीरपुर, थाना सिरसागंज ।

3—अशोक पुत्र रामसेवक धानुक, निवासी खिड़की टोला कोतवाली, मैनपुरी ।

4—लल्लू पुत्र श्रीचन्द्र लोधि, निवासी कोउरी, थाना जसराना ।

5—रक्षपाल पुत्र उबली, निवासी मुराऊ, थाना सिरसागंज ।

6—रमेश पुत्र लक्ष्मी नरायन, लगला प्राग, थाना बरनाहल ।

7—श्यामवीर रामदयाल, निवासी मोहल्ला खेड़ा, थाना शिकोहाबाद ।

8—नरायन, नगला रड़ा, थाना घिरोर ।

9—कमलेश पुत्र लखीचन्द नगला फतेहपुर, थाना नगला खांगर ।

10—मडे पुत्र पोथी अहिरन नगला गुलाल, थाना नगला खांगर ।

थाना—एका

1—नत्थू पुत्र जोरावर, साकिन धरउवा, थाना एका ।

2—भगवान उर्फ लम्बा कमांडर ।

3—बीरबल पुत्र सियाराम, निवासी खुशालगढ़, थाना सकीट, जिला एटा ।

4—राजन उर्फ राजेन्द्र पुत्र रामचन्द्र, निवासी पैड़त, थाना एका ।

5—कुंवर पाल अहिर, निवासी नाला बेल, थाना माहरा, जिला एटा ।

थाना--कोतवाली

1--रज्जू उर्फ रज्जन पुत्र महताब, साकिन मुगाई, थाना घिरोर ।

2--पुत्तू साकिन सतानी, थाना कोतवाली ।

3--बाबू खां पुत्र शेर अली, साकिन मोहल्ला गरीबान, थाना कोतवाली ।

4--विनोद पुत्र अज्ञात, निवासी कासगंज, जिला एटा ।

5--रामचन्द्र काछी, निवासी खिन्ना खुर्द, थाना कुरावली, जनपद मैनपुरी ।

6--अज्ञात ।

7--दिनेश उर्फ बगड़ू पुत्र शिवपाल, साकिन मोहल्ला सराय ज्ञान, थाना कोतवाली ।

8--रमाकांत पाठक, साकिन सौदियाना, थाना कोतवाली ।

थाना--जसराना

1--वासुदेव पुत्र हरलाल यादव, साकिन मिऊरी, थाना जसराना ।

2--वासुदेव पुत्र लोकमन, निवासी नगला हरी, थाना जसराना ।

थाना--सिरसागंज

1--राकेश उर्फ मुन्ना पुत्र रघुवीर, साकिन जायमई, थाना सिरसागंज ।

2--भगवान सिंह पुत्र सीताराम यादव, साकिन जायमई, थाना सिरसागंज

3--रामदत्त ज्वाला प्रसाद, निवासी नानेमऊ, थाना नं0 खांगर ।

4--इकबाल सिंह पुत्र कृष्णपाल सिंह ठाकुर, निवासी खसेहन, थाना हाजीपुर, जिला फतेहपुर ।

5--राम खिलाड़ी पुत्र कंठबाज नट, निवासी निवरी, थाना सिरसागंज ।

6--हाकिम सिंह यादव, निवासी इकहरा, थाना भरथना, जिला इटावा ।

थाना--कुर्रा

1--अतर सिंह पुत्र सूरज सिंह यादव, साकिन टेकपुरा, थाना चौबिया, जिला इटावा ।

2--बंगाली घानुक नगला अमी, थाना कुर्रा ।

थाना--कुरावली

1--मुन्ना पुत्र महाबीर, साकिन बरहमपुर, थाना जैथरा, जिला एटा ।

2--बयाराम पुत्र उमराव कहार, निवासी खिन्ना, थाना कुरावली ।

3--दफेदार सिंह पुत्र मोती राम यादव, निवासी भोज्जापुर, थाना अलीगंज, जिला एटा ।

4—ज्ञानदीन उर्फ झुन्ना पुत्र रामबख्श, साकिन नगला इमलिया, थाना कुरावली ।

5—लालाराम पुत्र रामलाल काछी, निवासी किरावली, थाना करहल ।

6—नवाब उर्फ नब्बा पुत्र मिलाल कहार, निवासी मिनपुरा, थाना कुरावली ।

7—अतराम पुत्र परसराम, निवासी हरिचन्दपुर, थाना ओछा ।

8—तेज सिंह, निवासी नगला चिराजो, थाना कुरावली ।

9—सुखबासी, निवासी नगला विदिया, थाना कुरावली ।

10—रामेश्वर, निवासी संतपुरा, थाना कुरावली ।

11—कनाजी पुत्र बढ़ी यादव, हिन्दूपुर, थाना कुर्रा ।

12—मनफूल पुत्र डब्बर, निवासी गुलालपुर, थाना कुरावली ।

13—रंजन उर्फ राजाराम पुत्र रामलाल, साकिन खिज्रा, थाना कुरावली ।

थाना—खैरगढ़

1—विद्याराम, साकिन मनसूखपुर, थाना पिनहट, जिला आगरा ।

2—छोटे उर्फ दरोगा पुत्र मिढ़ई खां, निवासी सिकन्दरपुर, थाना मारकी, जिला आगरा ।

3—राम सिंह पुत्र तकई घोसी, निवासी बिलटाव, थाना खैरगढ़ ।

थाना—भोगांव

1—सियाराम पुत्र जालिम, साकिन रतनपुर, थाना एलाऊ ।

2—रामनाथ पुत्र ज्वाला, निवासी लालपुर, थाना भोगांव ।

3—रक्षपाल पुत्र मेवालाल अहीर, निवासी इन्मरपुर, थाना नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद ।

4—3 बदमाश नाम पता अज्ञात ।

5— ,,

6— ,,

7—चन्द्रपाल, साकिन बहेली, जिला एटा ।

8—प्रकाश, साकिन जुइया, थाना भोगांव ।

9—2 अज्ञात ।

थाना—ओंछा

1—बहादुर सिंह उर्फ बहादुरा पुत्र लाल सिंह यादव, साकिन काखुन, थाना घिरोर ।

2—पातीराम उर्फ पत्तिया पुत्र अतर सिंह अहीर, निवासी दुल्हापुर, थाना ओंछा।

3—राजबीर पुत्र इतवारी, निवासी बल्लमपुर, थाना ओंछा।

4—नथू पुत्र दुर्गासिंह अहीर, नगला केसरी, थाना शिकोहाबाद।

5—महताब पुत्र बिहारी बढ़ई, निवासी भुगाई, थाना घिरोर।

6—कुंवर बहादुर पुत्र अनार सिंह, निवासी खेरिया, थाना ओंछा।

थाना—बेवर

1—अतर सिंह पुत्र अजब सिंह लो0 रा0, साकिन भूपतिपुर, थाना एलाऊ।

2—चन्द्रभान उर्फ मुन्ना पुत्र अज्ञात, निवासी नहजुनियां, थाना गजनेर, जिला कानपुर।

3—मलखान पुत्र अज्ञात, निवासी ललिया बोझ, थाना तालग्राम, जिला फर्रुखाबाद।

4—राम बरन पुत्र शनी कहार, निवासी दौलतपुर, थाना बेवर।

5—अज्ञात।

6—मुन्ना मालो, साकिन कस्बा, मैनपुरी।

थाना—बरनाहल

1—बीघे पुत्र भिलोकी जाटव, निवासी किरी, थाना कोतवाली।

2—रामऔतार पुत्र चिरौजी, निवासी माधाता, थाना करहल।

थाना—घिरोर

1—रामसिंह पुत्र मुन्शी सिंह यादव, निवासी नरैनी, थाना सिरसागंज।

2—हिम्मत पुत्र खोजी बंजारा, निवासी उधनो, थाना घिरोर।

3—भगवान सिंह नगला जुला, थाना घिरोर।

थाना एलाऊ

1—भूपाल पुत्र नरायन काछी, निवासी इलबांस, थाना एलाऊ।

थाना—करहल

1—नाहर उर्फ नाहर सिंह, निवासी रसूलपुर, थाना बरनाहल।

2—इन्द्रा पुत्र रामचरन, निवासी मड़ैया, थाना करहल।

थाना—नं0 खेगर

1—टेनी उर्फ केशव देव पुत्र बंशीधर यादव, नगला आखमपुर, थाना सिरसागंज।

2—सज्जन उर्फ सज्जना पुत्र रघुनाथ यादव, निवासी नानेमऊ, थाना नगला खेगर ।

थाना—फरीहा

1—रामदास पुत्र दुर्जन जाटव, निवासी राजगढ़, थाना एका ।

2—राम निवास पुत्र ताले कहार, निवासी राजगढ़, थाना एका ।

3—अज्ञात ।

4—सुरजपाल पुत्र उल्फत, निवासी मड़पुरा, थाना अवागढ़, जिला एटा ।

5—उदयवीर पुत्र चोखे लाल, निवासी भादऊ, थाना फरीहा ।

6—केहरत उर्फ केहरन सिंह पुत्र रिखाल सिंह यादव, साकिन रसेनी, थाना जसरानी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1533 पर ।)

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक वृष्टि से पिछड़े जनपदों की सूची

1—अल्मोड़ा ।

2—आजमगढ़ ।

3—बहराइच ।

4—बलिया ।

5—बांदा ।

6—बाराबंकी ।

7—बस्ती ।

8—बदायूं ।

9—बुलन्दशहर ।

10—चमोली ।

11—देवरिया ।

12—एटा ।

13—इटावा ।

14—फिरोजाबाद ।

15—फर्रुखाबाद ।

16—फतेहपुर ।

17—गढ़वाल ।

18—गाजीपुर ।

19—गोंण्डा ।

20—हमीरपुर ।

21—हरदोई ।

22—जालौन ।

23—जौनपुर ।

24—झांसी ।

25—मैनपुरी ।

26—मथुरा ।

27—मुरादाबाद ।

28—पीलीभीत ।

29—ललितपुर ।

30—पिथौरागढ़ ।

31—प्रतापगढ़ ।

32—रायबरेली ।

33—रामपुर ।

34—शाहजहांपुर ।

35—सीतापुर ।

36—सुल्तानपुर ।

37—टेहरी गढ़वाल ।

38—उन्नाव ।

39—उत्तर काशी ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1537 पर।)

जनपद मुरादाबाद के प्रत्येक थाने में हुए अपराध, कत्ल, डकैती एवं विभिन्न प्रकार की चोरियों का विवरण निम्न प्रकार है :

थाना	कत्ल	डकैती	गृह भेदन	साधारण चोरी	कंडक्टर चोरी	साइकिल चोरी	पशु चोरी	ट्रांसफार्मर चोरी	हाईडिल चोरी ट्यू0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1—कोतवाली	1	1	63	90	..	99	..	..	4
2—कटघर	14	4	59	129	13	27	12	..	13
3—सिविल लाइन	12	4	34	87	65	115	11	..	13
4—मुगलपुरा	4	..	76	51	..	19	2	..	..
5—सम्भल]	3	1	33	42	1	18	..	1	9
6—मैनाठेर	19	4	14	53	58	..	13	7	59
7—असमोली	12	3	18	23	15	..	9	..	35
8—हयातनगर	11	4	22	43	8	2	15	8	58
9—अमरोहा	1	2	29	75	10	23	8	6	14

10—डिडौली	12	6	20	58	17	3	13	3	66
11—नौगवां सादात	11	5	11	24	17	1	3	2	25
12—छजलैट	17	3	34	42	10	1	15	..	20
13—चन्दौसी	5	3	38	73	..	21	11	2	20
14—बहजोई	19	7	25	41	..	2	11	3	25
15—कुढ	9	13	19	40	..	..	8	3	51
16—बिलारी	19	6	26	47	39	1	3	10	29
17—ठाकुरद्वारा	4	2	8	19	1	1	2	..	14
18—बिलारी	4	6	7	14	4	1	2	..	10
19—भगतपुर	2	7	9	15	..	1	2	..	6
20—मुण्डापाण्डेय	4	3	9	29	8	1	2	1	4
21—हसनपुर	8	8	12	32	14	3	2	2	10
22—आदमपुर	4	5	1	21	..	1	1	..	2
23—बछरायूं	9	2	18	26	8	1	2	2	13
24—गजरौला	11	3	9	41	6	4	2	..	40
यो ..	215	102	594	1,115	272	345	158	50	527

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 98 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1561 पर)

जनपद गाजीपुर में डकैती, हत्या तथा पुलिस मुठभेड़ का थानेवार विवरण

क्रमांक	थाना	अपराध	दिनांक 1-1-81 से 31-8-81 तक					दिनांक 1-1-80 से 31-12-80 तक				
			रिपोर्ट	चालान	लापता/अंतिम रिपोर्ट	जेर तफतीश	खारिज	रिपोर्ट	चालान	लापता / अंतिम रिपोर्ट	जेर तफतीश	खारिज
			4					5				
1	2	3	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	कोतवाली	डकैती	..	..	..	..	..	9	5	4	..	..
		हत्या	3	1	1	..	1	5	5	..	..	..
		पुलिस मुठभेड़	4	3	1	..	..	11	11	..	..	..
2	बिरनों	डकैती	1	1	..	..	..	3	2	1	..	..
		हत्या	1	1	..	..	..	3	1	1	..	1
		पुलिस मुठभेड़	1	1	..	..	..	3	3	..	..	..

3	जमानिया	डकैती	3	2	1	..	..	2	2	..	..	..
		हत्या	1	1	.	..	..	8	6	..	..	2
		पुलिस मुठभेड़	3	2	1	..	..	4	4	..	..	..
4	दिलदारनगर	डकैती	1	1	..	..	..	1	..	1	..	..
		हत्या	3	3	.	.	..	3	3	..	..	..
		पुलिस मुठभेड़	2	2	..	..	..	2	2	..	..	..
5	गहमर	डकैती	1	1	..	.	..	2	2	..	..	..
		हत्या	1	1				..	..	..	..	..
		पुलिस मुठभेड़	2	2	..	..	..	4	4	..	..	..
	नन्दगंज	डकैती	2	..	2	..	..	2	..	2	..	..
		हत्या	3	3	..	..	..	1	1	..	..	..
		पुलिस मुठभेड़	2	2	..	..	..	1	1	..	..	..
	करण्डा	डकैती	1	..	..	1	..	1	..	1	..	..
		हत्या	3	3	..	..	..	6	6	..	..	..
		पुलिस मुठभेड़	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	सैदपुर	डकैती	7	2	5	..	..	5	..	5	..	..
		हत्या	8	6	2	..	..	10	10	..	..	..
		पुलिस मुठभेड़	1	..	1	..	..	1	1	..	..	..

1	2	3	4					5				
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	मुहम्मदाबाद	डकैती	1	..	1	..	..	1	1	..	..	..
		हत्या	2	1	1	..	..	2	1	1	..	..
		पुलिस मुठभेड़	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..
10	कासमाबाद	डकैती	3	1	2	..	..	2	2	..	..	..
		हत्या	2	1	..	..	1	4	4	..	..	..
		पुलिस मुठभेड़	2	1	1	..	..	3	3	..	..	..
11	करीमुद्दीनपुर	डकैती	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..
		हत्या	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..
		पुलिस मुठभेड़	1	1	..	..	..	1	1	..	..	..
12	भांवर कोल	डकैती	3	1	2	..	..	..	..	..	..	..
		हत्या	1	1	..	..	..	1	1	..	..	..
		पुलिस मुठभेड़	1	1	..	..	..	1	1	..	..	..
13	सावात	डकैती	3	..	3	..	..	5	1	4	..	..
		हत्या	1	1	..	..	..	2	2	..	..	..
		पुलिस मुठभेड़	..	.	..	..	..	1	1	..	..	..

14	नोमहरा	डकैती	1	..	1	..	..	5	2	2	.	1
		हत्या	1	..	1	..	..	3	2	1	..	..
		पुलिस मुठभेड़	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..
15	मरदह	डकैती	1	1	..	..	..	2	2	..	..	..
		हत्या	2	2	..	..	..	3	2	1	..	..
		पुलिस मुठभेड़	1	1	..	..	..	1	1	..	..	..
16	मुड़कुड़ा	डकैती	..	..	..	..	..	3	2	1	..	..
		हत्या	2	1	1	..	..	7	5	2	..	..
		पुलिस मुठभेड़	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..
17	शादिमाबाद	डकैती	4	2	2	..	..	3	2	1	..	..
		हत्या	1	1	..	..	..	10	8	2	..	..
		पुलिस मुठभेड़	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 136 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1573 पर ।)

श्रीमान् माननीय मुख्य मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

मान्यवर महोदय जी,

निवेदन है कि--

1--यह कि हम प्रार्थीगण रफीक पुत्र जियावन, मटरु उर्फ जलालुद्दीन व मैनुद्दीन व साबिर अली पुत्रगण भोला व खालिक पुत्र तुल्लाह, ग्राम बच्छांव, थाना रोहनिया, जि ा वाराणसी (बच्छांव कांड) दिनांक 8-10-1980 करीब 10-00 बजे दिन में रोहनिया के सब इन्सपेक्टर के0 डी0 यादव पुलिस कर्मियों में रामबदन यादव, रामकिशुन, राय हंस, करीब 5 या 6 पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये जोर, जुल्म लूटपाट, मार-पीट, बलात्कार के शिकार हुए अल्प संख्यक वर्ग के बुनकर एवं मजदूर हैं ।

2--यह कि थाना रोहनियां के दरोगा डी0 एन0 सिंह लगभग 12 अन्य पुलिसगण व 1 अन्य बिल्लाधारी पुलिस अफसर दिनांक 5-11-1981 व 6-11-1981 के करीब 1-00 बजे रात में, जब कि हम सभी लोग अपने-अपने घरों में दरवाजा बन्द कर सोये थे, पहुंचे और कुछ लोगों का जोर से आवाज लगाकर दरवाजा खोलने पर बन्दूक व पिस्टल आदि से भयभीत कर कुछ लोगों के दरवाजों को तोड़कर अन्दर घुस गये व मन माने ढंग से बिन किसी की उपस्थिति में तलाशियां ली । लोगों को मारे-पीटे औरतों को भी मारने पीटने लगे तथा खालिक व मटरु उर्फ जलालुद्दीन को गम्भीर चोट पहुंचाये कुछ लोगों को लात मुक्का थप्पड़ घूसा से मारे पीटे व भोला व भोला के स्त्री को भी मार-पीट कर घायल कर दिये ।

3--यह कि इसके बाद हम लोगों को वहां से (रात ही में) उसी दिन उसी जीपों द्वारा थाना रोहनियां में लाया गया जहां हम लोगों की पुनः जमकर पिटाई धुनाई किया गया और वहां, जहां पहले से ही एक मुल्जिम (मुजीब) को बैठाये थे उनसे पहचान कराई, लेकिन वह इन्कार कर दिया और कहा कि ये लोग नहीं है जब कि पुलिस मुजीब से मारपीट कर कहलवाना चाहती थी कि यही लोग दिनांक 3 व 4 की रात पाण्डेयपुर डकैती काण्ड में थे लेकिन मुजीब ने इस बात को कहने से कतई इन्कार किया कि--

4--यह कि इसके बाद हम पांच लोगों के घर के पास पड़ोस के बाल बच्चे बूढ़े जवान भी भय से अपने-अपने घरों को छोड़कर भाग गये ।

5--यह कि इसके बाद हम पकड़े गये 5 व्यक्तियों के बच्छांव चट्टी (सड़क पर) लाए जहां वंश नरायन मिश्र के दरवाजे के सामने रोड पर 2 जीपें खड़ी थीं उसमें बैठाकर रात में ही ऊदल पुरा (चुनार मिर्जापुर), जहां रामकिशुन राय (बच्छांव काण्ड में अभियुक्त) तैनात है, वहां हम लोगों का उनसे पहचान कराई वह बताया कि में रफीक व मटरू उर्फ जलालुद्दीन बच्छांव कांड में प्रमुख रहे हैं ।

मुस्तफा दर्जी (पंडितपुर रोहनियां वाराणसी), जिसके घर डकैती दिनांक 3 व 4–11–1981 की रात में पड़ी थी, वह भी इस बात से इन्कार किया कि ये लोग नहीं हैं और कहा कि इन लोगों को झूठे केस में मत फसाओ । वह भी कतई इन्कार कर दिया ।

6—यह कि इसके बाद रफीक, मैनुद्दीन, सादिर अली को करीब 7–00 बजे दिन में थाने से छोड़ दिया गया, 11–00 बजे दिन में यह मटरु उर्फ जलालुद्दीन को छोड़ दिया तथा खालिक को रात में उसी दिन करीब 11–00 बजे छोड़ दिया गया ।

7—यह कि इस सम्बन्ध में पुलिस रोहनियां के खिलाफ उसी तिथि को (दिनांक 6–11–1981) को पुलिस अधीक्षक, वाराणसी (एस0 एस0 पी0) जिलाधीश, वाराणसी (डी0 एम0), पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, वाराणसी (डी0 आई0 जी0) ग्रामीण पुलिस अधीक्षक, वाराणसी (एस0 पी0 आर0ए0) से करीब 11–00 बजे दिन में गांव के करीब 500 व्यक्तियों औरतें बूढ़े और बच्चों के रोते, कलपते अपनी शिकायते कही तथा लिखित शिकायत–पत्र भी तत्सम्बन्धी अधिकारियों को दिया ।

8—यह कि इस सम्बन्ध में हम प्रार्थीगण लिखित रूप से इस घटना के पूर्व भी कई बार शिकायत किया था कि रोहनियां पुलिस बच्छांव कांड को लेकर झूठे ढंग से मनगढन्त ढंग से डकैती आदि किसी न किसी केस में फंसाने की नियत धमकी दे रही है लेकिन तत्सम्बन्धी अधिकारियों ने हम लोगों के प्रार्थना–पत्र पर एक भी ध्यान नहीं दिया ।

9—यह कि इसके बाद 5 व 6 नवम्बर, 1981 की रात हम लोगों को मनगढ़न्त ढंग से झूठे डकैती के अभियोग में फंसाकर घर से रात में पुलिस ले गयी, बुरी तरह से मारी–पीटी बाद में ग्रामीण जनता के विरोध पर छोड़ दिया ।

10—यह कि पुलिस कर्मियों ने थाने में हम लोगों को मारते हुए यह कह रहे थे कि हम लोग तुम्हारे बहू, बेटी का इज्जत न लेते हैं और तुम लोग सी0 आई0 डी0 जांच कराते हो । बच्छांव कान्ड तो हम लोग सी0 आई0 डी0 से मिलकर चाट गये अब तुम लोग होस में आओगे । इस प्रकार की मारते पीटते समय धमकी देते रहे ।

अतः प्रार्थना के साथ निवेदन है कि अविलम्ब इन दोषी दरोगा एवं पुलिस कर्मचारियों के अत्याचार के विरुद्ध उचित कार्यवाही (जांच) कर हम गरीब अल्प संख्यक वर्ग के प्रति इस प्रकार के पुलिस अत्याचार को रोक जय ताकि भविष्य में पुनः झूठे मनगढ़ंत ढंग से झूठे केस आदि में न फंसा सके जिसके लिए हम प्रार्थीगण सदैव आपका आभारी रहेंगे ।

प्रार्थीगण
ग्राम–बच्छांव,
थाना रोहनियां,
जिला वाराणसी ।

प्रतिलिपि--निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं इस मामले में तुरन्त आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित । आशा है कि इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने को अनुकम्पा करेंगे :

1--माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2--माननीय महानिरीक्षक (पुलिस), उ० प्र०, लखनऊ ।

3--माननीय श्री राजेन्द्र सिंह (विरोधी दल), उपाध्यक्ष, लोक दल, उत्तर प्रदेश (नाम से) ।

4--माननीय सचिव महोदय, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

5--माननीय श्री महीपाल शास्त्री, नेता विरोधी दल, विधान भवन, लखनऊ ।

6--रामनरेश यादव, भूतपूर्व मुख्य मंत्री, लखनऊ ।

प्रार्थीगण:

ह०--

ग्राम--बच्छांव,

थाना--रोहनियां,

जिला--वाराणसी ।

प्रेस दूत

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 139 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1573 पर।)

मृतक डकैतों का थानेवाइज नाम एवं पता

1—मु0 आ0 सं0 29/81, धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0 थाना विशुनपुरा, देवरिया

अलगू पुत्र राम प्रसाद तुरहा सा0 पचखिया थाना विशुनपुरा, देवरिया ।

2—अ0 सं0 23/81, धारा 307 भा0 दं0 वि0 थाना हाटा, देवरिया

मुसाफिर पुत्र फत्ते मिर्धा, सा0 पखरपार, थाना रामकोला, देवरिया ।

3—अ0 सं0 36/81, धारा 307 भा0 दं0 वि0, थाना तरयासुजान, देवरिया

जटाधारी पुत्र बासुदेव, सा0 भगवानपुर, थाना तरयासुजान, देवरिया ।

4—अ0 सं0 23/81, धारा 399/402/307, भा0 दं0 वि0 थाना खड्डा, देवरिया

(1) मोती पुत्र जगन्नाथ सा0 कतकी थाना—घनहा

(2) हरिकिशुन पुत्र चण्डीमर जिला पश्चिमी चम्पारन (बिहार)

(3) राजाराम पुत्र नमी यादव

(4) मंगल पुत्र सुखदेव सा0 बुढवाजंगल, थाना खड्डा, देवरिया ।

(5) एक डकैत नाम पता अज्ञात

5—अ0 सं0 44, धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0, थाना रुद्रपुर, देवरिया

रामउग्रह केवट पुत्र नन्दन केवट, सा0 रामचक थाना रुद्रपुर, देवरिया ।

6—अ0 सं0 74/81, धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0, थाना तरया—सुजान, देवरिया

(1) गोरख लाल पुत्र राजधारी लाल, सा0 श्याम पट्टी, थाना तरया—सुजान, देवरिया ।

(2) बाबूनन्दन पुत्र रघुबीर कोइरी, सा0 माधवपुर बुजुर्ग, थाना तरया—सुजान, देवरिया ।

(3) बद्री पुत्र भोला कोइरी, सा0 फिरोजहा, थाना तरयासुजान, देवरिया ।

7—अ0 सं0 69, धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0, थाना रामकोला, देवरिया

सकलू पुत्र छेदी, सा0 रामपुरबनहा थाना रामकोला, देवरिया ।

8—अ0 सं0 95/81, धारा 399/402 भा0 दं0 वि0/25 आर्म्स ऐक्ट, थाना रामकोला, देवरिया

हनीफ पुत्र भुल्ली चुरिहार, सा0 सिरसिया, थाना नेबुआ नौरंगिया, जनपद देवरिया ।

9—अ0 सं0 168/81, धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0/25 आर्म्स ऐक्ट, थाना तरयासुजान, देवरिया ।

कृष्णा कोइरी पुत्र रामश्रय कोइरी, सा0 घूमननगर, थाना ठकरहा, जिला पश्चिमी चम्पारन (बिहार) ।

10—अ0 सं0 80/81, धारा 307 भा0 दं0 वि0/25 आर्म्स ऐक्ट/25 इक्सपलोसिव ऐक्ट, थाना कप्तानगंज, देवरिया

(1) पथरी उर्फ रामसमुझ पुत्र शिवनाथ कहार, सा0 हेमथा, थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर ।

(2) लालजी पुत्र स्वामीनाथ कहार, सा0 परसिया, थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर ।

11—अ0 सं0 62/81, धारा 307 भा0 दं0 वि0/25 आर्म्स ऐक्ट, थाना रामपुर कारखाना, जनपद देवरिया
सहबली पुत्र चौथी, सा0 रामलखना, खोराबार, गोरखपुर ।

12—अ0 सं0 116/81, धारा 399/402/307 भा0 दं0 वि0/25 आर्म्स ऐक्ट/5 इक्सप्लोसिव ऐक्ट, थाना गौरीबाजार, जनपद देवरिया
रमाकांत उर्फ मुहलू पुत्र राजदेव केवट, सा0 अवधपुर, थाना गौरीबाजार, जनपद देवरिया ।

13—अ0 सं0 244/81, धारा 307 भा0 दं0 वि0, थाना रुद्रपुर, देवरिया
सुदामा उर्फ टाइगर पुत्र गुन्नर यादव, सा0 भालीचौरा, थाना रुद्रपुर, जनपद देवरिया ।

नत्थी 'ज'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1582 पर ।)

वर्ष 1980–81 में विधायक निवासों के लिए क्रय की गयी साज–सज्जा सामग्री का विवरण

क्रमांक	वस्तु का नाम	संख्या	दर	कुल मूल्य	खरीदने का तरीका
			रु0	रु0	
1	लोहे की आलमारी	195	870.960	1,70,100	केवल 5 टेन्डर के आधार पर न्यूनतम दर से तथा 190 रेट कान्ट्रेक्ट की दर से ।
2	पलंग हार्डबेड	543	384.80 तथा 405.60	2,19,866.40	न्यूनतम टेन्डर के आधार पर 18 तथा शेष रेट कान्ट्रेक्ट की दर पर ।
3	क्वायर फोम के गद्दे	20	370.00	7,400	न्यूनतम टेन्डर के आधार पर ।
4	लेटेक्स फोम के गद्दे	425	539.80	2,83,395	रेट कान्ट्रेक्ट की दर पर
5	दरी	555	103.00 238.00 तथा 350.00	65.150	न्यूनतम टेन्डर के आधार पर 5 शेष यू0 पी0 निर्यात निगम/यू0 पी0 हैन्डलूम कारपोरेशन से ।
6	लोहे की बाल्टी	52	30.00 से 34.50	1,632.00	न्यूनतम टेन्डर के आधार पर ।
7	प्लास्टिक मग	486	2.00 से 5.00 तक	1,257.00	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम तथा न्यूमतम टेन्डर के आधार पर ।
8	प्लास्टिक बाल्टी	88	16 से 27.75	2,010.00	न्यूनतम टेन्डर के आधार पर ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 172 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1584 पर।)

जून, 1981 से 1 दिसम्बर, 1981 तक की अवधि में मंत्रियों तथा अधिकारियों द्वारा हेलीकाप्टर पर की गई उड़ानों का विवरण

मंत्रीगण/अधिकारी	प्रश्नगत अवधि में जिन जनपदों में यात्रा की गई
1	2
माननीय मुख्य मंत्री	लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, बांदा, अलीगढ़, बरेली, देहरादून, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, सहारनपुर, आगरा, दिल्ली रामपुर, बदायूं, शाहजहांपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, बलिया, गोरखपुर, गाजीपुर, कानपुर, मेरठ, बुलन्दशहर, गोंडा, बस्ती, मैनपुरी, बहराइच, बाराबंकी, लखीमपुर, हमीरपुर, नैनीताल, इटावा।
माननीय स्वास्थ्य मंत्री	वाराणसी, मिर्जापुर, लखनऊ, आगरा।
माननीय पर्वतीय विकास मंत्री	पौड़ी, चमोली।
माननीय गृह मंत्री	इलाहाबाद, लखनऊ, एटा, आगरा, मैनपुरी, कानपुर बांदा, फर्रुखाबाद, इटावा, झांसी।
माननीय वित्त मंत्री	लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, चमोली, इलाहाबाद, हमीरपुर।
माननीय आवास विकास मंत्री	बरेली, इलाहाबाद, लखनऊ।
माननीय न्याय मंत्री	लखनऊ, इलाहाबाद।
माननीय उप मंत्री, राजस्व	लखनऊ, सुल्तानपुर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा।
माननीय सिंचाई मंत्री	लखनऊ, गोरखपुर।
माननीय राजस्व मंत्री	लखनऊ, फैजाबाद।
माननीय उप मंत्री, पर्यटन	मुरादाबाद, बरेली, लखीमपुर, लखनऊ।
माननीय राज्य गृह मंत्री	देहरादून, दिल्ली, चमोली, लखनऊ, एटा, अलीगढ़, आगरा, बरेली।
माननीय राजस्व मंत्री, राज्य	लखनऊ, गोरखपुर, सुल्तानपुर, बस्ती।
माननीय राज्य मंत्री श्री पी० के० शर्मा	लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर।

1	2
माननीय राज्य सिंचाई मंत्री	लखनऊ, बलिया, बरेली, दिल्ली ।
माननीय राज्य ग्राम्य विकास मंत्री	बरेली, दिल्ली, लखनऊ, गाजियाबाद ।
माननीय राज्य मंत्री श्री एन० एन० सिंह एवं श्री बच्चा पाठक	दिल्ली, बरेली, लखनऊ ।
माननीय राज्य आपूर्ति मंत्री	लखनऊ, बरेली, सहारनपुर ।
माननीय केन्द्रीय रेल मंत्री	गोरखपुर ।
माननीय केन्द्रीय उर्जा मंत्री	वाराणसी, मिर्जापुर ।
केन्द्रीय बाढ़ सहायता, लखनऊ दल	बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर, बस्ती ।
अधिकारीगण—	
मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं जिलाधिकारी पौड़ी	देहरादून, पौड़ी ।
आई० जी० पुलिस	लखनऊ, इटावा, एटा, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, देहरादून, चमोली, पौड़ी, नैनीताल, कानपुर ।
अतिरिक्त आई० जी० पुलिस	लखनऊ, बरेली, देहरादून ।
सी० आई० डी० दल	इलाहाबाद, लखनऊ ।
सचिव तथा मुख्य अभियन्ता, सिंचाई	लखनऊ, गोरखपुर ।
जिलाधीश, पौड़ी	देहरादून, पौड़ी ।
सचिव, पर्वतीय विकास	बरेली, लखनऊ ।
अध्यक्ष एवं ए० एल० ग्रुप कैप्टन कपूर	लखनऊ, रायबरेली ।

परिशिष्ट 'अ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 202 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1594 पर)

सूची "क" बेसिक स्तर

बाढ़ 1980-81 की क्षतिपूर्ति का विवरण विद्यालयवार जिनका भुगतान होना शेष है

क्रम सं0	विद्यालय का नाम जिनको बाढ़ क्षतिपूर्ति का भुगतान होना शेष है	आवेदित धनराशि
		रु0
1	योगराज श्री कृष्ण पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सुबनीपुर खुर्द, इलाहाबाद	2,784.37
2	पण्डित कमलापति त्रिपाठी पूर्व माध्यमिक विद्यालय, लोटाढ़, इलाहाबाद	1,447.87
3	सरदार पटेल माध्यमिक विद्यालय, तरौल, करछना इलाहाबाद	512.32
4	श्रीमती इन्दिरा गांधी माध्यमिक विद्यालय, पटेलनगर, अकोढ़ा, इलाहाबाद	1,003.32
5	पं0 सूर्यबली माध्यमिक विद्यालय, कौधियारा, इलाहाबाद	846.45
6	हेमवती नन्दन बहुगुणा माध्यमिक विद्यालय, रिगवां बारा, इलाहाबाद	1,057.50
7	तिलक शिक्षण संस्थान, तिलकनगर, इलाहाबाद	1,500.00
8	बाबा भगवानदास जूनियर हाई स्कूल अकोरिया, इलाहाबाद	1,353.00
9	ग्राम सुधार पूर्व माध्यमिक विद्यालय नेवादा, इलाहाबाद	1,627.00
10	सुभाष चन्द्र बोस जूनियर हाई स्कूल, कादिलपुर, इलाहाबाद	2,700.00
11	लक्ष्मण पूर्व माध्यमिक विद्यालय, गड़ैया लौनीपुर, इलाहाबाद	1,221.00
12	जगत नारायण करवरिया जूनियर हाई स्कूल, मारा, इलाहाबाद	2,754.00
13	आनन्दी प्रसाद जूनियर हाई स्कूल, बगुआ काटी, इलाहाबाद	742.50
14	चौधरी चरण सिंह जूनियर हाई स्कूल, मलाक रेजमा, इलाहाबाद	1,512.00
15	स्वामी विवेकानन्द जूनियर हाई स्कूल, मझुआरी, इलाहाबाद	1,998.00

1	2	3
		रु0
16	परमेश्वरदीन मिश्र जूनियर हाई स्कूल, बेनीपुर, इलाहाबाद	2,214.00
17	गायत्री देवी माध्यमिक विद्यालय, सांगीपुर, इलाहाबाद	1,066.00
18	लाल जंगीलाल जूनियर हाई स्कूल, कोहड़ार, इलाहाबाद	2,403.00
19	जन कल्याण माध्यमिक विद्यालय, घासीपुर, इलाहाबाद	1,015.00
20	राम प्यारे तिवारी जूनियर हाई स्कूल, भगवारा, इलाहाबाद	1,012.00
21	लोक नायक जयप्रकाश नारायण जूनियर हाई स्कूल, पूरब शरीरा	1,620.00
22	सन्त नागा निरंकारी जूनियर हाई स्कूल, साढ़ी, इलाहाबाद	2,052.00
23	राम अचल सिंह उ0 माध्यमिक विद्यालय, तेजबहादुर पुर, इलाहाबाद	3,267.00
24	सिन्दू विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, अलोपीबाग, इलाहाबाद	918.00
25	जनता जूनियर हाई स्कूल, बसरिया, करछना, इलाहाबाद	1,080.00
26	बाबा बजरंग पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मदनपुर, इलाहाबाद	1,419.00
27	श्री सुभाष चन्द्र बोस माध्यमिक विद्यालय, पकरी, सेवार, इलाहाबाद	713 00
28	फिरोज गांधी महाविद्यालय जूनियर हाई स्कूल, गोठी, इलाहाबाद	1,917.00
29	जनता जूनियर हाई स्कूल, रामपुर रक्सवारा, इलाहाबाद	1,854.00
		46,201.33

(रुपये छियालिस हजार दो सौ एक तथा पैसे तैंतीस मात्र)

सूची 'ख' माध्यमिक स्तर

1980-81

1 गोमती इं0 का0 फूलपुर, इलाहाबाद ।
2 मोती लाल नेहरू इं0 का0, जमुनीपुर, इलाहाबाद ।
3 नेशनल इं0 का0, हड़िया, इलाहाबाद ।
4 दुर्गा देवी इं0 का0, ओसा, इलाहाबाद ।
5 करारी इं0 का0, करारी, इलाहाबाद ।

1	2
6	दिलीप सिंह इं0 का0, वाकरगंज, इलाहाबाद ।
7	एस0 ए0 वी0 इं0 का0, सैनी, इलाहाबाद ।
8	मान सिंह इं0 का0, अलोपुर, जोता, इलाहाबाद ।
9	गोपाल विद्यालय, कोरांव, इलाहाबाद ।
10	शिव जियावन इं0 का0, लेड़ियरी, इलाहाबाद ।
11	गिरधारी सिंह सिंगरोल इं0 का0, मकनपुर, इलाहाबाद ।
12	मेवालाल अयोध्या प्रसाद इं0 का0, सोरांव, इलाहाबाद ।
13	शेरवानी इं0 क0, सुल्तानपुर, इलाहाबाद ।
14	पब्लिक इं0 का0, मनौरी, इलाहाबाद ।
15	के0 वी0 एम0 इं0 का0, कमलानगर, इलाहाबाद ।
16	जनता इं0 का0, सिकन्दरा, इलाहाबाद ।
17	लाल चन्द्र इं0 का0, जसरा, इलाहाबाद ।
18	श्रृंगी ऋषी इं0 का0, घटवा, इलाहाबाद ।
19	चन्द्र शेखर आजाद इं0 का0, पूरबनारा, इलाहाबाद ।
20	जवाहर लाल नेहरू इं0 का0, न्यायीपुर, इलाहाबाद ।
21	बद्री नाथ तिवारी इं0 का0, मेजारोड, इलाहाबाद ।
22	राम प्रदीप इं0 का0, सिरसा, इलाहाबाद ।
23	शुकुलपुर इं0 का0, शुकुलपुर, इलाहाबाद ।
24	मंहगांव इं0 क0, मंहगांव, इलाहाबाद ।
25	सरदार भगत सिंह इं0 का0, सैदाबाद, इलाहाबाद ।
26	विद्यावती स्मारक इं0 का0, हड़िया, इलाहाबाद ।
27	माधव इं0 का0, बमेला, इलाहाबाद ।
28	ग्राम विकास इं0 का0, सरस्वतीपुर, इलाहाबाद ।
29	महानारायण इं0 का0, बरौत, इलाहाबाद ।
30	शिव इं0 का0, कटहरा, इलाहाबाद ।
31	हरिमंगल सिंह इं0 का0, रामपुर, इलाहाबाद ।
32	विद्या मन्दिर इं0 का0, गांजा, इलाहाबाद ।
33	जिला परिषद् इं0 का0, औता, इलाहाबाद ।
34	जिला परिषद् इं0 का0, उग्रसेनपुर, इलाहाबाद ।

1	2
35	किसान इं0 का0 देवघाट धूस, इलाहाबाद ।
36	गोस्वामी इं0 का0, कोराव, इलाहाबाद ।
37	सरदार पटेल इं0 का0, सिकरी, इलाहाबाद ।
38	शेरवानी इं0 का0, मुकुन्दपुर, इलाहाबाद ।
39	गांधी शान्ति निकेतन इं0 का0, गौहनिया, इलाहाबाद ।
40	सत्य नारायण इं0 का0, उरुवा, इलाहाबाद ।
41	सौराव हा0 से0 सौराव, इलाहाबाद ।
42	आदर्श इं0 का0, जुड़ापुर, बीहर इलाहाबाद
43	लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी इं0 का0, मांडा, इलाहाबाद ।
44	महर्षि दुर्वाशा इं0 का0, कटरा, इलाहाबाद ।
45	नेहरू ग्राम औद्योगिक इं0 का0, सरायवासी, इलाहाबाद ।
46	किसान इं0 का0, बरेस्ता कला, इलाहाबाद ।

नत्थी 'ट'

(देखिए पीछे पृष्ठ 1606 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1982 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित श्री सूबेदार सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 4 का उत्तर—

प्रश्न	उत्तर
4—क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में मई, 1977 से अब (अगस्त, 1981) तक प्रवर वर्ग सहायकों से अनुभाग अधिकारी के पदों पर कुल कितनी प्रोन्नतियां हुई है और उनमें से कितन अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही हं कि उपर्युक्त नियुक्तियों में आरक्षण का आधार नहीं अपनाया गया है ? यदि हां तो क्यों ?	प्रश्नगत अवधि में उत्तर प्रदेश सचिवालय में 137 प्रवर वर्ग सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पदों पर प्रोन्नतियां हुई हैं उनमें से एक अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के हैं । अनुसूचित जनजाति का कोई भी अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं था । नियुक्तियों में आरक्षण का आधार अपनाया गया ।

विश्वनाथ प्रताप सिं
मुख्य मंत्री ।

पी० एस० यू० पी०—3 वि० सभा—1982 (पी० डी०) ।